खण्ड-334, अंक-7
बुधवार, 8 भाद्रपद, शक संवत् 1900
(30 अगस्त, 1978 ई0)

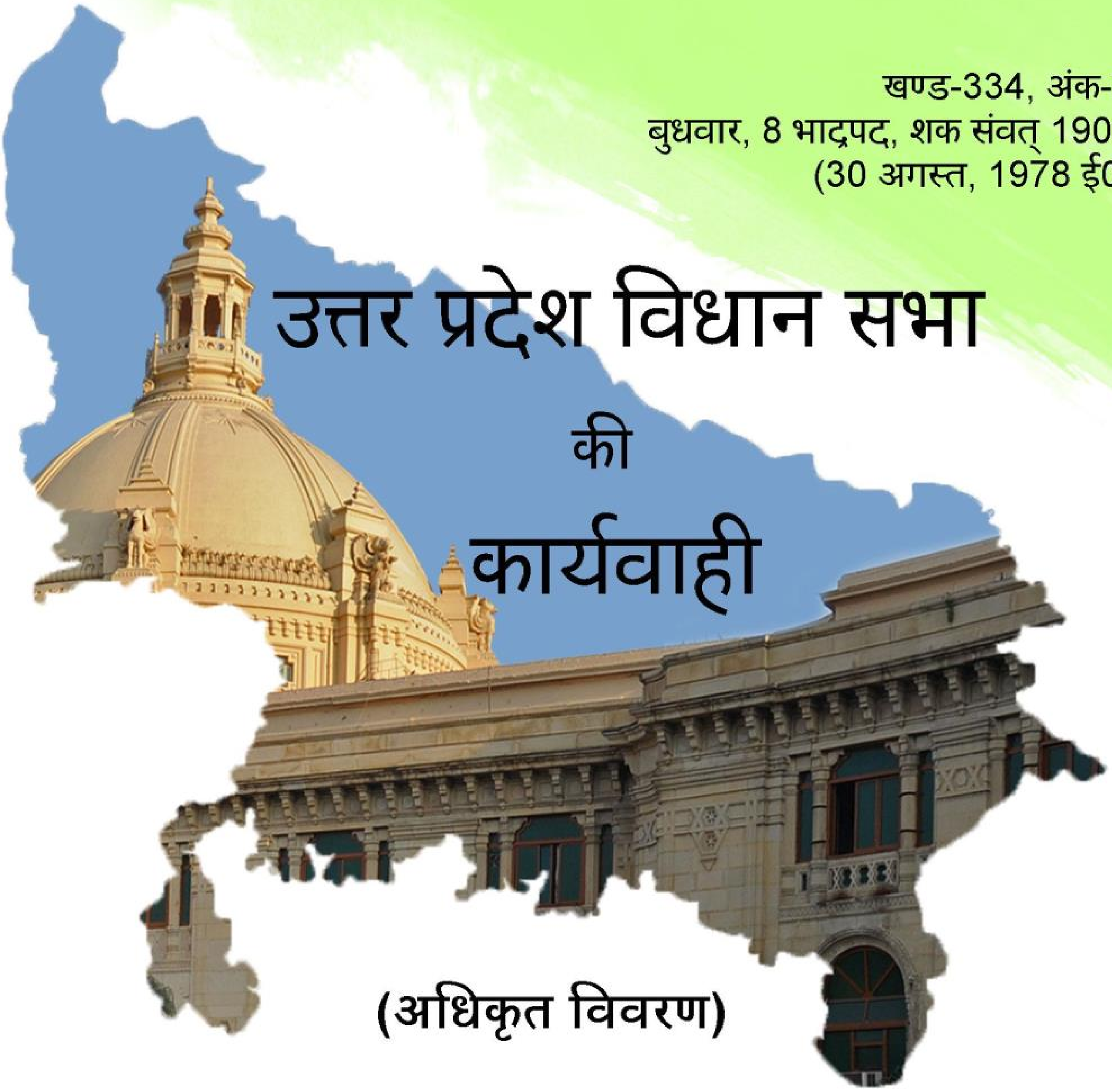

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 334 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य ..	१०९–११२
प्रश्नोत्तर ..	११३–१६४
आज की कार्य सूची की नत्थी (ख) के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	१६४–१६५
सहकारी संघों एवं सहकारी बैंकों के चुनाव उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, १९६८ के संशोधित नियम ८५(क) के अनुरूप कराकर कराए जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१६५
फैजाबाद जनपद में गैस्ट्रो-इन्टायटिस (हैजे) के भयंकर प्रकोप के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१६६
कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में रामबाबू नामक डकैत का आतंक तथा पुलिस की निष्क्रियता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१६६
जिला कारागार, लखनऊ में बन्दी होम्योपैथिक छात्रों पर लाठी चार्ज तथा उनको उच्च श्रेणी से हटाए जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१६७
आगरा में नकली दवाओं की अवैध बिक्री के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१६७–१६८
उन्नाव जिले के कतिपय ग्रामों में लकड़बग्घे के आतंक के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१६८
जे० के० जूट मिल, कानपुर में सिलेन्डर फटने से श्रमिकों की मृत्यु तथा कई श्रमिकों के घायल होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१६८–१६९
लखनऊ विश्वविद्यालय तथा किंगजार्ज मेडिकल कालेज में गैर शिक्षक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१६९
विकास खंड राजेपुर, फर्रुखाबाद के गांवों में पानी की समस्या, हैजा तथा अन्य रोगों के फैलने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१७०
बाराबंकी जनपद में नेशनल इन्टर कालेज, फतेहपुर में छात्रों के दाखिले में वहां के प्रिंसिपल द्वारा अनुचित ढंग से चन्दा वसूल किए जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१७०–१७१
सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री मोहम्मद मसूद खां के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	१७१

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री गुलाब सेहरा, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट ..	९७१-९८०
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना ..	९८१
कानपुर शहर में आतंकवादियों द्वारा दुकाने लूटने से कानपुर के बाजारों में हड़ताल के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन ..	९८१
वस्यु सुन्दरी हसीबा बेगम की मौत पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस में खींचतान के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ..	९८२
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ (जारी) ..	९८२-१००१
दुबारा उत्तर भाषण देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	१००१-१००२
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ (पारित किया गया) ..	१००२-१०१३
उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ (पारित किया गया) ..	१०१३-१०१४
उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ (पारित किया गया) ..	१०३४-१०४२
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ में संसद द्वारा संशोधन कराने हेतु संकल्प (पारित) ..	१०४३-१०४४
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	१०४४
जिला जालौन के ग्राम जमालपुर में डकैतों द्वारा आठ व्यक्तियों की गोली मार कर हत्या किए जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	१०४५-१०५२
राज्यमंत्री श्री सत्यदेव त्रिपाठी द्वारा शिमला में धारा १४४ का उल्लंघन करके के सभा करने तथा मुख्य मंत्री द्वारा कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में खेद प्रकाशन के प्रस्ताव की ग्राह्यता पर आपत्ति ..	१०५२-१०५६
प्रदेश के राज्यमंत्री श्री सत्यदेव त्रिपाठी द्वारा शिमला में धारा १४४ का उल्लंघन करके सार्वजनिक सभा करने तथा मुख्य मंत्री द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में सदन द्वारा खेद प्रकाशन का प्रस्ताव ..	१०५६-१०६६
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१०६६-१०६७
राज्य मंत्री, श्री सत्यदेव त्रिपाठी द्वारा शिमला में धारा १४४ का उल्लंघन करके सार्वजनिक सभा करने तथा मुख्य मंत्री द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में खेद प्रकाशन का प्रस्ताव (अस्वीकृत) ..	१०६७-१०८२
नस्थियां ..	१०८३-१०९०

उत्तर प्रदेश, विधान सभा

बुधवार, ३० अगस्त, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ३२६

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंजो प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री

गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जगेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञान लाल अहरवार, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभुदयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बैजू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज वल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री

भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भाभी, श्री
भोला प्रसाद, श्री
भीष्म, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मंजूर अली खां, श्री उर्फ (शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
मान पाल सिंह, एडवोकेट श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्ला कुरैशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
रामफेर कोरी, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री

रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
लखी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लल्लू दास, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिव नन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यप्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द्र गोयल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुकम सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट--हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री, श्रीमती चन्द्रावती तथा विद्युत मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ३० अगस्त, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पद हेतु लोक सेवा आयोग की संस्तुति

**१--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९७८ में लोक सेवा आयोग द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पद के चुनाव के लिए लोक सेवा आयोग तथा उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों द्वारा प्रारम्भ से अन्त तक चुनाव सम्बन्धी सभी औपचारिकतापूर्ण करने तथा लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार करने के पश्चात् चुनाव सूची सरकार को भेजी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा जनवरी, १९७८ से आज तक उस पर कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)--

जी हां । प्राप्त संस्तुति शासन के विचाराधीन है ।

श्री हिम्मत सिंह--

निदेशक प्राविधिक शिक्षा के रिक्त पद को विभागीय चयन द्वारा भरने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, १९७० के अधीन शासन के प्राविधिक शिक्षा विभाग के कार्यवाहक निदेशक की सहमति, राय एवं सहयोग से पात्रता क्षेत्र एवं पात्र अधिकारियों की सूची निर्धारित करने के बाद उसका अनुमोदन नियुक्ति विभाग, कार्मिक विभाग एवं लोक सेवा आयोग से कराया ? यदि हां, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां से सूचना आने के बाद भी कार्मिक विभाग को क्यों भेजकर उस पर राय मांगी गई ?

श्री काली चरण--

यह प्रश्न बिलकुल इसी रूप में पिछले दिन आ चुका है, मैंने बताया था, निदेशक, प्राविधिक शिक्षा का चयन लोक सेवा आयोग की परिधि में आता है और उसके अध्यक्ष या उसके द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति, सचिव, प्राविधिक शिक्षा और मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत अधिकारी, इन तीन आदमियों की चयन समिति ने इस पर विचार किया और विचारोपरान्त यह शासन के कार्मिक विभाग में विचाराधीन है, और वही बात आज भी मुझे कहनी है ।

श्री हिम्मत सिंह--

पिछले दिनों में इसी सत्र में उत्तर दिया कि ऐसे ही आदेश दिया था, किन्तु आपने उसमें कहा कि नियमित नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जा रही है और आज के उत्तर में सूची भी आ गई, तो आपने पहले ऐसा क्यों कहा था, यह गलतबयानी.....

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपका आक्षेप है । किन्तु मंत्री जी इन दोनों प्रश्नों में कैसे सामंजस्य करेंगे ?

श्री काली चरण—

माननीय सदस्य गलतबयानी का आरोप लगाते हैं .....

श्री अध्यक्ष—

इ को अनुमति तो मैंने नहीं दी ।

श्री काली चरण—

कोई विरोधाभास नहीं है, जो उस दिन दिया था, वही आज भी दे रहा हूं ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

यह नियुक्ति का प्रश्न कार्मिक विभाग को कब भेजा गया और उस पर अन्तिम निर्णय कब तक हो जाएगा ?

श्री काली चरण—

इसका निर्णय कार्मिक विभाग शीघ्र कर लेगा । यह चयन की प्रक्रिया है, जब तक पूर्ण रूप से निर्णय नहीं हो जाता, इस सम्बन्ध में कोई बात बताना उचित नहीं समझता हूं । और तिथि की निश्चित सूचना मैं बाद में दे दूंगा ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या यह सही है कि इस चयन के न होने के कारण टेक्निकल एजूकेशन विभाग में सर्विस रूल्स अब तक नहीं बन पाये हैं ? यदि ऐसा नहीं है, तो अन्य किन कारणों से अब तक नहीं बन पाएं हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो चयन समिति बैठी थी, उसने जो तीन आदमियों का नाम रेकमेन्ड किया था, वहां पब्लिक सर्विस कमीशन के आफिस से जो तृतीय नम्बर पर था, वह टैम्परिंग करके प्रथम नम्बर पर कर दिया गया है और जो आदमी प्रथम नम्बर पर था तृतीय नम्बर पर कर दिया गया है, इसको ले कर कुछ विधायकों ने एक रिप्रेजेन्टेशन शासन को किया है, इस वजह से यह मामला रुका हुआ है ?

श्री काली चरण—

मैंने यह बताया, यह चयन का प्रश्न है और कार्मिक विभाग के निर्णय के पश्चात् ही इसमें कोई बात बतायी जा सकती है ।

श्री विक्रमा राय—

पहला प्रश्न तो यह है कि संस्तुति के क्रम को बदल दिया, तीन वाले को एक कर दिया और एक वाले को तीन कर दिया, क्या यह सही है ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, यह बात पूर्ण रूप से गलत है और जब तक वह संस्तुति प्रकाशित नहीं हो जाती तब तक यह कहना कि कौन सा प्रथम है कौन सा द्वितीय है कौन सा तृतीय है यह इस निर्णय के बाद ही कहा जा सकता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

श्री विक्रमा राय—

दूसरा कहना यह था कि क्या इस तरह का रिप्रेजेन्टेशन कुछ विधायकों ने शासन को दिया है जिस पर जांच हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—

कोई प्रत्यावेदन आपको मिला है ?

श्री काली चरण—

जी हां।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—

मैं जानना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में टेम्परिंग करके जो वरीयता सूची चयन समिति ने बनायी थी, उसको बदल दिया गया क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच सरकार ने की है ? क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति के नाम की फिर से सिफारिश की गयी है वह कुछ दिनों पहले डिप्टी डाइरेक्टर के पद के लिए भी योग्य नहीं पाया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ?

श्री काली चरण—

पब्लिक सर्विस कमीशन के आफिस में जैसा कि कहा गया टेम्परिंग या क्या-क्या कर दिया इस तरह की कोई जानकारी मुझे नहीं है। मुझे जहां तक जानकारी है इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

दूसरा प्रश्न था कि जो व्यक्ति डिप्टी डाइरेक्टर के लिए योग्य नहीं पाया गया क्या उसकी संस्तुति की गयी है ?

श्री काली चरण—

यह तो जब इसका परिणाम आयेगा तब कहा जा सकता है कि किस की संस्तुति की गयी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से बतायेंगे कि यह सूचना सही है कि जो व्यक्ति डिप्टी डाइरेक्टर पद के लिए क्वालिफाइड नहीं था उसके बारे में संस्तुति की गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

जो पद्माकर लाल जी का प्रश्न था वही आपने दूसरे रूप में पूछा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह आपका आक्षेप है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

जो विधायकों का प्रार्थना पत्र आपको दिया था उसकी जांच कौन अधिकारी कर रहा है और कितना समय लगेगा और वह कौन सी तारीख को आपको दिया गया ?

श्री काली चरण—

विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा उसकी जांच कर रहे हैं। निश्चित तिथि के लिए सूचना की आवश्यकता है।

सीमेन्ट के वितरण के संबन्ध में आदेश

**२—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार सीमेन्ट के सार्वजनिक वितरण की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो नवीन व्यवस्था क्या होगी ?

(खाद्य मंत्री) श्री हरिश्चन्द्र—

जी हां ? जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिये गए हैं कि सीमेन्ट स्टाकिस्टों द्वारा उपभोक्ताओं को सीमेंट की सीधे बिक्री तत्कालिक प्रभाव से बन्द कर दी जाय और सम्पूर्ण वितरण केवल परमिटों पर ही किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो नयी वितरण प्रणाली बन रही है तो प्रत्येक उपभोक्ता को सीधे परमिट देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूं कि परमिट जल्दी से जल्दी सभी को सुलभ हो जाएं, इसके लिए शासन द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र—

यह आदेश दिये गए हैं कि जो दरख्वास्तें आयेंगी और जो मरम्मत के लिए होगी तो ७ दिन में जांच पूरी हो जावेगी और अगर नव निर्माण के लिए है तो १० दिन के अन्दर जांच पूरी कर ली जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

वितरण की पूरी व्यवस्था क्या की जा रही है ? परमिट कलेक्टर देंगे या किसी और के द्वारा दिए जायेंगे ?

नोट—[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हरिश्चन्द्र--

मान्यवर, ग्रामों में बी० डी० ओ० कार्यालय के माध्यम से होगा। शहरों में मरम्मत के लिए ए० आर० ओ० और नव निर्माण के लिए जिला पूर्ति अधिकारी माध्यम होगा। सभी प्रार्थना पत्रों का यहां पर पंजीकरण होगा और फर्स्ट कम फस्ट सर्व्ड के आधार पर परमिट दिया जायेगा।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि ग्रामों में सीमेन्ट का परमिट बी०डी०ओ० देता है, लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि हमारे यहां कसिया म एस०डी०एम० परमिट देता है। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी नीति क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र--

मान्यवर, जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह परिवर्तित व्यवस्था है जिसका उल्लेख किया गया है। बी० डी० ओ० २५ बोरी दे सकता है, अगर इससे अधिक की आवश्यकता होगी तो वह एस० डी० एम० के माध्यम से प्राप्त होगी।

श्री अध्यक्ष--

इनका प्रश्न है कि बी० डी० ओ० न करके एस० डी० एम० कर रहे हैं। कसिया के बारे में इन्होंने कहा है। आप इसके बारे में सूचना मंगा कर दे देंगे।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

सभी प्रार्थना पत्रों का पंजीकरण किया होगा तो क्या इस कार्य को करने के लिए माननीय मंत्री जी स्टाफ भी बढ़ाने की कृपा करेंगे जिससे कि जनता को परमिट मिलने में सुविधा हो जाये ?

श्री अध्यक्ष--

यह कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

सीमेन्ट के लिए ८० प्रतिशत स्टाकिस्ट दे देते हैं और २० प्रतिशत जिला पूर्ति अधिकारी दे देते हैं। क्या खाद्य मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि पूरी सीमेन्ट जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा वितरित की जाये ?

श्री हरिश्चन्द्र--

इस प्रश्न का उत्तर पहले आ चुका है कि सीमेन्ट का वितरण परमिट के माध्यम से होगा। सीधे स्टाकिस्ट से सीमेन्ट नहीं मिल सकेगी।

श्री अध्यक्ष--

क्या आप डी० एस० ओ० को सुपुर्द करेंगे ? यह है आपका प्रश्न।

श्री हरिश्चन्द्र—

मान्यवर, मैंने कहा कि छोटी-छोटी मरम्मत के लिए ए० आर० ओ० और इससे अधिक आवश्यकता होगी तो वह डी० एम० ओ० द्वारा परमिट मिलेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय जो सीमेन्ट के वितरण की व्यवस्था है उ में हजारों प्रार्थना-पत्र ए० डी० ओज के यहां पर पड़े हुए हैं, सब का रजिस्ट्रेशन भी हुआ है । हम लोगों का गावों में निकलना दूभर हो गया है, तो क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उन दरख्वास्तों का निपटारा हो सके और प्रार्थियों को सीमेन्ट मिल सके ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने अभी बताया है कि एक सप्ताह में मरम्मत के लिए और १० दिन के अन्दर निर्माण कार्य के लिए । यदि इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है तो आप शिकायत कीजिए ?

(व्यवधान) (कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठिये ?

श्री सुखपाल पाण्डेय—

जब सीमेन्ट है ही नहीं तो वे सीमेन्ट कहां से देंगे ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

अभी स्थिति यह है कि जो सीमेन्ट होता है उसे शहर वाले ले जाते हैं और गांव वालों को जितनी मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती है तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी समुचित व्यवस्था करेंगे कि उनको भी सीमेन्ट मिल सके ?

श्री हरिश्चन्द्र—

अधिकांश स्टाकिस्टस शहरी क्षेत्रों में थे । १ अप्रैल, १९७८ से लाइसेंसिंग अथौरिटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटस हो गए हैं और इस सुविधा के अनुसार अब गावों में भी स्टौकिस्टस बढ़ाये जा सकेंगे । अभी तक सीमेन्ट ५०-५० प्रतिशत के हिसाब से दोनों क्षेत्रों में बटता था लेकिन अब मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को जो सुविधा प्राप्त हुई है, उससे हर ब्लाक में डीलर्स हो जायेंगे ।

सीमेन्ट के अभाव एवं चोरबाजारी की समाप्ति हेतु की गई व्यवस्था

**३—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद), श्री राम अधार (जिला आजमगढ़), श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी) तथा श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

उत्तर प्रदेश में सीमेन्ट के वर्तमान अभाव के संकट दूर करने और दामों में चोर बाजारी को रोकने के लिए सरकार क्या-क्या प्रभावकारी कदम उठा रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र—

भारत सरकार से प्रदेश का सीमेन्ट का कोटा बढ़वाने के लिए बराबर प्रयास किया जा रहा है । कालाबाजारी को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रभावकारी कदम उठाये गये हैं :

(१) १ अप्रैल, १९७८ से प्रदेश में सीमेन्ट स्टाकिस्टों को लाइसेंसिंग प्रणाली लागू कर दी गयी है जिससे कि जिला अधिकारियों का विक्रेताओं पर प्रभावी नियंत्रण रहे ।

(२) उत्तर प्रदेश सीमेन्ट नियंत्रण आदेश के खंड ९ में संशोधन करके उपभोक्ता द्वारा सीमेन्ट के हस्तान्तरण का निषेध कर दिया गया है और यह भी प्राविधान कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी अथवा किसी सीमेन्ट कंपनी से सीमेंटक्रय करने के अलावा अन्य किसी व्यक्ति से सीमेन्ट उधार/दान अथवा क्रय द्वारा या अन्य किसी प्रकार से प्राप्त नहीं करेगा ।

(३) जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि सीमेन्ट स्टाकिस्टों द्वारा उपभोक्ताओं को सीमेन्ट की बिक्री केवल परमिटों पर की जाय ।

(४) समस्त विभागाध्यक्षों एवं सरकारी निगमों को भी आदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे अपने जिला स्तरीय गोदामों की सूचना जिला पूर्ति अधिकारियों को भेज दें और गोदामों में सीमेन्ट का पूरा हिसाब रखें जिससे कि जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नियत व्यक्ति समय-समय पर उसका निरीक्षण करते रहें ।

(५) समस्त जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिये गये हैं कि सीमेन्ट नियंत्रण आदेश के प्राविधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाय ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार से प्रदेश के सीमेन्ट का कोटा बढ़ाने के लिये भूत में क्या-क्या प्रयास किये गये और उसमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई ?

श्री हरिश्चन्द्र—

मान्यवर, विगत ९ महीनों में १३ पत्र लिखे गये हैं, ५ मुख्य मंत्री स्तर से, ५ खाद्य मंत्री स्तर से, ३ अधिकारी स्तर से लिखे गये हैं । संसद सदस्यों को भी मैंने पत्र लिखा है । जो उत्तर मिला है, उससे कुछ आशा इस प्रकार की बढ़ी है :

चूर्क का उत्पादन—४,८०,००० जनवरी से मार्च तक १०९ परसेन्ट, अप्रैल से जून तक ५० परसेन्ट ।

डाला का उत्पादन—४ लाख, जनवरी से मार्च तक, ८५ परसेन्ट, अप्रैल से जून तक ४९ परसेन्ट ।

आपकी इस मांग पर विचार किया जायेगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

यह मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि सीमेंट के सम्बन्ध में चोरबाजारी है। भारत सरकार ने अभी किन्हीं कारणों से चीनी और सीमेन्ट के परमिट को समाप्त कर दिया है। सीमेन्ट के सम्बन्ध में यह चोरबाजारी व्याप्त है। जिस प्रकार से चीनी के सम्बन्ध में कंट्रोल और वितरण प्रणाली परमिट को समाप्त की गयी है, मंत्री जी इस सम्बन्ध में कुछ शीघ्र निर्णय लेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र--

मान्यवर, चीनी की उपलब्धि और सीमेन्ट की कमी दोनों के कारण आवश्यक होगा कि सीमेन्ट पर अधिकाधिक नियंत्रण प्राप्त किया जाय कि जिससे इस अनियमितता और चोरबाजारी को रोका जा सके।

श्री राम अधार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माह जून, १९७८ में उत्तर प्रदेश में सीमेन्ट का वितरण कितना हुआ और क्या यह भी बतायेंगे कि चुर्क और डाला में सीमेन्ट का प्रोडक्शन इतना अधिक हुआ कि गोदाम में रखने की जगह नहीं थी और फैक्ट्री बन्द करनी पड़ी ?

श्री हरिश्चन्द्र--

प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

आपने यह कहा कि कितना सीमेंट हमारे प्रदेश के अन्दर, १९७८ के अन्दर वितरित हुआ और यह है कि इसमें कितना सीमेंट का उत्पादन था कि गोडाउन में रखने की कठिनाई हुई।

श्री हरिश्चन्द्र--

मान्यवर, जनवरी, ७८ से जून ७८, तक हमारी मांग १७ लाख टन सीमेंट की थी, आबंटन १० लाख ७५ हजार टन, डिस्पैच ९ लाख ५२ हजार टन का प्राप्त हुआ है।

दूसरा उत्तर जहां तक चुर्क, डाला के प्रोडक्शन की बात है वह इस प्रकार है :—

चुर्क का उत्पादन--क्षमता ४,८०,००० मीट्रिक टन है, उत्पादन जनवरी से मार्च तक १०९ परसेन्ट, अप्रैल से जून तक ५० परसेंट, जुलाई में ७५ परसेंट।

डाला सीमेंट फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता--४ लाख मीट्रिक टन है, उत्पादन जनवरी से मार्च तक ८५ परसेन्ट, अप्रैल से जून तक ४९ परसेन्ट और जुलाई में ५० परसेंट तक थी।

श्री राम अधार--

मान्यवर, मेरा सवाल दूसरा है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय की जानकारी है कि श्री मोहन धारिया केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने संसद में बयान दिया था कि उन्होंने सीमेंट संकट को दूर करने

के लिए २० जुलाई, ७८ को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है। जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री भी शामिल हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें क्या सुझाव दिए गए हैं और उन पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरिश्चन्द्र---

पत्र में यह था कि सीमेंट के वितरण में अनियमिततायें हो रही हैं, चोर-बाजारी हो रही है इस पर नियंत्रण पाने के लिए कड़े कदम उठाए जायं। सितम्बर महीने तक सारी स्थिति का अध्ययन करके इस सम्बन्ध में राज्य शासन अपने सुझाव दे कि क्या सीमेंट के वितरण को शासन टेक ओवर कर ले।

श्री शत्रुद्ध प्रकाश---

मान्यवर, राज्य सरकार ने उस पत्र पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरिश्चन्द्र---

मान्यवर, वैसे प्रथम प्रश्न में इसका कुछ उत्तर आ गया है, सीमेन्ट के वितरण की व्यवस्था में शासन ने परिवर्तन किए हैं रि-सेल को अपराध घोषित किया है। चोरबाजारी, अनियमितता की जो सूचना देगा उसको पुरस्कार देने की व्यवस्था की गयी है। बाकी प्रश्न भी शासन के विचाराधीन हैं, सितम्बर के आखिर तक मुझे इस सम्बन्ध में अपनी संस्तुति भेजनी है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि डाला और चुर्क की जो क्षमता घट गयी है, तो अब भी क्षमता के मुताबिक यह फैक्ट्रियां कार्य नहीं कर रहीं हैं। इसको दूर करने के लिए क्या व्यवस्था की गयी है और इनकी क्षमता घटने का क्या कारण है ?

दूसरा प्रश्न यह है कि स्टाकिस्टों के बारे में आपने बताया था कि जिला-धिकारियों को लिख दिया गया है। सन् ७४ से लेकर अब तक स्टाकिस्टों को नहीं बनाया गया है। जिलाधीशों की रिकमेंडेशन्स सीमेंट कारपोरेशन के पास पड़ी हुई हैं क्या उसके बारे में कोई फैसला किया गया है ?

श्री अध्यक्ष---

जहां तक पहला प्रश्न है वह उद्योग मंत्री से सम्बन्धित है। लेकिन दूसरे प्रश्न का आप उत्तर दे दें कि सन् ७४ से प्रार्थना पत्र पड़े हैं उन पर क्यों कार्य-वाही नहीं की गयी ?

श्री हरिश्चन्द्र---

मान्यवर, यह भी प्रश्न मनोनयन का, कम्पनियों के द्वारा, उद्योग विभाग से सम्बन्धित है। परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि पहली अप्रैल से जिलाधिकारी लाइसेन्सिंग अथारिटी हुए हैं, उनके कारण शासन को अधिकार हुआ है, हम इनकी व्यवस्था अब कर रहे हैं। परन्तु जो पुरानी एप्लीकेशन्स सन् ७४ से पड़ी है, उनके सम्बन्ध में मैं अभी कुछ नहीं कह सकूंगा। लेकिन जो नयी व्यवस्था की गयी है उसे जहां स्टाकिस्ट नहीं हैं वहां ४-५ महीनों में स्टाकिस्ट हो जायेंगे। इसकी व्यवस्था करा रहे हैं।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि जखीरे-बाजी, चोरबाजारी रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं तो क्या इसके पूर्व कड़ी कार्यवाही करने के आदेश नहीं थे ? अप्रैल, ७८ से प्रदेश में अब तक कितने लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गयी ?

श्री हरिश्चन्द्र —

इसमें अभी तक जो रि-सेल को अपराध घोषित किया है उस सम्बन्ध में ४२ मामले पकड़े गए हैं जिनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है। इसी के साथ १९ मई, ७८ को पूरे प्रदेश में छापा डाला गया २२६८ दूकानों की चेकिंग की गई । ५६ एफ० आई० आर० दर्ज किए गए और १६ आदमी गिरफ्तार हुए ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

प्रदेश ने केन्द्रीय सरकार से १७ लाख टन सीमेंट की मांग की थी । इस मांग में कितना विकास योजनाओं के लिए था, कितना उपभोक्ताओं के लिए था और कितना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए था ?

श्री हरिश्चन्द्र—

जो भी सीमेंट प्राप्त हुआ उसका ५० प्रतिशत सरकारी कार्यों के लिए और ५० प्रतिशत निगमों के लिए सुरक्षित रखा गया है । बाढ़ के नाम पर भी सीमेंट मांगा गया था । २० हजार टन सीमेंट का आवंटन इस महीने में हुआ है लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं है ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में समिति के गठन की मांग

**४—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री राम नरेश पान्डेय—

क्या सरकार ने हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यों के स्वरूप निर्धारण और दिशा निर्देशन के लिए एक अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय समिति का गठन वर्ष १९७८ में किया है या ऐसे गठन पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब और इस समिति के अधिकारी और कार्यक्रम क्या निश्चित किए गए हैं ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली को अधिक उपादेय बनाने हेतु सुझाव देने के लिए हरिजन एवं समाज कल्याण, वित्त, नियोजन एवं कार्मिक विभाग के सचिवों की एक उच्चस्तरीय समिति के गठन के प्रश्न पर विचार किया गया था । किन्तु बाद में ऐसी किसी समिति के गठित करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

इस समिति के गठन पर विचार कब हुआ, कब यह समाप्त कर दी गई ?

श्रीमती चन्द्रावती--

यह जनवरी, ७८ में एक मंत्री के द्वारा सुझाव दिया गया था लेकिन उन्होंने प्रस्ताव नहीं किया क्योंकि नियोजन तथा वित्त विभाग से वही कार्य इस विभाग के सुधार हेतु किए जाने लगे, इसलिए इसकी अलग से आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

इस समिति को कब समाप्त किया गया ?

श्रीमती चन्द्रावती--

जनवरी में जब मीटिंग हुई उसी समय इस पर विचार चला था और उसी समय समाप्त भी हो गया था ।

श्री राम नरेश पान्डेय--

इस विभाग के स्वरूप निर्धारण और दिशा निर्देशन के लिए एक अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय समिति की मीटिंग हुई थी तो उसमें कौन-कौन से प्रमुख मुद्दे उठाये गए थे ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, यह उत्तर में स्पष्ट है कि विभाग में किस तरह सुधार लाया जाय और किस तरह सुधारा जाय । यह प्रश्न उठे थे और वित्त विभाग से भी परामर्श किया ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी इसी विषय पर विचार करने के लिए एक राजाराम शास्त्री कमेटी की स्थापना हुई थी, उसकी क्या संस्तुतियां थीं ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, एक कमेटी राजाराम शास्त्री की अध्यक्षता में बैठी थी उसमें यह सुझाव दिया गया था कि हरिजन और समाज कल्याण अलैहदा-अलैहदा किए जायं।

श्री गोविंद सिंह नेगी)--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि वित्त विभाग और प्लानिंग विभाग इसी सिलसिले में काम कर रहे थे इसलिये इस समिति की आवश्यकता नहीं होगी । तो प्लानिंग विभाग और वित्त विभाग की क्या-क्या संस्तुतियां मिलीं ?

श्रीमती चन्द्रावती--

मान्यवर, यह जो वित्त विभाग है उससे जो पद सृजित होते हैं उसकी सैंक्शन लेनी पड़ती है जिस पर परामर्श वित्त विभाग देता है और नियोजन विभाग नई चीजों के सम्बन्ध में परामर्श देता है...

श्री अध्यक्ष--

इनका प्रश्न यह है कि वित्त विभाग और कार्मिक विभाग ने क्या सलाह दी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

मान्यवर, इसमें ६, ७ सुझाव हैं जिनमें मंडलीय स्तर पर डायरेक्टरों के पद सृजन करके नियुक्त करना, डिप्टी डायरेक्टर और उनके कार्य को सुचारूरूप से चलाने के लिए हरिजन समाज कल्याण अधिकारी जो जिलों में हैं उनके लिए टेली-फोन की सुविधा, जो हरिजन समाज कल्याण अधिकारी है उनका वेतनक्रम उसी स्तर के अन्य पदों के समान करना और छोटे वर्ग के जो कर्मचारी हैं जैसे सुपर-वाइजर उनका वेतनक्रम अन्य विभाग के सुपरवाइजर के वेतन क्रम के समान माना जाय ।

तारांकित-प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी में पहाड़ी के गिरने की घटना और बाढ़ का प्रकोप

*१—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर) तथा श्री गोविंद सिंह नेगी—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि ५ अगस्त, १९७८ को अथवा उसके आसपास किसी दिन उत्तरकाशी जिले में भागीरथी में अचानक एक पहाड़ी टूट कर गिर जाने से धारा का प्रवाह रुक गया ? यदि हां, तो घटना क्या है तथा उससे उत्पन्न विनाश लीला की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं तथा क्या किया जाना विचाराधीन है ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)—

जी हां ।

६ अगस्त, १९७८ को प्रातःकाल उत्तरकाशी जनपद में कनोल्डियागाड के भागीरथी में मिलने के स्थल पर गाड के दोनों किनारे की पहाड़ी टूटकर गिर जाने से भागीरथी नदी का प्रवाह रुक गया था ।

उपरोक्त दुर्घटना उत्तरकाशी से लगभग ४० कि० मी० ऊपर डांगला एवं डबरानी पुलों के बीच ६ अगस्त १९७८ को लगभग तीन बजे प्रातः घटी थी इसके कारण घटना स्थल पर एक बांध सा बन गया था और उसके ऊपर पानी एकत्र होने से एक झील बन गया तथा गतिरोध के स्थान से नीचे भागीरथी में पानी एकदम कम हो गया । यही स्थिति उस दिन अपरान्ह ३.३० बजे तक रही और यह बांध स्वयं बायें किनारे की ओर टूट गया और जिसके कारण पानी एक अभूत पूर्व बाढ़ के रूप में अचानक बह गया । पहाड़ी टूटने से भागीरथी नदी में जो लगभग १००/१२० मीटर ऊंचा बांध बन गया था उसके नीचे का भाग अब भी बाकी है जिसके कारण लगभग १-३/४ कि० मी० लम्बी व ६० मीटर गहरी झील बनी हुई है । इस गतिरोध के अतिरिक्त १० अगस्त को भी उत्तरकाशी जनपद में काफी वर्षा हुई और नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया ।

उपरोक्त दोनों बाढ़ों के कारण उत्तरकाशी से लगभग २५ कि० मी० नीचे तक सड़क, पुलों, भवनों, खेतों इत्यादि के अतिरिक्त मनेरीभाली जल विद्युत् परि-योजना को काफी क्षति पहुंची है । अनेक स्थानों पर सड़क एवं यातायात के लिए बने कई झूला पुल टूट गये हैं ।

पैदल जाने के लिए सड़क के टूटने के स्थलों पर रास्ते बना दिये गये हैं व उनको क्रमशः बेहतर बनाया जा रहा है घटनास्थल से ऊपर के क्षेत्र से यात्रियों को पैदल जाने का प्रबन्ध कर दिया गया है व वहां खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है। कुछ यात्रियों को हेलीकाप्टर द्वारा भी लाया गया है। उत्तरकाशी तक यातायात के लिए भागीरथी के बायें किनारे पर भी भल्डियाना लम्बगांव उत्तरकाशी सड़क को ठीक कर दिया गया है व दायें किनारे की मुख्य सड़क के कटने के स्थलों पर उत्तरकाशी व मनेरी तक सड़क भारी मशीनों द्वारा पुनः बनाने का काम चालू कर दिया गया है। दुर्घटना स्थल पर वायरलेस सहित एक टोली भेजकर निगरानी की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि ६ अगस्त को मान्यवर, पहाड़ टूटकर गिर जाने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है उसके बाद ७ अगस्त को आकाशवाणी से एक समाचार प्रकाशित हुआ कि यह जो घटना घटी इससे कोई खतरा नहीं है जिससे लोगों ने यह समझा कि अब कोई खतरा नहीं है। इसके बाद मान्यवर, ७.२० पर एक समाचार फिर आकाशवाणी से प्रसारित किया गया कि इससे कोई खतरा नहीं है लेकिन मान्यवर, ७.२० पर जो यह हम लोग समाचार सुन रहे थे कि कोई खतरा नहीं है किन्तु वहां किनारे की पहाड़ी टूटकर विनाशलीला प्रारम्भ कर दी थी। मैं मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि क्या सिंचाई विभाग की सूचना के आधार पर यह बात आकाशवाणी के पास पहुंची, जिसके कारण लोग असावधान हो गये और उन्हें भारी हानि पहुंची? क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी कृपया बताएंगे कि यह अप्रमाणिक समाचार प्रकाशित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए, विभाग के कौन लोग जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है और इस घटना से कितने लोगों की मृत्यु हुई?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन्, इसमें कुल ७ आदमियों की मृत्यु हुई। ६ व्यक्ति जो तीर्थयात्री थे, उनको बतलाया गया था कि नदी के किनारे बढ़ है, वहां से निकलने की कोशिश न करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी प्रश्न यह है कि ७ और १० अगस्त को यह समाचार प्रकाशित किया गया। माननीय सदस्य का कथन है कि यह सूचना इस विभाग द्वारा दी गई जिस सूचना के आधार पर वहां के लोग विश्वास कर असावधान हो गये और इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, आकाशवाणी से जो यह प्रसारित हुआ सम्बाददाता उत्तरकाशी एवं टेहरी ने दी होगी, ऐसा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री राजेन्द्र कुमार जी का कहना है कि उक्त रिपोर्ट की प्रारम्भिक सूचना किसके द्वारा दी गई? क्या सिंचाई विभाग द्वारा दी गई?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

मान्यवर, इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग द्वारा कोई सूचना आकाशवाणी को नहीं दी गई है ।

श्री अध्यक्ष---

यह सही है कि यह प्रारम्भिक सूचना आपके विभाग ने नहीं दिया; बल्कि वहां के सम्वाददाताओं ने सूचना दी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने किलोमीटर सड़कें, कितनी किलोमीटर नहर, कितने पुल, कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए और इनकी मरम्मत पर कुल कितनी धनराशि सरकार ने स्वीकृत की है और कब तक इनकी मरम्मत पूरी हो जायगी और इस बाढ़ से कुल कितना नुकसान हुआ है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

७ झूला पुल नष्ट हुए हैं । एक पुल पी० डब्लू० डी० का, एक मोटर वाला पुल इर्रीगेशन का बह गया....

श्री अध्यक्ष---

आप तफसील में न जायें । सात पुल आपने कहा । कितनी किलोमीटर सड़क, कितने मकान गिरे, यह बतला दें ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

साढ़े १४ किलोमीटर रोड क्षतिग्रस्त हुई है जिसमें एक किलोमीटर रोड उत्तरकाशी से नीचे की है । साढ़े १३ किलोमीटर ऊपर की है । मकान जो क्षतिग्रस्त हुए उनकी संख्या निश्चित नहीं है लेकिन कुल अनुमान ४० से ५० मकानों का है जो धराशायी हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष---

कितनी धनराशि स्वीकृत की है, यह भी बतला दें ।

श्री शारदा प्रसाद रावत---

उत्तरकाशी से नीचे तक हमने यातायात के लिए काम कर लिया है । एक करोड़ रुपये का अनुमान है । अभी पूरा सर्वेक्षण नहीं हो सका है । १ करोड़ रुपया पी० डब्लू० डी० की सड़कों और पुलों का और १ करोड़ ३० लाख इर्रीगेशन का नुकसान का अनुमान है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

दूसरा प्रश्न था कि सरकार ने कितना रुपया स्वीकृत किया है ?

श्री अध्यक्ष---

इसका ही अनुमान तो बताया ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

मंत्री जी, उन्होंने कहा कि हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने किसी किस्म की न्यूज नहीं दी। मैं जानना चाहता हूं कि बाढ़ खंड के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने जब भागीरथी में पानी आ गया तो वहां के कंट्रोल रूम की रिपोर्ट क्या थी और फी घंटा पानी के गेज की क्या रिपोर्ट दी ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

५/६ की रात के तीन बजे मनेरीभाली के इंचार्ज ने डी० एम० को सूचना दी थी भागीरथी में एकाएक पानी कम हो गया है। हो सकता है कहीं अवरोध हो।

श्री मुकीमुर्रहमान—

श्रीमन्, यह गलत है।

श्री मोतीराम (जिला कानपुर)—

अभी मंत्री जी ने बताया सदन को कि भ्रमात्मक रिपोर्ट ए० आई० आर० के संवाददाता ने दी। यह भ्रमात्मक रिपोर्ट की जानकारी शासन को कब हुई और क्या शासन ने इसका कोई प्रतिवाद निकाला जिससे वहां के लोगों की जान बच सकती और उसकी जांच का आदेश दिया ?

श्री अध्यक्ष—

वह बाद की बात हुई। जान तो चली गयी।

श्री शारदा प्रसाद रावत—

यह सूचना जो थी उसके आधार पर ७ लोगों की जानें गयीं उनमें से भी ६ आदमी यात्री हैं जिन्हें पहले ही आगाह कर दिया गया था कि वे नदी पार न करें, फिर भी जबरदस्ती नदी पार किया। उसके बाद जो १० तारीख को बाढ़ आई उसमें किसी की जान नहीं गयी।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

क्या जो पौने दो मीटर गहरी और ६० मीटर जो लम्बी झील बन गयी है उससे अब भी खतरा बना हुआ है और इन तमाम नुकसान को देखने के लिए पर्वतीय विकास मंत्री जी और संस्थागत वित्त मंत्री जी सारे क्षेत्र में गये थे। यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में उनकी क्या संस्तुतियां हैं और सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत—

श्रीमन्, २० अगस्त को मैं गया था और जो विचार-विमर्श हुआ कि उस झील से क्या नुकसान हो सकता है। वास्तविकता यह है कि जो बाढ़ आई है वह नदी का बेड डाउन स्ट्रीम बढ़ने की वजह से है और पानी दूसरे रास्ते से निकल रहा है। इन्जीनियरों का कहना है कि इससे कोई बहुत बड़े क्षेत्र पर असर नहीं होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि जो मंत्रीगण गये थे उनकी क्या संस्तुतियां हैं।

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी, वे पूछ रहे हैं कि जो मंत्रीगण गये थे उनकी क्या संस्तुतियां हैं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन्, हम तीनों साथ गये थे और जो प्रोजेक्ट मनेरी भाली तक चल रहा है, उसमें सिंचाई विभाग और पी० डब्लू० डी० को साथ लगाने की बात निश्चित हुई है। यह १० किलोमीटर का रास्ता बनता है। इसके अतिरिक्त राहत कार्य के सम्बन्ध में भी डी० एम० से बात हुई कि क्या दिया जाय।

(श्री मुकीमुर्रहमान के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि बिना अनुमति के कोई भी प्रश्न न करें। अगर करेंगे तो उसको रेकार्ड नहीं किया जायगा। यह अत्यन्त अनुचित है कि प्रश्नकर्ता जबरदस्ती अनुपूरक प्रश्न करने के लिए खड़े होते हैं।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कुछ बात पूछना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि १० तारीख को उत्तरकाशी में बारिश हुई है, इसलिए बाढ़ आई है, यह बात बिल्कुल गलत है। भागीरथी को कनौडिया घाट पर रोका, इससे झील बन गई। इंजीनियर हवाई जहाज से देखने गये और उन्होंने जो रिपोर्ट दी। वह आकाशवाणी में आई। जो आज की रिपोर्ट है वह बिल्कुल गलत और असत्य है। क्या आप इसकी इन्क्वायरी करायेंगे। दूसरी बाढ़ जो १० अगस्त को आई वह जो कनौडिया में झील बन गई उससे आई न कि बारिश की वजह से आई और उसी का आज तक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। क्या मंत्री जी सही और सत्य रिपोर्ट मंगाकर हाउस में लाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

क्या मंत्री जी इसके बारे में पुनः पूरी जांच करायेंगे ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जो निर्णय लिया गया है वह यह है कि एक तो एरियल सर्वेक्षण करा। जाय और ज्यालोजिस्ट को उस स्थान पर भेजा जाय जो यह पता लगायें कि यह लैंड स्लाइड जो हुआ है, वह क्यों हुआ ? दो विचार धाराएं हैं। यह कनौडिया नाला १५ हजार फिट की ऊंचाई से आता है। एक पक्ष कहता है कि जो बरफ है उसके नीचे जमीन कमजोर थी। जब बरफ का प्रेशर पड़ा तो वह जमीन खिसक गया। दूसरा पक्ष कहता है कि ९ हजार फिट की ऊंचाई पर कनौडिया नाले की तीनों शाखाएं मिलती हैं, वहां झील बन गई जो ९ तारीख को टूटी है। बहरहाल सर्वेक्षण करने के लिए ज्योलोजिस्ट्स को भेजेंगे। दूसरे फोटोग्राफ लेने की बात है, वह होगा। पानी अब कुछ सूखा है। इसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी---

आपकी जो रिपोर्ट है वह असत्य पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि १० तारीख को वर्षा से यह बाढ़ आयी है। पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप अपनी रपोर्ट को असत्य मानते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

जैसे आप कहते हैं कि परस्पर विरोधी सूचनाएं, तो इस संबंध में क्या कोई विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय जांच करायेंगे और फिर सारे फैक्ट्स सदन के सामने लायेंगे, यह आपका प्रश्न है।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मैंने निवेदन किया कि यह स्लाइड के विषय में वह क्लाउड बर्स्ट की वजह से हो सकता है झील की वजह से और अधिक वर्षा की वजह से हो सकता है। उस जोन में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। इसीलिए ज्योलोजिस्ट्स के लिए भारत सरकार की सहायता ली है कि वह कारण का पता लगायें और इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

कितना गम्भीर प्रश्न है और आज भी मंत्री जी को विदित नहीं है कि कनौडिया घाट में जो झील बनी हुई है। क्या वह आश्वस्त करने की स्थिति में हैं कि आज भी कनौडिया घाट पर जो झील बनी हुई है उससे प्रदेश को खतरा नहीं है? अगर है, तो इस खतरे को रोकने के लिए सरकार की तरफ से क्या उपाय किये जा रहे हैं?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मैंने निवेदन किया कि कनौडिया घाट में तीन शाखाएं बनती हैं। यह जो कहा है कि झील बन गयी तो वह बिल्कुल सूखी है बिल्कुल पानी नहीं है। मैं आश्वस्त करता हूं कि जो देखना चाहें वह जाकर देख सकते हैं, मैं दिखला सकता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आपका सुझाव बहुत अच्छा है। आप हम लोगों के वहां पहुंचने की व्यवस्था कर दें तो मेहरबानी होगी।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

मैं तीन बातें जानना चाहता हूं पहली तो यह कि ६ तारीख और १० तारीख के बीच में बहुत सारे विभाग के कर्मचारी वहां से भाग निकले थे तो अब तक कितने वापस गये हैं और कितने अनुपस्थित हैं? दूसरे, से मंत्री जी कहते हैं कि जो मुख्य सड़क है वह काफी दूर तक बन्द है और उत्तरकाशी में सीधा संपर्क नहीं है, तो जो सीधी सड़क है नीचे की यह कब तक खुल जायगी ताकि सीधा संबंध तुरन्त उस जिले से प्रदेश का हो जाय?

तीसरे, जैसा कि समाचार पत्रों में निकला है मनेरीभाली डैम में २ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है तो क्या यह सही है या इससे ज्यादा हुआ है?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन्, उत्तरकाशी से, ३ महीने के अन्दर मनेरीभाली तक संपर्क हो जायगा और मनेरीभाली प्रोजेक्ट का मुख्य मार्ग से संपर्क हो जायगा। दूसरे मनेरीभाली का जो पक्का काम है उनमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो शेष नुकसान है वह करीब एक करोड़ ३० लाख का संभवतः अनुमान है, नुकसान होने का।

नोट--नियम २९ (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

[बुधवार, ३० अगस्त, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[४थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

*२—श्री रियासत हुसैन—

[१२-१०-७७ को तारांकित प्रश्न संख्या ८ द्वारा उत्तरित ।]

श्री धर्मवीर, अवर अभियन्ता, शारदा सहायक परियोजना, लखनऊ का गबन के संबंध में निलम्बन

*३—श्री रियासत हुसन —

क्या सिंचाई मन्त्री को विदित है कि शारदा सहायक परियोजना के खंड अष्टम, लखनऊ में कार्यरत अवर अभियन्ता (श्री धर्मवीर) ने लिफ्ट सिंचाई उपखंड, बाराबंकी में एक लाख रुपये से अधिक सरकारी सामग्री का गबन आज से २ साल पहले कर दिया था ? यदि हां, तो इनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई ।

सिंचाई मंत्री (श्री बलवीर सिंह)—

श्री धर्मवीर, अवर अभियन्ता, जो नलकूप खंड फैजाबाद के अन्तर्गत उपखंड बाराबंकी में ३०-११-७५ तक तैनात थे, के विरुद्ध ६२,८३२.०० रु० के मूल्य की कमी का मामला मई, १९७७ में प्रकाश में आया था । किन्तु जांचोपरान्त उनके विरुद्ध केवल ३८,५९५.७० रु० की कमी पायी गयी है तथा शेष धनराशि के लिए अन्य कर्मचारी दोषी पाए गए हैं ।

श्री धर्मवीर को दिनांक ११-१०-७७ से निलम्बित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

*४—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

[४थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

*५—श्री बिन्दू लाल—

[४थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

*६—श्री रवेन्द्र सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

सिंचाई विभाग से अवर अभियन्ता (यांत्रिक) के पद का विज्ञापन

*७—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष सिंचाई विभाग में अवर अभियन्ता (यांत्रिक) की भर्ती हेतु २०० पदों के लिए विज्ञापन किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस भर्ती हेतु अल्प सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में कार्यरत यांत्रिक अवर अभियन्ता अभ्यर्थियों का अनुभव इस भर्ती हेतु सिंचाई विभाग को मान्य होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां । अल्प सिंचाई विभाग म कार्यरत यांत्रिक अवर अभियन्ता अभ्यर्थियों का अनुभव सिंचाई विभाग को मान्य है ।

*८--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[४थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

हरदोई जिले के निर्माणाधीन कतिपय मार्ग

*९--श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले के रुदामऊ-गौरा, माधौगंज, नया गांव, गंज जलालाबाद-गटियाभिखारीपुर तथा गौसगंज-मेहदी घाट मार्गों का निर्माण विगत कई वर्षों से हो रहा है ? यदि हां, तो कितना कार्य हो चुका है और इन तीनों मार्गों के पूरा होने में कितना समय और लगेगा ? तथा विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

(श्री मोहम्मद मसूद खां)--

जिला हरदोई के चारों मार्गों की स्थिति निम्न प्रकार है :--

(१) रुदामऊ--गौरा मार्ग--प्रश्नगत मार्ग का निर्माण पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ५/७२ से प्रारम्भ हुआ । अब तक ७-२ कि० मी० स्वीकृत लम्बाई में से ४ कि० मी० में मिट्टी तथा ५ कि० मी० में पुलिया का निर्माण और २ कि० मी० में प्रथमलेपन तक कार्य हो चुका है । कार्य का पूरा होना भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है । कि० मी० ३ में भूमि अध्याप्ति में कुछ काश्तकारों की आपत्ति के कारण वर्ष १९७७ तक कार्य रुका रहा । काश्तकारों की स्वतः सहमति से जितनी भूमि प्राप्त हो सकी वहां कार्य प्रारम्भ किया गया ।

(२) माधोगंज--नया गांव मार्ग--यह मार्ग चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जुलाई, १९७४ में जहां भूमि उपलब्ध हो सकी वहां प्रारम्भ किया गया । ११-७ कि० मी० स्वीकृत लम्बाई में से ६ कि० मी० में मिट्टी का कार्य ३ कि० मी० में पुलियों का निर्माण तथा २ कि० मी० में मध्य सतह तक कुटाई का कार्य कर दिया गया है । कार्य का पूरा होना भूमि और धन की उपलब्धता पर निर्भर है । वर्ष १९७४ में धनाभाव के कारण और कार्य की प्रगति १० प्रतिशत से कम होने के कारण, कार्य रोक दिया गया था जो पुनः जनवरी, १९७७ में आरम्भ किया गया इस कारण विलम्ब हुआ ।

(३) गंज जलालाबाद--गटिया भिखारीपुर मार्ग--यह कार्य त्वरित योजना के अन्तर्गत जिला परिषद् से फरवरी, १९७७ में शेष कार्यों को पूरा करने हेतु लिया गया और तभी से कार्य प्रारम्भ किया गया । ५ कि० मी० स्वीकृत लम्बाई में से अब तक २ कि० मी० लम्बाई में प्रथम सतह लेपन तक और शेष लम्बाई में वांछित गिट्टी व रोडी का एकत्रीकरण कर लिया गया है । इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । इसको पूरा करने में कोई विलम्ब अभी तक नहीं हुआ ।

(४) गौसगंज--मेंहदीघाट मार्ग--चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत २६.४ कि० मी० लम्बाई में उस मार्ग पर कार्य वर्ष १९७०-७१ में प्रारम्भ किया गया था । अब तक केवल एक ९ मीटर दर की पुलिया और २०० मीटर लम्बे पहुंच मार्ग की सतह की कुटाई एवं लेपन के कार्य को छोड़कर शेष सभी कार्य समाप्त किया जा चुका है । यह मार्ग कंकड़

सतह का प्रस्तावित था परन्तु १२ कि० मी० लम्बाई में कंकड़ उपलब्ध न होने के कारण एवं बलुही मिट्टी होने के कारण इस भाग को डामर लेपित विशिष्टियों पर प्रस्तावित किया गया । बाद में यह पूर्ण मार्ग डामर लेपित विशिष्टियों पर प्रस्तावित होने के कारण कार्य का आगणन दो बार पुनरीक्षित करना पड़ा जिसके कारण कार्य में अवरोध रहा । धनाभाव के कारण भी कार्य में अवरोध रहा । इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा यह धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

राजकीय बालिका हाई स्कूल रामपुर का उच्चीकरण

*१०—श्री मन्जूर अली खां (जिला रामपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के गवर्नमेन्ट गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल को अप ग्रेड किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक ७ अप्रैल, १९७७ पर तत्कालीन मुख्य मंत्री ने स्कूल अप ग्रेड किए जाने की स्वीकृति प्रदान की थी और इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, रामपुर ने स्कूल के बराबर का भवन खाली कराकर अप्रैल, १९७८ में स्कूल के कब्जे में देकर शासन को उपरोक्त स्कूल को अप ग्रेड करने की संस्तुति भी की है ? यदि हां, तो उपरोक्त स्कूल को इसी सत्र से अप ग्रेड किए जाने की व्यवस्था की जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

राजकीय बालिका हाई स्कूल, रामपुर को इन्टर स्तर पर उच्चीकरण किए जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का पत्र दिनांक ६ अप्रैल, १९७७ (दिनांक ७ अप्रैल, १९७७) नहीं प्राप्त हुआ था जिस पर तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने सुझाव मानने एवं आदेश जारी करने के आदेश अंकित किये थे । जिलाधिकारी, रामपुर द्वारा स्कूल के बराबर का भवन खाली कराकर शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है और अब उक्त विद्यालय के उच्चीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है ।

रामपुर जिले के खड़िया नहर की पटरी को पक्का किये जाने की मांग

*११—श्री मन्जूर अली खां—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर कोसी नहर से निकली खड़िया नहर की पटरी को ग्राम खोढ़ के धुनापुर तक, जो कि स्वार सड़क को बिलासपुर सड़क से जोड़ती है, को पक्का कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक ८ अप्रैल, १९७७ पर तत्कालीन सिंचाई मंत्री तथा दिनांक २९ जुलाई, १९७७ को आपके आदेश इस विभाग को प्राप्त हुए हैं ? क्या जनपद रामपुर की जिला स्तरीय कमेटी ने भी उपरोक्त मार्ग को ग्राम खोढ़ से गंगापुर तक की पटरी को पक्का कराने की प्रथम वरीयता के आधार पर संस्तुति की है ? यदि हां, तो इसे अब तक पक्का न कराए जाने का क्या कारण है ? क्या इसे शीघ्र पक्का कराने की व्यवस्था की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां ।

संसाधनों को देखते हुए इस वर्ष (१९७८-७९) में प्रत्येक जिले में लगभग ५ कि० मी० ही महत्वपूर्ण नहरों की पटरियों को पक्का कराने का कार्य स्वीकृत किया गया है ।

अभी सड़कों का चयन नहीं किया गया है ।

श्री अशोक कुमार वर्मा, ज्येष्ठ लेखा लिपिक, जिला पूर्ति कार्यालय, गोरखपुर की ज्येष्ठता का निर्धारण

*१२--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार बताएगी कि जिला पूर्ति कार्यालय, गोरखपुर के किसी ज्येष्ठ लेखा लिपिक का ज्येष्ठता निर्धारण करने के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन वर्ष १९७६ से शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरिश्चन्द्र--

जी हां, श्री अशोक कुमार वर्मा, ज्येष्ठ लेखा लिपिक, जिला पूर्ति कार्यालय, गोरखपुर का ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ था जो अभी शासन के विचाराधीन है ।

ज्येष्ठ निरीक्षक बाट तथा माप, कन्नौज के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१३--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि २ दिसम्बर, १९७६ को भूतपूर्व विधायक धर्मपाल सिंह के द्वारा नियन्त्रक, बाट तथा माप के दो बाट, जो तौल में एक अधिक और दूसरा कम था और जिस पर इन्सपेक्टर नं० १४० अंकित था, प्रस्तुत करते हुए शिकायत की थी कि सम्बन्धित इन्सपेक्टर पैसे लेकर बाटों की तौल को घटाते और बढ़ाते हैं ? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? अभी तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र--

जी हां, श्री धर्मपाल सिंह, भतपूर्व विधायक के माध्यम से श्री गिरीश चन्द्र वर्मा, मालिक फर्म वर्मा रिपेयरिंग वर्क्स, सौरिख, फर्रुखाबाद का शिकायती पत्र दिनांक १ दिसम्बर, १९७६ नियंत्रक, बाट तथा माप को प्राप्त हुआ था जिसमें तत्कालीन ज्येष्ठ निरीक्षक बाट तथा माप, कन्नौज द्वारा दो बाटों के वजन में कमी-बेशी किये जाने तथा इन्सपेक्टर के सील नम्बर का उल्लेख था।

कथित शिकायत पर प्रारम्भिक जांच के पश्चात् सम्बन्धित ज्येष्ठ निरीक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई । विभागीय जांच के पश्चात् जांच अधिकारी की रिपोर्ट नियंत्रक, बाट तथा माप को प्राप्त हो चुकी है । आरोपित कर्मचारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् इस मामले में नियंत्रक, बाट तथा माप द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

नैनीताल जिले की कोसी नदी पर कुमेरिया व गोला नदी पर जमरानी बांधों के निर्माण की योजना

*१४--श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कोसी नदी पर कुमैरिया नामक स्थान के समीप तथा गोला नदी पर जमरानी बांधों की निर्माण योजनायें किस स्थिति में हैं और उन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कब तक हो जाने की आशा है ?

श्री बलवीर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित बांधों पर कार्य आरम्भ कराने की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(१) कुमेरिया के पास कोसी नदी पर बांध बनाने हेतु अनुसंधान कार्य हो रहा है। अनुसंधान कार्य पूर्ण होने पर यदि बांध बन सकना सम्भव हुआ तो कार्य प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता के आधार पर आरम्भ किया जा सकेगा।

(२) गोला नदी पर जमरानी बांध परियोजना—गोला नदी में ढाल अधिक होने तथा घाटी पतली होने के कारण अधिक ऊंचा बांध बनाना पड़ता है जिसकी प्रति हेक्टेयर लागत अधिक आती है। इस कार्यस्थल पर प्रोजेक्ट में बांध स्थल के समीप मिट्टी की उपलब्धि में कठिनाई एवं लागत को कम करने के उद्देश्य से कन्वेन्शनल क्ले कोर रोकफिल बांध के स्थान पर अपस्ट्रीम कान्क्रीट मेम्ब्रेन टाइप रोकफिल बांध का प्राविधान किया है, जिसमें बांध में राकफिल के पीछे पानी रोकने के लिए बांध की ऊपरी सतह पर कान्क्रीट की ०.३ मी० से १.२ मी० मोटी मेम्ब्रेन डालना प्रस्तावित किया गया है तथा स्पिलवे हेतु भी कन्वेशनल शूट स्पिलवे के स्थान पर टनल स्पिलवे का प्राविधान किया गया है। यद्यपि विदेशों में इस प्रकार के कुछ बांध का निर्माण किया गया है परन्तु भारत में इस प्रकार के बांध बनाने का यह प्रथम प्रयास होगा। इस समय बांध का सर्वेक्षण एवं परिकल्पन प्रगति में है।

फैजाबाद जिले की बन्दनपुर माइनर व अमसिन माइनर पर पुलिया निर्माण की मांग

*१५—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद के फैजाबाद की सदर तहसील में बन्दनपुर माइनर तथा अमसिन माइनर पर पुलिया के बारे में प्रश्नकर्ता का दिनांक १३ फरवरी, १९७८ का पत्र मिला है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और इसे पूरा करने में शासन के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री बलवीर सिंह—

जी हां।

यह पुल जिला परिषद्, फैजाबाद द्वारा निर्माण किए जाने वाली सड़क पर पड़ते हैं। चूंकि इन पुलों के निर्माण के निमित्त किसी प्रोजेक्ट में कोई प्राविधान नहीं है, अतः इन पुलों का निर्माण इस विभाग द्वारा कराना तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि जिला परिषद् फैजाबाद इन पुलों के निर्माण कराने के लिए सिंचाई विभाग को धन उपलब्ध न करा दें।

बेसिक शिक्षा परिषद् के उप विद्यालय निरीक्षक, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा अधीक्षक तथा सहायक उपस्थिति अधिकारी के वेतनमान में असमानता

*१६—श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७२ में संशोधित वेतनमानों के सन्दर्भ में बेसिक शिक्षा परिषद् के नियमाधीन जिला परिषद् क्षेत्र, नगर महापालिका, नगरपालिका क्षेत्र में निरीक्षण कार्य करने वाले शिक्षणेतर कर्मचारियों के

वेतन-मानों में क्या कोई भिन्नता है ? यदि हां, तो यह भिन्नता किस आधार पर रखी गई है तथा इस भिन्नता को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास करने जा रही है ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

जिला परिषद् क्षेत्र अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण कार्य करने वाले उप विद्यालय निरीक्षक/उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका तथा प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका के पद राजकीय कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं जबकि नगर महापालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रों में निरीक्षण कार्य करने वाले शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका तथा सहायक उपस्थिति अधिकारी के पद सम्बन्धित नगर महापालिका, नगरपालिका से हस्तान्तरित होकर बेसिक शिक्षा परिषद् में आये हैं और वे परिषदीय कर्मचारी हैं । उपरोक्त सभी राजकीय एवं परिषदीय पदों का वेतनमान उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (१९७१-७३) की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित किया गया है । नगर महापालिका क्षेत्र और नगरपालिका क्षेत्र के शिक्षा अधीक्षकों के वेतनमानों में अन्तर का कारण यह है कि जो शिक्षा अधीक्षक जिस श्रेणी की स्थानीय निकाय के अधीन कार्य कर रहा था उस श्रेणी के आधार पर उसका वेतनमान निर्धारित किया गया है । भिन्नता को समाप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा अधीक्षक/शिक्षा अधीक्षिका के पद को राजकीय सेवा का पद घोषित करने और उप विद्यालय निरीक्षक तथा प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के सम्वर्ग में संविलीन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

पडरौना तहसील में नाहर छपरा माइनर पर पटेरा खुर्द में पुल निर्माण की मांग

*१७--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि पडरौना तहसील में गन्डक नहर क्षेत्र में नाहर छपरा माइनर पर पटेरा खुर्द महत्वपूर्ण गांव के सामने पुल न होने से ग्रामीणों को अपार कष्ट झेलने पड़ते हैं ? यदि हां, तो शीघ्र पुल बनाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

(क) जी नहीं ।

(ख) क्योंकि मांग पुल स्थल (मी० १-२) से नीचे लगभग ४०० मीटर पर पुल (मी० १-३-६००) पहले से ही निर्मित है । जिसका उपयोग कृषकगण करते हैं ।

*१८--श्री सुखपाल पाण्डेय--

]पुनरावृत्त के आधार पर निरस्त]

सूर्यनारायण जूनियर हाई स्कूल पिंडारा, वाराणसी को हाई स्कूल की मान्यता दिये जाने की मांग

*१९--श्री कदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सूर्यनारायण जूनियर हाई स्कूल पिंडरा, जिला वाराणसी ने (साहित्यक) हाई स्कूल की मान्यता हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था और उसकी संस्तुति जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक (मां०)/२४७२०-३७, साहित्यिक हाई स्कूल, दिनांक २७ जनवरी, १९७८ के द्वारा प्रबन्धक को भेज कर लिखा है कि आपके प्रतिवेदन पर पुनः विचार कर विषय अस्वीकृत कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री कालीचरण--

जी हां। इस संस्था ने हाई स्कूल की मान्यता हेतु आवेदन-पत्र दिया था। जिला विद्यालय निरीक्षक ने संस्तुति नहीं की थी। माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने कतिपय शर्तें पूर्ण न होने के कारण आवेदित मान्यता अपने पत्र दिनांक १२-७-१९७७ द्वारा अस्वीकृत कर दी थी। बाद में पुनर्विचार के प्रकरण पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने यद्यपि मान्यता की संस्तुति की थी किन्तु परिषद् ने कतिपय शर्तें तब भी पूर्ण न होने के कारण विषय अपने पत्र दिनांक २७-१-७८ द्वारा अस्वीकृत कर दिया।

*२०--श्री कदल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

गोंडा जिले के पुलों पर टोल टैक्स की वसूली

*२१--श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोन्डा में कितने पुलों पर टोल-टैक्स लिया जा रहा है ? कौन-कौन से पुलों पर टोल टैक्स व्यय से कम है ? क्या सरकार जिन पुलों पर टैक्स लगवा रही है, उन पर से टोल टैक्स समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

गोंडा में निम्नलिखित आठ पुलों पर टोल टैक्स लिया जा रहा है।

१--सरयू सेतु।

२--राप्ती सेतु (सिसई घाट)।

३--नकटी नाला सेतु।

४--धोबनिया नाला सेतु।

५--जमधरा नाला सेतु।

६--डोरवा नाला सेतु।

७--भाकस नाला सेतु।

८--अमघटी सेतु।

क्रम संख्या १,४,५,६,७ तथा ८ पर दिखाये गये ६ पुलों पर टोल टैक्स व्यय से कम आ रहा है ।

जी नहीं । टोल टैक्स उस समय तक वसूल होता रहेगा जब तक रख-रखाव, अधिष्ठान व्यय तथा ब्याज वसूल न हो जाय या पथकर लगाने की तिथि से ५० वर्ष की अवधि पूरी न हो जाय ।

नैनीताल जिले के रामनगर हल्द्वानी मार्ग में दाबका काज-वे के ध्वस्त होने की घटना

*२२--श्री रामदत्त जोशी--

विधान सभा के प्रथम सत्र १९७८ के चौथे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जांच रिपोर्ट दाबका काज वे के ध्वस्त हो जाने के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त हुई है उसका विवरण क्या है और क्या यह सही है कि उपरोक्त निर्माण कार्य का डिजाइन ही त्रुटिपूर्ण था जिसे अनुमोदित करने वाले अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता जो समय-समय पर उपरोक्त निर्माण कार्य का निरीक्षण करते रहे थे वह भी लापरवाही एवं क्षति के दोषी हैं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती जिले के विवेकानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दुबौलिया बाजार परीक्षा केन्द्र पर बिना फोटो के फार्म वाले सम्मिलित परीक्षार्थी

*२३--श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में विवेकानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दुबौलिया बाजार के परीक्षा केन्द्र पर इस वर्ष कितने छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया तथा उनमें कितने परीक्षार्थी ऐसे थे जिनका फोटो सहित फार्म आदि दूसरे केन्द्र पर थे और परीक्षा दुबौलिया बाजार केन्द्र पर दी ? ऐसा क्यों किया गया ? क्या यह सही नहीं है कि बिना फोटो फार्म आदि वाले परीक्षार्थियों के स्थान पर अन्य लोगों को बैठाकर परीक्षा दिलाई गई ?

श्री कालो चरण--

विवेकानन्द उ० मा० विद्यालय, दुबौलिया बाजार, बस्ती के परीक्षा केन्द्र पर इस वर्ष हाई स्कूल के १४७ एवं इंटर के ९३ अर्थात् कुल २४० परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुये । इनमें से ९३ इंटर के व्यक्तिगत परीक्षार्थी इस केन्द्र पर झिनकूलाल इंटर कालेज कलवारी, बस्ती के केन्द्र से स्थानान्तरित होकर आये थे । इन परीक्षार्थियों के फोटो सहित फार्म झिनकूलाल इंटर कालेज, कलवारी केन्द्र पर थे ।

झिनकूलाल इंटर कालेज, कलवारी केन्द्र के प्रधानाचार्य के अपने केन्द्र पर ५०० से अधिक परीक्षार्थियों की व्यवस्था करने में असमर्थता प्रकट करने पर सह विद्यालय निरीक्षक बस्ती की संस्तुति पर इन ९३ इंटर व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का केन्द्र विवेकानन्द उ० मा० विद्यालय बस्ती किया गया ।

केन्द्र अध्यक्ष, विवेकानन्द उ० मा० विद्यालय, दुबौलिया बाजार के प्रधानाचार्य झिनकूलाल इंटर कालेज कलवारी बस्ती से बारम्बार संपर्क करने के बाद भी इन

परीक्षार्थियों के फोटो सहित फार्म व परीक्षा संबंधी प्रपत्र आदि स्थानान्तरित नहीं किये गये।

यह सही नहीं है कि बिना फोटो फार्म आदि वाले परीक्षार्थियों के स्थान पर अन्य लोगों को बैठाकर परीक्षा दिलाई गई।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न प्राइमरी अध्यापिकाओं की प्रोन्नति की मांग

*२४—श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त बालिकाओं के इंटरमीडिएट कालेज से संलग्न प्राइमरी अध्यापिकाओं को प्रोन्नति दिये जाने का कोई प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और कब तक यह प्राविधान हो जाएगा ?

श्री कालीचरण—

जी नहीं। क्योंकि इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट में प्राइमरी अध्यापिकाओं को प्रोन्नति का कोई नियम नहीं है। चूंकि विधिक दृष्टि से प्राइमरी कक्षायें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का अंग नहीं होतीं, अतएव प्रोन्नति हेतु प्राविधान करने का प्रश्न नहीं उठता।

विकास क्षेत्र, अकबरपुर में प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों का निर्माण

*२५—श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के विकास क्षेत्र अकबरपुर में जनवरी, १९७८ तक कितने प्राइमरी पाठशाला भवन बनने शेष थे ? कितने पाठशाला भवन अधूरे हैं और अधूरे पाठशाला भवनों का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री काली चरण—

जनपद फैजाबाद के विकास क्षेत्र अकबरपुर में जनवरी, १९७८ तक १९ प्राइमरी पाठशाला भवन बनने शेष थे तथा ८ पाठशाला भवन निर्माणाधीन तथा अधूरे हैं। अधूरे पाठशाला भवनों का निर्माण मार्च, १९७९ तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है।

अकबरपुर में टोंस नदी के पुल की मरम्मत में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

*२६—श्री हरी राम वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में कस्बा अकबरपुर में टोंस नदी पर बने पुल की मरम्मत के समय बाई पास सड़क बनी थी ? यदि हां, तो उन किसानों का नाम जिनके खेतों में बाई पास सड़क बनी थी, को मुआवजा दे दिया गया ? यदि हां, तो कितना-कितना धन दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां। ग्राम मीरानपुर और शाहजहांपुर के कुल ३१ कृषकों की १·५५ एकड़ भूमि, ३ वर्ष के लिए अस्थायी रूप से बाई पास बनाने के लिए अधिगृहीत की गई इनमें से ७ कृषकों को प्रतिकर का वितरण कर दिया गया है। शेष २४ कृषक प्रतिकर लेने नहीं आए, अतएव उनके प्रतिकर की धनराशि "रेवेन्यू डिपाजिट' में जमा कर दी गई है। सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०८३ पर।)

*२७--श्री राम सजीवन--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

*२८--श्री राम सजीवन--

[चौथे बुधवार के लिए स्थगित।]

*२९--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[चौथे बुधवार के लिए स्थगित।]

प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के पेंशन का भुगतान

*३०--श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल के अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेन्शन का भुगतान वर्ष में केवल एक ही बार किया जाता है? यदि हां तो क्यों? क्या सरकार पेन्शन का भुगतान साल में कम से कम दो बार कराने की व्यवस्था करेगी?

श्री काली चरण--

जी नहीं, पेन्शन का भुगतान प्रत्येक मास नियमित रूप से कराने का प्राविधान है।

*३१--श्री बरफिया लाल जुआंठा 'अरविन्द'--

[चौथे बुधवार के लिए स्थगित।]

*३२--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[चौथे बुधवार के लिये स्थगित।]

*३३--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*३४--श्री देव कुमार--

[चौथे बुधवार के लिए स्थगित।]

बांदा जिले में औगासी पम्प कैनाल का निर्माण

*३५--श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औगासी पम्प कैनाल (बांदा) जिसको दो वर्ष पूर्व पूरी होना था अब तक क्यों पूर्ण नहीं हो सकी ? इस देरी के लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री बलवीर सिंह--

औगासी पम्प नहर के निर्माण की स्वीकृति वर्ष १९७४-७५ में दी गई थी किन्तु फर्मों द्वारा पम्पिंग सेटों की आपूर्ति में विलम्ब होने के कारण इसे पूर्ण नहीं किया जा सका है। विलम्ब से आपूर्ति के सम्बन्ध में फर्मों के विरुद्ध अनुबन्ध की शर्तों के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

लखनऊ में आयोजित विद्यालय निरीक्षक संघ का अधिवेशन एवं उनकी मांगें

*३६--श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक १० जून, १९७८ ई० को लखनऊ में उत्तर प्रदेश विद्यालय निरीक्षक संघ का चौबीसवां वार्षिक अधिवेशन हुआ और क्या निरीक्षक संघ की ओर से कोई प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ?

श्री कालो चरण--

जी हां।

मांगों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०८५ पर)।

बांट तथा माप के निरीक्षकों और ज्येष्ठ निरीक्षकों का सेलेक्शन ग्रेड

*३७--श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य विभाग के अन्तर्गत बाट तथा माप के कुछ प्रतिशत निरीक्षकों, ज्येष्ठ निरीक्षकों को उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक १ अक्तूबर, १९७५ से सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो अब तक उन्हें क्यों नहीं मिला, जब कि ज्येष्ठ निरीक्षकों का चयन होकर लिस्ट भी निकल चुकी है ? इस अनावश्यक विलम्ब के दोषी कौन है ?

श्री हरिशचन्द्र --

जी हां, बांट तथा माप संगठन के निरीक्षकों/ज्येष्ठ निरीक्षकों के क्रमशः १५% तथा २०% स्थाई पदों के लिए दिनांक १-१०-१९७५ से सेलेक्शन ग्रेड शासनादेश दिनांक २० दिसम्बर, १९७६ द्वारा स्वीकृत किये गये थे।

सेलेक्शन ग्रेड के सम्बन्ध में शासकीय आदेश प्राप्त होने पर नियंत्रक ने इसके निमित्त ज्येष्ठ निरीक्षकों की एक अन्तिम सूची तैयार की थी परन्तु पात्र कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत करने के पूर्व उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर शासकीय निदेश की अपेक्षा की। शासन द्वारा विचारोपरान्त आवश्यक निर्देश नियंत्रक, बाट तथा माप को दिए जा चुके हैं तथा वे सेलेक्शन ग्रेड के मामले को अन्तिम रूप देने की कार्यवाही कर रहे हैं।

उक्त प्रक्रिया में समय लगना स्वाभाविक था जिसके लिए कोई दोषी नहीं है।

बाराबंकी जिले के दरियाबाद समानान्तर नहर शाखा के पुल का निर्माण एवं ठेकेदार का भुगतान

*३८--श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत दरियाबाद सामान्तर शाखा के ७०.०८ कि० मी० पर एक पुल के निर्माण हेतु अनुबन्ध संख्या २९/ई०, दिनांक २१ मार्च, १९७७ के अनुसार सिंचाई विभाग, बाराबंकी तथा श्री राम यादव एवं गया प्रसाद निवासी ग्राम तिकुरी, पो० मरकामऊ, जिला बाराबंकी के बीच ठेके का अनुबन्ध हुआ था ? यदि हां, तो क्या ठेकेदार को नियमानुसार कुल भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह --

जी हां, अनुबन्ध शर्तों के अनुसार इस पुल का निर्माण कार्य दिनांक २१-३-७७ से प्रारम्भ होकर दिनांक २०-७-७७ को समाप्त होना था। उक्त अनुबन्धित समय के भीतर ठेकेदार कार्यपूर्ण नहीं कर सका। ठेकेदार द्वारा किए कार्य का अन्तिम भुगतान करने हेतु उसे कई बार बुलाया गया परन्तु ठेकेदार ने अन्तिम भुगतान लेने से इन्कार कर दिया।

विश्वविद्यालयों के बन्द रहने की अवधि का शिक्षा शुल्क

*३९--श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या यह सही है कि प्रदेश के विश्वविद्यालय पिछले चार-पांच महीनों से बन्द पड़े हैं जिसके कारण विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं मिल सकी है ? यदि हां, तो सरकार उन महीनों की जब विद्यालय बन्द रहे हैं शिक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करेगी ?

श्री काली चरण--

प्रदेश के विश्वविद्यालय ग्रीष्मावकाश उपरान्त गत जुलाई में खुले हैं, तबसे कोई विश्वविद्यालय बन्द नहीं रहा। ग्रीष्मावकाश के पूर्व केवल कुमायूं, गोरखपुर, लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र आन्दोलन के कारण कुछ अवधि के लिए बन्द रहे परन्तु उस अवधि के लिए शिक्षा शुल्क की छूट देने का औचित्य नहीं बनता।

आगरा जिले के खारी नदी के पुल को टोल टैक्स से मुक्त करने की मांग

*४०--श्री बदन सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा जनपद के अकोला ग्राम में खारी नदी के पुल पर टोल टैक्स वसूल जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस टोल टैक्स की वसूली को बन्द करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

खारी नदी के पुल पर इन्डियन टोल ऐक्ट, १८५१ के अधीन पथ कर लगाया गया था। अब इस पुल को पथकर से मुक्त पुल घोषित कर दिया गया है।

बाराबंकी की शारदा सहायक नहर के ग्राम रीवां-सीवां के पुल में दरार

*४१--श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक कैनाल कि० मी० ११६ ग्राम रीवां-सीवां, जनपद बाराबंकी के पास बने पुल की विग टूट गयी है जिसके कारण इस फीडर चैनल ११६ कि० मी० पर आने जाने का अवरोध हुआ है ? यदि हां, तो इस पुल के निर्माण कराने वाले ठेकेदार तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कराकर सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री बलबीर सिंह--

शारदा सहायक पोषक नहर के कि० मी० ११६.०० पर बने पुल के बीच वाले स्पैन की दोनों बीमों में दरार (क्रेक) पड़ गयी है । अभी बीम टूटने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है, हल्के यातायात के लिए यह पुल खुला हुआ है किन्तु भारी यातायात के लिए सुरक्षा की दृष्टिकोण से बन्द करा दिया गया है ।

पुल के बीमों में दरारें पड़ने के कारणों की जांच हेतु दो अधिशासी अभियन्ताओं की एक कमेटी गठित कर दी गयी है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जायगी ।

सेवा आश्रम डिग्री कालेज, प्रतापगढ़ के विरुद्ध आरोप-पत्र

*४२--श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १२ अप्रैल, १९७८ को प्रतापगढ़ के पांच विधायकों ने अपने संयुक्त हस्ताक्षर से सेवाश्रम डिग्री कालेज, डिहुई, प्रतापगढ़ की अनियमितताओं, भ्रष्टाचार तथा कोष के गड़बड़ घोटाले के संबंध में कोई आरोप पत्र जांच हेतु दिया था ? यदि हां, तो आज तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

दिनांक ५/१२ अप्रैल, १९७८ का उक्त आरोप-पत्र प्राप्त हुआ । उक्त कालेज के विरुद्ध आरोपों की जांच उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा ४० के अन्तर्गत कराई जा रही है ।

एत्मादपुर-बरतरा-नराबी मार्ग के पक्का किए जाने की मांग

*४३--श्री चन्द्रभान मौर्य (जिला आगरा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एत्मादपुर से शुरू होने वाले पचोखरा से बरतरा वाया नाराबी मार्ग पर अर्थ वर्क, गिट्टी तथा पत्थर पड़ जाने के बावजूद भी डामर द्वारा पक्का करने के काम में बहुत अधिक विलम्ब किया गया है जिसके कारण जनता को बेहद परेशानी है ? यदि हां, तो यह मार्ग पक्का डामर मार्ग कब तक कर दिया जाएगा ? इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश करेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

प्रश्नगत २३.८० कि० मी० लम्बा सम्पूर्ण मार्ग तीन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न तिथियों में स्वीकृत किया गया था । चूंकि यह मार्ग जिला

परिषद् का था और उन्होंने निर्माण के समय उसका संरेखण ठीक नहीं किया था अतः उसे ठीक करने में समय लगना स्वाभाविक है ।

१ से १३ कि० मी० तक मार्ग मार्च, ७९ तक डामरयुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है । शेष मार्ग जो जनवरी, १९७८ में शासन द्वारा स्वीकृत हुआ, का पूरा किया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

विलम्ब के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

आगरा जिले के एत्मादपुर–टेड़ी बगिया–जलेसर मार्ग का निर्माण

*४४—श्री चन्द्र भान मौर्य—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र एत्मादपुर (आगरा) से टेड़ी बगिया–जलेसर मार्ग के निर्माण के आदेश शासन द्वारा करीब १ साल पूर्व दिए गए थे किन्तु अभी तक उस पर मिट्टी का काम भी नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? अब यह मार्ग कब तक पूर्ण हो जाएगा ? यह कार्य किन अधिकारियों की वजह से अब तक पूर्ण न हो सका ? क्या उनके खिलाफ जांच कराके कार्यवाही की जाएगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण के आदेश शासन द्वारा माह जनवरी, ७८ में दिये गये थे । यह सही नहीं है कि उस पर अभी तक मिट्टी का काम भी नहीं हुआ है । ६ कि० मी० में मिट्टी का काम तथा ३ कि० मी० में पुलियों का निर्माण पूरा किया जा चुका है । यह कब तक पूरा हो सकेगा यह राज्य के संसाधनों पर निर्भर करेगा । अब तक यह कार्य पूरा न होने के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् को हस्तान्तरित जिला परिषद् के कर्मचारियों को नकदीकरण अवकाश तथा ऋण की सुविधा दिये जाने की मांग

*४५—श्री भीषम (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७२ में बेसिक शिक्षा की स्थापना के बाद जिला परिषद् से स्थानान्तरित कर्मचारियों को एक्ट की धारा ९ के अन्तर्गत सेवा सम्बन्धी जो सुविधायें मिलती थीं या भविष्य में मिलती, अब नहीं दी जा रही हैं ? क्या यह भी सत्य है कि वहीं जिला परिषद् के कर्मचारियों को सरकार नकदीकरण अवकाश, लोन आदि की सुविधा दे रही है और शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित उन्हीं कर्मचारियों को यह सुविधायें आज तक नहीं दी गईं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ के प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् की स्थापना २५ जुलाई, १९७२ को हुई तथा उक्त अधिनियम की धारा ९(१) के अनुसार जिला परिषदों से बेसिक शिक्षा परिषद् को हस्तान्तरित कर्मचारियों को हस्तान्तरण के पूर्व सेवा शर्तों के अनुसार अनुमन्य सुविधायें प्रदान की जा रही है किन्तु बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के

पश्चात् जिला परिषदों ने अपने कर्मचारियों को जो सुविधायें दी हैं उनको बेसिक शिक्षा परिषद् देने के लिये बाध्य नहीं है ।

अब शासन शिक्षा के प्राइमरी, माध्यमिक तथा उच्च स्तर के कर्मचारियों के बारे में राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये कोई सुविधा प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करता है । वित्तीय कारणों से अब तक नकदीकरण अवकाश तथा ऋण की सुविधा देना संभव नहीं हो पाया है ।

गंडक नहर निर्माण खन्ड–प्रथम, देवरिया के अधिशासी अभियन्ता श्री बसन्त कुमार अग्रवाल के अधीन जमी हुयी सीमेन्ट की जांच

*४६—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गंडक नहर निर्माण खंड प्रथम के अधिशासी अभियन्ता (श्री बसन्त कुमार अग्रवाल) के चार्ज में वर्ष १९६७–६८ में ५ हजार बोरी सीमेन्ट थी उसका उन्होंने कोई उपयोग नहीं किया और वह जम गई, जिसकी जांच हो रही है और श्री बसन्त कुमार अग्रवाल अब भी वहीं अधीक्षण अभियन्ता के पद पर आसीन हैं ? यदि हां, तो क्या तुरन्त उनका स्थानान्तरण करके निष्पक्ष जांच की व्यवस्था करने की मन्त्री जी कृपा करेंगे ?

श्री बलबीर सिंह—

गंडक नहर निर्माण खन्ड–प्रथम, देवरिया के अधिशासी अभियंता (श्री बसन्त कुमार अग्रवाल) के चार्ज में माह जून, १९६८ के अन्त में १,२८,३३८ बोरी सीमेन्ट थी जिसमें से वर्ष १९७० में यह ज्ञात हुआ कि ५,५०० बोरी सीमेन्ट पूर्णरूप से एवं १६,०९६ बोरी सीमेन्ट आंशिक रूप से सेट हो गई । इसकी जांच की जा रही है । श्री बसंत कुमार अग्रवाल, गन्डक नहर निर्माण मंडल–प्रथम, गोरखपुर में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं परन्तु गंडक नहर निर्माण खंड प्रथम, देवरिया को माह जुलाई, १९७८ से उनके मन्डल से हटाकर गन्डक ड्रेनेज मन्डल, गोरखपुर के चार्ज में कर दिया गया है । जांच के हित में यदि आवश्यक हुआ तो इनके स्थानांतरण के सम्बन्ध में भी निर्णय लिया जायेगा ।

संस्कृत अध्यापकों के अवशेष वेतन का भुगतान

*४७—श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के संस्कृत अध्यापकों को उनके वेतन का दिनांक १ अप्रैल, १९७५ से अवशेष देय वेतन अब तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? यह कब तक दिया जाएगा ?

श्री काली चरण—

प्रदेश के ७ मन्डलों में पूर्ण भुगतान कर दिया गया है । चार मन्डलों के कुछ अध्यापकों के अवशेष का भुगतान होना है ।

अध्यापकों से सम्बन्धित आवश्यक पत्रजात यथा समय संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत न किये जाने तथा मन्डलीय उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय द्वारा की गई आपत्तियों का निराकरण न हो पाने के कारण भुगतान संभव नहीं हो पाया है ।

आवश्यक पत्रजात उपलब्ध होने तथा आपत्तियों का निराकरण हो जाने के पश्चात् ।

संस्कृत विद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण

*४८—श्री राज कुमार शर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री संस्कृत विद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारियों, लिपिक, परिचारक, पुस्तकालयाध्यक्ष आदि का वेतन निर्धारण करके दिनांक १ अगस्त, १९७२ से इनका भी शेष देय धन देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक और अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री काली चरण—

इन कर्मचारियों के पद शासन द्वारा स्वीकृत नहीं हैं । अतः वेतन निर्धारण करके अवशेष भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एस० एन० इन्टर कालेज, इन्वईपुर, जिला फैजाबाद में अग्निकान्ड की घटना

*४९—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि एस० एन० इन्टर कालेज, इन्वईपुर, जिला फैजाबाद के बीस कमरे काष्ठोपकरण सहित बोर्ड की परीक्षा वर्ष १९७६ में जल कर नष्ट हो गये थे और उसकी जांच तथा क्षति का मूल्यांकन जनपद के अधिकारी द्वारा शासन को प्रेषित की गई है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय को विभाग की ओर से कोई अनिवार्य सहायता प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

जी हां, किन्तु यह क्षति प्राकृतिक प्रकोपग्रस्त मामलों की श्रेणी में न होने के कारण इसकी प्रतिपूर्ति हेतु शिक्षा निदेशक द्वारा शासन को संस्तुति नहीं की गयी ।

सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

*५०—श्री राम आसरे वर्मा—

[४थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

श्रीमती शिवप्यारी सहगल, मन्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षका, फैजाबाद मन्डल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*५१—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि वर्तमान आर० आई० जी० एस०, नवम् मन्डल, फैजाबाद (जिनके विरुद्ध बहराइच-सुल्तानपुर जिले के माध्यमिक उच्चतर विद्यालयों के प्रबन्धकों द्वारा अनियमितता करने की शिकायतें शिक्षा मन्त्री को वर्ष १९७७ एवं १९७८ में भेजी और प्राप्त हुई हैं) विगत चार वर्षों से ऊपर हुए एक स्थान पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो तीन साल बीतने के बाद उनका स्थानान्तरण अन्य मन्डल में अब तक न करने का क्या कारण है और

उनके विरुद्ध अब तक कितनी शिकायतें किन-किन प्रकार प्राप्त हुई और उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

अब श्रीमती शिव प्यारी सहगल, मन्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद मन्डल का स्थानान्तरण मन्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, मेरठ के पद पर कर दिया गया है जहां उन्होंने दिनांक १७ जुलाई, १९७८ को कार्य-भार ग्रहण कर लिया है ।

इनके विरुद्ध विभिन्न श्रोतों से १०-१२ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । अधिकांश के सम्बन्ध में जांच पूर्ण हो गई है तथा वे निराधार पाई गई हैं ।

राजकीय तथा सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कला के अध्यापकों का वेतन-मान

*५२--श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय इन्टर कालेजों में इन्टर कक्षाओं को "कला" विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों को एल० टी० वेतन-मान रु० ३००-५५० दिया जाता है जबकि मान्यता प्राप्त अशासकीय इन्टर कालेजों में इन्टर कक्षाओं को "कला" विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों को विशेष शिक्षा सेवा वेतन क्रम रु० ४००--७५० दिया जाता है ? यदि हां, तो इस अन्तर का क्या कारण है ?

श्री काली चरण--

जी नहीं ।

राजकीय तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में इन्टर कक्षाओं में कला विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों को एल० टी० वेतन-क्रम ही दिया जाता है । अशासकीय विद्यालयों के इन्टर कक्षाओं में कला विषय पढ़ाने वाले केवल उन अध्यापकों के लिए रु० ४००--७५० वेतनक्रम का प्राविधान है जो चित्रकला अथवा रंजन कला में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हों ।

देवानन्द स्नातक महाविद्यालय, देवरिया के प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायतों का जांच

*५३--श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के अन्तर्गत स्वामी देवानन्द स्नातक महाविद्यालय, मठलार के प्रबन्धक द्वारा धन अर्जित करने, अनियमितता को बढ़ावा देने, नियुक्तियां मनमाने ढंग से करने से सम्बन्धित जांच हेतु कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने दिनांक ९ दिसम्बर, १९७७ को एक जांच समिति नियुक्त की थी जिसकी रिपोर्ट जांच समिति ने दिनांक ५ जून, १९७८ को कुलपति को प्रेषित किया और कुलपति ने दिनांक १३ जून, १९७८ को इस आशय का पत्र शासन को लिखा कि तत्काल प्रबन्ध समिति को भंग कर छात्रों के हित में उक्त कालेज को सरकारी नियन्त्रण में लिया जाय ? यदि हां, तो उपरोक्त निर्णय पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

कालेज के प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा ५७-५८ के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है तथा एस० डी० एम०, सलेमपुर को उक्त कालेज में अन्तरिम प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया ।

देवरिया जिले के भाटपाररानी व बनकटा विकास क्षेत्रों में पानी की सतह

*५४--श्री राजमंगल तिवारी (जिला देवरिया) तथा श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के भाटपाररानी तथा बनकटा विकास क्षेत्रों में पानी की सतह ऊपर आ रही है ? यदि हां, तो पानी की सतह ऊपर न आ सके इसके लिए सरकार कौन से उपाय कर रही है ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां । पानी की सतह ऊपर न आ सके इसके लिये प्रश्नगत क्षेत्र में नलकूपों का निर्माण किया जा रहा है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् व मान्टेसरी पद्धति के विद्यालयों का पाठ्यक्रम

*५५--श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में कक्षा १ से ८ तक बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम व स्तर एक समान है ? यदि नहीं, तो क्या मान्टेसरी और शिशु मन्दिर पद्धति संचालित विद्यालय में एक समान पाठ्यक्रम क्या सत्र में लागू होगा ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले के महराजगंज के निकट बलिया नाले का पुल

*५६--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि गोरखपुर जिले के महराजगंज कस्बे के पास बलिया नाला का पुल विगत वर्ष टूटने के कारण एक बस नाले में गिर गई थी तथा परतावल-कप्तानगंज मार्ग पर स्थित कारीतीनपुर, जो मौन-नाला पर स्थित है, के जीर्णशीर्ण होने के कारण यातायात बरसात में बन्द हो गया था ? यदि हां, तो इन दो पुलों के निर्माण सरकार कब तक कराएगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

शासन की सूचना के अनुसार गोरखपुर जिले के महराजगंज कस्बे के पास बलिया नाला का पाइल सेतु विगत वर्ष न तो टूटा और न ही कोई बस गिरी ।

परतावल-कप्तानगंज मार्ग का केवल ६ कि० मी० भाग जनपद गोरखपुर में है। इस भाग पर ऐसा कोई पुल स्थित नहीं है।

बलिया नाले पर पाइल सेतु को पक्का पुल बनाना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उन्नाव जिले के बांगरमऊ-जगतनगर मार्ग की मरम्मत एवं श्री बाबू लाल शर्मा व श्री खलील अहमद के मकान की क्षति

*५७--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद में पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा बांगरमऊ-जगतनगर रोड का लेबिल ऊंचा कराने के कारण बरसाती पानी का निकास रुक गया जिससे दिनांक २२ व २४ जून, १९७८ को वहां के निवासी श्री बाबू लाल शर्मा, खलील अहमद, विशुन नारायण के पक्के मकान क्षतिग्रस्त हो गये, स्लेपें टूट गई, दीवारें कट गई तथा अनेक कच्चे मकान धराशायी हो गए ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त मकान मालिकों को मुआवजा देगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

इस मार्ग के प्रथम कि० मी० को ऊंचा करके बनाने के कारण बरसाती पानी का निकास नहीं रुका क्योंकि दोनों ओर पानी के निकास हेतु नाली का निर्माण किया गया। प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों के पुराने बने मकानों की कुर्सियां सड़क बनने से पहले ही काफी नीची थी। दिनांक २२ एवं २४ जून, १९७८ को हुई एकाएक भारी वर्षा में पूरे बांगरमऊ कस्बे का पानी, जो एक नाले में बहता था व नगरपालिका का है, के मुड़ जाने से निचले मकानों में भर गया। इस प्रकार यदि कोई क्षति हुई हो तो सार्वजनिक निर्माण विभाग उसके लिए उत्तरदायी नहीं है और विभाग द्वारा कोई मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों की हड़ताल एवं शिक्षकों को नियमित किये जाने की मांग

*५८--श्री श्यामदत्त पालीवाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों की हड़ताल के समय राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता एवं एल० टी० वेतन-क्रम में कार्यरत तदर्थ नियुक्त अध्यापकों की सेवायें नियमित करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो सरकार ने अपना आश्वासन पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की ?

श्री काली चरण--

जी नहीं। राजकीय शिक्षकों की विगत हड़ताल के समय उनकी एक मांग यह भी थी कि समस्त अस्थायी अननुमोदित राजकीय शिक्षकों की सेवाएं नियमित की जांय। शासन द्वारा अक्तूबर, १९७७ में यह अभिमत व्यक्त किया गया था कि पिछले वर्षों में तदर्थ रूप से नियुक्त किए गए अध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्मिक विभाग द्वारा १-१-७७ से पूर्व तदर्थरूप से नियुक्त कर्मचारियों, जिनमें राजकीय अध्यापक भी सम्मिलित हैं, को नियमित करने का निर्णय लिया जा चुका है, जो इस हेतु कार्मिक विभाग द्वारा बनाई जा रही नियमावलियों के प्रवृत्त होने पर ही सम्भव हो सकेगा।

बाराबंकी जिले की शारदा सहायक नहर हेतु खोदी गयी मिट्टी एवं मुआवजा

*५९—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक पोषक नहर के किलोमीटर १३५ तथा १३६ के ग्राम नई मऊ, मजरा लीला, पुरवा जवरी, मजरगढ़ी और टिकरिया, तहसील नवाबगंज, विकास खंड देवा, जिला बाराबंकी के जिन किसानों की भूमि से नहर के लिए मिट्टी खोदी गई थी, उनको प्रतिकर ३० जून, १९७८ तक किन कारणों से नहीं बांटा जा सका है और कब तक अन्तिम रूप से भूमि का प्रतिकर अवश्य बांट दिया जायेगा ?

श्री बलवीर सिंह—

शारदा सहायक पोषक नहर के कि० मी० १३५ तथा १३६ के निकट पड़ने वाले ग्राम नई मऊ तथा जवरी कला एवम् उनके मजरे लीला पुरवा व मजरा गढ़ी में जिन किसानों की भूमि से नहर के लिये मिट्टी खोदी गयी थी उनको प्रतिकर अभी तक नहीं दिया जा सका। इसका एक कारण यह है कि इन दोनों ग्रामों में जिस भूमि से मिट्टी ली गयी थी उस भूमि में से १३.९७ एकड़ भूमि कृषि के अयोग्य हो जाने के कारण स्थायी रूप से अर्जित करना निश्चय किया गया है। इसके प्रस्ताव जुलाई, १९७८ में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बाराबंकी को भेजे गये हैं। इस भूमि के अधिग्रहण एवं मुआवजा बांटने में लगभग आठ-दस माह का समय लगेगा।

उपरोक्त ग्रामों की शेष भूमि, जिसमें से मिट्टी ली गयी है, का मिट्टी की खुदाई का प्रतिकर बांटने की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बाराबंकी द्वारा शीघ्र की जायेगी।

*६०—श्री गुरु प्रसाद—

[२९-३-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ३२ द्वारा उत्तरित।]

*६१—श्री दया राम भास्कर—

[४ थे बुधवार के लिए स्थगित।]

*६२—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[४ थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

रुड़की विश्वविद्यालय में छात्रों के दो गुटों में संघर्ष

*६३—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या यह सही है कि २३ व २४ फरवरी, १९७७ को रुड़की विश्वविद्यालय में छात्रों के दो गुटों में गुटीय प्रतिद्वन्द्विता के फलस्वरूप हिंसक संघर्ष हुआ था ? क्या यह भी सही है कि हिंसक संघर्ष के लिए अध्यापक जिम्मेदार हैं ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से अध्यापक हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? क्या इस सम्बन्ध में कुलपति की जांच समिति की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रक्खा जाएगा ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

यह सही नहीं है कि अध्यापक जिम्मेदार है । अध्यापकों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । कुलपति की जांच समिति जो अनुग्रस्त छात्रों की अनुशासन-हीनता सम्बन्धित मामले की जांच के लिये है, की रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

देवरिया जिले के सिरजम ताल से जल निकासी योजना की मांग

*६४--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में सिरजम ताल में जल जमाव के कारण प्रति वर्ष हजारों एकड़ की फसल नष्ट हो जाती है । जल निकासी हेतु ड्रेनेज निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा वर्ष १९७६ में मिल चुकी थी जबकि उसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलवीर सिंह--

देवरिया के सिरजम ताल में लगभग ४०० एकड़ में जल जमाव होता है जिससे कुछ फसल नष्ट होती है । सिरजम ताल से जल निकासी हेतु ड्रेनेज निर्माण की कोई तकनीकी स्वीकृति १९७६ में नहीं दी गई थी । इसलिए निर्माण-कार्य कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*६५--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

[४ थे बुधवार के लिये स्थगित ।]

अल्मोड़ा जिले के बागेश्वर--बालीघाट-चौरा-दोफाड़ व दोफाड़-धरमधर मार्गों का निर्माण

*६६--श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा में बागेश्वर-दोफाड़-धरमधर मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति किस वर्ष दी गई थी तथा इस मार्ग के निर्माण की अब क्या प्रगति है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जिला अल्मोड़ा में बागेश्वर-दोफाड़-धरमधर मोटर मार्ग के नाम से कोई भी मार्ग स्वीकृत नहीं है बल्कि (१) बागेश्वर-बालीघाट-चौरा-दोफाड़ मोटर मार्ग तथा (२) दोफाड़-धरमधर मोटर मार्गों के नाम से स्वीकृत हैं । उक्त दोनों मार्गों की स्वीकृति क्रमशः वर्ष १९७१ एवं वर्ष १९७६ में दी गई थी ।

(अ) बागेश्वर से बालीघाट तक का पक्का मार्ग पहले से ही उपलब्ध है ।

(ब) बालीघाट-दोफाड़ मार्ग के १२ कि० मी० यातायात के लिए १९७७ में उपलब्ध करा दिये गये थे ।

इस पर दो बड़े पुलों का निर्माण दिसम्बर में स्वीकृत हुआ था । यह पुल निर्माणाधीन हैं । सीमेन्ट की कमी के कारण प्रगति धीमी है । जैसे ही यह पुल पूरे हो जाते हैं पूरी सड़क समस्त लम्बाई में यातायात के लिए खोल दिये जायेंगे

(स) दोफाड़-धरमधर मोटर मार्ग के ३९ कि० मी० में से प्रथम १० कि० मी० में पहाड़ कटान कार्य लगभग पूरा हो गया है ।

अल्मोड़ा जिले के डंगोली-सैलानी मार्ग का पुनर्निर्माण

*६७--श्री पूरन चन्द्र--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा के बजूला-सैलानी मोटर मार्ग के २५ अप्रैल, १९७८ को जो टेन्डर आमंत्रित किए गए थे उनके आधार पर इस मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जिला अल्मोड़ा में बजूला-सैलानी मार्ग के नाम से कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है, बल्कि डंगोली-सैलानी मोटर मार्ग, पुनः निर्माण एवं सुधार के हेतु स्वीकृत है ।

इस मार्ग के निर्माण हेतु ३७ जोड़ों को निविदाएं दिनांक २५ अप्रैल, १९७८ को आमंत्रित की गयी थीं जिनमें से ३५ जोड़ों की निविदायें सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त स्वीकृत की जा चुकी है । इसमें से २५ जोड़ों के अनुबन्ध पंजीकरण के उपरान्त कार्य आरम्भ किया जा चुका है तथा शेष १० जोड़ों के अनुबन्ध तैयार किये जा रहे हैं ।

बांदा जिले के हिन्दू इन्टरमीडिएट कालेज में प्रशासक की नियुक्ति

*६८--श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के नगर अतर्रा का हिन्दू इन्टरमीडिएट कालेज किन कारणों से आपात काल में सरकार द्वारा अधिगृहीत कर लिया गया था और प्रबन्धक को हटाकर प्रशासक बैठाया गया था ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या सरकार वहां चुनाव कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी नहीं ।

जी नहीं । प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता । जी नहीं ।

प्रबन्धकीय विवाद तथा आर्थिक अनियमितताओं के कारण ।

*६९--कुंवर तेजभान सिंह--

[४थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

*७०--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

[४थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

चमोली जिले में विष्णु प्रयाग जल विद्युत् योजना एवं ऋषिकेष--बद्रीनाथ मार्ग की क्षमता

*७१--शिवानन्द नौटियाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में विष्णु प्रयाग जल विद्युत् योजना में जो बड़ी-बड़ी मशीनें कार्य करेंगी उनको ले जाने के लिए ऋषिकेष-बद्रीनाथ मोटर मार्ग की क्षमता है ? यदि नहीं, तो क्या उनको अभी से बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा जा रहा है क्योंकि यह मोटर मार्ग प्रतिरक्षा विभाग के अधीन है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

ऋषिकेष-बद्रीनाथ मोटर मार्ग डायरेक्टर जनरल बार्डर रोड्स के अधीन है। अतः इस मार्ग की क्षमता के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग को जानकारी नहीं है। इस मार्ग पर भारी मशीनों को ले जाने हेतु, उपयुक्त बनवाने के लिए सिंचाई विभाग ने डायरेक्टर जनरल बार्डर रोड्स से सम्पर्क स्थापित किया है।

नैनीताल व देहरादून जिले की नहरों के अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि

*७२--श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जिला नैनीताल की पहाड़ी नहरों के परिचालन तथा अनुरक्षण पर प्रति सिंचित एकड़ वर्ष १९७५-७६ व १९७६-७७ में ६१.०० से ९६.०० रुपए तक की धनराशि प्रदिष्ट की गई जब कि जिला देहरादून की पहाड़ी नहरों के परिचालन एवं अनुरक्षण पर प्रति सिंचित एकड़ वर्ष १९७५-७६ व १९७६-७७ में ८.०० से २५.०० तक की धनराशि प्रदिष्ट की गई ? क्या सिंचाई मन्त्री जी बतलायेंगे कि दोनों जनपदों की पहाड़ी नहरों से परिचालन तथा अनुरक्षण पर प्रति सिंचित एकड़ पर प्रदिष्ट की गई धनराशि में इतना अन्तर क्यों है ?

श्री बलबीर सिंह--

नैनीताल जनपद की नहरें मुख्यतया पहाड़ी क्षेत्रों में हैं जहां पहाड़ अपेक्षाकृत कच्चे हैं, जबकि देहरादून जनपद की नहर विशेषतया पहाड़ों की तलहटी में हैं जहां पहाड़ अपेक्षाकृत मजबूत हैं।

नैनीताल जनपद की नहरें अपेक्षाकृत नई हैं, तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना से आरम्भ हुई है व इनमें क्षति अधिक होती है, जबकि देहरादून जनपद की पुरानी नहरें हैं।

नैनीताल जनपद में इस समय २०० कि० मी० व देहरादून में २८९ कि० मी० लम्बी नहरें हैं, जबकि १९७६-७७ में नैनीताल जनपद मे ६८१० एकड़ व देहरादून में ४५४७१ एकड़ सींच हुई। मुख्यतया नहरों की लम्बाई के आधार पर उनके सामान्य अनुरक्षण के प्राक्कलन की धनराशि आंकी जाती है।

नैनीताल के पर्वतीय भाग की नहरें देहरादून की नहरों की अपेक्षाकृत छोटी हैं, जिस कारण नैनीताल में उतनी ही लम्बाई की नहरों के लिए हेड अधिक है।

*७३-७४--श्री हाकिम लाल--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित।]

हाई स्कूल एवं इन्टर मीडिएट के परीक्षा केन्द्रों का परिवर्तन एवं परीक्षाफल की घोषणा

*७५--श्री राज मंगल तिवारी--

क्या यह सही है कि प्रदेश के हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट परीक्षा, १९७८ प्रारम्भ होने के कुछ दिन पूर्व सैकड़ों परीक्षार्थियों के सेन्टर्स का परिवर्तन

किया गया और इन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल अब तक घोषित नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? परीक्षाफल कब तक घोषित कर दिया जाएगा ?

श्री काली चरण--

जी हां, पूरे प्रदेश में हाई स्कूल के १३६२ तथा इंटर के १२७२ परीक्षार्थियों का केन्द्र परिवर्तन परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व किया गया था ।

इन परीक्षार्थियों में से इंटर के २५८ और हाई स्कूल के २०४ का परीक्षाफल पूर्ण होकर घोषित होना शेष है ।

मूल परीक्षा केन्द्र के परिवर्तन होने पर विभिन्न कारणों से परीक्षाफल अपूर्ण रह जाने के कारण परिवर्तित मूल्यांकन केन्द्र पर परीक्षार्थी के विवरण से सम्बन्धित मुद्रित अंक चिटों का उपलब्ध न होना, परिवर्तित परीक्षार्थियों द्वारा यदाकदा अपनी उत्तर पुस्तकों पर अशुद्ध अनुक्रमांक अंकित कर देना और उनकी अंक चिटें यथा समय सम्बन्धित सारणीयक तक न पहुंच पाना आदि हैं ।

अवशेष परीक्षार्थियों के परीक्षाफल उनके प्राप्तांक परिषद् कार्यालय में खोज कर एवं सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापकों के माध्यम से कतिपय सूचनायें मांग कर पूर्ण करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है, और आशा है कि इन्हें भी शीघ्र घोषित कर दिया जायेगा ।

देवरिया जिले की बन्धु छपरा माइनर में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

*७६--श्री श्रीनारायण--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में गंडक परियोजना के खमुरिया शाखा के अन्तर्गत बन्धु छपरा माइनर में पड़ने वाली भूमि का मुआवजा अब तक किसानों को किन कारणों से नहीं दिया गया और जिनकी फसलें काटकर नहर खोदी गई उसके फसल का मुआवजा भी अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बलबीर सिंह--

देवरिया जिले में गंडक परियोजना के खजुरिया शाखा से निकलने वाली बंधु छपरा माइनर में पड़ने वाली भूमि रिक्विजीशन द्वारा प्राप्त की गयी है, जिसके उपरान्त भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत् कार्यवाही होती है । उक्त अधिनियम की धारा ४ तथा ६ के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमशः २६-८-७७ तथा ८-५-७८ को जारी की जा चुकी है और मुआवजा देने की कार्यवाही भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देवरिया द्वारा की जा रही है ।

फसलों का मुआवजा वितरण करने हेतु तहसीलदार, हाटा से दर सत्यापित करने के लिये कहा गया है । दर सत्यापित होने पर मुआवजा का वितरण कर दिया जायगा ।

राजकीय इन्टर कालेज, बरेली में मेज और कुर्सियों की संख्या

*७७--श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, बरेली में विद्यार्थियों के उपयोग के लिए कुल कितनी मेज और कुर्सियां

हैं ? क्या यह सही है कि प्रधानाचार्य के कई बार विभाग को लिखने के बावजूद भी अब तक कुर्सी और डेस्क आदि का प्रबन्ध नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

राजकीय इन्टर कालेज, बरेली में विद्यार्थियों के उपयोग हेतु ३२७ कुर्सियां तथा २७६ मेजें हैं। काष्ठोपकरण मद में वर्ष १९७५-७६ में १,००० रु०, १९७६-७७ में १,००० रु० तथा १९७७-७८ में ५,००० रु० की स्वीकृति दी गयी थी। वर्ष १९७८-७९ हेतु सम्बन्धित विद्यालय की मांग उचित माध्यम से अभी तक निदेशालय में प्राप्त न होने के कारण धन की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी है।

जौनपुर जिले के कस्बा मड़ियाहूं की फर्म गुलाब चन्द्र राज कुमार के यहां मारा गया छापा

*७८--श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा मड़ियाहूं, जिला जौनपुर के फर्म गुलाब चन्द्र राजकुमार के यहां पर परगनाधिकारी, मड़ियाहूं ने दिनांक ३ अक्तूबर, १९७७ को छापा मारा और उसके यहां काफी मात्रा में अवैधानिक सरसों का तेल व रेपसीड आयल बरामद हुआ ? यदि हां, तो उसमें दुकानदार के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र--

जी हां। उक्त फर्म के यहां से ६९ टिन रेपसीड तेल तथा ७९ टिन सरसों का तेल का अवैधानिक रूप से रखा स्टाक बरामद हुआ। जांचोपरान्त पाया गया कि फर्म के पास उत्तर प्रदेश तिलहन एवं तिलहन उत्पाद नियंत्रण आदेश, १९६६ के अधीन लाइसेन्स नहीं था। अतः सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध थाना मड़ियाहूं में दिनांक ६ जून, १९७८ को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी। मुकदमा विवेचनाधीन है।

गोरखपुर जिले के जनता इन्टर कालेज के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*७९--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि जनता इन्टर कालेज, भिटौली बाजार, गोरखपुर के प्रबन्धक के विरुद्ध अगस्त, १९७७ में प्रश्नकर्ता ने जो शिकायतें की थी उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

शिकायत की मंडलीय उप शिक्षा निदेशक द्वारा जांच कराई गयी।

माध्यमिक विद्यालयों के राष्ट्रीयकरण की मांग

*८०--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के राष्ट्रीयकरण करने का इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री काली चरण--

इस प्रश्न पर शासन ने अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया है । राष्ट्रीयकरण में निहित सभी पहलुओं पर विचार करना होगा । राष्ट्रीयकरण करने की तिथि निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

प्राविधिक शिक्षा विभाग के व्याख्याता पद पर नियुक्त अधिकारियों का स्थायीकरण

१--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत व्याख्याता पद पर लोक सेवा आयोग से संस्तुत कितने अधिकारी तीन वर्ष से अधिक से सेवा कर रहे हैं ? क्या उनकी सेवायें स्थायी कर दी गईं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत इस समय व्याख्याता पद पर लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर नियमित नियुक्ति के उपरान्त तीन वर्ष से अधिक सेवारत ५१ अधिकारी हैं । इसमें से ८ अधिकारियों को स्थायी कर दिया गया है । शेष ४३ का स्थायीकरण विचाराधीन है ।

आगरा जिले के रुनकता से किरावली तथा अकोला से किरावली तक सड़क निर्माण की मांग

२--श्री बदन सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राष्ट्रीय मार्ग नं० २ को राष्ट्रीय मार्ग नं० ११ से आगरा जनपद के रुनकता ग्राम से किरावली ग्राम तक कोई सड़क बनाकर मिलाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह सड़क कब तक पूरी कर दी जाएगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं ।

यह मार्ग १५ कि० मीटर लम्बा होगा उसमें से ४ किलोमीटर मार्ग पर केवल मिट्टी का कार्य खाद्यान योजना ३ में स्वीकृत किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

३--बदन सिंह--

क्या सरकार कृपया यह बताएगी कि आगरा जनपद में किरावली से अकोला तक कोई सड़क का निर्माण करना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सड़क को कब तक प्रारम्भ किया जायेगा और कब तक यह पूर्ण हो जायेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

४—श्री गिरधारी लाल—

[४ थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर के चौकीदार, श्री वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी की अनुपस्थिति

५—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मन्डल के खाद्य नियंत्रक कार्यालय, गोरखपुर में चौकीदार (श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी) की अस्थायी नियुक्ति वर्ष १९७७ में की गयी थी और तीन माह कार्यभार करने के पश्चात बिना अवकाश प्राप्त किये एवं बिना किसी सूचना के लापता रहे ? क्या यह सही है कि ७ माह पश्चात पुनः वापस आने पर अधिकारियों ने पिछले दिनों लापता रहने की अवधि तक प्रार्थना-पत्र लेकर वेतन सहित छुट्टी की स्वीकृति देते हुए वेतन का भुगतान करके सेवा कार्य में उन्हें ले लिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र—

प्रश्न में उल्लिखित श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी से माननीय सदस्य का तात्पर्य कदाचित श्री वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी से है जिनकी गोदाम चौकीदार के पद पर नियुक्ति क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर के आदेश दिनांक १७ मई, १९७६ द्वारा की गयी थी और उन्होंने दिनांक २० मई, १९७६ के पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया था ।

श्री त्रिपाठी दिनांक १६ अक्तूबर, १९७६ से २७ मई, १९७७ तक बिना किसी प्रार्थना-पत्र के केन्द्र से अनुपस्थित रहे ।

इस अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए श्री त्रिपाठी से स्पष्टीकरण मांगा गया जो कि प्राप्त नहीं हुआ है । मामला विचाराधीन रहने के दौरान श्री त्रिपाठी ने दिनांक २७ मई, १९७७ के अपरान्ह में कार्य पर आने की रिपोर्ट दी । उन्होंने अपने प्रार्थना-पत्र २७ मई, १९७७ में सूचित किया कि प्रश्नगत अनुपस्थिति का कारण उनकी पत्नी की बीमारी तथा बाद में स्वयं की बीमारी था । स्वयं की बीमारी की पुष्टि में उन्होंने दिनांक २६ मई, १९७७ तक अस्वस्थ्य रहने का चिकित्सा प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया । विशेष परिस्थितियों के आधार पर अवश्यक विचारोपरान्त क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर ने श्री त्रिपाठी को तीन माह का अवैतनिक, १३ दिन का उपार्जित तथा ११९ दिन का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया ।

सिंचाई विभाग की नलकूप छिद्रण की योजना

६—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष १९७८-७९ में कुल कितने नलकूपों की छिद्रण करने की योजना है और उनकी औसत गहराई क्या है व यह भी बतायें कि प्रदेश में ऐसे कितने कार्यरत नलकूप हैं जिनकी गहराई १००० फीट से अधिक है और वे कहां कहां स्थित हैं ?

श्री बलवीर सिंह—

वित्तीय वर्ष १९७८-७९ में सिंचाई विभाग द्वारा १,२०० राजकीय नलकूप के छिद्रण करने की योजना है । इन नलकूपों की औसत गहराई ३५० से ७०० फीट तक होगी ।

प्रश्न का द्वितीय भाग

प्रदेश में १-४-७८ तक कार्यरत ऐसे ५६ राजकीय नलकूप हैं जिनकी गहराई १,००० फीट से अधिक है। इनका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०८६ पर)।

आगरा विश्वविद्यालय में कानून की परीक्षा का स्थगन

७--श्री हुकुम चन्द्र तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा कानून की परीक्षायें १९७७-७८ में कितनी बार स्थगित की गयी हैं और उनके स्थगित होने के क्या-क्या कारण हैं? यह भी बताया जाय कि वर्ष के दो सेमिस्टरों की परीक्षा कब व किस माह में पूरी होगी?

श्री काली चरण--

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार छात्रों की मांग के कारण तीन बार परीक्षायें स्थगित की गई। प्रथम तृतीय तथा पंचम सेमेस्टर की परीक्षायें पूर्ण हो चुकी हैं। द्वितीय, चतुर्थ तथा षष्टम् सेमेस्टर की परीक्षायें अक्तूबर, १९७८ में सम्पन्न करने की सूचना प्राप्त हुई है।

किशोरी रमण इन्टर कालेज मथुरा के अध्यापक की प्रोन्नति संबंधी आदेश

८--श्री हुकुम चन्द्र तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उप शिक्षा निदेशक, आगरा के पत्र संख्या ३५१७/७७-७८, दिनांक २ जनवरी, १९७८ का जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा द्वारा परिपालन किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री काली चरण--

जी नहीं।

निदेशालय के पत्रांक सं० (१)/६१५१, दिनांक १३-१०-७५ के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा द्वारा किशोरी रमण इन्टर कालेज, मथुरा के एक अध्यापक को सी० टी० से एल० टी० वेतनक्रम में प्रोन्नत किया गया। उक्त अध्यापक की प्रोन्नति के विरुद्ध शिकायत के एक प्रकरण को निदेशालय द्वारा जांच हेतु संदर्भित किये जाने पर मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, आगरा ने अपने पत्र दिनांक २-१-७८ में उक्त अध्यापक के वेतन को रोके जाने के आदेश दिये। निदेशालय के आदेश के विपरीत मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, आगरा द्वारा अपने स्तर से कथित आदेश दिये जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा ने यह प्रकरण शिक्षा निदेशालय को संदर्भित कर दिया एवं वहां से निर्देश की प्रतीक्षा में उन्होंने अध्यापक का वेतन नहीं रोका।

स्वास्थ्य विभाग के अधीन भारत पापुलेशन प्रोजेक्ट द्वारा किया गया निर्माण कार्य

९--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत पापुलेशन प्रोजेक्ट द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधीन जो निर्माण कार्य वर्ष १९६८-६९ में

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ताओं द्वारा प्रतिनियुक्ति पर किया गया उसके लिए उन्हे विशेष वेतन मान देने का निर्णय निर्माण विभाग द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो उसका भुगतान किया गया अथवा नहीं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

भारत पापुलेशन प्रोजेक्ट वर्ष १९७२ से प्रारम्भ हुआ था । इस प्रोजेक्ट के अधीन वर्ष १९६८-६९ में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ ।

वर्ष १९६८-६९ में जब कोई कार्य ही नहीं हुआ तो विशेष वेतन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

१०--श्री श्रीनारायण--

[४थे बुधवार के लिए स्थगित]

देवरिया जिले के ग्राम देवरिया बाबू के व्यक्तियों के विरुद्ध रजबहा काटने की नोटिस

११--श्री श्रीनारायण--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि देवरिया जिले के विकास खंड रामकोला के ग्राम देवरिया बाबू के १०० आदमियों के खिलाफ रामपुर रजबहा नहर के कि० मी० ५·३०० की दूरी पर कटान के आरोप में नोटिस दी गई है ? यदि हां, तो उसके क्या आधार हैं ? तथा उक्त रामपुर रजबहा नहर प्राय : हर वर्ष पानी के दबाव से कि० मी० ५·३०० पर टूट कर किसानों की फसल बरबाद करती है और उन्हें तबाह करती है ? यदि हां, तो अब तक उसके सुदृढ़ीकरण की क्या व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह--

केवल ४ आदमियों को नोटिस दी गई है, क्योंकि रामपुर रजबहा के दौरे के समय जिलेदार ने कटिंग से पानी अनधिकृत रूप से जाते देखा व स्थानीय पूछ-ताछ पर लोगों ने सामूहिक रूप से कटिंग बताया ।

जी नहीं । रामपुर रजबहा की दोनों पटरियां कि० मी० ५·३०० पर पहले से ही मजबूत हैं और पिछले वर्षों में रजबहा यहां तथा इसके आसपास नहीं टूटा ।

१२--श्री श्यामवत पालीवाल--

[४थे बुधवार के लिए स्थगित ।]

हाई स्कूल के व्यक्तिगत परीक्षार्थी में श्री कफील अहमद का परीक्षाफल

१३--श्री फजलुलबारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७६-७७ के हाई स्कूल व्यक्तिगत परीक्षा में श्री कफील अहमद, जिनका अनुक्रमांक ५८७५८८ था के उर्दू प्रथम प्रश्न पत्र का प्राप्त अंक क्रास लिस्ट में नहीं चढ़ाया गया ? जबकि परीक्षा-फल २५ मई, १९७१ को निकल चुका है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री काली चरण—

हाई स्कूल परीक्षा, १९७७ के व्यक्तिगत परीक्षार्थी अनुक्रमांक ५८७५८८ का सही नाम रामपाल शुक्ल है, जिसने उर्दू विषय नहीं लिया है ।

परीक्षार्थी कफील अहमद के सही अनुक्रमांक की जानकारी के अभाव में उसके संबंध में सूचना देना संभव नहीं है ।

१४—श्री रवीन्द्र सिंह—

[६ठे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

प्रसार अध्यापकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति

15—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के स्नातक वेतन-क्रम के प्रसार अध्यापकों की पदोन्नति के लिए क्या माप दण्ड निर्धारित किया गया है तथा यह भी बताया जाय कि प्रदेश के प्रसार अध्यापकों में से कितने प्रसार अध्यापकों की इसके अन्तर्गत पदोन्नति की गई थी ?

श्री काली चरण—

राजकीय प्रसार अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, डाभासेमर, फैजाबाद के प्रवक्ता के पदों को स्नातक वेतनक्रम के प्रसार अध्यापकों में से सम्बन्धित प्रवक्ता पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखने वाले एवं पांच वर्ष की लगातार सेवा वाले तथा ४० वर्ष तक की आयु के अभ्यर्थियों में से अनुपयुक्तों को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर नियमित चुनाव द्वारा पदोन्नति देकर भरे जाने की व्यवस्था है । इस व्यवस्था के अनुसार अभी कोई पदोन्नति नहीं की गई है ।

राजकीय इन्टर कालेज, मथुरा में संस्कृत विषय खोले जाने की मांग

१६—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, मथुरा में इन्टर कक्षाओं में संस्कृत विषय छात्रों के पढ़ने हेतु स्वीकार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ११वीं-१२वीं की कक्षाओं में संस्कृत विषय आरम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री काली चरण—

राजकीय इन्टर कालेज, मथुरा की इन्टर कक्षाओं में संस्कृत विषय आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

मेढ़ा पालन योजना, भैंसोड़ा, जिला वाराणसी के भवन का निर्माण

१७—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वृहद मेढ़ा पालन योजना, भैंसोड़ा, ब्लाक नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी (पशुपालन) की सभी इमारतों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन) के द्वारा दो-तीन वर्षों से कराया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक कितने भवन बनाकर पशुपालन विभाग को ट्रान्सफर किए गए ? क्या यह सत्य है कि जो भवन बन रहे हैं उसमें पंखे की खूटी नहीं लगाई गयी है और चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टरों में बरामदे में शौचालय बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां । कार्य वर्ष १९७६-७७ में प्रारम्भ कराया गया था । अब तक ३० भवन (सूची संलग्न) पूर्ण करके पशुपालन विभाग को हस्तान्तरित किए जा चुके हैं । जिन भवनों में पंखे लगाने का प्राविधान था उनमें पंखे लगाने हेतु खूंटी लगायी गयी है । चतुर्थ श्रेणी के क्वार्टरों में बरामदे में एक ओर शौचालय, जिसका दरवाजा आंगन की ओर है, का प्राविधान मुख्य अभियन्ता के अनुमोदन से किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आग पृष्ठ १०८७ पर)

१८--श्री रवीन्द्र सिंह--

[३रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

१९--श्री रवीन्द्र सिंह--

४थे बुधवार के लिए स्थगित]।

२०--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[४थे बुधवार के लिए स्थगित]।

२१--श्री श्रीनारायण--

[१७-५-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ६२ द्वारा उत्तरित ।]

देवरिया जिले के छितौनी-कटाई-भरपुरवा-जटहा नेबुआ मार्ग का निर्माण

२२--श्री श्रीनारायण--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की अटहा कटाई-भरपुरवा नेबुआ सड़क की भराई कब और किस योजना के अन्तर्गत हुई ? कितने रुपये खर्च हुए और अब कितने रुपये में कब तक पूर्ण होने की योजना है ।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

देवरिया जनपद के अन्तर्गत छितौनी कटाई भरपुरवा-जटहा नेबुआ मार्ग का निर्माण खाद्यान्न योजना संख्या ३ के अन्तर्गत वर्ष १९७७-७८ में प्रारम्भ हुआ । इस कार्य पर जुलाई १९७८ तक १०,९१३ रुपये व्यय हुआ । इस योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले मार्गों पर केवल मिट्टी का कार्य किया जाना है । अब इस कार्य पर केवल २,८८७ रुपये व्यय होना शेष है जो दिसम्बर, १९७८ तक पूर्ण हो जायेगा ।

२३--श्री राम दत्त जोशी--

[२३-३-७८ को अतारांकित प्रश्न संख्या ८ द्वारा उत्तरित ।]

२४--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

[२रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गोरखपुर व देवरिया की सीमा पर छोटी गंडक पर ढोढ़ीला घाट के पुल के निर्माण की मांग

२५—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री अपने पत्रांक संख्या ३९९८(६)-७८, दिनांक ११ अप्रैल, १९७८ के सन्दर्भ में कृपया यह बतलायेंगे कि गोरखपुर देवरिया की सीमा छोटी गण्डक के ढोढ़ीला घाट पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई एवं यह कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाएगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

गोरखपुर देवरिया की सीमा पर छोटी गन्डक नदी के ढोढ़ीला घाट पर सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित सेतु के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण तथा आगणन के तैयार होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

सिंचाई प्रखण्ड, गाजीपुर में रिग मशीनें, ट्रैक्टर आदि द्वारा निर्मित नलकूप और खरीदे गये सामानों का विवरण

२६—श्री देव राम (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि सिंचाई प्रखण्ड गाजीपुर में अप्रैल, १९७३ से मार्च, १९७४ तक कौन-कौन सी रिग मशीनें, ट्रक, ट्रैक्टर तथा कम्प्रेसर आदि किन-किन उपखन्डों में थे ? उपरोक्त अवधि में प्रत्येक रिग मशीन से अलग-अलग कितने नलकूप बने तथा कितना-कितना छिद्रण हुआ ?

श्री बलबीर सिंह—

माह अप्रैल, १९७३ से फरवरी, १९७४ तक सिंचाई प्रखंड, गाजीपुर के उपखंडों में निम्नलिखित रिग मशीनें, ट्रक, ट्रैक्टर तथा कम्प्रेशर इत्यादि कार्यरत रहे हैं :

अ—प्रथम उपखंड (सिविल) गाजीपुर

(१) रिग मशीन होल मास्टर	..	..	१ अदद
(२) रिग मशीन विण्टरवाइज	..	..	१ अदद
(३) फोर्डसन ट्रैक्टर	..	..	१ अदद
(४) इस्कार्ट ट्रैक्टर	..	..	१ अदद
(५) कम्प्रेशर जी० डी०	..	..	१ अदद
(६) टाटा मरसीडोज ट्रक (डीजल)	..	.	३ अदद
(७) पाल डाज ट्रक	..	..	१ अदद
(८) फारगो पेट्रोल ट्रक	..	..	१ अदद
(९) ओ० पी० यूनिट	..	..	२ अदद

ब—प्रथम उपखंड (मेकेनिकल) गाजीपुर

(१) रिग मशीन एल० टी०	..	..	१ अदद
(२) रिग मशीन होल मास्टर	..	..	१ अदद
(३) रिग मशीन २,५०० एस० फोलिंग	..	..	१ अदद
(४) फोर्डसन ट्रैक्टर	..	..	२ अदद
(५) ट्रैक्टर बेवर	..	..	१ अदद
(६) ट्रैक्टर इस्कार्ट	..	..	१ अदद
(७) ट्रैक्टर हुर्गेरियन	..	..	१ अदद
(८) कम्प्रेशन सी० पी० टी०	..	..	१ अदद
(९) कम्प्रेशन ज्वाय	..	..	१ अदद
(१०) कम्प्रेशर जी० डी०	..	..	१ अदद
(११) ट्रक टाटा मरसीडीज (डीजल)	..	..	२ अदद
(१२) ट्रक ले लैन्ड	..	..	२ अदद
(१३) ट्रक बेडफोर्ड	..	..	१ अदद
(१४) ट्रक बेवर	..	..	१ अदद
(१५) ओ० पी० यूनिट	..	..	१ अदद

तृतीय उपखंड, गाजीपुर

(१) कम्प्रेशर सी० पी० डी०	..	..	१ अदद

पंचम उपखंड, गाजीपुर

(१) ट्रैक्टर इस्कार्ट	..	..	१ अदद
(२) ट्रक टाटा मरसीडीज	..	..	१ अदद

१८ फरवरी, १९७४ से लगभग समस्त उपकरण रिग प्रखंड, गाजीपुर को स्थानान्तरित कर दिये गये। केवल निम्नलिखित उपकरण प्रखंड के विभिन्न उपखंडों में अवशेष रह गये थे जिन्होंने मार्च १९७४ तक कार्य किया।

प्रथम उपखंड (सिविल), गाजीपुर

(१) फारगो पेट्रोल ट्रक	..	..	१ अदद
(२) टाटा मरसीडीज ट्रक	..	..	१ अदद

तृतीय उपखंड, गाजीपुर

(१) कम्प्रशर सी० पी० टी०	..	..	१ अदद

पंचम उपखंड, गाजीपुर

(१) ट्रक टाटा मरसीडीज .. .. १ अदद

(२) ट्रैक्टर इस्कार्ट .. .. १ अदद

समस्त उपखण्डों में अलग-अलग मशीनों द्वारा २/७४ तक निम्न प्रकार नलकूप बनाये गये :

प्रथम उपखण्ड (मेकेनिकल), गाजीपुर

रिग मशीन का नाम	नलकूपों की संख्या	कुल छिद्रण की गहराई
१--एल० टी० रिग	१७	८२१० फीट
२--२५०० एस० फेलिंग रिग	२२	१२७९० फीट
३--होल मास्टर रिग नं०	१७	१४५१० फीट

प्रथम उपखंड (सिविल), गाजीपुर

१--होल मास्टर रिग नं० २	१८	६८७९ फीट १० इं०
२--विण्टर वाइज रिग	१७	४३२० फीट २ इं०
कुल योग ..	९१	४६७१० फीट

२७--श्री देव राम--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त अवधि में सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता ने इन मशीनों (ट्रक, ट्रैक्टर, कम्प्रेसर, रिग आदि) से सम्बन्धित कितने का सप्लाई आर्डर, पेपर आर्डर, वर्क आर्डर या रिपेयर आदेश अलग-अलग किया और उनमें से कितने-कितने का सामान किन-किन मशीनों पर इस्तेमाल हुआ और अलग-अलग कितना सामान बचा रहा ?

श्री बलबीर सिंह--

समस्त सम्बन्धित अभिलेख २८-५-७५ को सतर्कता अधिष्ठान द्वारा एक जांच के सम्बन्ध में हस्तगत कर लिए गये हैं अतः यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

राजकीय नलकूपों का जिलेवार आवंटन

२८--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९७६-७७, १९७७-७८ में राजकीय नलकूपों का आवंटन किस-किस जिले में कितना-कितना किया गया है ? प्रत्येक जिले को जो नलकूप आवंटित किए गए हैं उसका आधार क्या रखा गया ?

श्री बलवीर सिंह—

वर्ष १९७६–७७ तथा १९७७–७८ में शासन द्वारा आवंटित राजकीय नलकूपों का जिलेवार विवरण संलग्न है ।

नलकूपों का आवंटन सिंचाई की आवश्यकताओं को देखते हुए शासन के स्तर से किया जाता है ।

देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०८८ पर ।

बांदा जिले के पैलानी जसपुरा सुमेरपुर व पैलानी–गलौली मार्ग का निर्माण एवं मुआवजा के भुगतान की मांग

२९—श्री जगन्नाथ सिंह परमार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में बन रहे मार्ग "पैलानी जसपुरा–सुमेरपुर" व "पैलानी–गलौली" मार्ग के लिए अधिगृहीत की गयी भूमि का मुआवजा कृषकों को दिया जा चुका है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी नहीं । भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन प्रतिकर वितरण के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूरी की जा रही है ।

३०—श्री जगन्नाथ सिंह परमार—

क्या सरकार उक्त मार्गों की अधिगृहीत भूमि का मुआवजा काश्तकारों को देने के सम्बन्ध में कोई तत्काल प्रभावी कार्यवाही करेगी तथा क्या सरकार किसानों को बदले की भूमि देने पर भी कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां । यदि कोई कृषक नकद पैसा न लेकर अर्जित भूमि के बदले में भूमि ही लेना चाहे तो वह उसके लिये कलेक्टर के समक्ष भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा ३१ (३) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है ।

आज की कार्य सूची की नत्थी (ख) के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, जिस समय यहां पर भागीरथी वाले मामले पर प्रश्नोत्तर हो रहे थे, मैंने प्रश्न किया था कि आकाशवाणी के संवाददाता को समाचार किसने दिया ? उसके बारे में मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि सिंचाई विभाग ने नहीं दिया । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर उस संवाददाता को सूचना कहां से मिली ? १७ अगस्त को फिर उसने अपने प्रसारण में कहा है कि सब स्थिति ठीक है । तो इस बात की जांच करने की जरूरत है कि यह सूचना उसे किसने दी, सिंचाई विभाग ने नहीं दी, तो क्या राजस्व विभाग ने दी या सूचना विभाग ने दी या जिलाधीश ने दी । आखिर यह सूचना आकाशवाणी को किसके द्वारा मिली, जिससे यह भ्रमात्मक समाचार फैला और उसके फलस्वरूप इतने बड़े जनधन की हानि हुई ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप इस पर अलग से प्रश्न कर सकते हैं।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मैं जब कभी अनुपूरक प्रश्न के लिए खड़ा होता हूं, आप कह देते हैं कि आपका कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन आप बड़ौनी जी, सुखपाल पाण्डेय तथा शास्त्री जी जैसे वृद्ध लोगों को अवसर दे देते हैं, लेकिन नवयुवकों की उपेक्षा करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने कहा था कि जिनका प्रश्न नहीं है, वह अनुपूरक जबरदस्ती करना चाहते हैं, जो कि अनुचित है।

सहकारी संघों एवं सहकारी बैंकों के चुनाव, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, १९६८ के संशोधित नियम ८५(क) के अनुरूप करा कर कराये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री अवधेश नारायन (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मन्त्री जी का ध्यान प्रदेश में होने वाले जिला सहकारी बैंकों तथा जिला सहकारी संघों के चुनाव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

प्रदेश में अतिवृष्टि तथा भयानक बाढ़ के कारण प्रदेश के निचले अंचलों में पानी भर गया है तथा यातायात के सम्बन्ध टूट गये हैं। किसानों के मकान गिर गये हैं तथा फसल मारी गई है। ऐसे असमय में चुनाव के संचालन में कठिनाई के साथ सदस्यों को चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने में कठिनाई होगी।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जिस ओर मैं माननीय सहकारिता मन्त्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं वह है कि उप निबन्धक सहकारी समितियों ने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में स्थानीय गुटबाजी में पड़कर नियमों का उल्लंघन करके मान्य परम्पराओं के प्रतिकूल कार्य किया है। विभाग ने जिला सहकारी बैंकों तथा जिला सहकारी संघों के लिये सदस्य समितियों से उनकी उपविधियों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रतिनिधियों का चुनाव भी करा लिया है, जबकि ये चुनाव उपविधि के अधीन होने चाहिये थे। ऐसा न होने के कारण जो चुनाव ११ सितम्बर, ३० सितम्बर को कराये जाने हैं, वे अवैध होंगे।

ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि नियमानुसार चुनाव कराने से पहले जिला सहकारी बैंकों तथा संघों की उपविधियों में सामान्य निकाय के गठन का संशोधन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति, नियमावली, १९६८ के संशोधित नियम ८५(क) के अनुरूप कराकर ही की जाय।

आपसे अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय सहकारिता मन्त्री जी को बयान देने के लिय कहें जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके।

फैजाबाद जनपद में गैस्ट्रो इन्टायटिस (हैजे) के भयंकर प्रकोप के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

फैजाबाद जनपद में गैस्ट्रो इन्टायटिस (हैजे) का भयंकर प्रकोप चल रहा है। अभी तक कुल ३० व्यक्तियों की इस बीमारी से मृत्यु हो चुकी है। बीकापुर, बौराबाजार, मसौधा, सोहावल व शहरी क्षेत्र में इस बीमारी ने भयानक रूप धारण कर लिया है। सैकड़ों की संख्या में हर ब्लाक में रोगी मृत्यु शैय्या पर पड़े हुए हैं। इनके उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। बीकापुर तहसील में मलेथूकनक तथा मसौधा ब्लाक में अवनपुर में इस बीमारी से एक दर्जन व्यक्ति काल कवलित हो चुके हैं। फैजाबाद के सीमावर्ती जिला सुल्तानपुर में भी इस रोग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वस्तुतः इस बीमारी से हजारों व्यक्तियों का जीवन संकट में है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित कर मैं प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से वक्तव्य की अपेक्षा करता हूं तथा सरकार इस बीमारी पर रोकथाम के लिये कारगर कदम उठावे।

कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में रामबाबू नामक डकैत का आंतक तथा पुलिस की निष्क्रियता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)—

मान्यवर, आप के माध्यम से शून्य प्रहर के अवसर पर घाटमपुर, कानपुर के जनसाधारण में व्याप्त भय व आंतक से अवगत कराना चाहता हूं। श्री राम बाबू नामक डकैत का आंतक सारे क्षेत्र में फैला हुआ है। दूसरी घटना १२ जुलाई, १९७८ को खुले आम चौराहे पर घाटमपुर चौराहे से अराजक तत्वों द्वारा छुन्नू यादव को पकड़ कर ले जाने और मार डालने की नीयत करने और ८ घंटे अपने भट्ठे में जबरदस्ती बनाये रखना और पुलिस का निष्क्रिय होना, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तीसरी घटना १४ अगस्त, १९७८ को खुले आम सड़क पर श्री प्रणव प्रताप सिंह के साथ जबरदस्ती अराजक तत्वों द्वारा राहजनी करने की शिकायत और स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट न लिखना यह एक चिन्ता का विषय है। मान्यवर, उपरोक्त घटनाओं से जन साधारण में गम्भीर परिस्थितियां बनने तथा भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय गृह मन्त्री तथा डी० आई० जी०, क्षेत्र कानपुर और एस० एस० पी०, कानपुर को स्थितियों से अवगत करा दिया गया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्री जी एवं माननीय मुख्य मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि तत्काल मेरे क्षेत्र में जनता को आतंकवादियों से छुटकारा पाने के लिये १२ जुलाई एवं १४ अगस्त की घटना के अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कराया जाय, जिससे क्षेत्र की जनता भयमुक्त हो सके तथा पुलिस के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला कारागार लखनऊ में बन्दी होम्योपैथिक छात्रों पर लाठी चार्ज तथा उनको उच्च श्रेणी से हटाये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मान्यवर, प्रदेश में लगभग १७ माह से होम्योपैथिक छात्र अपनी कतिपय मांगों को ले कर शान्तिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन, घेराव, क्रमिक भूख हड़ताल चलाते रहे हैं। माननीय सदन में शासन द्वारा कई बार इस आशय के आश्वासन दिये जा चुके हैं कि सम्मानजनक ढंग से उनकी मांगें हल की जायंगी। किन्तु खेद है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसको ले कर विगत १५ अगस्त से उन्होंने अपना पुराना शान्तिपूर्ण कार्यक्रम पुनः प्रारम्भ किया है, १०६ होम्योपैथिक छात्र गिरफ्तार कर जेल भेजे गये हैं। २५ अगस्त को जेल के अन्दर एक होम्यो छात्र श्री ओम प्रकाश के पेट में असह्य पीड़ा उत्पन्न हुई किन्तु काफी दौड़धूप और प्रतीक्षा के बाद उपचार की व्यवस्था नहीं हुई तो उन्होंने जेल अधिकारियों का ध्यानाकर्षण तसला बजा कर किया, जिस कारण जेल में पगली घंटी बजा कर लाठीचार्ज किया गया और निर्मम पिटाई के अन्तर्गत छात्र बुरी तरह घायल हैं। उनकी उच्च श्रेणी छीन ली गयी है तथा मिलाई भी बन्द कर दी गयी है।

अतः माननीय सदन में शासन का ध्यान आकर्षित कर यह मांग करता हूं कि बिना शर्त तत्काल गिरफ्तार छात्रों को रिहा किया जाय। पूर्व आश्वासन के अनुसार उनकी मांगों को सम्मानजनक ढंग से हल किया जाय तथा जब तक वे जेल में हैं, उनकी उच्च श्रेणी, जो छीन ली गई है बहाल की जाय।

आगरा में नकली दवाओं की अवैध बिक्री के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन व सरकार का ध्यान लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। आगरा शहर में दवाओं की अवैध बिक्री व नकली दवाओं के कारण जन साधारण में घोर असन्तोष है।

आगरा में अनेक दूकानदार एवं थैला मास्टर (गैर लाइसेन्सी) विभिन्न सरकारी अस्पतालों में जिला अस्पताल, मेडिकल कालेज (एस० एन०), सी० एम० एस० डी०, यू० पी० जी० सी० और ई० एस० आई० आदि की दवायें खुले आम बाजार में डाक्टरों एवं मरीजों को बेच रहे हैं। डाक्टरों द्वारा मरीजों को सरकारी दवायें उपलब्ध न करा के खुले बाजार से ही दवायें खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। सैकड़ों निर्धन मरीज सरकारी अस्पतालों में दवाओं के अभाव में मौत के मुंह में पड़े हुए हैं। दूसरी और अस्पतालों की चोरी की दवाओं की भारी मांग होने के कारण नकली दवाओं को कारखानों द्वारा बनवा कर यहां के दुकानदारों को सस्ते दामों में बेची जा रही हैं, जिनका कोई किसी प्रकार का बिल नहीं होता। इस प्रकार से यह दवायें प्रायः दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, कानपुर एवं आगरा और उनके आस-पास के क्षेत्र से बनवाकर यहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेश कुमार सिंह]

लाकर बेची जा रही हैं जिनके कारण हजारों लोगों के जीवन को खतरा बना हुआ है ।

अतएव मैं आपके व सदन के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मन्त्री से यह मांग करता हूं कि वे अविलम्ब जांच कराकर इन मौत के सौदागरों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें एवं सदन के संज्ञान में लावें ।

उन्नाव जिले के कतिपय ग्रामों में लकड़बग्घे के आतंक के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

अविलम्बनीय लोक महत्व की निम्न सूचना के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । उन्नाव जनपद की तहसील उन्नाव के अनेकों ग्रामों व उन्नाव नगर में इन दिनों लकड़बग्घों ने अपना भीषण आतंक कायम कर रखा है । गत २८–२९ की रात ग्राम बदरका में एक बच्चे को लकड़बग्घे उठा ले गये इसके पूर्व ग्राम सिकन्दरपुर करण में श्री श्रीकृष्ण लोधी की ८–१० वर्षीया पुत्री को मार कर खा गये । ग्राम हड़हा, अचलगंज, सुपासी, पिडोंखा, बनी करोंदी आदि तमाम गांव व उन्नाव शहर में लकड़बग्घों के आतंक से जनता में व्यापक भय व असुरक्षा की भावना फैली हुई है । अब तक इन लकड़बग्घों ने लगभग आधा दर्जन बच्चों को मार कर खा डाला है और करीब आधा दर्जन बच्चे व बूढ़े घायल हैं । लकड़बग्घों के आतंक से गांवों से शहर आने वाले लोगों का, स्कूलों में पढ़ने आने वाले बच्चों में भय व्याप्त हो गया है । शासन की ओर से अभी तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व की उपरोक्त सूचना के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर अपेक्षा करता हूं कि वह जनजीवन की सुरक्षा हेतु तुरन्त आवश्यक कदम उठायेगी ।

जे० के० जूट मिल, कानपुर में सिलेंडर फटने से श्रमिकों की मृत्यु तथा कई श्रमिकों के घायल होने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से शासन का ध्यान १४ जुलाई, १९७८ को जे० के० जूट मिल, कानपुर में हुये एक भयंकर सिलेन्डर विस्फोट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । घटना के दिन सायंकाल ५.४५ बजे मिल के साइजिंग विभाग में एक सिलेन्डर फट गया जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिक बाबू लाल की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी तथा तीन श्रमिकों सर्वश्री राम कुमार, सन्तोषकुमार तथा मोतीलाल की उर्सला अस्पताल में मृत्यु हो गयी । घटना में मृतकों के अतिरिक्त ४२ श्रमिक गम्भीर रूप से घायल हो गये थे । सिलन्डर फटनें से हुए विस्फोट की भयंकरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि घटना स्थल पर मृत मजदूर बाबूलाल की लाश उछलकर छत पर टंग गयी तथा उसका सिर एवं हाथ कट कर लापता हो गया था। घटना के फलस्वरूप साइजिंग विभाग से मिले हुये विनता, सिलाई, तिरासल आदि विभागों की मशीनें क्षतिग्रस्त हो गयीं। मान्यवर, उपर्युक्त दुर्घटना जे० के० जूट मिल कम्पनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिमिटेड के प्रबन्धकों की लापरवाही से घटी है। प्रबन्धकों ने बिहार की कठियार जूट मिल से घटना से कुछ दिन पूर्व ६ पुराने सिलेन्डर खरीदे थे जिस समय यह सिलेन्डर मिल में लगाये जा रहे थे उसी समय मृतक बाबू लाल तथा कुछ अन्य मजदूरों ने पुराने सिलेन्डर लगाने का विरोध किया था तथा सिलन्डरों के किसी समय भी फटने की आशंका से मिल के प्रबन्धकों को सचेत किया था, किन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मिल मालिकों ने हठपूर्वक पुराने सिलेन्डरों को फिट कराया तथा उन्हें चालू किया।

माननीय अध्यक्ष जी, उपर्युक्त हृदय विदारक घटना की पूरी जिम्मेदारी मिल के प्रबन्धकों की है तथा उन्हीं की लापरवाही से ४ मजदूरों की जान गयी तथा अनेक गम्भीर रूप से घायल हुए। ६ सिलेन्डरों में से केवल एक फटा है शेष पांच पुराने सिलेन्डर अभी भी मिल में लगे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार मिल मालिकों ने मृतकों के आश्रितों को केवल नाम मात्र का मुआवजा दिया है। अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि वह सम्पूर्ण घटना की न्यायिक जांच करावें, मृतकों के आश्रितों को समुचित मुआवजा तथा मिल में नौकरी दी जाय तथा दुर्घटना के लिए दोषी पाए जाने वाले प्रबन्धकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाय जिससे भविष्य में कोई भी मिल मालिक मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ न कर सके।

लखनऊ विश्वविद्यालय तथा किंग जार्ज मेडिकल कालेज में गैर शिक्षक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि आज कल लखनऊ विश्वविद्यालय तथा किंग जार्ज मेडिकल कालेज के गैर शिक्षक कर्मचारी अपनी १९६७ में अनिर्णीत गम्भीर समस्याओं एवं विसंगतियों को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं। हड़ताल की है तथा कल उन्होंने विश्वविद्यालय के वित्तीय अधिकारी का घेराव भी किया। परिणाम स्वरूप अब विश्वविद्यालय का सामान्य अध्यापन कार्य एवं जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कल कर्मचारियों ने आन्दोलन और भी उग्र करने का निर्णय लिया है।

२—उनकी मांगें हैं कि पेंशन लागू की जाय, नगदीकरण अवकाश की व्यवस्था हो, ऐड एन मली के मामलों को अविलम्ब निपटाया जाय, चौकीदारों के लिये काम के घंटे तय किए जांय, चौकीदारों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मचारी जो एक निर्धारित अवधि से अधिक समय से काम कर रहे हैं, उन्हें स्थायी किया जाय, कर्मचारियों के आवासों की मरम्मत की जाय, आदि।

३—मान्यवर, मांगें न्यायसंगत एवं अविलम्ब निपटाने योग्य हैं। अतएव मैं आशा करता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री मामले में हस्तक्षेप करके उनके उचित समाधान हेतु शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास खंड राजेपुर, फर्रुखाबाद के गांवों में पानी की समस्या, हैजा तथा अन्य रोगों के फैलने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान जनपद फर्रुखाबाद के विकास खंड, राजेपुर के लगभग दो दर्जन गांवों में पीने के पानी की विकट समस्या और उससे उत्पन्न भयावह स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मैंने स्वयं कुम्हारौर, खुशहाली नगला, पंचम नगला, मनपुरा, भावन, चपरा बेंचे, पट्टी कराचन, गौंटिया, कबरी सुन्दरपुर आदि लगभग दो दर्जन गांवों में भयंकर स्थिति देखी है कि हाल में आयी हुयी विनाशकारी बाढ़ से जिसका पानी उक्त गांवों में अभी तक भरा है। वहां के कुएं जमीन के अन्दर कई-कई गज तक धंस गये हैं और गड्ढों की शक्ल में हो गये हैं जिसमें फैला हुआ दूषित पानी चारों तरफ भरा हुआ है। मजबूर होकर यह गन्दा पानी पीने से हैजा, मलेरिया, पेचिश अन्य शोध आदि रोग भयंकरता से फैलते जा रहे हैं। इन गांवों में नये कुंये बनाना भरे हुए पानी के कारण फिलहाल सम्भव ही नहीं है और केवल हैंड-पाइप लगा कर ही उनको पानी सुलभ कराया जा सकता है। इस पानी के कारण जानवरों में भी एक विचित्र रोग, जैसा न वहां कभी सुना न देखा गया, फैल गया है जिसमें पहले तो जानवर का पिछला दाहिना पैर सूख जाता है और असह्य पीड़ा से गिर जाता है और गिरते ही सारे शरीर में सूजन के साथ ही चन्द घंटों में मृत्यु हो जाती है। यह आदमी और जानवर अपनी जीवन-रक्षा के लिए दूसरी जगहों को भाग रहे हैं और वहां यह रोग फैलते जा रहे हैं। अगर शीघ्र ही इस परिस्थिति पर काबू न पाया गया तो स्थिति अत्यन्त भयावह हो जायेगी और महामारी की विनाशलीला प्रारम्भ हो सकती है।

अस्तु मैं शासन से अविलम्ब पेय जल की व्यवस्था हेतु पम्प लगवाने, पुरुषों एवं जानवरों में रोगों की तत्काल रोक-थाम करने की मांग करता हूं।

बाराबंकी जनपद में नेशनल इन्टर कालेज, फतेहपुर में छात्रों के दाखिले में वहां के प्रिंसिपल द्वारा अनुचित ढंग से चन्दा वसूल किये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करते हुए सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत नेशनल इन्टर कालेज, फतेहपुर में छात्रों के दाखिले में वहां के प्रिंसिपल, श्री के० पी० सिंह, द्वारा अनुचित ढंग से बिना रसीद दिए हुए गरजबंदा लड़कों से लगभग दस हजार रुपया चन्दा के रूप में वसूल किया है। विद्यालय में केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया गया है जिन्होंने सम्बन्धित प्रिंसिपल को मुंह मांगी धनराशि दी है। प्रिंसिपल द्वारा इस प्रकार की अनियमित करतूत के कारण गरीब निर्धन छात्रों को विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है जिसके परिणामस्वरूप जन साधारण में घोर असन्तोष एवं रोष का वातावरण व्याप्त हो गया है। अतएव छात्रों के प्रवेश के प्रश्न को लेकर किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस क्षेत्र में वही एक ऐसा विद्यालय है जहां ग्रामीण अंचल के दूरस्थ छात्र प्रवेश हेतु आते हैं। प्रवेशार्थियों के साथ प्रधानाचार्य द्वारा इस प्रकार का अनुचित धन उगाहना नितान्त अन्यायमूलक और निन्दनीय है।

श्रीमन्, मैं उदाहरणस्वरूप श्री मैकूलाल हरिजन छात्र, निवासी ग्राम मुहीउद्दीनपुर, मजरे टांडा निजाम अली, तहसील फतेहपुर जो कि उक्त विद्यालय का भूतपूर्व छात्र रहा है, का प्रवेश अनुचित धनराशि न दे पाने के कारण अब तक नहीं किया गया है। इस प्रकार अनेकों छात्र प्रवेश से वंचित रह गये हैं। अतएव मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री जी से मांग करता हूं कि प्रवेश न पाने वाले छात्रों से सम्बन्धित मामलों की तत्काल जांच करा कर छात्रों को प्रवेश दिलाया जाय और अनुचित ढंग से धन वसूले जाने के सम्बन्ध में उक्त प्रिंसिपल के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री मोहम्मद मसूद खां के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा ने श्री मोहम्मद मसूद खां, सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय श्री तिवारी जी की शिकायत है कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने उनके २३ अगस्त, १९७८ के लिए निर्धारित नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या ३२ का उत्तर जान-बूझ कर तथा सदन को गुमराह करने की नियत से गलत दिया है।

इस सम्बन्ध में मैं अपना निर्णय देने से पूर्व माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में क्या कहना है। मैंने उनके पास भेजा है और अभी तक इस सम्बन्ध में उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है, इसलिए इस पर बाद में मैं निर्णय दूंगा।

श्री गुलाब सेहरा, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

श्री शतरुद्ध प्रकाश ने नियम ६३ के अन्तर्गत सदन के अवमान की एक सूचना दी है। उन्होंने कहा कि दिनांक २४ अगस्त, १९७८ के उपवेशन में माननीय सदस्य, श्री गुलाब सेहरा ने सदन में एक फोटो नकल प्रतिलिपि पेश करते हुए यह कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपने सहयोगियों द्वारा पूंजीपतियों से चन्दा वसूल किया है और उन्होंने यह भी कहा कि गुलाब सेहरा ने एक फोटो-नकल प्रतिलिपि सदन में दिखायी जिसकी हूबहू तस्वीर दैनिक "नवजीवन" में प्रकाशित हुई है। माननीय श्री शतरुद्ध प्रकाश ने "नवजीवन" के उक्त अंक की प्रतिलिपि अपनी सूचना के साथ संलग्न करके भेजी है। माननीय श्री शतरुद्ध प्रकाश का कहना है कि इस फोटो की नकल प्रतिलिपि पर श्री महीपाल शास्त्री, सदस्य, विधान परिषद्, श्री राम प्यारे तिवारी, सदस्य, विधान सभा तथा श्री बेचूराम, सदस्य, विधान सभा के हस्ताक्षर हैं।

माननीय सदस्य का कहना है कि उन्हें यह निश्चित रूप से जानकारी है कि श्री गुलाब सेहरा ने जो फोटो स्टेट कापी सदन में पेश की है उसमें न तो श्री

[श्री अध्यक्ष]—

बाबू राम के हस्ताक्षर सही हैं और न श्री बेचू राम की हस्तलिपि सही है। उनका यह भी कहना है कि उन्हें इस बात की भी निश्चित जानकारी है कि श्री फकीर अली अन्सारी, संसद सदस्य ने श्री बेचू राम को ५०,००० रु० नहीं दिया। माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि उन्होंने माननीय श्री बेचू राम यादव, सदस्य, विधान सभा से व्यक्तिगत रूप से मिलकर जानकारी की जिन्होंने उन्हें बताया कि उक्त फोटो स्टेट कापी में उनके हस्ताक्षर व हस्तलिपि दोनों ही जाली हैं और सत्यता से परे हैं। इसी प्रकार श्री राम प्यारे तिवारी जी ने भी यह कहा है कि उनके हस्ताक्षर जाली हैं, उन्होंने कोई हस्ताक्षर नहीं किया है। यह उनकी सूचना है।

पहले मैं श्री गुलाब सेहरा से जानना चाहूंगा, क्योंकि उनके विरुद्ध शिकायत है। इसकी प्रतिलिपि मैंने आपको भेज दिया है। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है। माननीय बेचू राम जी का यह कहना है कि माननीय बेचू राम जी की यह फोटो स्टेट कापी नकली या जाली है। यह किस आधार पर आपने ऐसा कहा है ?

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य शत्रुरुद्ध प्रकाश जी ने दिया है, इसमें इन्होंने बेचू राम यादव के बारे में कहा है कि उनके दस्तखत नहीं मिलते। मेरा कहना यह है कि यह डाकूमेंट है। यह जनता पार्टी के लेटर हेड पर महीपाल सिंह शास्त्री ने राम प्यारे तिवारी, विधायक को लिखा है और श्रीमन्, इसमें जो उन्होंने यह कहा है कि बेचू राम यादव के दस्तखत नहीं हैं, मेरा कहना है कि पहले के दो पोरशन से मेरी बात से सहमत हैं कि महीपाल शास्त्री के दस्तखत का यह जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है, उसको कंडम नहीं किया है, केवल बेचू राम यादव के दस्तखतों की बात कही है।

श्री अध्यक्ष—

श्री राम प्यारे तिवारी यहां मौजूद हैं, उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

अगर बेचू राम यादव कहते हैं कि यह मेरे दस्तखत नहीं, इसमें मार्च के चुनाव में एक एम० एल० ए० को ५० हजार रुपया मिला है उत्तर प्रदेश में साढ़े ४५ लाख रुपया है।

श्री अध्यक्ष—

इसकी मैं अनुमति नहीं देता। आप केवल अपना स्पष्टीकरण, जो आपके खिलाफ आरोप हैं, उस तक सीमित रहें।

श्री गुलाब सेहरा—

मेरी इच्छा है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को दे दें। जो जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं उन्होंने रुपये लिये हैं। मैं चाहता हूं कि यह विशेषाधिकार समिति में जाये। चौधरी चरण सिंह, चन्द्र भानु गुप्त जी को समिति में बुलाया जाय। मैं तो चाहता हूं कि यह विशेषाधिकार समिति में चला

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय। जहां तक बेचू राम यादव के दस्तखत की बात है, मैंने व्यक्तिगत रूप से दस्तखत देखे हैं जो यहां पर रजिस्टर पर करते हैं। मैं चाहता हूं, मन से चाहता हूं कि इसको विशेषाधिकार समिति में आप सौंप दें तो मैं पूरे डाकूमेन्ट, हर चीज का सबूत पूरा देने के लिये तैयार हूं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, २४ अगस्त, १९७८ को माननीय सदन के अन्दर श्री गुलाब सेहरा-जो उप नेता कांग्रेस (आई) हैं, उन्होंने एक फोटो स्टेट कापी सदन में प्रस्तुत की और माननीय सदस्यों को दिखायी और आपको सम्बोधित किया कि चौधरी चरण सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ चन्दा लिया है।

श्री अध्यक्ष—

शतरुद्र प्रकाश जी २४ तारीख को ३०१ में जो सूचना माननीय गुलाब सेहरा ने दी मैंने उसको अमान्य किया और उस पर माननीय गुलाब सेहरा ने आपत्ति भी की तो मैंने कहा कि उनकी यह सूचना सन् १९७७ की सूचना पर है इसलिए मैं इसको अस्वीकार करता हूं। तो जहां तक श्री सेहरा का सदन में कथन है, यह हमारी कार्यवाही के अन्दर नहीं है। इसलिये इसका जिक्र न कीजिये, चूंकि मैंने इसकी अनुमति नहीं दी थी।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आपकी व्यवस्था मान्यवर, शिरोधार्य है। लेकिन हम लोग जो मौजूद थे और मैंने देखा और कानों से जो सुना उसी के संदर्भ में कभी-कभी ऐसा होता है कि कार्यवाही लिखते समय कार्यवाही लिखने वाले लिख नहीं पाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह तो मेरी आज्ञा से नहीं है, चूंकि मैंने अनुमति नहीं दी थी।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं कहना चाहता हूं कि जो फोटो स्टेट कापी माननीय सेहरा जी ने दिखायी और जो नवजीवन दैनिक में छपी उस सम्बन्ध में मेरी जानकारी है कि माननीय गुलाब सेहरा ने जानबूझकर सदन को गुमराह करने के लिये वह फोटो नकल कापी यहां पेश की। मान्यवर, फोटो स्टेट कापी में माननीय बेचू राम जी, सदस्य विधान सभा और माननीय राम प्यारे, सदस्य विधान सभा, इन दोनों के दस्तखत भी है। मान्यवर, मैं प्राह्यता के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि अगर माननीय सेहरा को माननीय सदस्य के बारे में कोई जानकारी थी और उनके बारे में ऐसा कोई डाकूमेंट था तो उनका फर्ज यह था कि वह श्री बेचू राम जी से इस बारे में बात करते, कि मुझे इस तरह की कापी मिली है, आपके दस्तखत हैं, क्या यह सही है? लेकिन चूंकि वह बेचू राम जी को बदनाम करना चाहते थे और सदन को गुमराह करना चाहते थे और जनता पार्टी के नेताओं की तस्वीर को धूमिल करना चाहते थे इसलिये जानबूझकर सदन को गुमराह करने के लिये वह फोटो स्टेट कापी पेश की और केवल मान्यवर, वह फोटो स्टेट ही माननीय सदन के अन्दर नहीं पेश की बल्कि उसको दैनिक नवजीवन में प्रकाशित कराया। मैंने इस सम्बन्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

में जैसा कि लिखकर सूचना दी है, मैं बेचू राम जी से व्यक्तिगत रूप से मिला उन्होंने इंकार किया कि उनके दस्तखत नहीं हैं। मैंने राम प्यारे जी से भी बातचीत की उन्होंने इंकार किया कि उनके बारे में जो लिखा है उनकी हस्तलिपि में नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा--

इसमें विवाद की आवश्यकता नहीं है वह विशेषाधिकार की बात करते हैं मैं चाहता हूं कि इसको विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय। इससे सम्बन्धित जितने लोग हैं उनको विशेषाधिकार समिति में बुलाया जाय, यह मैं चाहता हूं। आप जरूर इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दें जब मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

अगर कोई सच्चाई की बात कड़वी लगे तो माननीय सदस्य कह सकते हैं लेकिन जिस बात को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं यह असत्य बात है। फोटो स्टेट कापी जो सदन में पेश की है वह सरासर झूठ तथा गलतबयानी है और जानबूझ कर सदन को गुमराह करना है। यह सदन की अवमानना है या तो गुलाब सेहरा जी माफी मांगें या इसको विशेषाधिकार समिति को दे दें।

श्री राम प्यारे (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, यहां जो गुलाब सेहरा जी ने फोटो कापी प्रस्तुत की है, जैसा उन्होंने कहा है मैं भी यह चाहता हूं कि इस मसले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाय लेकिन एक शर्त यह लगाना चाहता हूं कि यदि मेरे हस्ताक्षर सही साबित होंगे तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा और यदि फर्जी सिद्ध हुए तो गुलाब सेहरा जी को सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार आजकल सार्वजनिक जीवन में झूठे आरोप लगा कर कलंक लगाने की कोशिश की जा रही है उससे लोकतंत्र पर से विश्वास उठ जायगा। आज यह जनता सरकार की विधान सभा है जिसकी हर कार्यवाही पत्रों के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्मम से जनता तक जाती है। अगर ऐसे अपुष्ट सामाचारों के आधार पर सार्वजनिक जीवन लांछित किया जाता रहेगा और सदन की ओर से उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी तो जो शुद्ध मन से जनता की सेवा करना चाहते हैं उनके लिये काम करना मुश्किल हो जायगा। गुलाब सेहरा जी जिस पत्र की बात कर रहे हैं वह २४-२-७७ का है उस समय श्री चन्द्र भानु गुप्त कोषाध्यक्ष नहीं थे। यह मामला श्री महीपाल शास्त्री, श्री राम प्यारे, श्री बेचूराम यादव तथा श्री फकीर अली से सम्बन्धित है। गुलाब सेहरा जी ने इसमें कुछ माननीय सदस्यों को कलंकित करने की कुचेष्टा की है इसलिये इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सामने भेज कर जो आरोप उन्होंने लगाये हैं उनको प्रमाणित करने का उनको अवसर देना चाहिये और विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिये और दोषी लोगों को दंडित किया जाना चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री बेचू राम (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सेहरा साहब और सदन को यह बतला देना चाहता हूं कि जो फोटो कापी में मेरे हस्ताक्षर बनाये गये हैं वे बिलकुल जाली हैं। मैं सेहरा साहब से बहुत नाराज हूं। मैं मानता हूं कि वह कांग्रेस पार्टी के हैं और मैं जनता पार्टी का हूं इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मैं उनका दुश्मन हूं और वे हमारे दुश्मन हैं। उनको चाहिये था कि जब जाली फोटो उनके पास है, मेरे हस्ताक्षर सदन में मौजूद हैं उससे मिला लेते और मुझ को बुला कर बात कर लेते और विश्वास हो जाता कि वाकई बेचू राम के हस्ताक्षर हैं तो सदन में उठाते। मैं उसका स्वागत करता। इस तरह से सदन का समय नष्ट करेंगे और हमारी चरित्र हत्या करेंगे तो यह किसी भी दशा में अच्छा नहीं है। अगर सेहरा साहब किसी बेइमान को बेइमान सिद्ध करें तो मैं उसका स्वागत करूंगा लेकिन ईमानदार आदमी को बेइमान वह बनाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है इसे सदन बरदाश्त नहीं कर सकता। मैं आपके माध्यम से और पूरे प्रदेश की जनता को ललकार कर कहना चाहता हूं कि अगर हस्ताक्षर सही हैं तो म इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो सेहरा साहब भी अपने पद से इस्तीफा दे दें। विशेषाधिकार समिति में यह मामला लाया जाय और इसकी पूरी छानबीन की जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांति बनाये रखें। कृपया शोर न कीजिये।

*श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गुलाब सेहरा ने जो प्रश्न सदन में उपस्थित किया है....

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने नहीं, श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने उनके खिलाफ दिया है।

श्री बांके लाल—

जो हमारे माननीय सदस्यों को और हमारे नेताओं को कलंकित किया है वह बिलकुल निराधार है उसकी चर्चा करके ये बातें सदन में नहीं आनी चाहिये। सभी सदस्य समान अधिकार रखते हैं, सबकी समान प्रतिष्ठा है किसी की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिये। आप इसके लिए सक्षम हैं सबके अधिकारों की प्रतिष्ठा हो तभी सदन की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। यह आक्षेप प्रत्याक्षेप करना मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूं कि गुलाब सेहरा ने जो बातें उपस्थित की हैं वह अनर्गल प्रलाप है। उनके चरित्र के बारे में अगर अवगत कराऊं तो उनको भी बुरा मालूम होगा।

[× × × ×]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

यह आक्षेप की इजाजत मैं नहीं दे रहा हूं।

श्री बांके लाल--

दूसरे के चरित्र को कलंकित करने का प्रयत्न कर रहें हैं और सदन का समय नष्ट हो रहा है। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय जनहित में नष्ट नहीं होना चाहिये और ऐसी बातों पर आपको इतमिनान नहीं करना चाहिये। जनता पार्टी के कार्यों में इससे बाधा पड़ रही है यह सब बातें जनता सरकार में बाहर जायेगी। इसलिये उनकी भी गरिमा इससे कम होगी। असत्य प्रलाप से कोई फायदा नहीं इस लिए इस पर समय न दें।

*श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, जो प्रश्न सदन के सम्मुख है वह वास्तव में गम्भीर है। बहुत गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। वह जो चिट्ठी भेजी है वह जनता पार्टी के पैड पर है उसको मैं पढ़ देता हूं उसमें लिखा हुआ है. प्रिय तिवारी जी...

श्री अध्यक्ष--

इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वह उन्होंने पढ़ दिया है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप ग्राह्यता के बारे में कहें।

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)--

उस समय बनारस का मैं कनवीनर था इसलिए मुझे भी डाइम दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने श्री नेगी को कहा है।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी--

पहला प्रश्न यह है कि इस पत्र के आधार पर माननीय सदस्य ने सदन के अवमान का प्रश्न दिया है तो यह सदन की प्रापर्टी है। सदन को यह जानने का अधिकार है कि वह पत्र क्या है इसलिए मैं चाहता हूं उसे पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष--

उस पत्र को पढ़कर सुना दिया है।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, पत्र यह है--"माननीय चौधरी साहब के आज्ञानुसार आप श्री फकीर अली साहब से मिलकर उनसे चुनाव कोष के लिए ५०,००० रु० प्राप्त कर लें और उस धनराशि का अपने यहां के चुनाव में आवश्यकतानुसार व्यय करें।

भवदीय,
महीपाल सिंह शास्त्री,
कोषाध्यक्ष।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम प्यारे तिवारी,

विधायक,

वाराणसी ।

भाई फकीर अली,

मैं दो बार आया आप नहीं मिले । कृपया आप कुल रुपया श्री बेचूराम यादव से भेज दें ।

राम प्यारे ।

उपरोक्त धनराशि प्राप्त किया ।"

मान्यवर, इतने गम्भीर आरोप ५०,००० रुपए ले लिए गए हों वह भी माननीय चौधरी चरण सिंह की आज्ञानुसार जो हमारे देश के गृह मंत्री रह चुके हैं । ऐसा लगता है बिल्कुल बदनामी की जा रही है । यह जनता पार्टी के नेता ईमानदारी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार कम करने की बात करते हैं । माननीय सदस्य ने प्रस्ताव किया है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए आपकी तरफ से भी यह राय है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय । आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं । कहां किसका दोष है, क्या झूठा आरोप लगाया जा रहा है, क्या जनता पार्टी की बदनामी के लिए यह आरोप लगाया जा रहा है क्या जनता पार्टी के जो सच्चे लोग हैं उनको कलंकित करने के लिए मान्यवर, यह आरोप लगाया जा रहा है । उनके सफेद दिल में दाग लगाया जा रहा है । वह दाग धुल जाय इसलिए मान्यवर इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए ।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने जो प्रश्न उठाया है और उसके बाद जितने माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए है । माननीय सम्बन्धित सदस्य, श्री बेचूराम और श्री राम प्यारे जी बोले हैं कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए लेकिन माननीय सदस्यों का ध्यान मान्यवर, मैं नियम ६७ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं देश के मूर्धन्य श्रेष्ठतम नेता के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं । इसमें उन दोनों माननीय सदस्यों की बदनामी का सवाल है इसलिए मैं मान्यवर, चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण मामले को विशेषाधिकार समिति के सामने न भेजा जाय बल्कि इसका निस्तारण यही सदन निश्चित करे । मान्यवर, इसमें यह व्यवस्था है कि 'यदि अध्यक्ष इस मत के हों कि सूचना का विषय ऐसा है जो बिना विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किए ही सदन में निस्तीर्ण किया जा सकता है तो यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रश्न पर तत्काल या किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाए । इसलिए मान्यवर, यह प्रस्ताव किया जा सकता है और इस पर तत्काल या बाद में तिथि निश्चित करके विचार सदन में ही किया जा सकता है । मान्यवर, मेरा निवेदन है, इस नियम में जो अधिकार आपके निहित हैं उसका प्रयोग करें । इसमें जनता पार्टी के २ माननीय सदस्य आते हैं और वह यहां पर उपस्थित हैं । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि नियम ६७ का प्रयोग करें और इस मामले को इसी माननीय सदन में निस्तीर्ण करायें । इस मामले को विशेषाधिकार समिति में न भेजें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इससे सम्बन्धित २ माननीय सदस्य नहीं है इसलिए विशेषाधिकार समिति के सामने बुलाकर उनका प्रमाण लिया जा सके ।

श्री अध्यक्ष--

पहला तो प्रश्न यह है ग्राह्यता के बारे में निर्णय किया जाये और दूसरा प्रश्न यह है कि नियम ६७ में यह आता है या नहीं । नियम ६७ में वही प्रश्न लाया जा सकता है जिसमें सदन का अवमान सदन के सामने होता है । लेकिन यह विवादास्पद प्रश्न है । एक तरफ गुलाब सेहरा कहते हैं हस्ताक्षर सही हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जिस ओर आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं वह नियम ६८ है ।

श्री अध्यक्ष--

आप विवाद कर रहे हैं । माननीय तिवारी जी कहते हैं हस्ताक्षर नहीं किया, बेचूराम जी कहते हैं हस्ताक्षर नहीं किया । माननीय शतरुद्ध कहते हैं यह पत्र जाली है । दूसरी तरफ जिनके विरुद्ध अभियोग है वह कहते हैं कि यह सत्य है, इसकी जांच की जाय । जब तक हस्ताक्षरों की जांच न की जाय मैं ग्राह्य कैसे करूंगा ? बिना जांच किए नियम ६७ में कैसे निर्णय हो सकता है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

उसमें यह कहां है कि जांच की जायगी ?

श्री अध्यक्ष--

आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं । यह गलत तरीका है । आप अपनी बात कह चुके और मैं निर्णय दे चुका ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न नियमों से निहित है । मैंने ६७ का हवाला दिया । जो माननीय सदन के समक्ष घटित होगा वह नियम ६८ में है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, सर्वप्रथम तो आपको ही इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए था क्योंकि आप स्वयं कहते हैं कि जब यह प्रश्न सदन में उठाया गया तो उस दिन आपने कार्यवाही का अंग नहीं बनने दिया था । आज चूंकि सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है और सम्बन्धित माननीन सदस्यों ने, इस सम्बन्ध में जिस बात को माननीय गुलाब सेहरा जी ने उठाया और आरोप लगाया, स्पष्ट कह दिया कि न हमारे हस्ताक्षर है और न हमने लिखा है । ऐसी परिस्थिति में कोई चारा नहीं है कि इसको विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय । हो सकता है माननीय गुलाब सेहरा, जिनकी पार्टी में ऐसी जालसाजी होती रही है ने यह किया हो क्योंकि उनको जालसाजी करने की आदत है ।

श्री गुलाब सेहरा--

बिना जांच किए दिघे साहब यह बात कैसे कह रहे हैं ? मैं खुद कह रहा हूं कि इसको भेज दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शोर क्यों करते हैं ?

*श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

मैं विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपना भाषण शुरू किया कि सर्वप्रथम आपको यह स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था । यह आपके अधिकारों की चुनौती है । मैंने उस दिन भी कहा था कि कम से कम संसदीय कार्य मंत्री ऐसा होना चाहिए जिनको संसदीय नियमों और परम्पराओं की जानकारी हो । अगर वह अध्यक्ष के अधिकारों को चुनौती देंगे तो मान्यवर, तो कैसे चलेगा ? इसलिए मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की नोटिस दे रहा हूं । आप स्वीकार करें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कोई आक्षेप नहीं किया ।

(व्यवधान)

आप खामोश रहें । आप लोग अपमान कर रहे हैं इस प्रकार से कि उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी ने चूंकि यहां पर सदन में ३०१ में स्वीकार नहीं किया तो इसको अग्राह्य कर देना चाहिए था ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

क्यों कहा. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं यह कहता हूं कि जब मैं निर्णय कर रहा हूं और आप बोलते हैं तो यह संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है । (श्री देव बहादुर सिंह और श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर) आप लोग बैठें । जब मैं निर्णय दे रहा हूं । किसी भी व्यक्ति को, जब तक मैं निर्णय न दे दूं, मत प्रकट करने का अधिकार है । जैसे अभी आपने कहा कि विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय । एक सदस्य कहते है कि इसे अग्राह्य करना चाहिए । दूसरा कहता है ग्राह्य करना चाहिए । मैं यह कहता हूं कि जब संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा कि जब तक यह सदन में नहीं आया तो अध्यक्ष जी को इसे अग्राह्य कर देना चाहिए । यह उन्होंने अपना मत प्रकट किया है जिस पर श्री आरिफ मोहम्मद खां ने अपना सन्देह व्यक्त किया है । ऐसा लगता है जिसे कहते हैं कि क्वीन से भी ज्यादा लायल हैं । मैं इसको आक्षेप नहीं समझता हूं ।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि अब जो जनता पार्टी के सदस्यों की राय और जनता पार्टी की नीति है उसमें किसी भी प्रकार से जो आरोप लगे उनकी जांच होनी चाहिए और उससे किसी को भी इंकार नहीं करना चाहिए । इस-लिए मुझे भी यहां बैठे हुए विचार करना पड़ा कि जब प्रश्न उपस्थित हो गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मधुकर दिघे]

सदन के समक्ष और दो माननीय सदस्यों ने गवाही भी दे दी है आपके सामने कि न तो उनके हस्ताक्षर हैं और न उनके हाथ का लिखा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में यह भी प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि वाकई उनके हस्ताक्षर हैं या नहीं ? यदि नहीं हैं तो विशेषाधिकार समिति के सामने यह भी साबित हो जायगा कि श्री गुलाब सेहरा ने फोटो स्टेट कापी बनाने में जालसाजी की है या नहीं ? इसलिए जो चैलेन्ज किया गया है उसको मैं भी स्वीकार करने पर मजबूर हूं और अध्यक्ष जी मेरी भी यही राय है कि इसको विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

श्री शत्रुघ्न प्रकाश जी ने विशेषाधिकार के अवहेलना की सूचना दी है और माननीय सेहरा जी ने कहा यह पत्र सही है और वह चाहते हैं कि जांच की जाय। श्री नेगी जी, श्री मोहन सिंह और संसदीय कार्य मंत्री जी भी ऐसा ही चाहते हैं। इसलिए मैं इस प्रश्न की जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करता हूं।

श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)---

अध्यक्ष जी, श्री तिवारी जी और श्री बेचूराम जी ने कहा है कि यह पत्र झूठा है। अगर सही साबित हो जायगा तो वे सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। मैं श्री गुलाब सेहरा से भी चाहूंगा कि वे अपना स्पष्टीकरण दे दें कि क्या वे भी इस्तीफा दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

(काफी शोर गुल तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर) आप लोग कृपया शान्त रहें (व्यवधान) आप लोग अपनी-अपनी जगह पर बैठें।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)---

नसबन्दी से जो आए हैं, वैसे ही खत्म हो जायेंगे।

*श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)---

जहां तक आपकी रूलिंग का सम्बन्ध है वह तो शिरोधार्य है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि,जिस प्रश्न को आपने विशेषाधिकार समिति को भेजा है इसमें दोनों तरफ से एलीगेशंस हैं। क्या विशेषाधिकार समिति सक्षम है कि दोनों के हस्ताक्षरों का मिलान कर सकती है, वह एक्सपर्ट कमेटी है या विशेषाधिकार समिति किसी बाहरी एजेन्सी से मिलान करायेगी ? क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं किसी बाहरी एजेन्सी को रेफर नहीं कर सकती है, ऐसी मुझे जानकारी है, इसलिए आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द है। उसकी प्रक्रिया अपनाने के लिए विशेषाधिकार समिति सक्षम है। सत्य की जांच करने के लिए विशेषाधिकार समिति को पूर्ण अधिकार है। वह साक्ष्य ले सकती है अपनी सहायता के लिए किसी को भी बुला सकती है और शम्भू नाथ जी ने जो कहा तो किसी को यहां पर यह ऐलान करने की आवश्यकता नहीं है। विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट सदन के सामने आयेगी और एक संकल्प के रूप में आप अपना उस पर फैसला करेंगे। (किसी सदस्य के खड़े होने पर) आप बैठिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की सभा के लिए विधान सभा के पांच सदस्यों तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिए विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में २४ अगस्त, १९७८ को निर्धारित कार्यक्रम कल स्थगित कर दिया गया था ।

अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री और विरोधी नेताओं के परामर्श से उक्त निकायों के लिए निम्नलिखित परिवर्तित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :--

१--नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय	३१ अगस्त, १९७८ को ४ बजे अपरान्ह तक ।
२--सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय	३१ अगस्त, १९७८ को ५ बजे अपरान्ह (सचिव, विधान सभा के कक्ष में) ।
३--नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	७ सितम्बर, १९७८ को ४ बजे अपरान्ह तक ।
४--मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	९ सितम्बर, १९७८ को पूर्वान्ह साढ़े दस बजे से ५ बजे अपरान्ह तक कमरा नं० ४८, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम निर्देशन पत्र विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं ।

कानपुर शहर में आतंकवादियों द्वारा दुकाने लूटने से कानपुर के बाजारों में हड़ताल के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

कानपुर शहर में आतंकवादियों द्वारा दुकानें लूटने आदि के बारे में माननीय गृह मंत्री ने अनुरोध किया है कि इसे कल के लिए स्थगित कर दिया जाय । इसलिए इस प्रश्न को मैं कल के लिए स्थगित कर दिया है ।

दस्यु सुन्दरी हसीना बेगम की मौत पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस में खींचतान के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

इसमें एक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव श्री देव कुमार यादव, श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' तथा श्री मंगलदेव ने दिया है जो दस्यु सुन्दरी हसीना बेगम की मौत पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच खींचातानी के सम्बन्ध में है।

तो इस सम्बन्ध में मैंने अल्पसूचित प्रश्न पहले ही स्वीकार किया है और २ तारीख तक इस पर उत्तर मांगा गया है। (एक सदस्य के खड़े होने पर) आप बैठ जाइए। मैंने इस पर अल्प सूचित प्रश्न स्वीकार किया है। इसलिए जो विषय पहले से आ चुका उसे पुनः नहीं लिया जा सकता।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के जरिए ऐसे गम्भीर प्रश्न की गम्भीरता समाप्त हो जाती है। इसमें स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों व अधिकारियों के बीच में एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है जिससे दोनों सरकारों के बीच के सम्बन्ध बिगड़ सकते हैं, इससे सीमावर्ती निवासी बहुत चिन्तित हैं और इससे लुटेरों व डकैतों का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए आप इस पर अवश्य वक्तव्य दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

इसमें मैंने कहा कि अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार किया है। खैर, मंत्री जी इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे दें, ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८†

*परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय।

मान्यवर, रोड टैक्स, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट जमा करता है। उसका आधा हिस्सा पी० डब्ल्यू० डी० को सड़कों को बनाने के लिए दिया जाता है और आधा हिस्सा लोकल बाडीज को भी सड़क बनाने के लिए दिया जाता है। सन् १९७४ से सड़कें बनाने के लिए खर्च में ४० परसेन्ट का इजाफा हो गया है। इसलिए रोड टैक्स के जरिए आमदनी बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। इसलिए ४० परसेन्ट के बाद १० परसेन्ट का इजाफा बजट में रखा गया था, जिसका वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में जिक्र किया था, मैंने भी जिक्र किया था और आपने उसे मंजूर भी किया था। लेकिन इसको रेड शेड्यूल में तब्दीली करके रखा जाता है, अतः यह विधेयक

---

†दिनांक २४ अगस्त, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फार्मल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत है और इसमें जो रेट बढ़ाया गया है वह १० परसेन्ट का यूनिफार्म रेट है । मोटर सायकिल्स, मोटर्स व स्कूटर्स पर कोई रोड टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, बकिया पर कुल पर यह १० परसेन्ट बढ़ा दिया गया है । इसी तरह से ट्रैक्टर्स ट्राली पर जब वह कृषि उपज का सामान बाजार या मंडी में ले जाते थे, तो १५ रुपया सालाना रोड टैक्स पड़ता था, लेकिन अन्य वस्तु होती थी तो अन्य चीजों के समान पड़ता था । इससे काफी कन्फ्यूज होता था, करेप्शन और हैरेशमेन्ट के चांसेज थे । अतः इसे निकालकर एक यूनिफार्म रेट एग्रीकल्चरल और नान-एग्रीकल्चरल प्रोडयूज के लिए कर दिया गया है । अब दो पहियों वाली ट्राली पर १०० रुपया और ४ पहियों वाली ट्राली पर २०० रुपया कर दिया गया है । इससे अब बिना किसी भ्रम, परेशानी के ट्रैक्टर वाले कोई चीज भी ले जा सकते हैं । इसको सिम्पिल कर दिया गया है और सिम्प्लीफाई करके मुकर्रर कर दिया गया है । मैं हाउस और आप सब से निवेदन करूंगा कि इसको आप लोग मंजूर करें ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो १५ दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

श्रीमन्, यह जो संशोधन विधेयक रखा गया है, माननीय मंत्री जी ने खुद बताया कि पी० डब्लू० डी० और ट्रान्स्पोर्ट दो मुहकमे इसमें इनवाल्ड हैं और जो उद्देश्य है उस में मुख्यतः यह बात कही गयी है कि सड़कों के बनाने के लिए कुछ लागत और खर्च में बढ़ोत्तरी हुई है मंहगाई की वजह से और दूसरी बातों की वजह से, उन सड़कों पर चलने वाली सवारियों पर १० प्रतिशत टैक्स अलावा मोटर सायकिल और स्कूटर के बढ़ा दिया जाय । मैं इसलिए कहता हूं कि प्रवर समिति में बैठकर विचार हो, पहली बात तो यह है कि दो महकमों से कनसर्न्ड है यह मामला । टैक्स तो ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेन्ट के खाते में जमा हो जायगा और सरकारी निधि में जमा हो जायगा ट्रांसपोर्ट के नाम में लेकिन जिन सड़कों पर वह गाड़ियां चलेंगी, जिससे टैक्स लिया जायगा, उन सड़कों की मरम्मत की और उनको ठीक रखने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट नहीं लेगा उसकी जिम्मेदारी पी० डब्लू० डी० पर होगी । पैसा जो है सारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट को जायगा क्योंकि जितनी वेहिकिल हैं चाहे ट्रैक्टर हो, ट्राली हो या बसेज हों सब पर दस प्रतिशत बढ़ा कर पैसा वसूल होगा । अब सवाल यह है कि इसके अन्दर अव्वल तो आपने पुराना ऐक्ट, जो १९३५ का है, उसको अमेन्ड कर रहे हैं, यूनाइटेड प्राविन्सेज मोटर वेहिकिल टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ में अमेन्डमेन्ट ला रहे हैं । चूंकि शार्ट में यू० पी० ही लिखा जाता है चाहे यूनाइटेड प्राविन्सेज पढ़ लीजिये या उत्तर प्रदेश पढ़ लीजिये । यह पुराने ऐक्ट का अमेन्डमेन्ट है ।

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठासीन हुए ।)

मौजूदा हालत को देखते हुए हमारे देश और प्रदेश का रुपया ज्यादातर हर देश के विकास में खर्च होता है और विकास के सम्बन्ध में सड़कों की बहुत अहमियत है । इन सब चीजों के सम्बन्ध में नये रूप में हल्केपन से हर वेहिकिल पर १० प्रतिशत टैक्स बढ़ा दें यह किसी तरह से उचित नहीं है । इसमें गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है । जितनी आपने फेहरिस्त दी है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रियासत हुसैन]

सब के ऊपर १० प्रतिशत जब आप बढ़ा रहे हैं। उसमें यह भी देखने की जरूरत है कि स्टेज कैरिएज पर कितना बढ़ाया जाना चाहिए, मिनी बसेज पर कितना बढ़ाया जाना चाहिए, ठेलों पर कितना बढ़ाया जाना चाहिए। ये सारी चीजें ऐसी नहीं हैं कि फ्लैट रेट से १० परसेन्ट सब पर बढ़ गया क्योंकि हर एक की पब्लिक यूटिलिटी अलग-अलग है। फिर आपने ट्रैक्टर और ट्रालियों को शामिल कर दिया। किसान जो देहात में ट्रैक्टर चलाता है ट्राली केवल इसलिए रखता है कि कभी कोई चीज मंडी ले जाने की जरूरत हो, तब दो चार मील सड़क इस्तेमाल कर ले। वरना उसको अपना ट्रैक्टर खेतों में, कच्चे में इस्तेमाल करना होता है। दो चार मील जो भी ट्रैक्टर को सड़क इस्तेमाल करनी होती है वह जब इस्तेमाल करता है जब कि किसान को ट्रैक्टर ट्राली में अपनी गेहूं परचेजिंग सेन्टर पर ले जाना होता है या कोआपरेटिव में बीज बोने के लिए लेन जाता है।

अगर कोई किसान किसी अपने छोटे काम के लिए ट्राली इस्तेमाल कर लिया तो आपने उस पर टैक्स लगा दिया। यह टैक्स जो लगाया गया है, वह आज तक नहीं था और आपने अब उसको लगा दिया। अगर वह २-३ मील सड़क पर चल लेता है तो आपने उस पर टैक्स लगा दिया तो उसको १०० रुपया और २०० रुपया अदा करना होगा। आप इस चीज को सोचें और उस पर विचार करें।

इसके साथ ही साथ आप यह भी देखें कि कोई जिला परिषद् की गाड़ी या जीप होती है, वह १००-१०० मील चली जाती है उस पर आपने कोई भी टैक्स नहीं लगाया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उनके चलने से आपकी सड़क को नुकसान नहीं होता है केवल किसान ट्राली या ट्रैक्टर जो चलाता है उसी से सड़क का नुकसान होता है? किसान एक या दो मील चलेगा तो उस पर टैक्स लगा दिया और अगर सरकारी जीप उस पर चलती है तो नहीं लगाया। यह नीति आपने क्यों बनायी है। एक दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि टैक्स १० प्रतिशत बढ़ा दिया, चलिए ठीक है लेकिन दूसरी ओर आप अपनी सड़कों की दशा को भी देखिए कि उनकी क्या हालत है। सड़कों की हालत में प्रगति होगी या नहीं होगी यह नहीं बताया। मैं तो कहता हूं कि सड़कों की हालत में ५ प्रतिशत ही सुधार कर देते। २४ नम्बर का नेशनल हाई वे है तो उस पर मैं देखता हूं कि किसी बस का टायर फट गया और किसी का एक्सल टूट गया है। उसमें गड्ढे हो गये हैं, चलना दूभर है। टैक्स मे तो आपने १० प्रतिशत की वृद्धि कर दी। आपने यह भी कर दिया कि ६ सवारियों तक इतना, ३० सवारियों तक इतना और ३२ सवारियों पर इतना पड़ेगा। आपको चाहिए था कि इसको क्लासीफाई कर देते कि टैक्सी जो कार की शक्ल में होगी उस पर इतना टैक्स लगेगा और जो मिनी बस है उस पर इतना लगेगा और जो ट्रकें हैं उन पर इतना होगा। लेकिन आपने किया है कि इतने आदमी बैठेंगे तो इतना लगेगा। यह उचित बात नहीं है। आपने जितना टैक्स लगाया है वह अल्टीमेटली कन्जूमर पर ही, लगेगा। जैसे ही आपने टैक्स बढ़ाया वह अपना किराया बढ़ा देगा और वह कहेगा कि यह तो सरकारी टैक्स है और अल्टीमेटली यह बर्डन कन्जयूमर पर ही पड़ेगा। इसलिए मान्यवर, मैं कहता हूं कि यह कोई हल्का बिल नहीं है। इसलिए इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय जिससे इस पर पूरी तौर से विचार हो जाये कि कौन-कौन सी चीजों को किया जाये। सड़कें जो खराब हैं उनका कौन जिम्मेदार है।

और किस प्रकार से प्रोग्रेस होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ सदन में प्रस्तुत किया है इस सम्बन्ध में मैं केवल २ शब्द कहना चाहता हूं। माननीय रियासत साहब ने तो इसे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा है। इस विधेयक में जो सबसे आपत्ति की बात है वह यह है कि इन्होंने ट्रैक्टर और ट्राली पर भी कर लगा दिया है। लेकिन लिखा यह गया है कि किसान बड़ी कठिनाई में था, उसकी मुसीबत को दूर करने के लिए उस पर टैक्स लगा दिया। और जो कर का रेट रखा है वह यह है कि २ पहियों वाले ट्रैलर पर १०० रुपया २ पहियों से ज्यादा वाले ट्रैलर पर २०० रुपया और हर ट्रैक्टर पर १०० रुपया इससे किसानों को भी जिनके पास ट्रैक्टर्स या ट्रली हैं उनको भी उस लाइन में खड़ा कर दिया है कि वे आर० टी० ओ० के यहां जायं और फिटनेस के नाम पर उनको पकड़ कर थाने में बन्द कर दिया जाय और जमानत के लिए वे उनके पीछे पीछे घूमा करें। आपको चाहिए था कि आप अपने विभाग में कोई सुधार लाते। हम तो डर रहे हैं कि इसमें पैसे की ही बात नहीं है आपने उस क्षेत्र में ट्रैक्टर्स और ट्रोलीज को लेकर हमारे लिए एक मुसीबत पैदा कर दी है।

आप देखें कि जो भी ट्रक्स या बस के आपरेटर्स हैं वे आपके विभाग से कितने आतंकित रहते हैं। जब वे कहीं जाते हैं और अगर कहीं पर आर० टी० ओ० उन्हें मिल जाते हैं तो हल्ला करने लगते हैं कि "मामा आ गये, मामा आ गये"। पैसा अनिवार्यतः वे देंगे और चालान भी अनिवार्यतः उनका होगा। आप कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि जो आपरेटर्स ट्रांसपोर्ट विभाग के चंगुल में पड़े हुए हैं, उनको मुक्ति की कोई व्यवस्था हो सके और उनको कुछ राहत मिल सके। आपने टैक्स बढ़ाया, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन जो लोग छटपटा रहे हैं, चरमरा रहे हैं कि किस प्रकार से उनको इस उत्पीड़न से राहत मिल सके। जब वे लाइसेन्स लेने जांय तो वहां भी वे पैसा दें, गजे कि हर स्तर पर बिना पैसा दिए, बिना दक्षिणा दिए उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उनको उत्पीड़न से, शोषण से, राहत मिल सके। आपने कौन सा कदम उठाया है जिससे उनको मुक्ति मिल सके? जो भी आपने १० प्रतिशत टैक्स बढ़ाया है उसको बस वाले या ट्रक वाले अपनी जेब से नहीं देने वाले हैं। उतना ही बसेज का किराया बढ़ जायेगा, ढुलाई का किराये बढ़ जायेंगे। इस तरह आपने मंहगाई और बढ़ा दी है। एक तो जब से आपके राज का आगमन हुआ है यों ही मंहगाई चरम सीमा पर पहुंच गयी है और अगर आपने १० प्रतिशत कर बढ़ाया है तो बस वाले और ट्रक्स वाले १५ प्रतिशत अपनी ओर से बढ़ा देंगे। तो इससे जो कन्ज्युमर गुड्स हैं जिसका इधर से उधर ट्रान्सपोर्ट होता है वह मंहगे हो जायेंगे। मंत्री जी इनकी नीतियां तो हमेशा मंहगाई बढ़ाने की रही हैं। आप तो हमारे साथ के आदमी हैं, इनके साथ आप कैसे चले गये। आपको नहीं जाना चाहिए था। माननीय बाजपेयी जी भी सिर खुजला रहे हैं, वे भी सोच रहे हैं कि वे कैसे उधर चले गये। सरलीकरण के नाम पर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर पुनर्विचार कर लें।

मान्यवर, मैं अपने यहां पर गया था, वहां पर किसानों का एक जुलूस निकला। उनका कहना था कि इससे उन्हें मुक्ति दिलवा दी जाय। उनको भी

[श्री देव बहादुर सिंह]

आपने ट्रक्स और बसेज वालों की लाइन में खड़ा कर दिया है। अब हमें आर० टी० ओ० आफिस जाना पड़ेगा ट्रैक्टर, ट्राली लेकर और दो दिन, तीन दिन, चार दिन वहां रुकेंगे और वह कितनी भी बढ़िया ट्रैक्टर, ट्राली हो, हर दृष्टिकोण से सही हो, जब तक नोट नहीं देगा आदमी, तब तक उसको न लाइसेन्स मिलेगा और न पैसा जमा होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह सरकार किसान विरोधी है। आपने गन्ना और गेहूं के बारे में क्या किया ? ट्रैक्टर पर टैक्स लग गया, कल गाय और बछड़े पर भी टैक्स लगा देंगे। अगर किसानों के मन में आपके विरुद्ध जो भावनाएं हैं, उसे कम कराना चाहते हैं, तो ट्रैक्टर पर टैक्स को हटा दीजिए। एक तो इसको दूर करें। अगर जो भी थोड़ा बहुत टैक्स लगाना अनिवार्य हो, टैक्स लगावें। आप अपने अधिकारियों को, जो कराधान लेते हैं, रसीद देते हैं उनको आप हर ब्लाक मुख्यालय पर भेजिये वहां वह जाय और डेट फिक्स करें, वहीं रुपया जमा हो जाय, वहां फार्म भर दिया जाय और वहीं लाइसेन्स वगैरह जो कुछ मिलना है, वहीं वितरित करा दें, तब तो सरलीकरण हो सकता है नहीं तो वह मजबूरीकरण हो सकती है। इससे सरलीकरण नहीं हुआ। एक तो टैक्स कम कर। यह कर पायेंगे कि नहीं कर पायेंगे ? इससे बड़ा क्षोभ है। एक आदेश तो कर ही दें कि अमुक तारीख को आर० टी० ओ० इंसपेक्टर ब्लाक मुख्यालय पर जायेगा नहीं तो ट्रैक्टर, ट्राली, ४-४ दिन ५-५ दिन खड़ी कर देंगे। मान्यवर, इन शब्दों के साथ में मांग करता हूं कि इन ट्रैक्टर और ट्रालियों को मुक्त कर दीजिए अपने टैक्स से। अगर आप यह कर सकते हों, यह अगर सरकार में बैठने वाले लोग मानें, तो कम से कम यह माना जायगा कि आप किसान विरोधी तो नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मेरे सुझाव पर अमल करने की कृपा करें।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने सड़कों का निर्माण का खर्च अधिक बढ़ जाने के कारण जो १० परसेन्ट की कर में वृद्धि की है, वह अन्य सवारियों के लिए, जिनका विस्तृत विवरण आपने प्रस्तुत किया है, वह सही है। क्योंकि उन बसों से, ट्रक से वह लोग अपना रोजगार कमाते हैं, पैसा पैदा करते हैं और अक्सर जिन लोगों के पास बस और ट्रक हैं वे सभी धनी लोग हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह सुझाव देना चाहूंगा और साथ ही साथ यह मांग करना चाहूंगा कि आपने किसान के ट्रक्टर के ऊपर जो १०० रुपये का टैक्स लगाया तथा दो पहिया वाली ट्रालियों के ऊपर १०० रु० और चार पहियों वाली ट्रालियों के ऊपर २०० रुपये का जो टैक्स लगाया है यह बहुत गलत प्रतीत होता है।

आज किसान का ट्रैक्टर किसान का बैल है। किसान बैल से खेत जोतने का काम करता था, आज उसी ट्रैक्टर से खेती जोतने का काम कर रहा है। एक तो जहां आप अन्न बढ़ाने की योजना चलाते हैं, उसको सुविधा देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप यह भूल जाते हैं कि आप उसके बैलों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। यदि आप ट्रैक्टर के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर आपने जो १५ प्रतिशत का टैक्स लगाया था उससे भी किसान बहुत खिलाफ था। लेकिन आज आप इसके जरिये १०० और २०० रुपये का टैक्स जो आप लगा रहे हैं उस किसान के ऊपर जिसने आपको ट्रैक्टरों पर बैठकर वोट दिया था जरूर उसकी भावना आपके विरुद्ध बनेगी और वह आपको दोष देगा। यह टैक्स बिल्कुल गलत है इस टैक्स को आप हटाइये। अगर कोई किसान ट्रैक्टर लेकर तेल भराने

के लिये जाता है और एक या दो मील सड़क का इस्तेमाल करता है तो उस पर १००–२०० रुपये का टैक्स लगाना उचित नहीं है। किसान तो ज्यादातर खेतों को ही जोतता है और उसका ट्रैक्टर ज्यादातर गांव के कच्चे मार्गों पर ही चलता है। कभी–कभी अनाज बेचने के लिये या अन्य उत्पादनों को बेचने के लिये वह शहर आता है तो उसके लिये आप टैक्स लगा दें यह बिलकुल नाजायज है। कभी–कभी यह भी होता है कि एक किसान के खेत दो जगहों पर होते हैं। दूसरी जगह के खेतों को जोतने के लिये वह एक या दो मील सड़क इस्तेमाल कर ले और उस पर टैक्स लगाया जाय यह बिल्कुल उचित नहीं है। मैं मांग करता हूं और कड़े रूप से मांग करता हूं कि अगर किसान पर टैक्स लगाया जायगा तो यह किसान विरोधी नीति समझी जायगी, इस टैक्स को नहीं लगाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो दूसरी चीजों पर टैक्स लगाया है उसका मैं समर्थन करता हूं। किसान जो अपनी आजीविका कमाने के लिये ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो कराधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है और उसके उद्देश्य और कारण में यह बतलाया है कि सड़कों के निर्माण और रख–रखाव के खर्च में भारी वृद्धि को देखते हुए कुछ करों की दरों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। यह बात तो सही है कि सड़कों के निर्माण और रख–रखाव के लिये अधिक धन की और आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि इसमें जिन पर छूट दिखायी गयी है अन्य कुछ गाड़ियों स्कूटर, मोटर साइकिल और मोपेड को छोड़कर तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यदि माननीय परिवहन मंत्री जी इस ओर ध्यान देते कि जो बहुत सी वेहिकिल्स होती हैं वह किराये पर चलायी जाती हैं या रोजगार के लिए और व्यापार के लिए उपयोग की जाती है उन पर टैक्स लगाते, मेरा निवेदन है कि जैसा कि माननीय बदन सिंह जी ने ध्यान आकर्षित किया कि जो ट्रैक्टर और ट्राली हैं उन पर किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होनी चाहिये।

हमारी जिस पार्टी की सरकार आज प्रदेश में और केन्द्र में है उसका एक चुनाव घोषणा पत्र है जब हम जनता के सामने गये थे तो कुछ वायदे किये थे। जनता पार्टी की जो नीति है उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का आश्वासन दिया गया है कि हमारी जो नीति होगी और जो कार्यक्रम होगा वह किसानों और ग्रामीण भाइयों के हित में होगा। तो मैं समझता हूं कि कम से कम ट्रैक्टर और ट्राली एक ऐसी सवारी है जिसका उपयोग किसान भाई करते हैं, ग्रामीण भाई करते हैं और उपज से इस देश व प्रदेश की सारी जनता लाभान्वित होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो ट्रैक्टर और ट्राली तथा प्राइवेट मोटर हैं जिनका प्रयोग निजी कार्य के लिए किया जाता है तो उद्देश्य और कारण में एग्जेम्पशन क्लाज में मोपेड तथा मोटर साइकिल के साथ इनको भी छूट दे दी जाय तो कदाचित माननीय सदन इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर देगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष जी, यह जो मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल पेश हुआ है यह नौकरशाही विचारों का द्योतक है, हालांकि माननीय मंत्री जी समाजवादी विचारों के हैं। इस टैक्सेशन बिल को लाने के साथ-साथ क्या उन्होंने मोटर चलाने वालों की हालत भी देखी है, उनकी समस्याओं की भी चिन्ता की है जिन पर मोटर चलाने का कार्यभार है। आखिर किसी पर कर लगाने का कोई आधार भी तो होना चाहिये। दूसरे प्रान्तों में यह टैक्स कितना है इसका भी तो मिलान किया होता। इसके अलावा सड़कों का निर्माण कैसे होता है, सड़कों की क्या हालत है इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये था इसके पहले कि वह यह कर विधेयक ले आते। सड़कों की हालत यह है कि वेहिकिल्स सड़क पर न चल कर साइड से चलती हैं, मेन रोड पर कोई वेहिकिल नहीं चलती क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। म्युनिसिपल कमेटी की सड़कें तीन इंची रोड़ी डाल कर बनाई जाती हैं, उन पर हैवी वेहिकिल्स को न चलाया जाय लेकिन चलाया जाता है जिससे वह रोज टूटती हैं और उनको बनाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मेरठ में दिल्ली रोड से होकर हापुड़ रोड पर न चल कर बीच में गुरुद्वारा रोड पर चलती हैं जिससे उसका टूटना लाजमी है। इस तरह से सड़कें भी न बनें, बसें तथा ट्रक्स साइड में चलें तो टैक्सेशन से क्या फायदा है।

टैक्सेशन आप बढ़ायें तो ट्रान्सपोर्ट की सुविधाओं की ओर भी आप ध्यान दें। पार्ट्स की सप्लाई में अन्धेरगर्दी है, क्या कभी आपने पार्ट्स को कंट्रोल रेट पर दिलाने की कोशिश की? खून देने वाले का उतना ही निकाला जाना चाहिये जितनी उसकी क्षमता हो, यह नहीं कि सीरिंज लगाकर पूरा का पूरा खून निकाल लिया-नतीजा यह होगा कि वह मर जायगा। मैं माननीय मंत्री जी से जरूर कहना चाहूंगा कि आप कर लगाइये लेकिन जो सड़कें निर्माण होनी चाहिए उनका भी निर्माण करायें इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है कि उन सड़कों का निर्माण हुआ या नहीं। इसके साथ ही जो उसकी काश्त में काम आने वाली चीजें हैं जैसे ट्रालीज हैं वह कर रहित होनी चाहिये।

आपने देहातों में काश्तकारों पर टैक्स लगा दिया, मैं हैरान हूं मेरठ में जो गढ़ का मेला होता है उस पर लोग जाते हैं धार्मिक कार्यों के लिए ट्राली में जाते हैं उस पर भी कर लगा दिया। इसी तरह से मंडी समितियां आपने बनाई हैं वह भी प्रोड्यूसर पर ही कर लगाते हैं। इन शब्दों के साथ में समझता हूं कि यह बिल जो रखा है इसे वाकई प्रवर समिति में भेजा जाय जहां इसके प्रोस एण्ड कोस पर विचार हो और तब पास हो तो अच्छा होगा (श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री अशर्फी लाल और श्री छोटे लाल का नाम पुकारने पर और उनके अनुपस्थित होने पर श्री ओंकार सिंह को पुकारा गया।)

श्री ओंकार सिंह (जिला मथुरा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोटर वेहिकिल्स पर कर लगाने का जो प्रस्ताव.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपके पास लिस्ट है उसके अनुसार आप नाम पुकारते हैं। उसमें जो लोग अपनी सीट पर खड़े हो जायं उनको समय देते हैं। आपने दो नाम पुकारे जो सूची के अनुसार है। लेकिन वह माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदस्य उपस्थित नहीं थे। हमारी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में है कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वह खड़े होंगे और उनको माननीय अध्यक्ष इंगित करेंगे, तब वह बोलेंगे। माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य है कि उनको यहां पर उपस्थित रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, आपका व्यवस्था का प्रश्न। भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा।

*श्री ओंकार सिंह—

आपने मुझे मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे मंत्री जी ने १० परसेन्ट कर बढ़ाने का प्रस्ताव किया है जिसके लिए विधेयक प्रस्तुत किया है। यह मुझे किसी भी दृष्टि से न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। माननीय मंत्री जी ने कर बढ़ा दिया लेकिन यह कभी नहीं सोचा कि मोटर वालों को कितनी परेशानियां हैं और उनके लिए भी सुविधायें दें।

मान्यवर, ट्रांसपोर्ट का व्यापार हमारे देश में एक बहुत बड़ा व्यवसाय है और अगर इसे चतुर्थ श्रेणी में रखा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इससे मान्यवर, देश और प्रदेश को बहुत बड़ी आय होती है परन्तु उनको सुविधायें देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। आर० टी० ओ० आफिस में उनको कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जिनको मंत्री जी के सामने भी रखा गया होगा लेकिन उनकी असुविधाओं के निराकरण के लिए कोई कदम नहीं उठाये गए। आज हम देखते हैं कि एक ट्रक दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है तो रास्ते में कितनी परेशानियां उसको होती हैं। जो छोटे-छोटे टाउन एरियाज हैं वह सब बैरियर लगा कर खड़े हो जाते हैं कि यहां पर टाउन एरिया है इसलिए टैक्स दे कर जाइये। उनका कितना समय उसमें बरबाद होता है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कभी नहीं सोचा। जो इस तरह का प्राविधान किया गया है, तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने मोटर वालों को कुछ भी राहत नहीं दिया है। दिल्ली से कलकत्ता तक जाने में कितनी टाउन एरियाज, कितनी म्युनिसिपैलिटी पड़ेगी। इस तरह उनको कितना समय बरबाद करना पड़ता है। इन चुंगियों पर ४-४/५-५ घंटे समय बरबाद करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि इस बिल में यह प्राविधान करें कि जो टैक्स बढ़ाया है उसमें से टाउन एरिया और उसकी जो चुंगी के रूप में पड़ने वाले रोड कर है इस बढ़े हुए कर से अदा करें।

इसके बाद मान्यवर, मैं ट्रैक्टर-ट्राली के विषय में आता हूं। एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि आप जो भी टैक्स बढ़ायेंगे, कोई भी व्यवसायी क्यों न हो, चाहे मोटर वाला हो या कोई अन्य व्यवसायी हो वह टैक्स कभी भी अपने प्राफिट में से नहीं देता है। अभी टैक्स बढ़ाने की बात है फिर किराया बढ़ेगा फिर इसका भार किस पर पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यह कर जो बढ़ाया गया है यह जनहित में नहीं है। इसमें यह देखना चाहिए था, यह जो कर बढ़ेगा उसका असर किस पर पड़ेगा। माननीय मंत्री जी शायद यह सोचे नहीं कि हम लोगों ने जनता पार्टी ने किसानों के प्रति, गांव की ओर चलो का नारा दिया है। यह सारी बातें सुविधा देने की अपनी घोषणा पत्र में कही हैं। अब मैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओंकार सिंह]

देखता हूं कि सारी कार्यवाहियां नीति-विरोधी हो रही हैं। मान्यवर, ठीक है मंत्री जी को १०० रुपये २०० रुपये का कर बहुत मामूली दिखाई देता है और वह सोचते होंगे कि जो इतनी बड़ी कीमत का ट्रैक्टर खरीद सकता है उस पर १०० रुपये या २०० रुपये बढ़ा देने से वह उसे आसानी से दे सकता है। आप इसमें देखें कि किसान को कितनी परेशानी होगी और उस पर कितना बोझ बढ़ेगा। एक ट्रैक्टर खरीदने वाले के पीछे इन्सपेक्टर पड़ जाता है और उन्हें परेशान करने लगता है। मैं आपसे इसी सिलसिले में बता दूं कि एक टेक्निकल इन्सपेक्टर इसी तरह के मामले में मीरा में बन्दी हुआ और उसके खिलाफ केस अभी भी चल रहा है। यह क्यों हुआ क्योंकि उसने ट्रैक्टर, ट्राली के रजिस्ट्रेशन के पीछे रिश्वत मांगी थी। उसमें उसको पकड़ा गया।

मान्यवर, आप १००/२०० रुपये की राशि को कम देखते हैं परन्तु किसान को कितनी परेशानी बढ़ेगी, इस तरफ भी देख। मान्यवर, यह बात सही है कि वह उसका यूज एग्रीकल्चर के लिए करेगा और ट्रान्सपोर्ट बिजनेस के लिए भी करेगा। मान्यवर, ट्रैक्टर और ट्राली पर टैक्स पहले भी निजी भार वाहन के रूप में होता था, उनके ऊपर टैक्स पहले भी था और शेड्यूल्ड रेट के मुताबिक वह टैक्स देता रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि मंत्री जी यह नया प्रस्ताव कैसे ले आये? मान्यवर, इसमें होगा क्या? पुलिस वाले अपने उद्देश्य की पूर्ति करेंगे और लोगों को अनावश्यक परेशान करेंगे, उनकी परेशानी भी आप देख। ट्रैक्टर और ट्राली पर जो टैक्स लगाया गया है वह बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है। यह किसान विरोधी है। मान्यवर, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता महोदय श्री नेगी जी ने कहा कि ट्रैक्टर से हम बैलों का काम करते हैं। आप प्रति वर्ष के आंकड़े देखें तो बैलों की संख्या, जानवरों की संख्या में कमी होती जा रही है। आप देखें कि एक साधारण बैलों की जोड़ी भी ५-६ हजार के नीचे नहीं मिलती है। किसान वह काम किराये पर ट्रैक्टर करके चलाता है। इस तरह इस भार से किसानों को परेशानी होगी तो बड़ा मुश्किल हो जायगा, उनके लिए ट्रैक्टर रखना। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ट्रैक्टर और ट्राली पर टैक्स को वापस लें। अगर आप इससे मुक्त नहीं करेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा।

* श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो यह विधेयक पेश किया है उनका कहना है कि इसको लगाने से सरल हो जायगा सड़क बनाने में। मैं समझता हूं १० परसेन्ट टैक्स बढ़ाकर माननीय मंत्री जी जनता पार्टी की जो घोषित नीति है उस पर कुठाराघात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपका बिना टैक्स बढ़ाये भी काम चल सकता है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि रोडवेज में बड़े पैमाने पर चोरियां होती हैं। नये टायर और ट्यूब बेच दिए जाते हैं। यह चोरी कांग्रेस के जमाने में भी होती थी और उसको हमारे मंत्री जी एक पैसा भी कम करने में सफल नहीं हो पाए हैं। इन पर जिला परिषद् भी टैक्स लेता है और अब आप भी लगायेंगे। किसान अपना सामान ले जायगा मंडी में तो वह आसमान से तो जायगा नहीं, कहीं न कहीं सड़क पड़ेगी ही। आपका आफिसर उसको पकड़ कर ले जायगा और परेशान करेगा। मालूम होता है मंत्री जी तो खेती करते नहीं और उनके अधिकारियों ने भी उनको गलत राय दी है। यह उनकी नीति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसान विरोधी है। आपने कहा कि सड़क के लिए पैसा इससे मिल जायगा। सड़क पर मिट्टी पड़ती है वह भी बेंच दी जाती है और इस बारे में लिखने के बाद भी मंत्री लोग कार्यवाही नहीं करते। जो पुराना ढर्रा भ्रष्टाचार का चला आ रहा है वही आज भी चल रहा है। तो मैं अपने सत्ता पक्ष के सदस्यों से भी कहूंगा कि हम जनता के बीच में वचन देकर आये हैं। हमारा सभी का फर्ज होता है कि जब तक मंत्री जी ट्रैक्टर और ट्राली पर से टैक्स वापस नहीं लेते हम इसको पास न होने दें।

*श्री जयराम (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी का ध्यान किसानों की ओर खींचना चाहता हूं कि वह उनकी दशा की जांच करें कि जो ट्रैक्टर रखे हुए हैं उनकी दशा क्या है। एक आध को छोड़कर जिले के जिले ऐसे हैं जहां लोगों ने बैंकों से कर्जा लिया है और ट्रैक्टर खरीदा है। चाहे किसी भी बैंक से उसने कर्जा लिया है अगर वह समय से कर्जा नहीं दे पाता तो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ कर उनके ऊपर कर्जा लदता जा रहा है। मैं सदन के बीच में कहना चाहता हूं कि ९६ प्रतिशत लोग किसान के बेटे हैं और वह किसान की समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं। मैं तो गाजीपुर जिले के बारे में कहना चाहता हूं। जो किसान ट्रैक्टर रखे हुए आज दो तीन साल बाद वह तलाश में है कि कोई उनका ट्रैक्टर खरीद ले या फिर वह अपना सामान बेच कर ट्रैक्टर का दाम दे दे। मान्यवर, उसके छोटे-छोटे पार्ट्स इतने मंहगे हैं कि अगर एक सामान खराब हो जाता है तो वह किसान उस सामान को ठीक कराने में परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ मंत्री जी के सामने भले ही सौ दो सौ रुपये की कोई कीमत न हो। लेकिन अगर गांव के किसानों से जानकारी करें, उस गरीब किसान के ऊपर इतना बोझ लाद दिया गया है, उनके ऊपर सौ दो सौ रुपया बड़े बोझ के रूप में है।

दूसरी बात जब वह जायगा ट्राली का लाइसेन्स बनवाने के लिए उसके बारे में अधिकारी उसको कितना परेशान करेंगे, यह जानकारी उन माननीय सदस्यों को अवश्य होगी जिनके पास ट्रैक्टर हैं। इसलिए जो जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार और गांव की तरफ जाने की बात कही थी वह धीरे-धीरे अब उसका सही स्वरूप उजागर हो रहा है। मान्यवर, परिवहन मंत्री जी अपने विभाग के भ्रष्टाचार की ओर अगर ध्यान देते तो जितनी यह परेशानियां हैं, बहुत कुछ उनकी परेशानी हल हो जाती। एक दिन एक विधेयक लाये कि जो मुसाफिर बिना टिकट चलेंगे उन पर जुर्माना होगा और कन्डक्टर को भी सजा दी जायेगी। कई कन्डक्टर निकाले जा चुके हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि टायर ट्यूब और बसेज के पार्ट्स बेंच दिए जाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसे वर्कशाप के अधिकारी और कर्मचारी निकाले गये हैं? इसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान नहीं जा रहा है।

मान्यवर, मैं तो आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में किसानों की दशा इतनी बुरी होती जा रही है कि गांव में लोग कह रहे हैं कि अगर किसी को धीरे-धीरे दरिद्र होना हो तो पम्पिंग सेट लगा ले और जल्दी दरिद्र होना हो तो ट्रैक्टर खरीद ले। ट्राली के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है वह किसान विरोधी है और मैं चाहूंगा कि मंत्री जी को सद्बुद्धि आये और वे ट्राली और ट्रैक्टर पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव को वापस ले लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री जी ने जो उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। पूरे चार साल बाद यह १० परसेन्ट टेक्स बढ़ाया और हर आदमी आज यह मानता है वह चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जनता पार्टी का हो, भ्रष्टाचार को दूर करना पहली बात होगी। लेकिन एक बात अवश्य है कि किसी भी विकासशील अर्थ व्यवस्था में कीमतें बढ़ती हैं। केवल यह निश्चित करना होता है कि कीमतें बढ़ने की प्रगति किस हिसाब से है। सड़क के रख रखाव और निर्माण में व्यय १० प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ा है और सन् ७४ से उसे ४० प्रतिशत बढ़ना चाहिए था और बढ़ चुका है। हम लोग सदैव यह बात करते रहते हैं कि देश की प्रगति के लिए सड़कें रक्त धमनियों के समान हैं और वे स्वच्छ और अच्छी तरह से निर्मित होनी चाहिए। आखिर यह व्यय कहां से आयेगा? इसके लिए जो दस प्रतिशत टैक्स बढ़ाया है वह बिलकुल सही है। लोगों ने मुझसे कहा कि आप किसान हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने किसानों के पास आज ट्रैक्टर है। ३५ हजार रुपये का ट्रैक्टर मिलता है। जो इतना रुपया खर्च कर सकता है और ट्रैक्टर खरीद सकता है क्या वह सौ रुपया और नहीं दे सकता है?

बैंक से कर्जा लेकर भी खरीदते हैं .. (व्यवधान) चीख क्या रहे हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

बहिनों का जेवर तक बेच कर खरीदते हैं।

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

आपका कितना बिक गया जेवर?

तो मैं कहता हूं, यह आप बताइए कि कितने प्रतिशत किसानों के पास ट्रैक्टर हैं, कितनी उनके पास जमीन है? अगर आपको गांव की प्रगति करनी है और पैसा लाना है तो बड़े किसानों से पैसा लाना भी पड़ेगा इसमें क्या गलत बात है? तो इसलिए बिल्कुल ठीक किया है, यह टक्स बढ़ा करके, मैं इसका समर्थन करता हूं।

बहुत दिनों से यह बात चली आ रही है कि छोटे किसानों की रक्षा की जाय, सहायता की जाय, इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की सहायता की जाय, लेकिन ट्रैक्टर छोटा किसान न रखता है न रख-रखाव कर सकता है, न चला सकता है।

एक सदस्य—

उनकी जमीनें बिक रही हैं, मैं उदाहरण दे सकता हूं ...

श्री उपाध्यक्ष—

राम अधार जी आप जब बोल रहे थे तो उधर से कोई नहीं बोला, अब उनको बोलने द।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

मुझको बोलने दिया जाय । मेरा अपना विचार है । मैं मंत्री महोदय का ध्यान कुछ अव्यवस्था और कुव्यवस्था की ओर दिलाना चाहूंगा कि आज पूरे प्रदेश में कितनी प्राइवेट गाड़ियां हैं जो टैक्सी के रूप में चलती हैं जो टैक्सी का कर सरकार के पास आना चाहिए वह चोरी चला जाता है। तो सबसे पहिले यह होना चाहिए कि इसको चेक किया जाय । आज पूरे प्रदेश में कहीं भी उचित रूप से न टैक्सी वाले और न थ्री व्हीलर मीटरों का उपयोग करते हैं । पहले यह बीमारी पूर्वी प्रदेश में थी, अब पश्चिमी प्रदेश में भी पहुंच गयी है। जिनके पास जीप गाड़ियां हैं उनका टक्सीज की तरह उपयोग होता है । तो अपने विभाग को मंत्री जी इस माने म सावधान करें कि प्राइवेट गाड़ियों का उपयोग टैक्सियों की तरह न हो सके ताकि कर-वंचना न हो सके । आर० टी० ओ० के आफिस के बारे में बहुत अधिक शिकायतें आती हैं । वहां पर इस प्रकार के सेल का देख-रेख का इन्तजाम करें कि वहां की बेईमानी और भ्रष्टाचार कम हो सके और बन्द हो सके। मुझे यही कहना है । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं।

(श्री रियासत हुसैन का नाम पुकारे जाने तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मैंने तो संशोधन दिया था मुझे तो बोल लेने दें . . .

श्री उपाध्यक्ष—

श्री राम आसरे वर्मा, आप बोल लें, आगे दो और विधेयक ऐसे हैं जिन पर ज्यादा सदस्य बोलना चाहेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं मोटर गाड़ी कराधान विधेयक, १९७८ को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । अभी जो माननीय सदस्य कह रहे थे कि ट्रैक्टर पर टैक्स लगगा । यह अच्छी बात है या खराब, मैं नहीं कहना चाहता हूं । लेकिन यह जरूर कहूंगा कि जो नारा दिया है जनता पार्टी के शासन ने कि गांव की ओर चलो, मैं समझता हूं कि गांव की ओर जाने का रास्ता उनका बन्द हो जायगा, निश्चित रूप से बन्द हो जायगा ।

एक सदस्य—

बैलगाड़ियों से चलिए ।

श्री राम आसरे वर्मा—

जो यह कहते हैं कि इतने प्रतिशत लोगों के पास ट्रैक्टर हैं लेकिन यह न भूलें कि उन्हीं ट्रक्टरों से छोटे किसानों की जमीन की भी जुताई होती है, उनसे भी पैसा लिया जाता है । जब टैक्स बढ़ेगा तो साधारण किसानों से ही वसूल वह करेगा और उसका बोझ साधारण किसान पर भी पड़ेगा ।

दूसरे, इसके कि आप नये-नये टैक्स लगावें, आपने जो अब तक टैक्स लगाये हैं, आपने अबतक जो आर्थिक बोझ डाल रखा है उसके बारे में सोचते तो कुछ अच्छा भी लगता और उससे कहीं ज्यादा टैक्स भी आपको मिलता । कुल १५-२० परसेन्ट जो आपको टक्स मिलता होगा, उसकी वसूली के लिए यदि प्रभावकारी व निश्चित कदम उठाए जाएं तो यह टैक्स बहुत ज्यादा वसूल होगा और आपको अन्य किसी टैक्स के लगाने या बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी । आपके विभाग में ऊपर से नीचे तक, पहरेदार से अलमबरदार तक हर आदमी की रग-रग म भ्रष्टाचार समाया हुआ है और उसका

[श्री राम आसरे वर्मा]

बोलबाला है। ऐसा भ्रष्टाचार शायद ही किसी डिपार्टमेंट में देखने को मिले। अभी तमाम बस कन्डक्टर निकाले गये थे, लेकिन जिन पर मंत्रियों की कृपा थी या ४-५ हजार रुपये दे दिया उनको गम्भीर आरोप होते हुए भी रख लिया गया। हल्के आरोप वाले बाहर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये सुनवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला, न्याय देने वाला उन्हें नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोपों की सुनवाई व सफाई का उनको मौका मिले, फिर उसका फैसला हो, लेकिन विभाग सुनवाई के लिए तैयार नहीं है, आपके यहां इसका कोई कायदा नहीं है। अधिकारी कोई नहीं निकाले गये, केवल कर्मचारी। कर्मचारी कोई गलत काम करता है तो उसका हिस्सा अधिकारी के पास भी जाता है। अतः मंत्री जी ने जो टैक्स लगाया है, माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रखकर वह उसे वापस लेने की कृपा करें और इस प्रवर समिति में भेजने का मैं समर्थन करता हूं।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इस विधेयक के लिए ज्यादा समय रखा गया था ऐडवाइजरी समिति में, इसलिए इसे नम्बर एक पर रखा गया है, इसे आप तीन बजे तक चलने दीजिए। एक संशोधन भी आपके पास भेजा गया है, उस पर मंत्री जी शायद विचार भी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जूनियर हाई स्कूल वाले पर भी ज्यादा सदस्य बोलना चाहेंगे, खैर चलने दीजिए।

* श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

श्रीमन्, राय साहब की तरह भावावेश में मैं यह तो नहीं कहता कि इसे पास होने नहीं दूंगा, लेकिन आगरा के बारे में कह रहा हूं, आपके जो कार्यक्रम और वायदे हैं, उनका यह उल्टा है। मैं पालीवाल साहब की बात से सहमत नहीं हूं कि कितने परसेंट किसान के पास ट्रैक्टर हैं। यह ट्रैक्टर वाले पर पड़ेगा तो जिनके-जिनके खेत जोते जाते थे उन पर भी यह अप्रत्यक्ष रूप से पड़ेगा यह टैक्स उन पर भी बढ़कर लग जायेगा। पालीवाल जी देखने जायेंगे तो उनको मालूम होगा कि १० बीघा खेत वाला भी रोजगार के लिए ट्रैक्टर रखे है, गरीब काश्तकारों के पास भी ट्रैक्टर्स हैं। उन्होंने अपने घर से इसे नहीं खरीदा है, ऐसे तो केवल १ परसेन्ट होंगे। अनुभव यह बताता है कि जिन लोगों ने ट्रैक्टर लिए हैं, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो देहात का है, पालीवाल जी शहर में रहते हैं और देहात के क्षेत्र से चुने गये हैं। लेकिन अगर वह अपने क्षेत्र के लोगों से पूछें तो पूरी भावनाएं उनके खिलाफ जायेंगी। कोई किसान उनसे सहमत नहीं होगा कि ट्रालीं और ट्रैक्टर पर टैक्स बढ़ा दिया जाय। अब तक जो टैक्स ट्रालियों पर लगा हुआ था, लाइसेन्स बनता था, उसके बारे में किसान तो उसको बड़ी परेशानी होती थी। जो किसान लाइसेन्स लेने के लिए जायगा ट्राली के लिए उसे दस-पांच दिन अपनी ट्राली और ट्रैक्टर को खड़ा करना पड़ेगा। १०० रुपये का टैक्स लगेगा और एक हजार रुपये का हर्जा होगा जुताई का। वह भी इसमें शामिल है। यह इन्डाइरेक्टली भ्रष्टाचार का समर्थन करना है, किसानों को अधिकारियों के हाथ में सौंप देना है और बढ़ती हुई ट्रैक्टरों की खरीद पर रोक लगा देना है। मैं मंत्री

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी से आग्रह करूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें कि यह टैक्स न लगाया जाय। मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं। इस टैक्स को छोड़ हम पूरे विधेयक को पास करेंगे। लेकिन ट्रालियों के टैक्स को वापस ले लें और खंड ९ और १० को निकाल दें। एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री हुक्म सिंह परिहार—

वह यह है कि जो विभाग मंत्री जी के पास है परिवहन विभाग इसमें पहले से भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया है। यह जनता पार्टी की भावना भ्रष्टाचार को बढ़ाने की नहीं है। हम शासन करने के लिए नहीं आए हैं। हम भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आए हैं। जो मंत्री अपने विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ा देता है, वह जनता पार्टी की मूलभावना पर चोट करता है। वह मंत्री अपने दिलों को ईमानदारी से टटोलें और अपने विभागों को देखें और जो एक साल के अन्दर भ्रष्टाचार को नहीं कम कर पाये हैं वह स्वयं त्यागपत्र दे दें। अगर उनमें क्षमता नहीं है कि जनता पार्टी के सिद्धान्तों की पूर्ति कर सकें, बाबू जय प्रकाश नारायण की समग्र क्रान्ति की जो भावनाएं हैं खास कर भ्रष्टाचार को खत्म करने की मूल भावना है, जो मंत्री भ्रष्टाचार को कम नहीं कर सकते है, उनमें क्षमता नहीं है, वह स्वयं हट जायं। यह उनके और जनता पार्टी के हित में है। मैं फिर अपने संशोधन पर जोर देता हूं कि खंड ९ और १० को निकाल दें। उसको खत्म करके हम बिल पास करना चाहते हैं।

* श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, जो विधेयक परिवहन मंत्री ने रखा है, हमने भी देखा टैक्स लगता है, सरकार पैसे की बहुत इच्छुक है, हर विषय पर टैक्सेशनल चल रहा है। हमने अभी देखा है पुरानी सरकार से, आज की जो हमारी सरकार है हर विभाग पर पंचगुना खर्च कर रही है। मैं कहना नहीं चाहता हूं, १३ महीने में इतने दौरे हो रहे हैं, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं। लोगों का एक लाख से ज्यादा टी०ए० डी० ए० हो गया है। अगर किसान और मजदूर के हितों की बात की जाये तो यह काम आपका प्रशंसनीय होगा।

कुछ विधायकों ने ट्रैक्टर और ट्राली वालों पर आक्रमण किया। आप जानते हैं कि लोगों ने किस हालत में ट्रैक्टर खरीदा है। वे भी हमारे प्रदेश के रहने वाले हैं। ट्रैक्टर पर टैक्स लगाया है इसका मतलब है कि आपने बैल पर टैक्स लगाया है। ट्रैक्टर कच्ची सड़कों पर चलता है, शायद ही कभी जब वह उसको ठीक कराने, शहर जाये या कोई वस्तु लेने के लिए बाजार आदि जावे तो वह पक्की सड़क पर चलता हो। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसको हटा लेना चाहिए। यह टैक्स जन विरोधी है। आप मोटर गाड़ियों पर तो टैक्स लगाने जा रहे हैं लेकिन आप पहले अपने रास्तों को तो ठीक कीजिए। आपकी सड़कें ठीक नहीं है उन पर गाड़ियां चल नहीं सकती हैं। आपकी सड़कें खराब है और उन पर मोटर गाड़ियां चल नहीं सकती हैं, फिर भी आपने उन पर मोटर गाड़ियां चलने का लाइसेन्स दे दिया। आप जहां टैक्स लगा रहे हैं तो आप अपनी सड़कों को भी ठीक करावें सारी जनता आपकी ओर देख रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम कृष्ण]

इसलिए मेरा सुझाव है कि ट्रैक्टरों पर जो आपने टैक्स लगाया है उसको हटा लिया जाये और जहां बसों पर आपने टैक्स लगाया है वहां सड़कों को ठीक कराया जाये । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

* श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया । इस समय माननीय मंत्री जी सदन में नहीं हैं और वह इसलिये सदन से बाहर हैं कि जिन अधिकारियों ने जनता पार्टी की छबि को गिराने का काम किया है उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है । इसमें जितना दोष माननीय मंत्री जी का नहीं है उतना दोष इस विभाग के अधिकारियों का है । इस विभाग में न तो कोई नियमावली है और न कोई कानून है । मन-माने ढंग से लूट खा रहे हैं । माननीय मंत्री जी ने कुछ सुधारने की कोशिश की कि जो यहां पर भ्रष्टाचार और अनियमिततायें व्याप्त हैं उनको दूर किया जाये, लेकिन वहां के अधिकारियों ने यह बिल लाकर प्रस्तुत कर दिया । मैं सत्ता पक्ष में रहते हुये डाक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी और जय प्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति में विश्वास करता हूं । जिन वादों को हम जनता से करके आये हैं उनको पूरा करना हमारा नैतिक कर्त्तव्य है । किसान जिससे हम वादा करके आये थे वह हमारी ओर देख रहा है और जब यह विधेयक पास होगा और किसान ट्रैक्टर या टाली पर लाइसेन्स के लिए आयेंगे तो रास्ते में इन्सपेक्टर उनको रोकेगा । लाइसेन्स लेने जब सड़क पर जायेंगे तो एक इन्सपेक्टर आयेगा और कहेगा कि ५ रुपये के बजाय तुम १० रुपये दो और एक दिन के बजाय उसे २ दिन के लिए रोकेगा ।

हमारे साथी जानते हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार की गंगा बहती है । हमारे मंत्री जी भी २, २, १, १, रुपये की चोरी पर अपने कर्मचारी को निकाल देंगे लेकिन विभाग में जो लाखों रुपये की लूट हो रही है उसमें दोषी व्यक्तियों को नहीं निकालेंगे । आज भी नगरपालिकाओं और टाउन एरियाज में जहां बस पर ५ रुपया टैक्स है वहां पर पेसेन्जर टैक्स ३० नये पैसे और २५ नये पैसे की दर से प्रति यात्री लिया जाता है । तो हमारे साथी जो इधर से कहते हैं कि यह विधेयक ठीक है बड़ा आश्चर्य होता है । पिछली बार बसेज के किराये में ४० प्रतिशत बढ़ा था और इस बार १० प्रतिशत बढ़ रहा है । तो इस प्रकार से ५० प्रतिशत बढ़ गया है । दल का अनुशासन हो या न हो लेकिन जनता का हित सर्वोपरि है । जो भी संशोधन का प्रस्ताव यहां पर पेश किया गया है और जिस पर मैंने भी दस्तखत किये हैं, हमारा नैतिक धर्म है कि हम उसका समर्थन करें । मेरी यह भी प्रार्थना है कि प्रदेश की जनता की इच्छा को पूरा करने के लिए वे संशोधन को स्वयं स्वीकार कर लें जिससे जनता पार्टी का चेहरा धूमिल होने से बच सके ।

श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो आज मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ प्रस्तुत किया है और जिसमें ट्रैक्टर्स और ट्रालीज पर टैक्स लाने का प्राविधान किया है, मैं उसका विरोध करता हूं और ऐसा मानता हूं कि इस कराधान के जरिये किसानों के साथ ज्यादती की जा रही है । बीज लाने के लिए,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खाद लाने के लिए किसानों को अपने ट्रैक्टरों को लेकर बाजार में जाना होता है और पक्की सड़क पर चलना होता है। उसे अपनी पैदावार बाजार में ले जाना होता है और पक्की सड़क पर चलना होता है और जैसे ही वह पक्की सड़क पर चलेगा टैक्स उसे देना होगा। उससे भी ज्यादा मुश्किलात का सामना उसे तब करना पड़ेगा जब वह ट्रान्सपोर्ट कार्यालय में जाता है और उसकी वहां पर खुली लूट होगी। जब भी वह वहां पर जायेगा, उसकी दुर्दशा होगी और हर बार वह हमें गाली देगा। हमें अफसोस है कि हमारे माननीय मंत्री जो जनता पार्टी के टिकट पर चुन कर आये हैं और जो जनता से उन्होंने वायदा किया था कि हम गांवों की ओर चलेंगे, उससे मुकर रहे हैं। यदि माननीय मंत्री जी अपने विभाग की आमदनी ही बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए साफ रास्ता है कि वे ट्रान्सपोर्ट विभाग में जो चोरी होती है, उसको रोका जाय। उससे जो विभाग की जरूरतें हैं, उन सब को पूरा किया जा सकता है। विभाग में बिना टिकट यात्रियों को ले चलना, स्पेयर पार्ट्स और टायर्स की खुले आम चोरी होती है। मामूली टायर्स और अन्य सामान को खरीदने के लिए अधिकारियों का कहीं अधिक टी० ए० और डी० ए० होता है। मैं तो यह कहता हूं कि अगर विभाग में चोरी को रोक दिया जाय तो टैक्सेशन की जरूरत ही न पड़े। यह जो राष्ट्रीयकृत मार्ग है ट्रान्सपोर्ट विभाग का इस पर प्राइवेट लोगों को बस चलाने की इजाजत दे रखा है। इस विभाग के लोग अप्स एन्ड डाउन्स की रायलिटी वसूल करते हैं। दिन में ३-३, ४-४ बार अप्स एन्ड डाउन्स करते रहते हैं, लेकिन एक ही अप एन्ड डाउन की रायलटी जमा होती है बाकी सबकी रायलटी वह खा जाते हैं। उसमें पूरे ट्रान्सपोर्ट के अधिकारी लोगों का हिस्सा बंटता है। जो रास्ता है चोरी का वह उस रास्ते को बन्द कर दें, तो फिर किसी कराधान की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी।

ट्रान्सपोर्ट विभाग एक व्यापारिक विभाग है और उसमें काम करने वाले लोगों को अपने ग्राहकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये और किस प्रकार से उनको सम्मान देना चाहिये, कृपा करके उनके व्यवहार और आचरण को उस तरह से बनावें, इनके मैनेजर, इनके कंडक्टर आदि का व्यवहार इतना खराब होता है कि उसकी कोई इंतहा नहीं है। गाजीपुर डिपो से जो भी बस चलती है उसकी हालत इतनी खराब है कि गाजीपुर, आजमगढ़ और ताड़ीघाट से जमनियां जाने के लिए कोई यात्री बैठता है उसको कोई भरोसा नहीं रहता है कि वह जमनियां, आजमगढ़ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप कर तो लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो बसों की व्यवस्था है, उन बसों की व्यवस्था सुधारिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो आइटम ९ और १० के बारे में जो कराधान करने जा रहे हैं कृपा करके वह उसको वापस ले लें वरना किसानों के साथ बड़ी ज्यादती होगी और हम भी उनके बीच जाने के लायक नहीं रह जायेंगे।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन् मुझे बड़ी खुशी है कि आज का मेरा प्रस्ताव प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के लिये है उसमें माननीय सदन के दोनों तरफ के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जो ९ और १० पर हैं तथा जिसमें ट्रैक्टर और ट्राली का विशेष तौर से १०० रुपये और २०० रुपये का टैक्स लगाने का प्राविधान किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

गया, उसको निकाल देने के लिए पूरे सदन की कामन मांग है और इस संबंध में आपके पास एक संशोधन भी पहुंचा है। मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा आप से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि दिमाग में इस बात को रखिये कि बिला पढ़े-लिखे किसान और आज कल जितने भी ट्रैक्टर काम के हैं पी० डब्लू० डी० के पास चले गये। मान लीजिए एक किसान के पास एक चक या दो चक है या दो गांव में जमीन है, एक खेत को जोत कर दूसरे चक में जाने की बात कर रहा है ट्राली से खाद या बीज रखना चाहता है, वह इत्तिफाक से आपका कर्मचारी सड़क के ऊपर आ जायेंगे तो क्या हालचाल उस किसान का होगा? क्योंकि ट्रैक्टर ऐसी चीज नहीं है कि किसान भी अपने घर में ही रखेगा। जब वह बीज लेकर जायगा, अपनी फसल बोने के लिए जायगा, तो उसमें ट्राली लगी होगी, तो वह उस सड़क से भी जायगा। जो पी० डब्लू० डी० की बनी हुई है। तो वह उस गिरफ्त में आ जाएगा। उसके अलावा अगर वह नहीं है, तो उसको चालान और जेल की नौबत भी हो सकती है। इसलिए आप स्वयं इस बात को सोच लें और सबसे मशविरा कर लें।

माननीय राम सिंह जी और माननीय कालीचरण जी भी तथा और भी कई कैबिनेट के मंत्री जी बैठे हुए हैं। सलाह मशविरा कर लें। ९ और १० को निकाल दें तो आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि आपका जो टैक्स लगाने वाला बिल है उसको आप इस सदन में एक राय से पास करा लेंगे। यह मामूली बात नहीं है कि टैक्स वाला बिल आप का एक राय से पास हो। यह बहुत बड़ा आपका एचीवमेंट होगा। इसलिए मैं एकबार फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कठिनाई हो तो बिल को वापस ले लें या थोड़े से एमेंडमेंट के बाद पास हो सकता है। अगर प्रवर समिति में भेजने का सुझाव मान लें, एक साथ मीटिंग में समय निकाल कर इसको ठीक कर लें और अगर कोई कठिनाई न हो तो ९ और १० को निकाल दें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

मान्यवर, यह जो कराधान विधेयक प्रस्तुत हुआ है इसे पढ़कर मुझे बड़ा दुख हुआ। धारा ९ और १० जो है उस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि जो हमने वायदे जनता से किये थे उन पर बिना विचार किये हुये मंत्री जी ने किसानों की विरोधी धारा ९ और १० डाली है। इससे हमारी सरकार के लोगों की छवि धूमिल होती जिसकी कोई इन्तहा नहीं है। जैसा कि रियासत साहब ने कहा यदि किसान के गांव में एक या दो सड़कें हुयीं और दुर्भाग्य से उसके तीन या चार चक हुये तो उसको खेती करने में कठिनाई होगी। और जब यह स्थिति हो जायेगी तो भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी उस किसान की गरदन पकड़ेंगे जिससे जनता के अन्दर असंतोष की ज्वाला उठेगी और उस क्षेत्र के जो एम० एल०ए० हैं उनकी गरदन जनता पकड़ेगी कि आपने यह क्या कराया।

पालीवाल जी ने जो टैक्स लगाने की बात कही तो यह बात उनके दिमाग में कैसे आयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रैक्टर और ट्राली का उपयोग किसान करते हैं, जो किसान इनको लेकर आये हैं आज तक वह अपने ट्रैक्टर का ब्याज नहीं अदा कर पाये हैं और उनको अपने परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाई हो रही है। बहुत से किसान वसूली के संबंध में १५-२० दिन जिलों में रहे हैं और पालीवाल जी कहते हैं कि जो किसान ट्रैक्टर खरीद रहे हैं उनका ख्याल है कि उनको कुछ टैक्स किया जा सकता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। जो आदमी ट्रैक्टर के ऋण को अदा नहीं कर पा रहे हैं और जेल जा रहे हैं, वह टैक्स कैसे दे पायेंगे?

आज पुराने ट्रैक्टरों को कोई खरीदने वाला नहीं है और आपने यह कराधान संशोधन विधेयक लाकर टैक्स और बढ़ा दिया है और उसके बावजूद कहते हैं कि यह किसान प्रिय सरकार है, किसान अभिमुख सरकार है। यह बड़े दुख की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार में इस समय ५० फीसदी किसान मंत्री हैं और ऐसी चीज उनके सामने से गुजर जाय यह बड़े दुख की बात है। हम जैसे लोगों को बड़ा दुख होता है। जनता पार्टी का जो चुनाव घोषणा-पत्र है उसकी भी कोई मंशा इस प्रकार का कर लगाने का नहीं है। यह वर्किंग कमेटी के सामने आया और न विचार हुआ इससे ज्यादा और कोई अनुशासन हीनता नहीं हो सकती। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धारा ९ और १० को निश्चित रूप से निकाल दें और ट्रैक्टर और ट्रालो पर किसी प्रकार कर न लगाया जाय। मान्यवर, जनता पार्टी लोकनायक जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में जिन बातों को ले कर चली थी और हमने किसान का नारा दिया था आज हम लोगों के सामने इस तरह की धाराएं पास हो जायं इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस प्रकार के संशोधनों पर पहले जनता पार्टी की वर्किंग कमेटी में विचार किया जाय, नीतियां निर्धारित की जायं तब ऐसे संशोधनों को यहां लाया जाय। इस लिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि धारा ९ व १० को इस संशोधन विधेयक से निकाल देने का स्पष्ट आश्वासन दें तभी हम इसमें भाग ले सकेंगे।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। यह सही है कि सड़कों के रख-रखाव या अन्य सुविधायें हम चाहते हैं और हमारी सरकार सुचारू रूप से चले तो कर लगाना भी नितान्त आवश्यक है लेकिन यह भी याद रखें कि कोई भी कर ऐसा न लगायें जिनका सीधा सम्बन्ध किसानों से हो। जिन अधिकारियों की राय से यह १० प्रतिशत कर लगाया जा रहा है उनकी शायद यह राय होगी कि बिना इस कर के सही ढंग से शासन की व्यवस्था नहीं चल सकेगी, लेकिन जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है जैसे पार्टस चोरी हो जाते हैं टायर व पुर्जे बदल दिये जाते हैं यदि इस भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया जाय तो १० प्रतिशत कर को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन करों का बोझ आखिर जनता पर ही पड़ता है। ट्रैक्टर तथा प्राइवेट कारों पर टैक्स लगेगा तो किराया बढ़ा कर वे जनता से वसूल करेंगे। मंत्री महोदय लिहाजा यह आदेश दें कि मोटर मालिकान व ठेले वाले किराया बढ़ा कर जनता पर न लादें। कर लगाये बिना अगर गुजारा नहीं था तो इतना अवश्य कहूंगा कि ट्रैक्टर व ट्राली पर जो कर लगाया गया है वह नितान्त गलत है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं और मंत्री महोदय सदन की भावना समझ कर एसी स्थिति न आने देंगे कि जनता सरकार के माननीय सदस्यों को विवश हो कर इसका विरोध करने हेतु कोई कदम उठाना पड़े। मैं पुनः एक बार फिर यह विश्वास करता हूं कि इसमें मंत्री जी संशोधन प्रस्तुत करेंगे और ट्रैक्टर तथा ट्राली पर से लगा हुआ कर हटायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं दूसरे विधेयक को ले रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मंत्री जी फरार हो गये ।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी को उत्तर देना था वह नहीं है इसलिए मैं इसको स्थगित करता हूं और शिक्षा मंत्री जी के विधेयक को ले रहा हूं ।

श्री रियासत हुसैन--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । चूंकि यह एक ऐसा इश्यू है जिस पर सारे माननीय सदस्य बात कर रहे हैं । ९ और १० की बात कह रहे हैं । परिवहन मंत्री जी से बात होने की बात है । इसको स्थगित करने की बात कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे पास दोनों तरफ के सदस्यों ने आकर अनुरोध किया शायद उस पर मंत्री जी विचार कर रहे हैं । इसलिए मैं इसको स्थगित करता हूं और दूसरा विधेयक लेता हूं ।

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)--

क्या कोई सूचना माननीय परिवहन मंत्री जी ने आप को दी है ?

श्री उपाध्यक्ष--

कुछ सदस्य सत्ता दल के जो हैं, उन्होंने कहा है ।

श्री राम सिंह--

माननीय परिवहन मंत्री जी मुझे कह कर गये हैं कि विधेयक पर चर्चा हो रही है थोड़ी देर में आऊंगा और मैं विशेष बातों को नोट कर लूं । अभी वोटिंग का समय नहीं आया और न उत्तर देने का । मैं उनको बुलवा रहा हूं । तब तक आप बहस करा लीजिये ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय सदस्यों को बोलने दें ।

*श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, टैक्स में इजाफे के सिलसिले में जो बिल पेश किया गया है उसकी मसर्रत शर्त के साथ हिमायत करता हूं और इस सिलसिले में चन्द बातें कहना चाहता हूं । ९ और १० के सिलसिले में चन्द बातें कहना चाहता हूं । ९ और १० के सिलसिले में किसी तरह की बात न कह कर यह कहना चाहता हूं कि अमली शकल में यह मामला बड़ा दुश्वार है । एक तो ट्रैक्टर ट्रांस्पोर्ट का जुज ही नहीं होता । वह तो काश्तकारी में काम आने वाला इम्पलीमेंट है उसको ट्रांस्पोर्ट की शक्ल देना नामुनासिब है और दूसरी उसमें टेक्निकल डिफिकल्टी है । किसान को १० रुपये देने में कोई परेशानी नहीं है लेकिन उसको १० दिन की जो परेशानी होगी उससे उसके काम में फर्क पड़ता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह जो टैक्स का सिलसिला है इसमें जो हमारे ८० फीसदी देहात के भाई हैं उन पर २० फीसदी टैक्स पड़ता है और जो शहर के २० फीसदी लोग हैं उन पर ८० फीसदी टैक्स पड़ता है (व्यवधान) यह मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आप स्टेटिस्टिक्स देख लें। टैक्स का एक तरीका बनाया जाय यह ट्राली या ट्रैक्टर की बात नहीं है। जिस पर कम से कम भार उनका पड़ता हो उस पर लगे शहर और देहात की आमदनी को देखते हुए वह लगे उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर आप ने शहर में स्कूटर और मोटर साइकिल को एक्जेम्पशन दे दिया है तो देहात में ट्रैक्टर को भी एक्जम्पशन देना होगा।

दूसरा जो टैक्स के इजाफे की बात कही गई उसमें बैरियर की बात आई। जो पहले के एल०ए०जी० मंत्री की उनसे बात हुई थी। दिल्ली से कानपुर तक ले लें कम से कम १० जगह बैरियर होंगे उसमें ट्रांसपोर्टर को परेशानी होती है इसको खत्म करना चाहिये और कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे टैक्स में इजाफा भी हो और उनको परेशानी भी न हो।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ३५ मील का टुकड़ा है जिस पर रोडवेज की बस चलती है जिसका टिकट ३·५० है और नान-नेशनालाइज्ड सड़क पर जहां पर प्राइवेट बस चलती है ....।

दुबारा उत्तर भाषण देने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(श्री रियासत हुसैन का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री शत्रुरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। नियम २९२ के (३) में लिखा है मान्यवर, कोई सदस्य जिन्होंने कोई मूल प्रस्ताव या उस पर कोई संशोधन प्रस्तुत किया हो या आय-व्ययक की मांगों के लिए किसी मद को कम करने या हटा देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो, उत्तर के रूप में, पुनः भाषण कर सकेंगे, और यदि प्रस्ताव या संशोधन किसी अधिकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया हो तो उस मंत्री, को, जिसके विभाग से चर्चाधीन विषय का सम्बन्ध हो, प्रस्तावक के पश्चात् भाषण करने का अधिकार होगा, चाहे उन्होंने विवाद में पहले भाषण किया हो, या न किया हो। मान्यवर, माननीय रियासत हुसैन अपना भाषण समाप्त कर दिये तो उसके बाद फिर यह भाषण देना चाहते हैं। अब तो सम्बन्धित मंत्री को जवाब देना चाहिये और अन्य सदस्य से भाषण कराना मेरी समझ में नियमानुकूल नहीं है, नियमानुसार नहीं है। वह व्यवस्था का प्रश्न है, यह सदन की परम्परा रही है, यह सदन का नियम रहा है।

श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)—

मान्यवर, आपने एक व्यवस्था देकर के इस पर बहस स्थगित करा दिया और दूसरे बिल पर बहस चालू करा दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय श्री रियासत हुसैन साहब को बुलाया गया, यह अपना उत्तर भाषण बाद में दे देंगे तो मैंने कहा कि जब इस तरह की बात चल रही है और संशोधन पर मंत्री जी भी विचार कर रहे हैं तो मैंने दूसरा बिल ले कर माननीय मंत्री को पेश करने के लिए कहा। अब इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शत्रुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, इसमें व्यवस्था है कि जिस माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है उसके बाद मंत्री जी बोलेंगे, कोई अन्य सदस्य नहीं बोलेंगे। फिर आप नियम के बारे में जानकारी कर लें।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री रियासत हुसैन जी ने जो भाषण दिया है उत्तर भाषण नहीं समझा जायगा और अभी उत्तर भाषण नहीं हुआ है।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

मान्यवर, यह तो आप व्यवस्था पर व्यवस्था दे रहे हैं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री जाहिदी जी, आप अपना भाषण जल्द समाप्त कीजिए।

*श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)--

मान्यवर, मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि जो ९ वाले परमिट होते हैं उन पर परमिट फिक्सेशन रेट रोडवेज स्ट्रक्चर के मुताबिक लागू होना चाहिये। अन्त में मान्यवर, इस बिल के पैरा ९ का जो संशोधन आया है उसको छोड़कर बाकी सभी की ताईद करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री रियासत हुसैन जी, अपना भाषण दें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

माननीय, उपाध्यक्ष महोदय आपका आभारी हूं कि जो संशोधन का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया उस पर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपनी जजबात पेश करने का मौका दिया। माननीय परिवहन मंत्री जी अब ९-१० के बारे सोचने की बात नहीं रह गई है। मैं माननीय मंत्री जी से आप के द्वारा ९-१० को निकालने के लिए, चाहे कुछ समय बाद सोचकर, चाहे प्रवर समिति को सुपुर्द कर के चाहे जैसा संशोधन स्वीकार करें। और इस माननीय सदन में ऐसा कई बार हो चुका है कि वक्ती तौर पर संशोधन देने के बाद भी मंजूर कर लिया जाय। इससे मसला हल हो जायगा और किसानों का भी फायदा होगा और वरना लोग कहेंगे कि जनता पार्टी ने आते ही टैक्स बढ़ा दिया।

*परिवहन मंत्री (श्री आबिद अली)--

मान्यवर, मैं अपने साथियों का आभारी हूं कि उन्होंने खुले दिल से विचार प्रकट किये हैं। रियासत हुसैन साहब ने दो बार अपनी बात कही। ज्यादातर बात इस पर आयी कि ट्रैक्टर और ट्रोली पर लोगों को एतराज है, दस परसेंट वाली बात पर शायद किसी को ऐतराज नहीं है। मैं इस सिलसिले में निवेदन करूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि आज जो बिल पेश हुआ है उसमें कोई नई चीज नहीं है यह सारी चीजें बजट में पास कर चुके हैं। फाइनेन्स मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में भी यह बातें कही थीं। बजट लिटरेचर में भी यह सारी चीजें थी। जब मैंने अपना बजट आप के सामने प्रस्तुत किया था तो उसमें भी सारी चीजें आयी और आपने उसको पास किया। पास करने के बाद चूंकि इसको कानून की शक्ल में आप की मंजूरी लेनी थी इस वास्ते फारमल शक्ल में यह चीज लायी गयी। कोई नई चीज नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि आज तो इसको पास कर दें और फिर इस विभाग की स्टेंडिंग कमेटी बनी हुई है जिसमें एम० एल० ए० और एम० एल० सीज हैं उनके सामने इसको रखूंगा। वह जैसा भी तय करें। आप लोग भी उसमें हैं, नौकर कोई नहीं है। इस वक्त तो आप ने जो फैसला किया है उसी की तौफीक करें।

श्री रियासत हुसैन--

बजट की बात मंत्री ने कही तो उसमें तो जनरल आउटलाइन दी हुई थी कि ट्रान्सपोर्ट के ऊपर टैक्स बढ़ायेंगे। यह नहीं था उसमें कि किस-किस चीज पर बढ़ायेंगे। अब आप इसको विधेयक की शक्ल में लाये हैं। इसमें भी कुछ एग्जेम्प्शंस आपने रखे हैं।

श्री आबिद अली--

इसमें आप देखें, लिखा है उत्तर प्रदेश में विभिन्न मोटरगाड़ियों पर सड़क कर की दर बढ़ाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतएव, ऐसी गाड़ियों, स्कूटर, मोटर साइकिल और मोपेड को छोड़कर एक सड़क कर की वर्तमान दर में दस प्रतिशत की वृद्धि करनें का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त, ट्रेक्टरों और ट्रेलरों पर सड़क कर के ढांचे के सरलीकरण का भी प्रस्ताव है। इससे लगभग ५० हजार रुपये के अतिरिक्त आय की आशा है।

श्री रियासत हुसैन--

सरलीकरण क्या है, इसको डिफाइन मत कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

आप रियासत हुसैन साहब अपना संशोधन बापस लेते हैं या नहीं ?

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, अगर मैं इसे वापस लेता हूं तो सारे प्रदेश के किसानों को धोखा देना होगा। सरलीकरण में तो यह भी हो सकता है कि आप बिलकुल छोड़ दें।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित करने पर तथा वहां की संख्या अधिक कहने पर)

श्री रियासत हुसैन—

माननीय, नहीं की संख्या अधिक है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं फिर से प्रश्न उपस्थित करता हूं । प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर प्रस्ताव निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में .. ५४,

विपक्ष में .. २० ।

खण्ड २, ३, अनुसूची, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, १९३५ का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायेगा ।

संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या ५ सन् १९३५ की धारा ४ का संशोधन

२—संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, १९३५ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा ४ में, स्पष्टीकरण में, खंड (ई) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(ई) तीस सितम्बर, १९७४ के पश्चात् किन्तु पहली अप्रैल, १९७८ के पूर्व किसी अवधि के सम्बन्ध में देय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये, उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, १९७५ के अध्याय ५ द्वारा यथा प्रतिस्थापित प्रथम अनुसूची से है;

(एफ) पहली अप्रैल, १९७८ को या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाली किसी अवधि के सम्बन्ध में देय कर का अवधारण करने के प्रयोजनो के लिये उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, १९७८ द्वारा यथा प्रतिस्थापित प्रथम अनुसूची से है ।"

प्रथम अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का रखा जाना ।

३—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायगी, अर्थात्—

प्रथम अनुसूची

(धारा ४ देखिये)

अनुच्छेद	गाड़ी का विवरण	कर की वार्षिक दर
१	२	३
	भाग 'क'	
	परिवहन गाड़ियों से भिन्न अन्य गाड़ियां	रु० पै०
एक—भार विहीन ४०६ किलोग्राम से अनधिक वजन वाली मोटर साइकिलें (जिसमें स्कूटर तथा आटो-साइकिलें सम्मिलित हैं)—		
	(क) मोटर बाइसिकिलें—	
	(१) ९१ किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार-विहीन	३५.००
	(२) ९१ किलोग्राम से अधिक वजन वाली, भार-विहीन	५५.००
	(ख) तीन पहिये वाली मोटर-साइकिलें ..	५५.००
	(ग) किसी ट्रेलर या पार्श्व गाड़ी (साइड कार) को खींचने के लिये प्रयोग की जाने वाली मोटर बाइसिकिलें या तीन पहिये वाली मोटर साइकिलें उपर्युक्त दरों के अतिरिक्त ।	७.००
दो—केवल यात्रियों और हल्के, वैयक्तिक सामान को ले जाने के लिए बनाई गयी और प्रयोग में लाई गई गाड़ियां, जिसमें ड्राइवर को छोड़कर छः व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो (मोटर साइकिलों सहित) और जिनका भार-विहीन वजन ४०६ किलोग्राम से अधिक हो—		
	(१) (क) १,०१६ किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार-विहीन	१३८.००
	(ख) १,०१६ किलोग्राम से अधिक किन्तु, १,२७० किलोग्राम से अनधिक वजन वाली भार-विहीन ..	१८२.००
	(ग) १,२७० किलोग्राम से अधिक किन्तु, १,७७८ से किलोग्राम से अनधिक वजन वाली भार-विहीन ..	२२८.००
	(घ) १,७७८ किलोग्राम से अधिक वजन वाली, भार-विहीन	२७५.००
	(२) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आने वाली गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर	३१.००

१	२	३
तीन--ड्राइवर को छोड़कर छः से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिये बनाई गई या प्रयोग के लिए अपनाई गई ४०६ किलोग्राम से अधिक वजन वाली, भार-विहीन गाड़ियां, जिनमें मोटर साइकिलें भी सम्मिलित हैं :--		
(एक) यदि उसमें पूर्ण रूप से वायवीय (न्यूमेटिक) टायर लगाये गये हों, और		
(क) १,०१६ किलो ग्राम से अनधिक वजन वाले, भार-विहीन		२०१.००
(ख) १,०१६ किलोग्राम से अधिक किन्तु किलोग्राम से अनधिक वजन वाली भार-विहीन ..	१,७७८	३४४.००
(ग) १,७७८ किलोग्राम से अधिक किन्तु किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार-विहीन ..	२,५४०	४५४.००
(घ) २,५४० किलोग्राम से अधिक किन्तु किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार-विहीन ..	३,५५६	६६३.००
(ङ) ३,५५६ किलोग्राम से अधिक किन्तु किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार-विहीन ..	५,०८०	८५४.००
(च) ५,०८० किलोग्राम वजन से अधिक वजन वाली भार-विहीन, ५,०८० किलोग्राम से अधिक प्रत्येक १,०१६ किलोग्राम या उसके किसी भाग के लिये ..		३५४.००
(छ) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आने वाली गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर--		
(क) १,०१६ किलोग्राम से अनधिक भार ले जाने के लिये		२३७.००
(ख) १,०१६ किलोग्राम से अधिक भार ले जाने के लिये		४५४.००
(दो) यदि लचकीले टायर लगाये गये हों तो वायवीय टायर सहित उसी वजन (भार-विहीन) की गाड़ी के लिये देय समुपयुक्त कर, और उस पर ३३ १/३ प्रतिशत अतिरिक्त सहित;		
(तीन) यदि लचकीले टायर न लगाये गये हों तो वायवीय टायर सहित उसी वजन (भार विहीन) की गाड़ी के लिए देय समुपयुक्त कर और उस पर ६६ २/३ प्रतिशत अतिरिक्त सहितः		

१	२	३

प्रतिबन्ध यह है कि इस भाग के अनुच्छेद एक, दो और तीन के सामने स्तम्भ ३ में विनिर्दिष्ट कर की दर में निम्नलिखित स्वामियों के वर्गों के सिवाय मोटर गाड़ियों के सभी स्वामियों के सम्बन्ध में पचास प्रतिशत की वृद्धि होगी, अर्थात् :—

(क) एकल व्यक्ति;

(ख) कोई म्युनिसिपल बोर्ड, नगर महापालिका, जिला परिषद्, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या क्षेत्र समिति;

(ग) किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय;

(घ) मान्यता प्राप्त कोई शिक्षा संस्था;

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्त न्याय;

(च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये मोटर गाड़ियों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति;

भाग 'ख'

परिवहन गाड़ियां

चार—यात्रियों और यात्रियों के हल्के वैयक्तिक सामान को ले जाने के लिये किराय पर चलने वाली गाड़ियां :—

(१) ड्राइवर को छोड़कर तीन से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली	३०३.००
(२) ड्राइवर को छोड़कर चार व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली	६०५.००
(३) ड्राइवर को छोड़कर चार से अधिक किन्तु छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली—	
(क) तीन पहियों वाली	६०५.००
(ख) अन्य	७५७.००
(४) ड्राइवर को छोड़कर छः व्यक्तियों से अधिक किन्तु बीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली प्रथम छः स्थानों के लिये	६२२.००
छः से अधिक प्रत्येक स्थान के लिये और बीस स्थानों तक इसके अतिरिक्त—	
(क) यदि क श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो	५०.००
(ख) यदि ख श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो	३३.००

१	२	३
(ग) यदि ग श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो		२८.००
(५) ड्राइवर को छोड़कर बीस से अधिक किन्तु बत्तीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली—		
(क) यदि क श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो—		
प्रथम बीस स्थानों के लिये ..	..	१,४१९.००
प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिये ..	..	६१.००
(ख) यदि ख श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो—		
प्रथम बीस स्थानों के लिये ..	..	१,१३९.००
प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिये ..	..	५०.००
(ग) यदि ग श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो—		
प्रथम बीस स्थानों के लिये ..	..	९७४.००
प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए ..	..	३३.००
(६) ड्राइवर को छोड़कर बत्तीस से अधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली अन्तिम पूर्वोक्त खंड के अधीन प्रथम बत्तीस स्थानों के लिये देय कर और उसके अतिरिक्त बत्तीस से अधिक प्रत्येक स्थान के लिये—		
(क) यदि क श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	..	११६.००
(ख) यदि ख श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	..	८३.००
(ग) यदि ग श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	..	५०.००

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, खड़े होने के स्वीकृत स्थान के (यदि कोई हो) पच्चास प्रतिशत की गणना बैठने के अतिरिक्त स्थान के रूप में की जायगी ।

पांच—सीमित संख्या में यात्रियों के ले जाने और सीमित परिमाण में माल के परिवहन के लिए किराये पर चलने वाली गाड़ियां—

१	२	३
	प्राधिकृत संख्या में यात्रियों के बैठने के स्थानों के सम्बन्ध में अनुच्छेद चार के अधीन देय कर और माल के प्राधिकृत भारके प्रत्येक ५१ किलोग्राम के लिये अतिरिक्त कर—	
	(क) यदि क श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो	१७.००
	(ख) यदि ख श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो	११.००
	(ग) यदि ग श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो	६.००
	छः—केवल माल के परिवहन के लिये चलने वाली गाड़ियां जिसके अन्तर्गत ट्रैक्टर से सम्बद्ध ट्रेलर नहीं हैं—	
	(१) यदि उसमें पूर्ण रूप के वायवीय टायर लगाये गये हों, और—	
	(क) यदि क श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो—	
	(एक) प्राधिकृत भार के प्रथम ७६२ किलोग्राम के लिए	३८५.००
	(दो) प्राधिकृत भार के प्रत्येक अतिरिक्त ५१ किलोग्राम के लिये	१४.००
	(ख) यदि ख श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो—	
	(एक) प्राधिकृत भार के प्रथम ७६२ किलोग्राम के लिये	३४७.००
	(दो) प्राधिकृत भार के प्रत्येक अतिरिक्त ५१ किलोग्राम के लिए	११.००
	(ग) यदि ग श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो—	
	(एक) प्राधिकृत भार के प्रथम ७६२ किलोग्राम के के लिये	३१४.००
	(दो) प्राधिकृत भार के प्रत्येक अतिरिक्त ५१ किलोग्राम के लिये	६.००
	(२) यदि लचकीले टायर लगाये गये हों इस अनुच्छेद के अधीन उसी प्रकार की प्राधिकृत भार क्षमता वाली वायवीय टायर लगी गाड़ी के लिये देय कर, और साथ ही उस पर ३३ १/३ प्रतिशत अतिरिक्त कर;	

१	२	३
	(३) यदि लचकीले टायर न लगाये गये हों इस अनुच्छेद के अधीन उसी प्रकार की प्राधिकृत भार क्षमता वाली वायवीय टायर लगी गाड़ी के लिये देय कर, और साथ ही उस पर ६६ २/३ प्रतिशत अतिरिक्त कर ।	
छः—क—मोटर वेहिकिल्स एक्ट, १९३९ के अध्याय ४ के अधीन चार या अधिक रोजनों में चलाई जाने के लिये अनुज्ञेय माल गाड़ियां—अनुच्छेद छः और सात के अधीन देय समुपयुक्त कर और उस पर ५५० रुपये वार्षिक का अतिरिक्त कर ।		
सात—किसी विशेष मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत गाड़ियां—		
	क—श्रेणी के मार्ग के सम्बन्ध में अनुच्छेद चार, पांच या छः के अधीन देय समुपयुक्त कर, और साथ ही ऐसे समुपयुक्त कर के ५० प्रतिशत से अनधिक का ऐसा अतिरिक्त कर जो नियत कर किया जाय ।	
आठ—किराये पर चलने वाली गाड़ियां, जिसके सम्बन्ध में अनुच्छेद चार, पांच, छः और सात में से किसी के अधीन कर का भुगतान किया जा चुका हो, जब विशेष या अस्थायी परिस्थितियों में और सीमित अवधि के लिये ऐसे मार्ग या मार्गों, जिन पर ये अन्यथा चलती हैं, से भिन्न अन्य मार्ग या मार्गों पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो, पूर्वोक्त किसी भी अनुच्छेद के अधीन भुगतान किये गये किसी कर के अतिरिक्त प्रत्येक ऐसे दिन या उसके किसी भाग के लिये, जिसमें किसी ऐसी गाड़ी को ऐसी विशेष या अस्थायी परिस्थितियों में प्रयोग करने का अभिप्राय हो, ३ रुपये की दर से कर :		
प्रतिबन्ध यह है कि इस अनुच्छेद में दी गई कोई बात किसी ऐसी मोटर गाड़ी पर लागू नहीं होगी जो किसी विशेष यात्रा के प्रयोजन के लिये अस्थायी रूप से किसी निजी किराया करार के अधीन हो :		
प्रतिबन्ध यह भी यह कि यदि कोई मोटर गाड़ी उस अवधि में जब उसे उन मार्गों के अतिरिक्त, जिनके सम्बन्ध में उसे स्थायी लाइसेन्स दिया गया है, अन्य मार्ग या मार्गों पर अस्थायी रूप से चलने की अनुमति दी गई हो, उन सड़कों का प्रयोग न करें जिसके लिये उसे स्थायी लाइसेन्स दिया गया है, तो अतिरिक्त कर देय न होगा ।		
नौ—ट्रैक्टर—ट्रैक्टर १०० रुपया प्रति वर्ष की समान दर से कर ।		
दस—ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाने वाला ट्रेलर—		
(एक) दो पहियों वाला	.. ..	१००.००
(दो) अन्य ..	.. ..	२००.००

भाग 'ग'

स्पष्टीकरण

(१) जब किसी मोटर गाड़ी का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिय किया जाय या ऐसी रीति से प्रयोग किया जाय जिससे कि उस पर इस अनुसूची के एक से अधिक अनुच्छेद के अधीन कर लगाया जा सके, तो ऐसा कर उच्चतम समुपयुक्त दर पर देय होगा ।

(२) 'भार-विहीन वजन' का तात्पर्य गाड़ी के उस समय के वजन से है जब वह भार-विहीन हो और इसमें ऐसे समस्त पुर्जे, सज्जा, सामान, ईंधन, जल और संचायक सम्मिलित हैं, जो गाड़ी के लिये, जब वह चलती हो, आवश्यक हो और साधारणतया गाड़ी के साथ प्रयोग में आते हों ।

(३) 'प्राधिकृत भार' का तात्पर्य माल के उस अधिकतम भार से है जिसे गाड़ी में वहन करने की अनुमति हो और जिसे गाड़ी के रजिस्ट्रीकृत भारयुक्त वजन में से भार-विहीन वजन को घटाकर निकला जा सके ।

(४) 'वायवीय टायर' का तात्पर्य उस टायर से है जिसमें यांत्रिक दबाव से हवा भरी गयी हो ।

(५) 'लचकीले टायर' का तात्पर्य उस टायर से है जो भारत निर्मित रबड़ से बना हो, किन्तु वायवीय टायर न हो और जिसकी मोटाई इतनी हो कि वह पहिये के रिम से उन्नीस मिलीमीटर से कम बाहर न निकली रहे ।

(६) 'लचीलापन रहित टायर' का तात्पर्य उस टायर से है जो न तो वायवीय टायर हो और न लचकीला टायर हो ।

(७) यदि कोई मोटर गाड़ी शायिका (स्लीपिंग बर्थ) से सज्जित हो तो प्रत्येक शायिका अनुच्छेद चार, पांच और सात के प्रयोजनार्थ, दो यात्रियों के बैठने के स्थान के बराबर समझी जायगी ।

(८) किसी ऐसी मोटर--गाड़ी से, जिस पर अनुच्छेद चार से सात में से किसी के अधीन कर लगाया जा सकता हो, सम्बद्ध या उसके द्वारा खींचे जाने वाले प्रत्येक ट्रेलर को ऐसी पृथक् मोटर गाड़ी समझा जायगा जिस पर उक्त अनुच्छेदों द्वारा नियत समुपयुक्त कर लगाया जा सकता है :

श्री उपाध्यक्ष--

जो संशोधन मेरे पास आये हैं, नियमावली के नियम के अन्तर्गत उनको ३६ घंटे पहले भेजना चाहिए था । वह अनियमित हैं, इसलिए मैंने उनको अस्वीकार किया ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, इस सदन के अन्दर इस तरह कई बार हुआ है । मैं याद दिलाता हूं कि जब यहां सीलिंग का बिल आया था ७३-७४ में जो ओरिजिनल ऐक्ट था उसमें २ एकड़ बराबर १ एकड़ माना गया था । लेकिन उसमें ओरली अमेंडमेंट पेश हुआ है कि ढाई एकड़ बराबर १ एकड़ के माना जाय और इसी सदन ने ओरली उसको स्वीकार कर लिया । हमने तो लिखकर भेजा है तो जो लिखकर भेजा है उसके ऊपर....

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कोई शाब्दिक होता तो उसकी इजाजत दे सकता था। लेकिन यह जो आपका है यह बिल्कुल अनियमित है और मैंने इसको अस्वीकार किया। अब मैं फिर खंड उपस्थित करता हूं....

श्री रियासत हुसैन—

हुक्म सिंह का मौखिक प्रस्ताव है....

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, अनुसूची खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं....

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जिस तरीके से यह विधेयक पास हो रहा है, मोटर गाड़ियां और ट्राली और ट्रैक्टरों के ऊपर १० प्रतिशत टैक्स बढ़ाया जा रहा है और सौ-दो सौ रुपया अधिक टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं यह ज्यादती कर रहे हैं, सरकार ज्यादती कर रही है, हम इसके विरोध में वाक आउट करते हैं।

(श्री रियासत हुसैन सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

यह टैक्स ट्राली और ट्रैक्टर के ऊपर इस तरीके से लगाने का षड़यन्त्र किया गया है उसके विरोध में हम भी वाक आउट करते हैं।

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये।)

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

यह सरकार का जो किसान विरोधी रूप इस विधेयक के लाने से मुखर हो गया है उसके विरोध में हमारी पार्टी भी वाक आउट करती है।

(श्री देव कुमार अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

इसको वापस लेने के लिए तैयार हैं या नहीं, मंत्री यह आश्वासन दें ?

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

९ और १० खंड को निकाल देंगे, अगर इसको बता दें तो....

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय तो वह मानने को तैयार नहीं है, पहले उन्होंने साफ कर दिया।

श्री देव बहादुर सिंह—

तो हम विरोध करते हैं और वाक आउट करते हैं।

श्री देव बहादुर सिंह कांग्रेस दल और कांग्रेस (ई) के दल के सदस्यों के सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री आबिद अली—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

एक सदस्य—

मान्यवर, इसके विरोध में कोई है ही नहीं ।

उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८†

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, प्रदेश में बहुत से ऐसे जूनियर हाई स्कूल चलते हैं जो असरकारी हैं । सरकार से उन्हें अनुदान मिलता है । यहां बहुधा शिकायतें आती रहती हैं और ऐसे अध्यापकों को वेतन पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, समय से नहीं मिल पाता और कभी-कभी वेतन वितरण में प्रबन्ध समिति द्वारा बहुत सी धांधलियां की जाती हैं । इनको अनुदान देने का तरीका—इनके व्यय में से आय घटाकर जितना शेष बचता है वह अथवा सम्पूर्ण व्यय का आधा, इनमें से जो रकम कम होती है, उतना अनुदान दिया जाता है । किन्तु इसके बावजूद भी इन अध्यापकों और दूसरे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामने निश्चित समय पर वेतन न मिलने की समस्या निरन्तर बनी रहती है । अतः इस विधेयक के द्वारा उसके वेतन वितरण की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले रही है । मैं समझता हूं और आशा करता हूं कि इस विधेयक का यह सदन पूर्णतया समर्थन करेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसे विधेयक की परिधि

---

†दिनांक ११ मई, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

[श्री राम आसरे वर्मा]

बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, मैं इस विधयक की मूल भावना से असहमत नहीं हूं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए यह लाया जा रहा है, उसे देखें तो हम पाते हैं कि उसे हम पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाएंगे । आपने चेक द्वारा अध्यापकों को वेतन भुगतान की व्यवस्था की, लेकिन उसके पहले ही मैनेजमेंट कमेटी के लोग उनसे विदड्राल फार्म पर दस्तखत करवा लेते हैं । इस पर दस्तखत करने से रोकने के लिए आपने क्या तरीका निकाला है ? एक तरीका हो सकता था जिनके वेतन के बारे में आप निश्चित व्यवस्था करना चाहते हैं उनकी सेवा शर्तें किस तरह की हैं, सेवा की गारन्टी आपने दी है या नहीं । उनकी सेवा की गारन्टी दे देतें तो नाजायज दबाव डालकर उनसे विदड्राल फार्म पर कोई दस्तखत नहीं करा पाता, यदि कराया जाता तो उसका पुरजोर विरोध कर सकते थे ।

दूसरी बात इसमें कही गयी है "कतिपय संस्थाओं की स्थिति में वेतन का भुगतान करने की प्रक्रिया—"

इसके पहले भाग के बारे में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरे भाग के बारे में भारी आपत्ति है, जो इस प्रकार है :—

"परन्तु लेखा खुल जाने के पश्चात् शिक्षा अधिकारी, यदि उसका इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए यह समाधान हो जाय कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, बैंकों को यह निदेश दे सकता कि लेखे का परिचालन केवल प्रबन्धतन्त्र के प्रतिनिधि द्वारा किया जायगा और ऐसे अनुदेश को किसी भी समय विखन्डित कर सकता है । इसमें पूरी तरह से शिक्षा अधिकारियों को छूट दे दी गई है कि वह उसे प्रबन्ध तन्त्र को सौंप सकते हैं । मन्त्री जी भी इससे इंकार नहीं करेंगे कि एस० डी० आई०, डी० आई० व डी० आई० ओ० एस० तथा अन्य अधिकारी विभाग में भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हैं, ईमानदारी से लैस नहीं हैं, आज एस० डी० आई० भी साधारण अध्यापकों पर दबाव डालकर छोटे-छोटे बच्चों से २-२, ३-३ रुपया वसूल करवाते हैं । क्या गारन्टी है कि यह अधिकार अधिकारी अपने प्राइवेट प्रबन्ध तन्त्र को नहीं सौंप देंगे । मैंने पहले भी निवेदन किया कि मूल भावना अच्छी है लेकिन इसे और ज्यादा व्यापक बनाते और उन जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों की तरफ भी नजर डालते जिनको आप पैसा जिला परिषद् या शिक्षा परिषद् के माध्यम से देते रहे हैं । कोई भी अध्यापक ऐसा नहीं बचा होगा जिसकी तनख्वाह से १०-१५ रुपये आपके शिक्षा अधिकारी कटौती न कर लेते हों, जिन शिक्षा अधिकारियों को अधिकार दे रहे हैं कि चेकों पर दस्तखत करें । चेक सिस्टम के बारे में आपसे पहले बताया कि जिन बुराइयों को मिटाना चाहते हैं वह मिटती नहीं । इसमें सिलसिला शुरू कर सकते हैं बैंक ऐडवाइस का । जहां पर प्रबन्ध समिति का अकाउन्ट है, प्रबन्ध समिति और शिक्षा अधिकारी दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से अकाउन्ट आपरेट होता है वहां पर बैंक ऐडवाइस का सिलसिला चलता तो कठिनाई कम हो जाती, उस चीज को बचाने के लिए कि जो लोग जा कर विदड्राल फार्म पर पहले दस्तखत करा लेंगे ।

मान्यवर, फिर मैं कहना चाहूंगा वेतन वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी निभाने के लिए शासन ने जो अच्छी भावना से प्रयास किया है उसको और ज्यादा बल मिलता यदि इसमें गम्भीरता से व्यापक रूप से विचार कर लिया होता कि इसमें क्या-क्या कमियां रह गयी हैं। हो सकता है कि आज जो माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे, माननीय मन्त्री के दिमाग में बहुत से अच्छे सुझाव आएंगे, उन पर विचार करने के लिए अच्छा होगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो इसकी परिधि को भी बढ़ाये और त्रुटियों को भी दूर करे और जिस उद्देश्य को ले कर आपने इसे बनाया है वह सफल हो सके और इसके द्वारा अध्यापक लाभान्वित हो सकें। इस लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मैं अपने पूर्व वक्ता से सहमत हूं कि इस विधेयक के पीछे शासन की अभिनन्दनीय और पवित्र भावना है। लेकिन इस विधेयक को व्यापक बनाना चाहिए, माननीय सदस्यगण इससे सहमत होंगे कि जिस प्रकार इसको व्यापक बनाना चाहिए और कुछ उपबन्धों को निकाल देना चाहिए इससे सहमत होंगे। मान्यवर, शिक्षा के अन्दर उन लोगों जिनको हम राष्ट्र का निर्माता कहते हैं उनको दैनिक जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उनकी सेवाओं को समुचित रूप से सुरक्षित करने के लिए डिग्री कालेज के शिक्षकों का वेतन माध्यमिक शिक्षकों के वेतन की व्यवस्था के बाद यह सरकार का अभिनन्दनीय कदम है कि उन्होंने जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों और कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस विधेयक को पेश किया है, लेकिन इसके कुछ प्राविधानों की ओर मैं शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, धारा ९ में यह प्राविधान किया गया है कि कोई संस्था अध्यापक या अन्य कर्मचारी के नये पद का सृजन निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी के जिसे निदेशक द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकार प्रदान किया गया हो, पूर्वानुमोदन के बिना नहीं करेगी। पद के सृजन का प्राविधान इस प्रकार किया गया है कि जब पूर्व स्वीकृति ले ली जायेगी तभी उस पद का सृजन हो सकता है, लेकिन मेरा सुझाव है कि प्राविधान यह होना चाहिए कि बिना पूर्व अनुमति के किसी शिक्षक को निकाला भी नहीं जायेगा। हम देखते हैं कि प्रबन्धक अपनी मनमानी करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रबन्धक तंत्र में इस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है बहुत से अध्यापकों को रिश्वत लेकर रखा जाता है और उनको निकाल भी दिया जाता है। इस विधेयक द्वारा उन अध्यापकों को संरक्षण देना चाहिए उनकी सेवा शर्तों में यह जोड़ दिया जाना चाहिए कि बिना उच्च अधिकारियों की पूर्व अनुमति के निकाला नहीं जा सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वेद कुमार]

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान तिलवारा जूनियर हाई स्कूल की ओर दिलाना चाहता हूं जहां पर प्रबन्धक महोदय ने शिक्षकों का वेतन वर्षों से नहीं दिया है और उन्होंने इस सम्बन्ध में आवेदन भी दिया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कुछ कार्यवाही भी की, लेकिन आज तक की मेरी जानकारी है कि इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं हुआ है। आपने धारा ११ का प्राविधान किया है कि इस विधेयक के प्राविधानों में चूक करने की स्थिति में ६ माह तक का कारावास और एक हजार रुपया जुर्माना हो सकता है। इस तरह से आपने अपने इस विधेयक को पालन कराने की कोशिश की है। लेकिन धारा ११(१) (२) और (३) को पढ़ने से यह मालूम होता है कि आप तहेदिल से इस विधेयक के प्राविधानों को लागू नहीं करना चाहते हैं। धारा ११(२) में यह है कि कोई न्यायालय सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक की पूर्व स्वीकृति के सिवाय इस धारा के अधीन दन्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। इसी तरह से धारा ११(३) में यह है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप-अधीक्षक के पद से नीचे का हो, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे अपराध का न तो अनुसंधान करेगा और न वारन्ट के बिना उसके लिए गिरफ्तार करेगा। भारतीय दंड संहिता में यह प्राविधान है कि कागनीजिबिल आफेन्स के लिए पुलिस कार्यवाही कर सकती है, लेकिन इस धारा के द्वारा पुलिस उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगी। तो अगर यह भावना रही तो इस विधेयक को पास करने से भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले डिप्टी डायरेक्टर परमिशन दे और फिर बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के कोई अनुसन्धान पुलिस अधिकारी नहीं करेगा। तो मैं महसूस करता हूं कि मन्त्री जी की जो इस विधेयक के पीछे पवित्र भावना है, वह ही पराजित हो जायगी। इसके अलावा जो आपने यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है इसमें संस्कृत के स्कूलों के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं किया है। आज हमारे संस्कृत स्कूलों की बड़ी ही दुर्गति है, जो आपसे मान्यता प्राप्त है, इससे भी ज्यादा ज्यादतियां संस्कृत की संस्थाओं के नाम पर प्रबन्धक लोग करते हैं। वहां के मैनेजर सरकारी सहायता लेकर भी बहुत अल्प मात्रा में अध्यापकों को उनका वेतन देते हैं।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के मौजा ब्योंजा, तहसील बबेरू की मिसाल देता हूं। वहां पर एक संस्कृत विद्यालय में प्रबन्धक महोदय ने एक लड़के को सहायक अध्यापक के पद पर जुलाई, १९७७ में नियुक्त किया। उस लड़के ने उस पद पर एक साल तक कार्य किया और जब भी उसने अपना वेतन मांगा तो उससे कहा गया कि सरकारी ग्रान्ट मिलने पर इकट्ठा वेतन का भुगतान कर दिया जायगा। वह कार्य करता रहा लेकिन इस वर्ष उसको जवाब दे दिया गया और गत वर्ष का वेतन भी उसे यह कह कर कि तुमने उनके यहां पर काम नहीं किया है, नहीं दिया। उस लड़के ने प्रमाण-पत्र भी दिखाया, जिसमें लिखा था कि उसने इस वर्ष तक उस संस्था में शिक्षक का कार्य किया है। इस सम्बन्ध में मैंने शासन को, माननीय मन्त्री जी को भी एक पत्र लिखा है। पता चला है कि उस मैनेजर ने उस अध्यापक को वेतन न देने के लिए हाजरी रजिस्टर तक गायब करा दिए हैं और नये अभिलेख भी तैयार करा लिए हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप संस्कृत के स्कूलों के लिए भी कोई ऐसा विधेयक लायें जिससे उनकी तन्ख्वाह और परिश्रम के पारिश्रमिक की गारन्टी हो सके। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे मन्त्री जी इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें जिससे जो आपकी

भावना है उसके अनुरूप माननीय सदस्यों की राय के पश्चात् इसको अच्छा बनाया जाय और शिक्षकों के वेतन, उनका प्रारिश्रमिक, उनके सम्मान की रक्षा की जा सके। मुझे आशा है सदन मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेगा।

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

मान्यवर, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो सदन में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। वास्तव में यह बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य हुआ है क्योंकि अधिकांश विद्यालयों में अध्यापकों को और कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिलता था और वेतन में कटौतियां होती थीं। मेरे विचार से इसमें एक कमी रह गयी है और मुझे विश्वास है कि शिक्षा मन्त्री जी उस पर विचार करेंगे। इस विधेयक में कि अध्यापकों को और कर्मचारियों को चैक द्वारा वेतन दिया जायगा। मैं ऐसा समझता हूं कि जिस प्रकार से माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक और गैर अध्यापक कर्मचारियों की व्यवस्था है कि कालेज से एक स्टेटमेन्ट बनकर चला जाता है और बैंक में उनके खातों में रुपया जमा हो जाता है, अगर इन स्कूलों के लिए भी वही व्यवस्था अपनायी जाती तो ज्यादा उत्तम होता।

मान्यवर, अब मैं एक दो सुझाव आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं, प्रदेश में बहुत ऐसे स्कूल्स हैं, जिन्होंने शासन से मान्यता प्राप्त कर ली है, लेकिन उन स्कूलों पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं है। नाम के लिए तो दिखावे के लिए फीस उतनी लेते हैं जितनी शासन ने निर्धारित की है, लेकिन दूसरे नामों से दूसरे खातों में अवैधानिक रूप से फीस इकट्ठा करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। मुझे कानपुर महानगर में अनेक ऐसी शिक्षण संस्थायें मालूम हैं, जिनके प्रबन्धक ने कई-कई शिक्षण संस्थायें खोल रखी हैं। आज उन्होंने लाखों रुपये कमा रखा है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग इकट्ठा कर रखी हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यवस्था उन स्कूलों के सम्बन्ध में कर दी गयी होती, जिनको सरकार ने मान्यता दी है, उन स्कूलों में अध्यापकों को गैर अध्यापक कर्मचारियों को कितना वेतन मिलता है, किस तारीख को वेतन मिलता है, इसको भी शासन अपने हाथ में ले लेता तो मैं समझता हूं कि एक और सराहनीय कार्य हो गया होता। मैं समझता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी इस तरफ कोई शीघ्र कदम उठायेंगे। कुछ ऐसे स्कूल भी खुलते हैं जो जानबूझ कर सरकार को प्रार्थनापत्र भी मान्यता के लिए नहीं देते हैं क्योंकि अगर मान्यता सरकार देगी, तो उसके अनुसार फीस लेना पड़ेगा और बेईमानी करने के लिए दूसरे रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे। जितने मांटेसरी स्कूल्स चल रहे हैं, जितने जूनियर हाई स्कूल्स चल रहे हैं, जितने बेसिक स्कूल्स चल रहे हैं, उन सब की एक बार जांच करा लीजिए और उन सब को सरकारी नियंत्रण में सरकारी नियमों के अनुसार चलायें। यदि इस दिशा में माननीय शिक्षा मन्त्री जी कोई कदम उठायें, तो मैं समझता हूं कि शिक्षा क्षेत्र में उनके द्वारा एक सराहनीय कार्य होगा। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इन विधेयक का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। अभी वर्मा जी और माननीय यादव जी ने इसके लिए, इस कदम को प्रशंसनीय कदम कहा है। लेकिन उन्होंने कुछ उसमें संशोधन की बात कही, प्रसन्नता होनी चाहिए कि जनता सरकार ने अध्यापकों के हित में एक कदम और आगे बढ़ाया है। माननीय उपाध्यक्ष जी आपको स्मरण दिलाऊं कि शिक्षा की जो दिक्कतें रही हैं, आज भी जैसे शोषण अब भी होता रहा है, तो इस ओर पिछली सरकार में भी बाध्य होकर यह भुगतान के लिए माध्यमिक विद्यालय और हमारे महाविद्यालय में व्यवस्था हुई। आपको स्मरण दिलाऊं कि बदायूं में एक कालेज है, उसमें उनका नाम है तथा उससे पहले वहां के डिग्री कालेज में भी उनका नाम है। तो वहां के जो प्रवक्ता हैं, उनका नाम डिग्री सेक्शन और उधर भी लिख रखा था। जब यह बात संज्ञान में आई तो २० हजार रुपये की वापसी की नोटिस गयी, तो १० महीने में अभी भी पूरा नहीं हुआ। जब माध्यमिक विद्यालयों में भुगतान की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, मैंने पूरब के जिले में देखा कि आज २४-२४ महीने तक वेतन नहीं मिला तो यह प्रशंसा की जानी चाहिए कि इस विधयक के द्वारा जो नियंत्रण हुआ है, उसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। जैसा कि अभी शुक्ला जी ने स्मरण दिलाया कि माध्यमिक विद्यालयों में जैसे चेक की व्यवस्था है, उसी तरह से भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि भविष्य में माननीय शिक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे। जहां तक अध्यापक को हटाने और सस्पेंशन की बात है और प्रबन्ध समिति पर अंकुश की बात है, वस्तुस्थिति कुछ और है।

मैं अपने अलीगढ़ घोड़ासी हाई स्कूल के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर ६० दिन के सस्पेंशन लाभ उठाकर ६१वें दिन फिर सस्पेंड किया जाता है, इस तरह से सरकारी खजाने पर असर पड़ता है। वहां के प्रधानाध्यापक का १७वीं बार सस्पेंशन किया गया है। यह बड़ी लज्जा की बात है। प्रबन्ध समितियों पर अंकुश नहीं है अध्यापकों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। क्योंकि न्यायालय के आदेश के बावजूद भी अध्यापकों को पढ़ाने नहीं दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें।

श्री नेम सिंह चौहान--

इसलिए इनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे यह लोग उनको सस्पेंड न करने पायें। विद्यालय में जितने कर्मचारी हैं और उनके लिए जो व्यवस्था है वह संतोषजनक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अब समाप्त करें।

श्री नेम सिंह चौहान--

मैं समझता हूं कि इसको इसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सदन के सामने शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसको देखते हुए उसका समर्थन करने की बिल्कुल तबीयत नहीं कह रही है। इसलिये कि अभी हमने देखा जनता पार्टी की सरकार के विधायक अभी परिवहन मंत्री के प्रस्ताव पर बोल रहे थे एक स्वर से सबने विरोध किया कि ट्रैक्टर और कुछ आइटम्स पर टैक्स न लगाया जाय। दो घंटे के भाषण के बाद सबने हाथ उठा दिया। तो सारे प्रदेश की जनता बैठी है, कथनी और करनी का अंतर सब समझते हैं। मेरे जो अच्छे सुझाव होंगे उस पर भी मेरा ख्याल है कि मंत्री जी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन रस्मों ढंग से यह जो सदन चलाया जा रहा है मैं भी उसमें शरीक हो रहा हूं। जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी शिक्षा हमारी शिक्षा की आधार शिला है। यह मंत्री जी ने जो संशोधन दिया है इसको देखने से पता चलता है कि क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं और क्षत्र की जनता का इसमें अपमान है और उपहास है। क्योंकि हर काम को बेसिक शिक्षा अधिकारी या सरकारी अधिकारी ही देखेंगे तो फिर क्षत्रीय कार्यकर्त्ताओं का उत्साह नहीं हो सकता। इसको पढ़ने से पता चला है कि बसिक शिक्षा अधिकारी को प्राइवेट विद्यालयों की फीस तक वसूलने का अधिकार दिया गया है हमारे प्रदेश में हजारों हजार प्राइमरी पाठशालायें ऐसी हैं जहां प्रधानाध्यापक नहीं हैं, तादाद के हिसाब से अध्यापक नहीं हैं। बी० टी० सी० पास अध्यापक मारे-मारे घूम रहे हैं और नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं और ट्रेनिंग स्कूल तोड़े जा रहे हैं। मांटेसरी स्कूलों की बात हमारे साथी ने कही है।

मैं कहना चाहता हूं कि कृपया मांटेसरी स्कूलों को देखें। प्राइमरी स्कूलों के बच्चे नंगे बदन, खुले बदन स्कूल जाते हैं, जरा उनकी शक्लों को देखिये तो आंखों में आंसू आते हैं और दूसरी तरफ मांटेसरी स्कूल है, सैकड़ों की तादाद में हैं। वहां के बच्चे नाश्तादान लिये हुये कारों पर, रिक्शा पर टाई लगाये, यूनीफार्म में, स्नो पाउडर लिपिष्टिक से सजे हुये स्कूल पढ़ने जाते हैं। वहां हमारे गरीब बच्चों को पढ़ने के लिये पेड़ के नीचे बिना इमारत के बैठना पड़ता है। सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारत नहीं है, छप्पर तक नहीं हैं और बारिश आती है तो अध्यापक व बच्चे अपने घर चले जाते हैं। मांटेसरी स्कूलों को न खोलकर, ऐसे विद्यालयों की ओर भी ध्यान दिया जाय जिनका मैंने जिक्र किया है। हमारे प्रदेश की शिक्षा की एक गरिमा रही है। लेकिन आज गन्दे कानून बनाकर शिक्षा की तौहीन की जा रही है। आज सारे देश की जनता अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। जो बी० एस० सी० हैं वह अपना एडमिशन एम० एस-सी० में नहीं करा सकता क्योंकि आरक्षण के आधार पर एडमिशन होगा। आज देश में इसलिए अराजकता की बू आ रही है और समझ में नहीं आता कि जनता पार्टी की सरकार देश को किस तरफ ले जा रही है। हम यह नहीं कहते कि नौकरी में आरक्षण न हो लेकिन पढ़ने में भी आरक्षण हो यह नितान्त गलत है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वतंत्र रूप से पढ़ें, स्वतंत्र इंजीनियर, डाक्टर, टेक्नीशियन बनें और उसमें आरक्षण लाना शर्म की बात होगी। इस तरह के गन्दे कानून का हमारे प्रदेश की जनता स्वागत नहीं करेगी। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का विरोध करता हूं।

*श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। यह बहुत ही अच्छा बिल है। इसके उद्देश्य और कारण में लिखा है कि जूनियर स्कूल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गनेशी लाल चौधरी--]

के टीचर्स हैं उनको मैनेजमेंट समय से तनख्वाह नहीं देता था। उनके खिलाफ माननीय मंत्री जो कार्यवाही करेंगे। इसका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि टीचर्स को तनख्वाह मिलनी चाहिये और समय से मिलनी चाहिये। शिक्षा का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। चाहे प्राइमरी स्कूल हो अथवा जूनियर हाई स्कूल हो, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो अथवा यूनिवर्सिटी हो शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है लेकिन जब आप टीचरों को गारंटी दे रहे हैं तो इनकी पार्टीबन्दी भी आप समाप्त करेंगे। जो शिक्षा का स्तर है उसको भी ये टीचर ऊंचा बनाने में सहयोग देंगे और उनसे यह उम्मीद की जा सकती है कि जितनी तनख्वाह वे पावें उतना ही बच्चों को पढ़ाई के रूप में दें। देश का ढांचा अस्त-व्यस्त होता जा रहा है। मैं देखता हूं कि प्राइवेट मैनेजमेंट के लोग खिलाफ हैं और सरकारीकरण के पक्ष में हैं। यह जो कोआपरेटिव संस्थायें थीं और उनके जो बैंक थे वह प्रशासन के अधिकार में थे अब उनके इम्प्लाइज मांग कर रहे हैं कि पब्लिक के हाथों में दिया जाय। पब्लिक के हाथों में इन संस्थाओं में काम ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो जिम्मेदारी उन पर डाली जाय और वह जिम्मेदारी ऐसी हो जिससे प्रदेश की शिक्षा में सुधार हो और नया वातावरण बने कालेज और यूनिवर्सिटीज बंद हैं उनमें फीस पड़ रही है। मेरा आज ही एक प्रश्न था जनवरी से जो लड़के यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे घर बैठे हैं लेकिन हमें फीस जनवरी से देनी पड़ रही है। यह आपका दायित्व है कि जब हमारी यूनिवर्सिटीज बंद हैं तो बच्चों से फीस क्यों ली जाती है। वर्ना आपका दायित्व है कि उनको पढ़ाने के लिए आप प्रबंध करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, आज का दिन शिक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण और सौभाग्य का दिन है। प्राइमरी शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक के शिक्षकों को सरकारी खजाने से वेतन मिलेगा। आज तक जूनियर हाई स्कूल के जो अध्यापक थे वह सरकारी खजाने से वेतन लेने से वंचित थे। उनको शिकायत थी कि हमारे सारे शिक्षक सरकारी खजाने से वेतन लेते हैं लेकिन जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक, उससे वंचित हैं। आज उन्हें भी यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह विधेयक बड़ा सामयिक है और प्रवर समिति में जो इसे भेजने की बात उठाई गई है वह इसमें देर लगाने के लिए कही गई है। एक महीने प्रवर समिति में जाये इसका कोई औचित्य नहीं है और जितनी जल्दी हो सके, यह पास हो।

जहां तक हाई स्कूलों की संस्थाओं में भ्रष्टाचार की बात है वह व्यापक रूप से फैली हुई है। अभी तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिलता था। लिखाया कुछ जाता था और दिया कुछ जाता था और नकली बाउचर जमा किये जाते थे। चेक से वेतन दिया गया तो बिथड्राल फार्म पर हस्ताक्षर कराये जाते हैं। इसको दूर करने के लिए उनके खाते खुलवाये जायं उनके एकाउन्ट में पैसा स्थानान्तरित किया जाय। यह आवश्यक कदम है। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और प्रवर समिति में भेजने का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री राम नरेश पाण्डेय जी आप बोलें लेकिन जल्दी समाप्त कर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो महत्वपूर्ण विधेयक माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पेश किया है उसकी जितनी तारीफ की जाय वह कम होगी। मान्यवर, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए अध्यापकों को संतुष्ट रखना जरूरी है। जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को खजाने से वेतन देने का जो फैसला किया है यह सराहनीय है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें कि वह ड्राफ्ट से न दिया जाय बल्कि वैसे ही दिया जाय जैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अध्यापकों को दिया जाता है।

प्राइवेट मैनेजमेन्ट जो ज्यादती करता है इससे अध्यापकों को छुटकारा मिल सकेगा। इस संशोधन के साथ मैं अपना सुझाव दूं कि जो प्राइवेट मैनेजमेंट के जरिये विद्यालय चल रहे हैं उस पर कड़ी नजर रक्खी जाये। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो स्कूल ऐसे हैं जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हैं लेकिन अनुदान सूची में नहीं हैं उनको अनुदान सूची में लेने की व्यवस्था की जाय। इससे अध्यापक जो उन विद्यालयों में काम करते हैं, उन पर शासन का ध्यान नहीं जा रहा है। मेरा सुझाव है कि २/३ वर्ष मान्यता प्राप्त करने के बाद अनुदान सूची में ले लेना चाहिए। इससे अध्यापकों में असंतोष है और शिक्षा देने में उतनी रुचि नहीं लेते हैं जितनी कि उन्हें लेनी चाहिए। ऐसे मामले में एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि कम से कम ३ वर्ष ऊपर उन्हें अनुरक्षण अनुदान की सूची में लिया जाय। इससे शासन की गरिमा बढ़ेगी। इस प्रकार के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन उनके सेलेक्शन आदि करने में शासन को एक निश्चित नीति की घोषणा करनी चाहिए।

मान्यवर, कुछ जूनियर हाई स्कूल विद्यालय ऐसे भी हैं जो अपने साथ प्राइमरी स्कूल चलाते हैं और प्राइमरी स्कूल के अन्दर काम करने वाले अध्यापकों की हालत बड़ी खराब है। उनका बड़ा शोषण होता है। शासन को इस प्रकार के चला रहे प्राइमरी स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए। इनको ट्रेनिंग का अवसर दिया जाना चाहिए और उनके वेतन आदि निश्चित कर दिये जाने चाहिए। इसके साथ ही मान्यवर, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया और मैं सरकार को बधाई देता हूं कि स्कूलों में कार्य कर रहे अध्यापकों को राहत देने के लिए शासन ने इस प्रकार के कदम उठाये और यह बिल पेश किया। अन्त में मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। हमारे सामने माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल विधेयक प्रस्तुत किया गया है। उसके विषय में अपने विचार आपके सम्मुख रखना चाहती हूं और कुछ सुझाव भी हैं, उन्हें भी रखना चाहूंगी।

इस बिल के अन्दर यह बात बहुत ही प्रशंसनीय है कि जूनियर हाई स्कूल के जो अध्यापक हैं उनका वेतन समय से मिल जाये और उस पर सरकार का नियंत्रण हो। यह तो होना ही चाहिए था। इस बात की शुरुआत कांग्रेस सरकार के जमाने में हो गई थी और इण्टरमीडिएट कालेजेज में और डिग्री कालेजेज में यह वेतन देने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

की व्यवस्था सरकारी कोष से, उसकी व्यवस्था हो गई थी और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के लिए इसमें जो प्राविजन किया गया है मैं उसका स्वागत करती हूं लेकिन इसमें जो उद्देश्य निहित किये गये हैं, वह अधिक व्यापक नहीं है । इसे और व्यापक होना चाहिए था और जूनियर हाई स्कूल के बारे में जो परेशानियां, कठिनाइयां हैं उन पर गौर करना चाहिए था । उसके बारे में जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत है उसकी धाराओं के विषय में अपना विचार रखना चाहूंगी । यहां पर धारा ५ में यह लिखा है--"परन्तु लेखा खुल जाने के पश्चात शिक्षा अधिकारी, यदि उसका इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए यह समाधान हो जाय कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखे का परिपालन केवल प्रबन्धतन्त्र के प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा और ऐसे अनुदेश किसी भी समय विखण्डित कर सकता है । तो यहां जो पहले लिखा है कि प्रबन्धतन्त्र का एक प्रतिनिधि और सरकार के शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि दोनों मिलकर इस खाते का संचालन करेंगे और चेक के ऊपर दोनों हस्ताक्षर करेंगे । तो फिर इसका प्रश्न कहां रहेगा कि यह काम प्रबन्धक महोदय को ही दे दिया जायेगा या प्रबन्धक समिति के एक व्यक्ति को यह कार्य सौंपा जायेगा । इसका अर्थ है कि राजनीतिक प्रेशर की इसके अन्दर गुंजाइश रहेगी । इसलिए कुछ विद्यालयों के साथ अन्याय होने की संभावना इससे है । इसलिए यह प्रथा यूनीफार्म होनी चाहिए । दोनों के हस्ताक्षर इस लेखे में होना बहुत आवश्यक है । इसका प्रश्न नहीं उठता है कि लोकहित के लिए प्रबन्धक महोदय को ही सब अधिकार दे दिये जायं । जो विरोधाभास है धारा ११ में उसमें लिखा है--"यदि धारा ४ के अधीन किसी निदेश का या धारा ३ या धारा ५ के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई चूक की जाय तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जो चूक किये जाये के समय प्रबन्धक था या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसमें संस्था का प्रबन्ध और कार्य संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह यह न सिद्ध कर दे कि चूक उसकी जानकारी के बिना हुई थी या उसने ऐसी चूक को रोकने के लिये सभी सम्यक सावधानी बरती थी, धारा ३ के उपबन्धों के अनुपालन में चूक करने की स्थिति में, जुर्माना से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और किसी अन्य चूक की स्थिति में कारावास से जो छः मास तक हो सकता है या जुर्माना से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दंडनीय होगा ।" तो प्रबन्धक जो एक संस्था का जिम्मेदार था यदि चूक करता है तो वह दंड का भागी होगा । यह कहना कि गलती बिना उसके जानकारी के हुई उससे उसको मुक्ति नहीं मिल सकती है । यदि उससे गलती हुई तो वह दंड का भागी होना चाहिये । इसमें भी विरोधाभास है । ऐसे प्राविधान से गलतियां प्रबन्धक कितनी ही करें वह उससे छूट सकता है कि इसकी हमें जानकारी नहीं थी। इसलिये मैं समझती हूं कि जितना नियंत्रण प्रबन्धक समिति पर होना चाहिए उसका प्राविधान नहीं है ।

(इस समय ३ बज कर ५० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगी कि खर्चा सब आप देते हैं, फीस से स्कूल का खर्चा चलता है तो प्रबन्ध समिति की उसमें जरूरत ही क्या है ? इसलिये उन मिडिलमैन को हटा दिया जाय । सीधा बच्चों का रिश्ता शिक्षा मंत्री जी से क्यों न हो ?

कितना भ्रष्टाचार यह प्रबन्ध समितियां करती हैं इसका तजुर्बा ३० साल से है कि यह समितियां भ्रष्टाचार के केन्द्र हैं । अंग्रेजों के समय में शिक्षा में कार्य करने वाले लोग थे जिनके मन में त्याग की बात थी लेकिन अब वह नहीं हैं । शिक्षा केन्द्रों में फायदा उठाने के लिये यह समितियां है । मैं शिक्षा मंत्री जी से

पूछना चाहती हूं कि जूनियर स्कूलों में जो शिक्षा की अव्यवस्था है उसके विषय में प्रबन्धकों से क्या स्पष्टीकरण मांगा गया है ? उनकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं ? विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता, इंटरमीडिएट कालेजों में अनुशासनहीनता हो रही है उसके कारण प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में जितनी शिक्षा की व्यवस्था सुन्दर होनी चाहिये वह नहीं है । इसके लिये जिम्मेवार अध्यापक और प्रबन्धक समितियां हैं कि नहीं यह शिक्षा मंत्री जी को देखना चाहिये । पहले से छठी क्लास तक जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके विषय में मंत्री जी ने क्या सोचा है कि उन अध्यापकों को वेतन मिलता है कि नहीं ? आठ-आठ, दस-दस महीने उनका वेतन रुका रहता है या यह भी होता है कि कहीं प्राइवेट स्कूलों में डबल शिफ्ट चलता है । एक सात बजे से १२ बजे तक और दूसरा १२ बजे से ४ या ५ बजे तक । इन प्राइवेट स्कूलों में अध्यापकों को सुबह आना पड़ता है और पांच बजे छुट्टी मिल पाती है । वेतन क्या मिलता है १०० रुपया या डेढ़ सौ रुपया ।

प्राइवेट स्कूल या सोकाल्ड मान्टेसरी स्कूलों के बारे में शिक्षा मंत्री जी ने क्या सोचा है ? क्यों न शिक्षा के क्षेत्र में समानता हो । ऐसे स्कूलों की क्या आवश्यकता है जो प्राइवेट है और हमारा उन पर नियंत्रण नहीं है । मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान उन स्कूलों की ओर दिलाना चाहती हूं जो शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं और शिक्षकों का शोषण करके अपनी पर्सनल जायदाद खड़ी कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के विषय में उन्होंने क्या सोचा है ? शिक्षा के क्षेत्र में जब तक यूनीफार्मिटी नहीं लायेंगे तब तक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं कर सकते । आपको किसी न किसी दिन राष्ट्रीयकरण करना ही होगा । जनता पार्टी की सरकार आयी और कहा गया कि बड़ी भारी क्रान्ति हुई । हम समझते थे कि उस क्रान्ति का सबसे पहले प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में पड़ेगा । लेकिन इस बिल के द्वारा कौन सा क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है जिससे कि हम इस बिल का स्वागत करें ? मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि शिक्षा की उन्नति को ध्यान में रख कर किसी पार्टी के हित को ध्यान में न रख कर इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें जो इसको व्यापक और शिक्षा में सुधार की दृष्टि से उपयोगी बना सके ।

श्री राम आसरे वर्मा--

अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने रखा था उस पर सभी माननीय सदस्यों ने भाग लिया । जो चर्चा यहां सुनने को मिली उससे साफ जाहिर है कि तमाम गलतफहमियां हमारे इस बिल में मौजूद हैं । बावजूद इसके कि उसकी मूल भावना अच्छी है । जो वेतन वितरण की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं उसमें तमाम अनियमितताएं भी दिखाई दे रही हैं । एक मिसाल आपको देना चाहता हूं । जौनपुर में एक प्रधानाध्यापक तमाम अध्यापकों की तनख्वाह लेकर भाग गया । उसको ससपेंड कर दिया गया और माननीय मालती जी ने ससपेन्शन पीरियड में ही दूसरी जगह उसका स्थानान्तरण कर दिया । जहां पर यह व्यवस्था कर रहे हैं कि वेतन प्रणाली ठीक करें तो उसी के साथ यह भी व्यवस्था शिक्षा मंत्री जी को करनी चाहिए कि उच्च अधिकारियों के माध्यम से उनका वेतन मारा न जाय, काटा न जाय । जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक तनख्वाह पाते हैं, यदि इनके बारे में भी इस तरह के प्राविधान किये गये होते तो अच्छा होता । विधेयक

[श्री राम आसरे वर्मा--]

का व्यापक रूप नहीं हो पाया । मान्यवर, चेकवाली बात तो सब ने कही । चेक दे देने से ही बुराई दूर नहीं होगी । एक तरफ जब नकद देते हैं तो कटौती कर लेते हैं । चेक देकर भी ले लेंगे । इसलिए इसको और ज्यादा व्यापक और स्पष्ट बनाने की जरूरत है और आवश्यक है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने में आप अपनी सहमति व्यक्त करें ।

*श्री देव कुमार--

मान्यवर, मैं दोनों तरफ के सदस्यों का कृतज्ञ हूं जिन्होंने इस संशोधन प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये हैं । मैंने अपने प्रस्ताव को पेश करते हुए अपने भाषण में कुछ निवेदन किये थे और माननीय सदस्यों ने उसके बहुत से पहलुओं पर अपनी सहमति उन तथ्यों पर जाहिर की है । एक प्रश्न मान्यवर, मंत्री जी के ध्यान में लाया गया है वह है मान्टेसरी शिक्षा के सम्बन्ध में ।

मान्यवर, आज शिशु शिक्षा के क्षेत्र में जो अराजकता है, मैं महसूस करता हूं दूसरी जगह नहीं है । छोटे-छोटे बच्चों का भविष्य ऐसी अमान्य संस्थाओं के जरिये बिगड़ता जा रहा है इस प्रदेश में तमाम जनता को इन मान्टेसरी शिक्षा केन्द्रों द्वारा लूटा जा रहा है । इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रदेश की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए आप इस सम्बन्ध में कोई सर्वे करायें और यह देखें कि प्रदेश के अन्दर कितनी ऐसी संस्थाएं जो मान्टेसरी शिक्षा चला रही हैं, उनमें न तो ट्रेन्ड अध्यापक हैं न अध्यापिकाएं । उन्हें मान्यता भी नहीं प्राप्त है । लम्बी फीसें ली जाती हैं और इस प्रकार बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है । इन संस्थाओं में कितने अध्यापक और अध्यापिकाएं तीस-तीस और चालिस-चालिस रुपये पर एम० ए०, बी० एड० होकर काम कर रही हैं और उनका भविष्य हर समय अन्धकार में रहता है । म सदन का अधिक समय न लेते हुए जो मूल प्रस्ताव पेश करते हुए मैंने आग्रह किया था, आशा करता हूं कि मंत्री जी इस विधेयक को जल्दी में पारित न कराकर इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने पर सहमत होंगे । जिससे कि इस प्रदेश का सही माने में राष्ट्र निर्माण और पूज्य शिक्षकों की सेवाशर्तों, गरिमा और प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में प्रगतिशील कदम उठा सकें । इस विधेयक को, जैसा कि दफा ११ की तरफ संशोधन पेश करते हुए मैंने आग्रह किया था, प्राविधान ३ को निश्चित रूप से हटा दीजिए, जिसके रहते हुए जिस मंशा से यह विधेयक लाया गया है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है । मुझे पूरी आशा है कि जिस भावना से यह विधेयक लाया गया है, उसकी पूर्ति के लिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने पर विचार करेंगे ।

श्री काली चरण--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समस्त माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए केवल दो मिनट में अपने यहां प्रचालित एक लोककथा को कहकर समाप्त करता हूं । हमारे यहां देहात में एक लोककथा प्रचलित है शीर्षक है 'उल्टा पड़ाइन' । एक पन्डित जी थे उनकी श्रीमती जी हमेशा उल्टा ही चला करती थीं । कितनी ही अच्छी बात पन्डित जी कहें लेकिन वे उल्टा ही चलती थीं । एक समय गंगा तीर्थ स्थान का कोई मेला लगा । पन्डित जी ने कहा--

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वहां चलना चाहिए । उन्होंने कहा नहीं चलना चाहिए । वे बार-बार मना करती रहीं । आखिर में किसी प्रकार तैयार हो गयीं । गंगा के किनारे पर पहुंची तो कहा कि नहाना नहीं चाहिए । पन्डित जी ने कहा कि नहाना चाहिए । खैर किसी तरह राजी हो गयीं तो कहा कि पानी में भीतर मत जाना । लेकिन हुआ यह कि चलते-चलते आगे उन्हें बह जाना पड़ा ।

तो इस नाते से इसलिए कहना पड़ा कि एक इतनी अच्छी बात थी, इसी को सर्वसम्मति से समर्थन मिल गया होता तो मैं यह समझता कि सहानुभूति और सद्भावना इनके प्रति रही है, लेकिन चूंकि वह वही कहानी की बात कही, कुछ इसमें शंकाएं उठायी गयी हैं । यह छोटा सा विधेयक है, इसकी सीमित परिधि है । माननीया बख्शी जी विदुषी हैं, एक महाविद्यालय की प्राचार्या हैं । मैं प्रतिदिन यह अपेक्षा करता रहा, आशा भी करता रहा कि इनसे कोई रास्ता, मुझे कोई मार्गदर्शन मिलेगा, इस व्यवस्था में परिवर्तन करने का, सुधार करने का कोई सहारा मिलेगा, लेकिन वह आती हैं और परिधि की सीमाओं को तोड़ करके बाहर चली जाती हैं । हमेशा कोई भी विधेयक आता है तो उसको छोड़ करके सारी शिक्षा नीति को समेट लेती हैं । मैं इन सारे तथ्यों की ओर जाना नहीं चाहता ।

इसमें एक संदेह उत्पन्न किया गया है कि माध्यमिक शिक्षकों को जिस तरह वेतन मिलता है उसके वितरण की व्यवस्था इसमें नहीं है । श्रीमन्, इस विधेयक की पांचवीं धारा में स्पष्ट है कि अधिसूचित बैंक अथवा सहकारी बैंक-- ये दोनों बैंक जहां नहीं होंगे वहां बचत बैंक में ये खाते खोले जायेंगे और जिन बैंकों में अध्यापकों के खाते होंगे उनमें उनके खातों में वेतन का यथा-स्थानान्तरण कर दिया जायगा । यदि कहीं नहीं होंगे तो वहीं उनकी चेक से व्यवस्था की गयी है । मैं यह समझता हूं, इसमें कोई बहुत उत्तर देने की बात नहीं है और न ऐसी कोई बात है ।

एक बात सेवा नियमावली की देव कुमार जी ने कही है । तो इनकी सेवा नियमावली अलग से बन चुकी है । उत्तर प्रदेश शासन के गजट में उसका प्रकाशन हो गया है । अध्यापक 'की नियुक्ति' उनके विरुद्ध किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही बिना बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के नहीं हो सकती है, इसकी व्यवस्था की जा चुकी है । यह विधेयक केवल साफ-साफ मैंने बता दिया कि इसलिए है कि समय से उनको वेतन मिल सके, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है । प्रवर समिति में भेजने से इसके जरिये कोई बहुत बड़ा अध्यापकों को लाभ होने वाला है, तो मैं माननीय वर्मा जी से और माननीय देव कुमार जी से निवेदन करूंगा कि इसकी मूल भावनाओं का उन्होंने आदर किया है, इसका समर्थन भी किया है, उनसे अनुरोध करूंगा कि वह जो मैंने लघु-कथा कही है उस रास्ते को छोड़ करके अपना जो प्रस्ताव रखा है उसे वापस ले लेंगे और इसे सर्वसम्मति से पास होने में मदद करेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कहानियों से ही सब को संतुष्ट करना चाहते हैं और यही शिकायत है कि इस विधेयक को भी कहानी का माध्यम बना रहे हैं ।.....

श्री अध्यक्ष—

आप वापस ले रहे हैं या नहीं ? राम आसरे जी, आपको भाषण का अधिकार नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

जब माननीय मंत्री जी वापस हटने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं क्यों वापस ले लूं ?

श्री देव कुमार—

मान्यवर, हमने जो रखा था तो हमारे सुझावों से विधेयक सबल बनता, वे उसके लिए तैयार नहीं हैं तो मैं ऐसे कमजोर विधेयक को जनता के बीच में ले जाने का विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ को इस सदनों की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २ से १७, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८

राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन के भुगतान को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

परिभाषायें

२—इस अधिनियम में—

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य धारा १ की उपधारा (३) के अधीन अधिसूचित दिनांक से है,

(ख) "शिक्षा अधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ के अधीन नियुक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और किसी बालिका संस्था की स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) से है, और प्रत्येक स्थिति में इसमें इस अधिनियम के अधीन शिक्षा अधिकारी के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है;

(ग) किसी संस्था के "कर्मचारी" का तात्पर्य किसी शिक्षणेत्तर कर्मचारी से है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संस्था को दिया जाता है;

(घ) "निरीक्षक" का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक और किसी बालिका संस्था के सम्बन्ध में जिला बालिका विद्यालय निरीक्षका से है, और प्रत्येक स्थिति में इसमें इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी सम्मिलित है,

(ङ) "संस्था" का तात्पर्य ऐसे मान्यताप्राप्त जूनियर हाई स्कूल से है जिसे तत्समय राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है;

(च) "अनुरक्षण अनुदान" का तात्पर्य किसी संस्था के ऐसे सहायक अनुदान से है जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा संस्था के स्तर के लिये समुपयुक्त अनुरक्षण अनुदान माने जाने के लिये निदेश दे,

(छ) किसी संस्था के सम्बन्ध में, "प्रबन्धतन्त्र" का तात्पर्य उस संस्था के कार्यकलाप का प्रबन्ध करने के लिये प्रभारित प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय से है और इसमें प्रबन्धक या ऐसा अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसमें संस्था के कार्यकलाप का प्रबन्ध और संचालन निहित हो;

(ज) किसी संस्था के "अध्यापक" का तात्पर्य प्रधानाध्यापक या अन्य अध्यापक से है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा, संस्था को दिया जाता है;

(झ) किसी अध्यापक या कर्मचारी के "वेतन" का तात्पर्य अनुरक्षण अनुदान के भुगतान के प्रयोजनार्थ अनुमोदित दर पर उसे तत्समय देय उपलब्धियों के कुल योग से है जिसमें महंगाई-भत्ता और कोई अन्य भत्ता भी सम्मिलित है;

(ङ) अन्य शब्दों और पदों के जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ में परिभाषित है और यहां पर परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियां किये बिना वेतन का भुगतान

३—(१) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी नियत दिनांक के पश्चात् किसी अवधि के सम्बन्ध में किसी संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी का वेतन उस मास के जिसके या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देय हो, ठीक पश्चात्वर्ती मास के बीसवें दिन या उससे पूर्व के ऐसे दिन को जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत करे, समाप्ति के पूर्व उसे दिया जायगा।

(२) वेतन का भुगतान उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी प्रकार की कटौतियां सिवाय उनके जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हो किये बिना किया जायगा।

(३) जहां किसी संस्था के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का भुगतान, प्रबन्धतन्त्र की ओर से किसी चूक के कारण उपधारा (१) के अनुसार नहीं किया जाता है, वहां निरीक्षक, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उपधारा में उल्लिखित दिनांक से दस दिन के भीतर ऐसे वेतन का भुगतान, यथास्थिति, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी द्वारा अन्तिम आहरित वेतन की दर पर, और नई नियुक्ति की स्थिति में उस वेतन-मान की जिस पर वह नियुक्त किया गया हो, न्यूनतम दर पर, धारा ५ की उपधारा (१) में उल्लिखित लेखे में जमा धन से करेगा या करायेगा और ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में कोई समायोजन, तत्पश्चात् यथाशीघ्र किया जायगा।

निरीक्षण करने की शक्ति

४—(१) शिक्षा अधिकारी, किसी समय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है या करा सकता है या उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के

सम्बन्ध में उसके प्रबन्धतन्त्र से ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसमें रजिस्टर, लेखा बही और बाउचर भी सम्मिलित है) मांग सकता है या उसके प्रबन्धतन्त्र को ऐसे वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिये कोई निदेश (जिसमें अनावश्यक व्यय को रोकने के लिये किसी अध्यापक या कर्मचारी की छंटनी करने का कोई निदेश भी है) दे सकता है, जिसे वह उचित समझे ।

(२) जहां किसी अध्यापक या कर्मचारी की छंटनी करने के लिये उपधारा (१) के अधीन कोई निदेश दिया जाय, वहां उसका अनुपालन यथासम्भव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों या, यथास्थिति, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी की सेवा की शर्तों के अनुसार किया जायगा ।

कतिपय संस्थाओं की स्थिति में वेतन का भुगतान करने की प्रक्रिया

५--(१) प्रत्येक संस्था का प्रबन्धतन्त्र अपने अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन का वितरण करन के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक या किसी सहकारी बैंक में एक पृथक लेखा खोलेगा जो प्रबन्धतन्त्र के किसी प्रतिनिधि और शिक्षा अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे शिक्षा अधिकारी इस निमित्त प्राधिकृत करें, संयुक्त रूप से परिचालित किया जायगा ।

परन्तु लेखा खुल जान के पश्चात् शिक्षा अधिकारी, यदि उसका इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए यह समाधान हो जाय कि लोक-हित में ऐसा करना समीचीन है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखे का परिचालन केवल प्रबन्धतन्त्र के प्रतिनिधि द्वारा किया जायगा और ऐसे अनुदेश को किसी भी समय विखण्डित कर सकता है :

परन्तु यह और कि उपधारा (२) के परन्तुक में निर्दिष्ट स्थिति में या जहां वेतन के वितरण में प्रबन्धतन्त्र की किसी चूक के कारण कठिनाई उत्पन्न हो वहां शिक्षा अधिकारी बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखे का परिचालन केवल उसके द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, किया जायगा, और ऐसे अनुदेश को किसी भी समय विखण्डित कर सकता है ।

(२) प्रबन्धतन्त्र उक्त लेखे में ऐसे दिनांक तक जिसे शिक्षा अधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, छात्रों से फीस के रूप में प्राप्त ऐसी धनराशि का जो राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार और जब तक ऐसा आदेश नहीं होता तब तक निरीक्षक के निदेश के अनुसार अनुरक्षण निधि का भाग होती है, पचासी प्रतिशत या जहां राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी वितरण किये जाने के लिये अपेक्षित धनराशि को ध्यान में रखते हुए किसी उच्चतर प्रतिशत का निदेश दें, वहां ऐसा उच्चतर प्रतिशत जैसा वह निदेश दे, जमा करेगा :

परन्तु जहां फीस का उक्त प्रतिशत उपर्युक्त प्रकार से जमा न किया जाय, वहां शिक्षा अधिकारी आदेश द्वारा प्रबन्धतन्त्र को छात्रों से कोई फीस वसूल करन से प्रतिषिद्ध कर सकता है और तदुपरान्त शिक्षा अधिकारी फीस को (या तो संस्था के अध्यापकों के माध्यम से या ऐसी

अन्य रीति से जैसी वह उचित समझे) सीधी छात्रों से वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल की गई फीस को उक्त लेखे में जमा करेगा ।

(३) अनुरक्षण अनुदान की समस्त धनराशि और निःशुल्कता और अन्य तत्सदृश रियायतों की प्रतिपूर्ति के लिये अनुदान को पच्चासी प्रतिशत या ऐसी उच्चतर प्रतिशत जिसे राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे, धनराशि का भी राज्य सरकार द्वारा उक्त लेखे में भुगतान किया जायगा ।

(४) उक्त लेखा में जमा किये गये धन का प्रयोग निम्नलिखित के सिवाय किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायगा, अर्थात् :—

(क) नियत दिनांक के पश्चात् किसी अवधि के किये देय होने वाले वेतन का भुगतान;

(ख) अध्यापकों और कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे में संस्था का अंशदान, यदि कोई हो, जमा करना और प्रत्येक वर्ष जुलाई मास के अन्त में संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के उस अविध के, जिसके लिये छात्रों से फीस वसूल की जा चुकी हो, वेतन के भुगतान सम्बन्धी दायित्व को पूरा करने के पश्चात् लेखे में अवशेष धनराशि का ऐसा अंश जो उनके एक मास के वेतन के कुल योग से अधिक हो, प्रबन्धतन्त्र को संस्था पर व्यय करने के लिये दे दिया जायगा,

(ग) संस्था के प्रयोजनार्थ ऐसा अन्य व्यय जैसा राज्य सरकार या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निदेश दिया जाय ।

(५) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का भुगतान उक्त लेखा से उसी बैंक में उसके लेखा में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके या यदि उसका उस बैंक में कोई लेखा न हो तो चेक द्वारा किया जायगा ।

(६) किसी ऐसे स्थान के सम्बन्ध में, जहां कोई अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक न हो, वहां इस धारा के उपबन्ध ऐसे परिष्कार के साथ लागू होंगे जिन्हे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और उस स्थिति में इस धारा में बैंक के लिये निर्देश किसी डाकघर बचत बैंक के प्रति निर्देश समझे जायेंगे ।

(7) प्रबन्धतन्त्र निदेशक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में एक विवरणी आगामी ३० जून तक ऐसे निदर्श में जैसा निदेशक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगा ।

उपबन्धों और निर्देशों का प्रवर्तन

६—(१) जहां शिक्षा अधिकारी का किसी संस्था या उसके अभिलेखों का निरीक्षण करने के आधार पर या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि प्रबन्धतन्त्र ने धारा ४ के अधीन दिये गये किसी

निदेश का या धारा ३ या धारा ५ के उपबन्धों का अनुपालन करने में चूक की है, वहां वह निरीक्षक के माध्यम से सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक को यह सिफारिश कर सकता है कि उस संस्था के विरुद्ध उपधारा (२) के अधीन कार्यवाही की जाय ।

(२) उपधारा (१) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने पर, सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक प्रबन्धतन्त्र से उक्त निदेश या उपबन्ध का अनुपालन करने की या एक सप्ताह के भीतर यह कारण बताने की अपेक्षा कर सकता है कि क्यों न प्रबन्धतन्त्र का अतिक्रमण कर दिया जाय ।

(३) जहां प्रबन्धतन्त्र उपर्युक्त का अनुपालन न करे या कारण न बताये, या सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक बताये गये कारण को अपर्याप्त समझे, वहां वह आदेश द्वारा प्रबन्धतन्त्र का एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिये जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, अतिक्रमण कर सकता है, और किसी व्यक्ति को (जिसे आगे प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त अवधि के लिये संस्था का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के लिये प्राधिकृत कर सकता है :

परन्तु सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक जहां वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे—

(एक) समय-समय पर उक्त अवधि को बढ़ा सकता है किन्तु इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक न हो, या

(दो) किसी भी समय उक्त आदेश को विखण्डित कर सकता है :

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के खंड (दो) में किसी बात से इस धारा के अधीन नया आदेश देने के सम्बन्ध में कोई रुकावट न होगी ।

(४) उपधारा (३) के अधीन कोई आदेश दिये जाने पर प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्धतन्त्र को अपवर्जित करके और केवल सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक, निदेशक या राज्य सरकार के आदेशों के, यदि कोई हो, अधीन रहते हुए, प्रबन्धतन्त्र की सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जिसमें संस्था की या उसमें निहित सम्पत्ति का प्रबन्ध भी सम्मिलित है, और विशेष रूप से, धारा ५ में निर्दिष्ट बैंक लेखे का परिचालन अकेले करेगा :

परन्तु इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि इसे प्राधिकृत नियंत्रक को किसी ऐसी सम्पत्ति का (सामान्य प्रबन्ध क्रम में मास प्रति मास किराये पर देने के सिवाय) अन्तरण करने या उसे (सिवाय राज्य सरकार से संस्था के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त करने की शर्त के रूप में) भारित करने की शक्ति प्राप्त होती है ।

(५) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश, संस्था के प्रबन्ध और नियन्त्रण से सम्बन्धित या संस्था की या उसमें निहित

सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमित या लिखत में दी गई उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होगा ।

अपील

७—धारा ६ की उपधारा (३) के अधीन प्रबन्धतन्त्र का अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील प्रबन्धतन्त्र आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर निदेशक को की जा सकती है, और या तो निदेशक स्वयं या इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश से निदेशक द्वारा नियक्त कोई अन्य अधिकारी, ऐसी अग्रेतर जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे, या तो आदेश को अपास्त कर सकता है या उसकी पुष्टि कर सकता या उसे परिष्कृत कर सकता है और अपील का निस्तारण होने तक आदेश का प्रवर्तन ऐसे निबन्धनों पर, यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है ।

अभिलेख मांगने की राज्य सरकार की शक्ति

८—राज्य सरकार धारा ७ के अधीन निदेशक द्वारा विनिश्चित किसी अपील के अभिलेख को, निदेशक द्वारा दिये गये किसी आदेश के सही होने या उसके औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिये मंगा सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और वह उस पर ऐसा आदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझे :

परन्तु किसी संस्था के प्रबन्धतन्त्र का अतिक्रमण करने या उसके अतिक्रमण की अवधि को बढ़ाने के लिये इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि प्रबन्धतन्त्र को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाय ।

पदों का अनुमोदन

९—(१) कोई संस्था अध्यापक या अन्य कर्मचारी के नये पद का सृजन, निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी के जिसे निदेशक द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकार प्रदान किया गया हो, पूर्वानुमोदन के बिना नहीं करेगी ।

(२) यदि उपधारा (१) में निर्दिष्ट पूर्वानुमोदन से कोई नया पद सृजित किया जाय, और तीन मास के भीतर ऐसे पद पर नियुक्ति न की जाय तो यह समझा जायगा कि अनुमोदन वापस ले लिया गया है ।

वेतन के सम्बन्ध में दायित्व

१०—(१) राज्य सरकार प्रत्येक संस्था के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगी जो नियत दिनांक के पश्चात् किसी अवधि के सम्बन्ध में देय हो ।

(२) राज्य सरकार किसी ऐसी धनराशि को जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा उपधारा (१) के अधीन कोई दायित्व उपगत हो, उस संस्था को या उसमें निहित सम्पत्ति की आय को कुर्की द्वारा वसूल कर सकता है मानों वह धनराशि संस्था द्वारा देय भू-राजस्व की कोई बकाया हो ।

(३) इस धारा की किसी बात से अध्यापक या कर्मचारी के प्रति किसी ऐसे देय के लिये संस्था के दायित्व का अल्पीकरण नहीं समझा जायगा ।

दण्ड, शास्ति और प्रक्रिया

११—(१) यदि धारा ४ के अधीन किसी निदेश का या धारा ३ या धारा ५ के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई चूक की जाय तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जो चूक किये जाने के समय प्रबन्धक था या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसमें संस्था का प्रबन्ध और कार्य-संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह यह न सिद्ध कर दे कि चूक उसकी जानकारी के बिना हुई थी या उसने ऐसी चूक को रोकने के लिए सभी सम्यक् सावधानी बरती थी, धारा ३ के उपबन्धों के अनुपालन में चूक करने की स्थिति में, जुर्माना से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और किसी अन्य चूक की स्थिति में कारावास से जो छः मास तक हो सकता है या जुर्माना से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(२) कोई न्यायालय सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक की पूर्व स्वीकृति के बिना इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा किन्तु कोई पुलिस अधिकारी को उप-अधीक्षक के पद से नीचे का हो, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे अपराध का न तो अनुसंधान करेगा और न वारन्ट के बिना उसके लिये गिरफ्तारी करेगा ।

(४) कोई न्यायालय जो प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से नीचे का हो, इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

न्यायालय की अधिकारिता पर रोक

१२—इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक, शिक्षा अधिकारी या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी ।

कतिपय संस्थाओं के सम्बन्ध में छूट

१३—इस अधिनियम की कोई बात उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, रेलवे प्रशासन, छावनी बोर्ड या केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं पर लागू न होगी ।

सद्भावना से किये गये कार्यों के लिये संरक्षण

१४—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार, निदेशक, सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक, शिक्षा अधिकारी, प्राधिकृत नियंत्रक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

१५—(१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अवसर की अपेक्षानुसार, अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक या परिणामिक उपबन्ध, जिनमें इस अधिनियम के या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ या इनके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का अनुकूलन या परिष्कार करने का उपबन्ध सम्मिलित है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है,

जिसे वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश नियत दिनांक से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायगा ।

(३) उपधारा (१) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा ।

प्रत्यायोजन

१६—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी सभी या किसी शक्ति का प्रत्यायोजन निदेशक को कर सकती है ।

नियम बनाने की शक्ति

१७—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ से लेकर खण्ड १७ तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कालीचरण—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८†

(शिक्षा मंत्री) श्री कालीचरण—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

---

†दिनांक २३ अगस्त, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्रीमन्, प्रदेश में कुछ ऐसे असरकारी सहायता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, जो एल० टी० का प्रशिक्षण देते हैं। सरकार द्वारा उन्हें अनुदान प्राप्त होता है। जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के सम्बन्ध में जो समस्याएं थीं, वे इनके अध्यापकों और कर्मचारियों के साथ भी हैं। उनको समय से वेतन नहीं मिलता है, वेतन में कटौती की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि उनके वेतन भुगतान का उत्तरदायित्व सरकार अपने ऊपर ले ले। इसी कारण यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, सदन से अनुरोध है कि वह इस पर अपनी सर्वसम्मति से सहमति प्रदान करे।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे। जैसा मंत्री जी ने कहा कि यह अध्यापकों तथा कर्मचारियों को नियत समय पर वेतन देने से सम्बन्धित है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें ऐसा सुधार हो, जिससे सरकार का उद्देश्य विफल न हो, बल्कि फलित हो। धारा २ में एक ऐसी स्थिति आई, जिसे मैं समझता हूं मंत्री जी स्वयं पसन्द नहीं करेंगे, क्योंकि ५७ में डाक्टर लोहिया जी के नेतृत्व में एक आन्दोलन चला था "अंग्रेजी हटाओ।" माननीय मंत्री जी ने धारा २ में "लाइसेन्सिएट इन टीचिंग" शब्द रख दिया। आपके विभाग को हिन्दी का ज्ञान हुआ या नहीं? सीधा सा हिन्दी शब्द रखना चाहिए। माननीय मंत्री जी कह देंगे कि साहब यह तो चलता-फिरता शब्द है। आम जनता के व्यवहार में जो विदेशी भाषा के शब्द आ जाते हैं उनका इस्तेमाल हो सकता है, डाक्टर लोहिया के शब्दों में। लेकिन यह शब्द जो आपने रखा ऐसा लगता है कि जिस भावना से हम लोग प्रेरित हैं और जिस भावना से प्रेरित हो कर जनता ने हमको इस सदन में भेजा है उसके प्रतिकूल हम आचरण करने के आदी बनते चले जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खंड २ के उपखंड (ग) और (छ) की तरफ आकर्षित करूंगा। उपखंड (ग) में कर्मचारियों की परिभाषा में समय का उल्लेख नहीं किया लेकिन (छ) में शब्द वही हैं, अध्यापकों की परिभाषा में १९७६-७७ का उल्लेख कर दिया। अगर मंत्री जी कर्मचारियों की परिभाषा में समय का उल्लेख नहीं करेंगे तो नतीजा क्या होगा, कि आपके विधेयक के पारित होने के बाद जितनी शिक्षण संस्थाएं होंगी बाहर से फर्जी तौर से भरती कर देंगी। आप प्राविधान कर रहे हैं १ लाख १६ हजार, वह बढ़ जायगा। यह बराबर हुआ है। कांग्रेस ने इस का विधेयक पारित किया पहले और हुआ यह कि शिक्षण संस्थाओं ने गत वर्षों से कुछ कर्मचारियों को भरती कर दिया। तो इसमें समय न रहने से यह दिक्कत हो जायगी और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। खंड ४ को लें। छटनी का आपने प्राविधान रखा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शम्भूनाथ जी, आप विधेयक के प्रत्येक खंड की विवेचना कर रहे हैं। इसमें जो उद्देश्य और लक्ष्य है उसके सम्बन्ध में जनरल कहें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

खंडों से जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं होने जा रही है इस लिए खंड बता रहा हूं। इसमें कमियां क्या हैं इस ओर ध्यान न दिलाऊंगा तो माननीय मंत्री का ध्यान नहीं जायगा कि इसको क्यों प्रवर समिति के सुपुर्द करना चाहिए। छटनी शुदा कर्मचारियों को रखने की इस विधेयक में कहीं प्राविधान नहीं है। इसी प्रकार श्रीमन्, आप देखेंगे कि अगर कोई संस्था छात्रों की फीस का सदुपयोग नहीं कर रही है, बैंक खाते में जमा करने की बात नहीं कर रही है तो उस निदेशक को अधिकार दे रहे हैं कि जसा चाहें अध्यापकों से फीस जमा करायेगा। उपनिदेशक अध्यापकों से जमा करा लेगा क्योंकि इस विधेयक में प्रबन्ध तन्त्र को खत्म करने का कहीं उल्लेख नहीं है, वह गड़बड़ी करेगा तो नतीजा यह होगा कि छात्रों में, निदेशक और प्रबन्ध तन्त्र में आपस में द्वन्द्व होगा, जो शिक्षण संस्थाओं में किसी से छिपा नहीं है। अगर इस रूप में यह व्यवस्था कर दी तो और भी गड़बड़ियां पैदा हो जायेंगी। अगर कोई महाविद्यालय सरकारी देय धनराशि को वापस करने के लिए तैयार नहीं है तो उसकी कुर्की हो जावेगी। विद्यालय की जो सम्पत्ति है उसको कुर्क कर लिया जावेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस नियम के रखने से वहां पर भ्रष्टाचार और भी बढ़ेगा। प्रधानाचार्य और प्रबन्धक गड़बड़ियां करेंगे और जब मामला आवेगा तो विद्यालय की सम्पत्ति कुर्क हो जावेगी। वे लोग अपने कर्त्तव्य से बरी हो जावेंगे। जिस आदमी द्वारा भ्रष्टाचार किया जायेगा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी और वह बरी हो जावेंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जिस आदमी ने भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ कुर्की की जानी चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। फिर आपने इस विधेयक में इस प्रकार का प्राविधान कर दिया कि अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसकी जांच एस० पी० से कम का अधिकारी नहीं करेगा। आप गलत हैं और हम गलती करते हैं तो उसकी जांच सब इन्सपेक्टर कर सकता है। उसको अधिकार है कि वह हमारी जांच करे, लेकिन माननीय मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था इस विधेयक में की है कि सब-इन्सपेक्टर जांच नहीं कर सकता है। तो मेरा कहना है कि कोई संज्ञेय अपराध पकड़ में आ ही नहीं सकता है। फिर आपने क्या कर दिया कि मैजिस्ट्रेट की अनुमति से होगा।

हमारे यहां पर सतीश चन्द्र कालेज है वहां पर लाखों रुपय का गोल माल है। कांग्रेसी शासन में मैं उस के सम्बन्ध में प्रश्न करते-करते थक गया और अपने राज्य में भी प्रश्न करते-करते थक गया। अध्यापकों को उचित समय पर वेतन मिले, लेकिन अगर आप कोई ठीक तरीका नहीं निकालेंगे तो यह समस्या हल होने वाली नहीं है। पिछली सरकार ने चेक सिस्टम किया था, लेकिन उसमें भी काफी दिक्कतें आयी हैं। इस विधेयक को प्रवर समिति के सामने भेजने की संस्तुति विरोधी दल को करनी चाहिए थी लेकिन विरोधी दल ने उसको नहीं किया, इसीलिए मुझे यह लाना पड़ा है।

श्री अध्यक्ष—

इस में समय नहीं है। इसलिए आप समाप्त करें।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको और अच्छा बनाने के लिए मेरा सुझाव मान लें।

श्री काली चरण--

मान्यवर, चौधरी साहब ने कोई ऐसी समस्या नहीं उठायी । शुरु-शुरु में एक बात कही । आपको पुकारते हैं माननीय श्री शम्भूनाथ चौधरी । मुझे यह पता तो नहीं है कि चौधरी साहब के पूज्य माता-पिता जी मौजूद हैं या नहीं । नाम बदलने का अधिकार तो उन्हें हो सकता है । या ये अपना नाम बदल दें । तो जो नाम बदल देंगे उसी नाम से सब उनको पुकारने लगेंगे । एक शब्द पर इन्होंने एतराज किया है कि एल० टी० क्यों रखा गया है । लेकिन मैं डाक्टर लोहिया की बात कहता हूं कि भाषा के मामले में उनका इतना उदार दृष्टिकोण था और वे बराबर यह कहा करते थे कि जो नाम हिन्दुस्तान की जनता में प्रचलित है, वही भाषा के क्षेत्र में चलना चाहिए । यह भाषा से सम्बन्धित उनका सिद्धान्त था । एल० टी० एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसे पढ़े लिखे तो क्या बिना पढ़े लिखे भी लोग जानते हैं । एल० टी० शब्द अगर विधेयक में रख दिया गया है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बड़ा पाप हो गया है ।

मैं मानता हूं कि चौधरी साहब एक अच्छे वकील हैं । मालूम ऐसा होता है कि उन्होंने इसको पूर्णतया न देखकर शायद जल्दी में देख लिया है अगर इसको विस्तृत रूप में देख लिया होता तो उनकी जितनी भी शंकायें हैं, उनका समाधान हो जाता । यह विधेयक अध्यापकों के लिए प्रस्तुत किया गया है और यदि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाता है तो उनके हित में विलम्ब ही होगा । इसलिए मेरा अनुरोध है कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें और इसे सर्वसम्मति से पास होने दें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मान्यवर, मैं तो चाहता हूं कि यह विधेयक नियमित रूप से और जल्द से जल्द लागू हो । मैं कहां विलम्ब करना चाहता हूं । इसलिए मैं अपने संशोधन को इस आशय के साथ वापस ले रहा हूं कि हमारे मंत्री जी फिर इस प्रकार की गल्ती न किया करें ताकि हम लोग भी उनके प्रति आलोचक बन सकें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय शम्भू नाथ चौधरी को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २ से १२, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८

राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन के भुगतान को विनियमित करने और उससे संबंधित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, १९७८ कहा जायेगा ।

परिभाषाएं

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे ।

२—इस अधिनियम में—

(क) "महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से है जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए अध्यापकों को "लाइसेन्सियेट इन टीचिंग" में प्रशिक्षण देता हो, और जिसे तत्समय राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान मिल रहा हो ;

(ख) "उप निदेशक" का तात्पर्य सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक से है, और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन उप निदेशक के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है ;

(ग) किसी महाविद्यालय के "कर्मचारी" का तात्पर्य ऐसे गैर-शिक्षक कर्मचारी से है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालय को दिया जाता हो ;

(घ) "अनुरक्षण अनुदान" का तात्पर्य किसी महाविद्यालय के ऐसे सहायक अनुदान से है जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस महाविद्यालय के स्तर के समुपयुक्त अनुदान माने जाने के लिए निदेश दे ;

(ङ) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में, "प्रबन्धतन्त्र" का तात्पर्य उस महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए प्रभारित प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय से है ;

(च) किसी अध्यापक या कर्मचारी के "वेतन" का तात्पर्य अनुरक्षण अनुदान का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए अनुमोदित दरों पर उसे तत्समय देय उपलब्धियों के योग से है जिसके अन्तर्गत महंगाई या कोई अन्य भत्ता भी है ;

(छ) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में "अध्यापक" का तात्पर्य उस अध्यापक से है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष १९७६-७७ के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षण अनुदान दिया जा रहा था ।

३—(१) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुए भी, किसी महाविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी का, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के पश्चात् की किसी अवधि के सम्बन्ध में वेतन, उस मास के, जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देय हों, आगामी मास के बीसवें दिन को या उसके पूर्व ऐसे दिन को, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत करे, समाप्ति के पूर्व उसे दिया जायेगा । समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियां किये बिना वेतन का भुगतान

(२) वेतन का भुगतान, उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी भी प्रकार की कटौती, सिवाय उन कटौतियों के जो राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हो, किये बिना, किया जायेगा ।

(३) जहां उपधारा (१) के अनुसार किसी महाविद्यालय के किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का भुगतान प्रबंधतंत्र की ओर से किसी व्यतिक्रम के कारण नहीं किया जाता है, वहां उप निदेशक इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस उप धारा में उल्लिखित दिनांक से दस दिन के भीतर ऐसे वेतन का भुगतान, यथास्थिति, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी द्वारा अन्तिम बार आहरित वेतन की दर पर, और नई नियुक्ति की स्थिति में उस वेतनमान की, जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी हो, न्यूनतम दर पर, धारा ५ की उप धारा (१) में उल्लिखित लेखे में जमा धन से कर सकता है या करा सकता है, और ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में कोई समायोजन, तत्पश्चात यथाशीघ्र किया जायेगा ।

निरीक्षण करने तथा निदेश जारी करने की शक्ति

४—(१) उप निदेशक, किसी समय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी महाविद्यालय का निरीक्षण कर सकता है या करा सकता है या उसके प्रबन्धतंत्र से उसके अध्यापकों या कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में ऐसी सूचना और अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा-बही और वाउचर भी हैं) जिन्हें वह उचित समझे, मांग सकता है या उसके प्रबन्धतंत्र को ऐसे वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों का, जिन्हे वह उचित समझे, अनुपालन करने के लिए कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक या कर्मचारी की छंटनी करने या किसी अपव्यय के निषेध का कोई निदेश भी है) दे सकता है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन छंटनी का प्रत्येक निदेश शिक्षा निदेशक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात दिया जायेगा और उसमें ऐसा आगामी दिनांक विनिर्दिष्ट होगा जब से ऐसी छंटनी प्रवर्तनीय होगी ।

(३) जहां छंटनी करने के लिए उपधारा (१) और (२) के अनुसार कोई निदेश दिया जाय, वहां सम्बद्ध अध्यापक या कर्मचारी ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से, अनुरक्षण अनुदान के प्रयोजनार्थ, महाविद्यालय का अध्यापक या कर्मचारी नहीं रह जायेगा ।

वेतन भुगतान की प्रक्रिया

५—(१) प्रत्येक महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र अपने अध्यापकों और कर्मचारियों को वेतन का वितरण करने के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक में एक पृथक् लेखा खोलेगा (जिसे आगे "वेतन

भुगतान लेखा" कहा गया है) जो प्रबन्धतंत्र के एक प्रतिनिधि और उप निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे उप निदेशक इस निमित्त प्राधिकृत करे, संयुक्त रूप से चलाया जायगा :

परन्तु वेतन भुगतान लेखा खोल दिये जाने के पश्चात उप निदेशक, यदि उसका, धारा १२ के अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए, यह समाधान हो जाय कि लोक-हित में ऐसा करना समीचीन है, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि लेखे को अकेले प्रबन्धतंत्र के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जायेगा, और ऐसे अनुदेश को किसी भी समय विखन्डित कर सकता है :

परन्तु यह और कि उप धारा (३) में निर्दिष्ट स्थिति में या ऐसी किसी अन्य स्थिति में जहां प्रबन्धतंत्र को कारण बताने का अवसर देने के पश्चात उप निदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो, उप निदेशक, बैंक को यह अनुदेश दे सकता है कि वेतन भुगतान लेखे को अकेले स्वयं उसके या ऐसे अन्य अधिकारी जिसे वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, द्वारा चलाया जायगा, और ऐसे अनुदेश को किसी भी समय विखण्डित कर सकता है ।

(२) राज्य सरकार, समय-समय पर, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकती है कि किसी महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र छात्रों से फीस के रूप में प्राप्त धनराशि का ऐसा भाग और महाविद्यालय की, या उसके लाभ के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से विन्यासित, किसी जगम या स्थावर सम्पत्ति से प्राप्त आय का भी, यदि कोई हो, ऐसा भाग जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट हो, वेतन भुगतान लेखे में उस आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक तक जमा करेगा और तदुपरान्त प्रबन्धतंत्र ऐसे अनुदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

(३) जहां उप निदेशक की राय हो कि प्रबन्धतंत्र उप धारा (२) या उसके अधीन दिये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार फीस जमा करने में विफल रहा है, वहां उप निदेशक, आदेश द्वारा, प्रबन्धतंत्र को छात्रों से कोई फीस वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकता है और तदुपरान्त उपनिदेशक फीस को (या तो महाविद्यालय के अध्यापकों के माध्यम से या ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) सीधे छात्रों से वसूल कर सकता है और इस प्रकार वसूल की गयी फीस को वेतन भुगतान लेखे में जमा करेगा ।

(४) राज्य सरकार भी वेतन भुगतान लेखे में अनुरक्षण अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि जमा करेगी जो उप धारा (२) और (३) के अधीन जमा की गयी धनराशियों को ध्यान में रखते हुए, उप धारा (५) के अनुसार भुगतान करने के लिए आवश्यक हो ।

(५) वेतन भुगतान लेखे में जमा किसी धन का उपयोग निम्नलिखित के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा, अर्थात:—

(क) महाविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात की किसी अवधि के लिए देय होने वाले वेतन का भुगतान के लिए;

(ख) महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के भविष्य-निधि लेखे में प्रबन्धतंत्र का अंशदान, यदि कोई हो, जमा करने के लिए ।

(६) किसी अध्यापक या कर्मचारी के वेतन का भुगतान वेतन भुगतान लेखे से उसी बैंक में उसके लेखा में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके या यदि उस बैंक में उसका कोई लेखा न हो तो चेक द्वारा किया जायेगा ।

(७) किसी ऐसे स्थान के सम्बन्ध में, जहां कोई अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक न हो, इस धारा के उपबन्ध ऐसे परिष्कारों के साथ लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और उस स्थिति में इस धारा में बैंक के निर्देश किसी डाक घर बचत बैंक के निर्देश समझे जायेंगे ।

वेतन के संबंध में दायित्व

६--(१) राज्य सरकार प्रत्येक महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के ऐसे वेतन के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात की किसी अवधि के संबंध में देय हो ।

(२) राज्य सरकार किसी ऐसी धनराशि को जिसके सम्बन्ध में उस पर उपधारा (१) के अधीन कोई दायित्व हो, उस महाविद्यालय की या उसमें निहित सम्पत्ति के आय की कुर्की करके वसूल कर सकती है मानो वह धनराशि ऐसे महाविद्यालय द्वारा देय भू-राजस्व की कोई बकाया हो ।

(३) इस धारा की किसी बात से अध्यापक या कर्मचारी के किसी ऐसे देय के लिए महाविद्यालय के दायित्व का अल्पीकरण नहीं समझा जायेगा ।

पदों का अनुमोदन

७--कोई महाविद्यालय शिक्षा निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी के जिसे निदेशक इस निमित्त सशक्त करे, पूर्वानुमोदन के बिना अध्यापक या अन्य कर्मचारी का कोई नया पद सृजित नहीं करेगा ।

दण्ड, शास्ति और प्रक्रिया

८--(१) यदि धारा ४ के अधीन किसी निदेश का या धारा ३ या धारा ५ के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाय तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो व्यतिक्रम किये जाने के समय प्रबन्धक या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसमें महाविद्यालय का प्रबन्ध और कार्य-संचालन करने का प्राधिकार निहित था, जब तक कि वह यह न साबित कर दे कि व्यतिक्रम उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे व्यतिक्रम को रोकने के लिए सभी सम्यक सावधानी बरती थी, धारा ३ के उपबन्धों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने की स्थिति में, जुर्माना से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, और किसी अन्य व्यतिक्रम की स्थित में कारावास से, जो छः मास तक हो सकता है या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(२) कोई न्यायालय उप निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा, किन्तु उप अधीक्षक की श्रेणी से निम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे अपराध का अनुसंधान प्रथम वर्ग के मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा न वारन्ट के बिना उसके लिए गिरफ्तारी करेगा ।

(४) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

आदेशों का अन्तिम होना

९—इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके, राज्य सरकार शिक्षा निदेशक, उप निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी ।

सद्भाव-पूर्वक किये गये कार्य का संरक्षण

१०—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये गये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

११—(१) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में या इस अधिनियम में किसी बात के होने के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक उपबन्ध, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का अनुकूलन या परिष्कार करने का उपबन्ध भी है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है जिसे वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या समीचीन समझे ।

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं दिया जायेगा ।

(३) उपधारा (१) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

नियम बनाने की शक्ति

१२—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ से १२, खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री काली चरण—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण महाविद्यालय (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, १९७८ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ में संसद द्वारा संशोधन कराने हेतु संकल्प †

*स्वायत शासन मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार है :

"चूंकि दिनांक ६ अगस्त, १९७४ को इस विधान सभा ने संविधान के अनुच्छेद २५२ के खंड (१) के अनुसरण में संसद द्वारा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ (१९७४ का अधिनियम संख्या ६) को अपनाने का संकल्प पारित किया गया था ;

और चूंकि इस राज्य में उपर्युक्त अधिनियम के कार्यान्वयन में प्राप्त व्यावहारिक अनुभव से यह आवश्यक समझा गया कि संलग्न अनुसूची में दिये अगये संशोधनों के अनुरूप अधिनियम में कुछ संशोधन किये जायं ;

अतएव, अब, यह विधान सभा संविधान के अनुच्छेद २५२ के खण्ड (२) के साथ पठित खण्ड (१) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ में, संसद द्वारा यथा पूर्वोक्त संशोधन किया जा सकता है।"

मान्यवर, संविधान की सूची १७ में जल जो है स्टेट सब्जेक्ट है। जब प्रदेश प्रार्थना करते हैं तो उनके विहाफ में पार्लियामेंट बना सकती है इस जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को। सन् ७४ में पार्लियामेंट ने इसको बनाया हमने इसको एडाप्ट किया। कुछ स्टेट्स पहले प्रार्थना करते हैं, जिनकी प्रार्थना पर यह अधिनियम बनते हैं, बन जाने के बाद कुछ उसको एडाप्ट कर लेते हैं। हमने उसको एडाप्ट किया। उसके जो जल प्रदूषण बोर्ड के बनने और उसके कार्यान्वयन में जो कुछ हमने अड़चनें पाई, दूसरे प्रदेशों ने पाया, उन लोगों ने फिर केन्द्र से कहा, तो केन्द्र ने हमारे पास उन सभी प्रदेशों की मार्फत जिन्होंने जल प्रदूषण अधिनियम को बनाया या एडाप्ट किया, एक सूची भेजी है, जो कल के रोज संलग्नक सूची की वजह से स्थगित कर दिया गया था, मगर ११ तारीख को आप उसको बंटवा चुके हैं सदन के माननीय सदस्यों के पास। इस वक्त का संकल्प यह है कि जो सजेशन्स और संशोधन हैं वह स्वीकार किये जायें। १२ के कानून के सेक्शन सब-सेक्शन क्लाजेज में १२ केवल संशोधन हैं। मुख्यतः वह जल प्रदूषण बोर्ड से संबंधित है और थोड़ी सी एक बात यह भी है कि जल प्रदूषण के बजाय इन्वायरनमेंट लग जाय, जिसमें जल के साथ वायु का प्रदूषण भी सम्मिलित हो जाता है। इतना जरूर बोर्ड का काम बढ़ जाता है। बाकी जो व्यावहारिक कठिनाइयां थीं, उन्हीं को दूर करने की कोशिश की गयी। कितने मेम्बर हों, होल टाइम श्रीमन् रहे कि नहीं। चेयरमैन के क्या अधिकार हों। बोर्ड के अधिकार को किस तरह से शासन उस पर नियंत्रण रखे। इस तरह की सारी बातें हैं। सदन ने इसको देख ही लिया है ११ तारीख को ही, सूची जो अमेंडमेंट प्रपोज्ड है, वह बंट चुकी है। अब मेरा ख्याल है कि इसमें कोई अधिक बहस की गुंजाइश नहीं है, फिर भी मैं सुनना पसंद करूंगा। फिर उसके बाद जो कुछ निवेदित कर सकूंगा वह सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा।

---

†२९ अगस्त, १९७८ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि चूंकि दिनांक ६ अगस्त, १९७४ को इस विधान सभा ने संविधान के अनुच्छेद २५२ के खण्ड (१) के अनुसरण में संसद द्वारा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ (१९७४ का अधिनियम संख्या ६) को अपनाने का संकल्प पारित किया गया था ;

और, चूंकि इस राज्य में उपर्युक्त अधिनियम के कार्यान्वयन में प्राप्त व्यावहारिक अनुभव से यह आवश्यक समझा गया कि संलग्न अनुसूची में दिये गये संशोधनों के अनुरूप अधिनियम में कुछ संशोधन किए जायं ;

अतएव, अब, यह विधान सभा संविधान के अनुच्छेद २५२ के खण्ड (२) के साथ पठित खण्ड (१) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ में, संसद द्वारा यथा पूर्वोक्त संशोधन किया जा सकता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब मैं नियम ५१ की सूचनायें लेता हूं । श्री रियासत हुसैन ने जो सूचना दी है वह दिनांक २८ अगस्त, १९७८ को हापुड़ के एक व्यापारी श्री सुभाष चन्द्र से तीन सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा एक लाख रुपये की थैली छीन जाने के प्रयास में उसको गोली मार कर हत्या किये जाने के संबंध में है । इसको मैंने स्वीकार किया है । माननीय गृह मंत्री जी कब वक्तव्य दीजियेगा ?

गृह मंत्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, ७ को दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

श्री नेतराम सिंह ने भी एक सूचना दी है जो एटा, अलीगढ़ तथा बुलंदशहर में कृषि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मूंग सीधे किसानों से न खरीदकर व्यापारियों, एजेंटों तथा अढ़तियों से कम रेट की दागी मूंग खरीदकर लाखों रुपये बनाये जाने के संबंध में है । इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । उद्योग मंत्री जी कब वक्तव्य दीजियेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री राम प्रकाश)—

७ तारीख को दे दूंगा ।

जिला जालौन के ग्राम जमालपुर में डकैतों द्वारा आठ व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

जिला जालौन के ग्राम जमालपुर में डकैतों द्वारा आठ व्यक्तियों की गोली मार कर हत्या किये जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब नियम १०३/१०४ के अन्तर्गत श्री गुलाब सेहरा ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर विचार होगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

अब नियम ५१ के अंतर्गत गृह मंत्री वक्तव्य देंगे ।

एक सदस्य—

मान्यवर, वक्तव्य की कापियां नहीं मिली हैं । कापियां पहले बांट दी जांय ।

श्री अध्यक्ष—

कापियां अभी नहीं आ पायी हैं । इसलिए आप कृपया वक्तव्य सुन लीजिये । मैं जानता हूं कि आपकी स्मृति बड़ी मजबूत है । प्रश्न करने में वह आपको फेल नहीं करेगी ।

*गृह मंत्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २९ जुलाई, १९७८ की रात में सुखराम, निवासी ग्राम गौरई, थाना रौन, जिला भिन्ड (मध्य प्रदेश) व ७–८ अज्ञात अभियुक्तों ने उमराव गड़रिया, निवासी ग्राम जमालपुरा की पुत्रियों श्रीमती सरमन व श्रीमती सोमता को पाने के प्रयास विफल होने और इस सम्बन्ध में उन ग्रामवासियों द्वारा, जो गांव में शंकर जी के मंदिर की टीन की मरम्मत के सम्बन्ध में पंचायत हेतु एकत्रित हुए थे विरोध प्रकट किए जाने के फलस्वरूप क्रोधित होकर बंदूकों व तमंचों से फायर किए जिससे सात ग्रामवासियों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । भागते हुए लोगों में से एक अन्य को छर्रों की चोटें आईं तथा अभियुक्तों ने उमराव को भी उसके दरवाजे पर घसीट कर गोली मार दी जिससे वह दरवाजे पर ही मर गया । उपरोक्त आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री तुलसी राम गड़रिया ने थाना रामपुरा में दिनांक ३०–७–७८ की रात्रि में लिखाई जिस पर अभियोग संख्या ७३/७८ अन्तर्गत धारा १४७/१४८/१४९/३०२/३०७/४२८ भा० द० वि० पंजीकृत करके थानाध्यक्ष द्वारा विवेचना की जा रही है । अब तक की विवेचना से यह अपराध घनश्याम सिंह डकैत के गिरोह, जो जालौन जनपद में सक्रिय रहा है द्वारा किया जाना ज्ञात हुआ है । उक्त गिरोह का एक सदस्य काली चरन दिनांक १–८–७८ को रामपुरा जंगल में थाना रामपुरा पुलिस से हुई मुठभेड़ में मारा जा चुका है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम सिंह--]

उक्त घटना में मृतक उमराव, अभियुक्त सुखराम का फूफा था। अभियुक्त सुखराम ने भावुकता में आकर व अवैध प्रेम सम्बन्धों में उपेक्षित होने के कारण दस्यु घनश्याम सिंह के गिरोह में शामिल होकर उक्त घटना की। उभयपक्षों मे मनमुटाव आन्तरिक था और कोई ऐसी पुरानी रंजिश नहीं थीं जिससे इस प्रकार की घटना घटने की आशंका होती।

दस्यु घनश्याम सिंह व मलखान सिंह के दलों के उन्मूलन हेतु जनपद जालौन, इटावा तथा भिन्ड पुलिस द्वारा दिनांक २ अगस्त, १९७८ से दिनांक १७ अगस्त, १९७८ तक संयुक्त अभियान चलाया गया तथा उच्च अधिकारियों के निर्देशन में बीहड़ क्षेत्रों तथा जंगलात की विस्तृत छानबीन की गयी। डकैतों को शरण देने वाले ६ व्यक्तियों को बन्दी बनाकर जेल भेज दिया गया है तथा इन गैंगों को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। घनश्याम गैंग का जिला दतिया (मध्य प्रदेश) के सिवड़ा जंगल में जाना ज्ञात हुआ है। जनपद जालौन के किसी भी क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त होने की बात सही नहीं है। सुरक्षा हेतु ग्राम जमालपुरा में सशस्त्र पुलिस टुकड़ी नियुक्त है। गैंग के सम्भावित स्थानों पर गश्त व तलाश के प्रयास जारी हैं। मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

ग्राम नगरी, थाना जालौन की घटना की रिपोर्ट ४ अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध १२-८-७८ को लिखाई गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर धारा ३९४ भा० दं० वि० का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। ग्राम अटरा खुर्द, थाना चुर्खी में डकैती की घटना दिनांक १४-३-७८ को श्री टीकाराम की रिपोर्ट पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ३९५/३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत की गई थी। विवेचना से ८ अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से ३ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा शेष ५ अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम रामपुर, थाना कालपी की घटना के सम्बन्ध में दिनांक १६-८-७८ को धारा ३९४/३९७ भारतीय दंड विधान का अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें ३ नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा ८२/८३ जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट न्यायालय भेजी गयी है। ग्राम रसूलपुर, थाना कदौरा की डकैती के सम्बन्ध में दिनांक १६-८-७८ को धारा ३९२ भा० दं० वि० का अभियोग ४ अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिनकी तलाश जारी है। इस प्रकार पुलिस द्वारा इन सभी मामलों में तत्परता से कार्यवाही की गई है तथा इन घटनाओं में किसी सुनियोजित गैंग का हाथ होना नहीं प्रतीत होता।

*श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)--

माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा कि ८ आदमी घटना स्थल पर मारे गये तो उनकी मौत बन्दूक, तमंचों से हुई अथवा स्टेनगन से हुई? दूसरे गैंग है बड़ा खतरनाक गैंग है। स्वचालित शस्त्रों से लैस है। मध्य प्रदेश की पुलिस, यहां की पुलिस उसे घेरने में लगी लेकिन फिर भी निकल कर वह भाग गया और उत्तर यह दिया गया है कि अब कोई आतंक नहीं है जब कि ८ आदमी मौत के घाट उतार दिये गये। तो मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे कि आतंक हेतु क्या स्थिति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो सकती है ? तीसरे एक कालीचरण नामक आदमी मारा गया । वह १ तारीख को मारा गया पोस्ट मार्टम रिपोर्ट साफ कहती है कि उसकी लाश डेढ़ या दो दिन पुरानी थी । दो तारीख को पोस्ट मार्टम हुआ और एक तारीख को मारा जाता है तो लाश दो रोज की कैसे हो सकती है ? ऐसा तो नहीं है कि डाकुओं ने डकैती डाली तो इत्तिफाक से वह गोली का शिकार हो गया हो और पुलिस ने फर्जी इनकाउन्टर दिखाया हो कि उसकी गोली से वह मारा गया ?

*श्री राम सिंह--

घटना में स्टेनगन, १२ बोर की बन्दूकें तथा देशी तमंचे इस्तेमाल हुये हैं । कालो चरण के मारे जाने की मेरे पास जो सूचना है उसमें वह पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया है। कोई सन्देह होगा तो उसे देख लिया जायगा । माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न उठाया घटना के कारण के बारे में तो मुख्य कारण यह है कि लड़कियों को ले कर एक व्यक्ति के अवैध सम्बन्ध चले आ रहे थे । इसमें जिन पर गोली चली है और जो मारे गए हैं वे एक ही बिरादरी के हैं और आपस में रिश्तेदार भी थे । उस रिश्तेदारी की वजह से इस व्यक्ति सुखराम के उस परिवार में एक लड़की से सम्बन्ध हो गया । वह फरार रहा और फिर उसे लेकर लौट आया और चैलेंज किया कि वह लड़की उसके साथ रहेगी वर्ना परिणाम भुगतने होंगे । अचानक वह लड़की जो शादीशुदा थी उसके पिता ने उसे ससुराल वालों के साथ भेज दिया । इसकी सूचना अभियुक्त को मिली और उसने तैश में आकर घनश्यामदास के गैंग में मिल कर हमला किया । यह आपसी दुश्मनी के कारण हुआ ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि घटना स्थल से थाना कितनी दूर है और जो घटना घटी उसमें कितनी देर में पुलिस घटना स्थल में पहुंची ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

*श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

मान्यवर, मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्हें जानकारी है कि माधोगढ़ विधान सभा क्षेत्र के जो विधायक माननीय कृष्ण कुमार पालीवाल हैं उन्होंने जनवरी में चिट्ठी लिखी और जनवरी से अब तक कई पत्र गृह मंत्री और एस० पी० इटावा को लिखे कि आज के जो थानाध्यक्ष हैं उनके पूर्व के थाना-ध्यक्ष घनश्याम डकैत से नियमित रूप से धन प्राप्त करते रहे हैं ? यदि यह जानकारी है तो उस थानाध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्यवाही की और क्या उनके शिकायती पत्र की जांच की गई ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, यह नये शिकायती पत्रों की जानकारी माननीय सदस्य ने दी है । उसमें यह नहीं है । इसे नई सूचना मानकर जानकारी करा लूंगा ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कृष्ण कुमार पालीवाल (जिला जालौन)—

माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि मृतक परिवारों की बेहतरी के लिए कितनी आर्थिक सहायता दी गई और क्या उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया है कि सहायता देने का प्रश्न विचाराधीन है । इसलिये प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्ण कुमार पालीवाल—

उन परिवारों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री राम सिंह—

मैंने बताया कि उस गांव में पुलिस तैनात है और रक्षा के जितने प्रयत्न जो हो सकते हैं, किये जा रहे हैं ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मान्यवर, मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी नें अपने वक्तव्य में बताया कि एक डकैत कालीचरण को पुलिस ने मारा । मान्यवर, जिन्हों नियम ५१ में यह सूचना दी है श्री श्याम सुन्दर व पालीवाल जी ने जो प्रश्न किया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है उसका उत्तर नहीं आया । हमारी निश्चित जानकारी है कि कालीचरण की लाश के लिये पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि वह दो दिन पुरानी है । डकैत दल ने स्वयं अपने आदमी को मार कर डाल दिया और पुलिस ने फर्जी इनकाउन्टर दिखा दिया । मंत्री जी के पास पोस्ट मार्टम रिपोर्ट होगी उसमें क्या है क्या उसकी लाश जो दो दिन पुरानी थी, यह उसमें लिखा होगा ।

श्री राम सिंह—

मान्यवर, यह ड्यूरेशन में नहीं बता पाऊंगा इसको देखकर । जहां तक इन-काउन्टर की जानकारी है उसके फर्जी होने की जानकारी नहीं है ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मान्यवर, इतना लोमहर्षक कांड जिसमें ८ आदमी मारे गये और स्टेनगन से गोलियां चलीं जिसकी सूचना दैनिक "आज" में दो दिन से छप रही है और गृह मंत्री जी कहे कि जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूं इस घटना को साधारण रूप में वह ले रहे हैं । ऐसी घटना शायद ही जालौन में आज तक हुई हो जिसमें ८ आदमी मौत के घाट उतार दिये जायं । उस पर वक्तव्य देने में इतनी कोताही की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आपके केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है वह है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट । उसके बारे में उनका कथन है कि इस वक्त उनके पास में वह रिपोर्ट नहीं है ।

जिला जालौन के ग्राम जमालपुर में डकैतों द्वारा आठ व्यक्तियों की गोली मारकर १०४६ हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि श्रीमती सरमन के ससुराल का पता दिया है यह गांव हमारे क्षेत्र में पड़ता है । यह गैंग इटावा जनपद में बहुत सक्रिय है । श्रीमती सरमन की सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री राम सिंह--

इस समय लड़की ससुराल में है ।

श्री अध्यक्ष--

उनका कथन है कि लड़की को भी आशंका है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो रही है ।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, यह जो घटना घटी है वहां घटी है जहां लड़की के माता-पिता रहते हैं । ससुराल में खतरा होगा तो वहां सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

माननीय गृह मंत्री जी ने वक्तव्य में बताया कि दस्यु घनश्याम सिंह व मलखान सिंह के दलों के उन्मूलन हेतु जनपद इटावा की पुलिस प्रयत्न कर रही है । श्रीमन्, जिला भिण्ड और जिला दतिया मध्य प्रदेश के दूसरी तरफ है । क्या माननीय गृह मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यहां की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के बीच कोई कोआर्डिनेटेड ऐक्टीविटीज हो रही है जिससे घनश्याम गैंग समाप्त हो जाये ? क्या कोआर्डिनेशन हो रहा है ? क्या माननीय गृह मन्त्री जी ने मध्य प्रदेश के गृह मन्त्री से बात की है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, श्री तिवारी जी तो मुख्य मंत्री रहे हैं । इनके पास गृह विभाग भी रहा है । जहां तक २ प्रदेशों के कोआर्डिनेशन का सम्बन्ध है, इस प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश की सरकार से मिल कर सलाह मशविरा करके डाकुओं के उन्मूलन हेतु योजनायें बनाकर उन्हें खत्म करने का सदैव प्रयास करती है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

दतिया जिले का नाम नहीं है । भिण्ड से कार्यवाही हो रही है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी, इनका दतिया जिले का प्रश्न है ।

श्री रामसिंह--

अन्तर्राज्यों का जहां तक प्रश्न होता है सभी प्रकार के विचार विमर्श होते हैं ।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

जालौन जिला बुन्देलखंड का एक छोटा सा जिला है । उस जिले में ८ व्यक्तियों की एक साथ हत्या हो जाने से पूरे जिले में आतंक छाया हुआ है । क्या गृह मंत्री जी इसके लिये कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं और अब इस प्रकार की घटनायें नहीं होंगी ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, मैंने इस घटना की पृष्ठभूमि बताया था । इस घटना की पृष्ठ-भूमि से ऐसा लगता है कि यह घटना कोई सुनियोजित घटना के रूप में नहीं हुई है । यदि यह सुनियोजित घटना के रूप में नहीं होती तो उसके लिये प्रयास किया जायेगा ।

श्री शंकर सिंह—

क्या माननीय गृह मन्त्री जी बतायेंगे कि सम्पूर्ण जिले के विधायकों ने विशेष कर पालीवाल जी ने जिला जालौन के पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ लिखित शिकायत बहुतों बार की हैं और यह प्रार्थना की है कि पुलिस अधिकारियों की तबदीली होनी चाहिए ? माननीय मुख्य मन्त्री जी को, माननीय गृह मन्त्री जी को, आई० जी०, डी० आई० जी० को हम लोगों ने कई बार प्रार्थना पत्र दिया था कि जिले के पुलिस प्रशासन में बदलाव किया जाय । मंत्री जी कहते हैं आई० जी० से कह रहा हूं, डी० आई० जी० कहते हैं कि आई० जी० से कह रहा हूं । मान्यवर, इस काण्ड के बाद विशेष रूप से वहां के क्षेत्र के विधायक श्री पालीवाल के इस आरोप पर कि वहां जो पुलिस दरोगा है वह नियमित रूप से डाकुओं से पैसा लेता है और उसका पैसा बंधा हुआ है । क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट पुलिस अधिकारी की तबदीली करने जा रही है ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जो शिकायतें प्रशासन के अधिकारियों से सम्बन्धित माननीय सदस्यों द्वारा समय समय पर प्राप्त होती हैं चाहे माननीय मुख्य मन्त्री जी को दें, मुझको दें या अन्य किसी मन्त्रिमन्डल के सदस्य को देते हैं उनपर कार्यवाही की जाती है । जो भी प्रार्थना-पत्र माननीय सदस्यों द्वारा प्राप्त होते हैं उन पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जाती है । क्योंकि यह घटना इस प्रकार से घटी है कि इसके बारे में कोई सम्भावना नहीं थी कि ऐसा हो जायेगा ।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, जो वहां अधिकारी हैं उनको बदला जाय । विधायक का स्पष्ट आरोप है कि वहां का दरोगा, डकैतों से मिला था ।

श्री कृष्ण कुमार पालीवाल—

मान्यवर, डी० आई० जी०, आई० जी० आदि को ६ महीने से लगातार लिखा गया कि थानेदार वहां का दस्यु घनश्याम सिंह से ५ हजार रुपये प्रतिमाह लेता है । एक महीने पहले कहा कि वह डकैत वहां पनाह पा रहा है । इसलिये मेरे क्षेत्र से जो ८ आदमी मारे गये हैं उसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के अधिकारी हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस पर विशेष चर्चा होनी चाहिये। जालौन जिले की जो हालत है वह गम्भीर है। इनमें दल का सवाल नहीं है। मैं मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि इस पर अलग से चर्चा करादें।

श्री अध्यक्ष—

अभी नहीं। मैं गृह मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जालौन के माननीय सदस्यों का निश्चयात्मक आरोप है कि इसमें एक सब-इन्सपेक्टर का हाथ है और इसमें पुलिस अधिकारियों की असावधानी है। कृपया आप इसकी जांच करें। यदि इसमें सत्य हो तो तुरन्त कार्यवाही करें।

श्री शम्भु नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह घटना दो रिश्तेदारों के बीच हुई है इस लिये निश्चित है कि रंजिश पहले थी। तो क्या पुलिस ने १०७ और ११७ की कार्यवाही उभयपक्षों के विरुद्ध किया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं किया?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, इस घटना के सम्बन्ध में उनके किसी रिश्तेदार ने परिवार के किसी सदस्य ने या अन्य किसी व्यक्ति ने ऐसी सम्भावना नहीं व्यक्त किया है कि इस प्रकार के मनमुटाव से ऐसी घटना घट जायेगी मैंने कहा है कि जोश में आकर उसने अपनी रन्जिश पूरी करने के लिए एक गैंग से मिला और धमकी दिया तथा ऐसा किया। जो माननीय सदस्यों ने तथ्य बताये हैं उनको मैं दिखला लूंगा और यदि सरकारी कर्मचारियों का दोष होगा तो वह बच नहीं पायेंगे।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जो मन्त्री जी ने कहा है कि ६ व्यक्ति जो बदमाशों की मदद करते थे उनको जेल में बन्द कर दिया। तो उनको किस धारा में बन्द किया और उनके नाम बताने की कृपा करें?

श्री राम सिंह—

उनके नाम इस प्रकार हैं राम स्वरूप नाई, जगभान सिंह, केशव, मन्ना, बंशी पुत्र लक्खी कुम्हार आदि हैं।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

जैसा कि माननीय सदस्यों ने इस मामले की गंभीरता बतायी और यह भी बताया कि इस घटना के घटित होने के पूर्व ही स्पष्ट आरोप लगाते हुए यह सूचना दी कि गैंग से थानाध्यक्ष ५ हजार रुपया रिश्वत लेता है और अपराध कराता है। यह शिकायत मिलने के उपरान्त उस पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रकार की कोई शिकायत आपको मिली और अगर मिली तो क्या कार्यवाही की?

श्री राम सिंह--

जो प्रश्न माननीय सदस्य शंकर सिंह ने यह प्रस्तुत किया था उनके प्रश्न में ऐसा कोई आरोप नहीं था। जो नये प्रश्न उठाये गये हैं उनकी मैं जांच करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय पालीवाल, माननीय गुप्त और माननीय शंकर सिंह का कहना है कि हमने लिखित शिकायत आपको दी और आई० जी० को दी तो उनका प्रश्न है कि यह शिकायतें आपको प्राप्त हुई कि थानेदार का इसमें हाथ था और यह सूचना आपकी जानकारी में आयी तो क्या कार्यवाही की? अगर यह सूचना आपकी जानकारी में नहीं आयी तो आप जांच करा लेंगे लेकिन यदि यह सूचना आपको प्राप्त हुई तो आपने क्या कार्यवाही की और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की?

श्री राम सिंह--

जो शिकायतें माननीय सदस्यों ने मेरे पास भेजीं मैंने जांच के लिए सम्बन्धित अधिकारी के पास भेज दी। अगर वहां कार्यवाही नहीं हुई होगी तो मैं इसको सुनिश्चित कर लूंगा कि क्यों नहीं कार्यवाही हुई और कौन दोषी है।

राज्य मन्त्री, श्री सत्यदेव त्रिपाठी द्वारा शिमला में धारा १४४ का उल्लंघन करके सभा करने तथा मुख्य मंत्री द्वारा कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमावली के खेद प्रकाशन के प्रस्ताव की ग्राह्यता पर आपत्ति

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियम प्रक्रिया नियमावली के १०३ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसमें लिखा है कि संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर, मैं केवल इतना ही पढ़ रहा हूं। यह जो संकल्प रखा गया है यह एक मंत्रि परिषद् के सदस्य के बारे में संकल्प है। धारा १०३ में स्पष्ट लिखा है कि संविधान या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की सम्मति से किये गये प्रस्ताव के बिना सामान्य लोक हित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मंत्रिपरिषद् से सदस्य श्री सत्यदेव त्रिपाठी जो राज्य मंत्री हैं उनके विरुद्ध संकल्प पर अगर किसी भी तरह का विचार करना होगा तो संविधान की धारा १६४ (२) में स्पष्ट लिखा है कि मंत्रिपरिषद् राज्य और विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा।

अगर कोई विचार करना होगा और विधान सभा विचार करेगी। मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य का कार्य सामूहिक रूप से मंत्रि-परिषद् का कार्य होगा। इसी नियम के तहत नियम २७५ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से निम्नलिखित निर्बन्धनों के साथ किया जा सकेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी के साथ में आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों के सन् १९५२ से १९६७ के संकलन के पृ० ५६५ की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं जिसकी निर्णय संख्या ३९ में लिखा है कि मंत्री विशेष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। २३ अप्रैल, १९६५ को श्री काशीनाथ मिश्र ने गृह मंत्री के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना दी थी। श्री अध्यक्ष ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा—"अविश्वास का प्रस्ताव एक मंत्री के विरुद्ध नहीं आ सकता। यद्यपि वॅश्योर मोशन का विधान मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में मिलता है, लेकिन ऐसा कोई विधान हमारे यहां नहीं है। पहले भी समय-समय पर यह प्रश्न हमारे सामने आता रहा है कि किसी मंत्री विशेष के सम्बन्ध में असन्तोष हो तो कोई ऐसा प्राविधान हमारे नियमों में होना चाहिए जिसके द्वारा हम किसी एक मंत्री विशेष के विरुद्ध अविश्वास या निन्दा का प्रस्ताव ला सकें। जब तक हमारे नियमों में ऐसा परिवर्तन न हो जाय तब तक हम किसी एक मंत्री विशेष के विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हैं।,

मान्यवर, मैंने संविधान की कुछ धाराओं और नियमों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उसको देखने के बाद यह स्पष्ट रूप से संवैधानिक मान्यताओं और नियमों के अधीन इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि किसी एक सदस्य के विरुद्ध किसी तरह के प्रस्ताव के लिए संविधान की धारा इजाजत नहीं देती है। अब अगर माननीय गुलाब सेहरा पूरे मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहें तो वे स्वतंत्र हैं। अगर वे न ला सकें तो श्री नारायण दत्त तिवारी से कहें जो उनके नेता हैं, वे लायें। एक आपत्ति और है आज जो एजेन्डे में छपा है। जो आइटम १६ है कि इस सदन को खेद है कि राज्य सरकार के राज्य मंत्री, श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने २४ जून, १९७८ को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री राजनारायण के साथ हिमांचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगी धारा १४४ को तोड़कर एक सार्वजनिक सभा में भाग लिया। मेरी आपत्ति यह है कि २४ जून, १९७८ को कोई ऐसी सार्वजनिक सभा नहीं हुई शिमला में जिसमें श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने भाग लिया। एक बात और कहना चाहूंगा मेरी जो जानकारी है अगर माननीय सत्यदेव त्रिपाठी ने अपराध किया तो शिमला में किसी थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होती और उत्तर प्रदेश की सरकार को निश्चित रूप से सूचित किया जाता। लेकिन हिमांचल के प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस प्रकार की कोई सूचना उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को नहीं दी है। मेरा अनुरोध इतना ही है कि संवैधानिक रूप से इस संकल्प पर विचार नहीं होना चाहिये। और अगर विचार करना है तो सम्पूर्ण मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध किया जा सकता है, एक मंत्री के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य, वाराणसी के जिज्ञासु भावनाओं का आदर करता हूं कि उन्होंने नियमावली और संविधान का अध्ययन करने का प्रयास किया। मेरे विचार से जो उन्होंने आपत्ति उठाई हैं वह सर्वथा निराधार है। पहली बात तो यह है कि यह संकल्प मंत्रि-परिषद् पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है। यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

माननीय सत्यदेव त्रिपाठी पर भी अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है । माननीय गुलाब सेहरा के संकल्प को जहां तक मैं समझ सका उसका आशय यह है कि श्री सत्यदेव त्रिपाठी, राज्य मंत्री ने मंत्री की हैसियत से जो आचरण किया, उसके लिए वे खेद प्रकाश करें और अपनी गलती इस सदन के समक्ष स्वीकार कर लें कि मुझ से गलती हुई और मैंने धारा १४४ को तोड़ा । हो सकता है मुख्य मंत्री जी से उन्होंने ऐसा कह भी दिया हो । मैं ऐसा विश्वास नहीं करता कि माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा एक केन्द्र के वरिष्ठ मंत्री का इस्तीफा मांगे जाने के बाद भी और उसके बाद भी मुख्य मंत्री जी ने कोई बात की होगी, मुझे नहीं मालूम, उनसे क्या कहा । क्योंकि समाचार पत्रों में कोई बात नहीं आयी । हो सकता है मंत्रिमंडल ने आपस में कोई बात की हो, मैं नहीं जानता । क्योंकि युवक हैं, भावावेश में कोई बात हो गयी ऐसा व्यू लिया जा सकता है । खैर, मैं नहीं जानता । तो इसलिए अविश्वास उन पर व्यक्त करना नहीं चाहता । अविश्वास की बात तो तब आयेगी जब मुख्य मंत्री जी भी उनकी रक्षा में खड़े होंगे और उनको डिफेंड करेंगे प्रधान मंत्री के खिलाफ । अगर मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री के खिलाफ भाषण करते हैं तब अविश्वास की बात आयेगी । क्योंकि यह तो मुख्य मंत्री जी को तय करना है कि प्रधान मंत्री की व्यक्त राय से वे सहमत हैं या नहीं । हमें वैसे ऐसा विश्वास नहीं है कि वह ऐसा करेंगे । इस समय तक यह विश्वास है और आगे भी रखना चाहते हैं कि वह उनको खेद व्यक्त करने का मौका देंगे । तो यह अविश्वास नहीं है ।

सामूहिक उत्तरदायित्व अवश्य है, यह मैं मानता हूं । राज्य मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी जी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सामूहिक उत्तर-दायित्व है, लेकिन हम सारे मंत्रिमंडल को दोषी नहीं ठहराना चाहते । हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी की इजाजत से वे गये हों और दफा ४४ तोड़ी हो, मैं नहीं जानता । वह अपने डिफेंस में कहेंगे । क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ कि संयुक्त विधायक दल की सरकार के समय दो मंत्री गये थे दफा ४४ तोड़ने के लिए दिल्ली और वहां गिरफ्तार भी हुए थे ।

एक सदस्य—

जवाहरलाल जी ने भी ऐसा किया था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपने तो नहीं तोड़ी । माननीय सदस्य, सीतापुर ने (व्यवधान) हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया आपस में बात न करें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

तो इस समय केवल सवाल खेद प्रकाश का है और जिसका हवाला माननीय सदस्य वाराणसी ने दिया है, नियम १०५ में नियम ३ जो है उसमें है कि व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का निर्देश नहीं होगा । तो हम यहां सार्वजनिक हैसियत से जो राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन शिमला में गये और जो कुछ किया है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं । उसमें केवल, खेद

प्रकाश की बात है। न उसमें चरित्र पर कोई बात है और न आचरण पर है। सार्वजनिक रूप से जो उनका आचरण रहा है, उसकी निन्दा भी नहीं कर रहे हैं बल्कि उस पर खेद प्रकाश कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी, उसके अतिरिक्त जो कुछ हुआ और वह किस वजह से वहां गये, वह बतला दें। कुछ बात होगी तो बतला दें। इसमें जो मामला है वह समाचार पत्रों में चर्चा का विषय रहा है, पार्लियामेन्ट की चर्चा का विषय रहा है तो यहां पर क्या चर्चा नहीं हो सकती? इसलिए क्यों अविश्वास लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं माननीय सदस्य वाराणसी? हम जानते हैं कि हमारा अधिकार है कि हम अविश्वास ला सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं लाना चाहते हैं। आखिर प्रजातंत्र है, बहुमत है, उनको भी शासन का अवसर मिलना चाहिये और बहुमत में ऐसे लोग हैं, इस सदन के ऐसे माननीय सदस्य हैं जो बड़े विचारक हैं और वह गलती स्वीकार कर सकते हैं कि मंत्री ने गलती कर दी। तो हमको बाध्य क्यों करते हैं अविश्वास लाने के लिए? नियम १०३ में लिखा है कि अध्यक्ष की सम्मति से ही हो सकता है। आप बड़े कृपावान हैं, आपने सम्मति दे दी, आपकी सम्मति हो गयी। बिना सहमति के स्वीकार ही न होता, एजेन्डे में न आता। संसदीय कार्य मंत्री को बधाई देता हूं, जो उन्होंने कार्यमंत्रणा समिति में उसे स्वीकार कर लिया और उसकी सिफारिश को सदन में यहां स्वीकार कर लिया और पूरे सदन ने उसे स्वीकार कर लिया तथा उसके लिए समय भी मुकर्रर कर दिया। यदि कल उनकी इस पर असहमति थी, तो माननीय सदस्य वाराणसी के लिए कल अवसर था कि वह इस पर अपनी आपत्ति करते। लेकिन उन्होंने कल कोई आपत्ति नहीं की। अब जब आपत्ति नहीं थी, तो अब इस पर श्रीमन् आप सदन में विवाद हो जाने दें। माननीय सदस्य (राज्य मंत्री) की तरफकी का भाग तभी प्रशस्त होगा, जब वह वहां अपनी गल्ती स्वीकार कर लेंगे और स्पष्ट रूप से ऐसे कृत्य के लिए खेद प्रकाश सदन के सम्मुख कर लेंगे और यह भी मान लेंगे कि उन्हें राजनारायण को भी चढ़ाने का अवसर नहीं देना चाहिए था। अब इस पर गुलाब सेहरा जी अपनी बात रखेंगे और मुझे भी आप अवसर देंगे तो मैं भी कुछ कहूंगा। यों मैं चाहता हूं कि वह खेद प्रकाश करेंगे तो ऊंचा उठेंगे, नहीं तो इस्तीफा कभी न कभी तो देना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

शत्रुद्ध प्रकाश जी ने जो आपत्ति की थी, प्रथम उन्होंने मेरा ध्यान संविधान के अनुच्छेद १६४ की ओर दिलाया। निस्सन्देह मंत्रिपरिषद् की संयुक्त जिम्मेदारी है। आपने कहा है। आपने कहा है कि नियम २७५ के अनुसार अविश्वास का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध लाया जा सकता है। जहां तक १६४ का सवाल है, वह इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में नहीं है। जैसा अभी तिवारी जी ने कहा २७५ के अन्दर अविश्वास का प्रस्ताव आता है, लेकिन यह तो निन्दा का प्रस्ताव है। पार्लियामेन्ट्री पद्धति में जिसे लेसर मोशन कहते हैं, वह अविश्वास के प्रस्ताव से भिन्न है उसके लिए नियम १०३ में जितने प्रश्न अध्यक्ष के सामने आते हैं, उसमें उसकी ग्राह्यता की शर्तें स्पष्ट हैं। पहली शर्त है कि उसमें एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जाय। तो यह एक ही प्रश्न है। दूसरी बात है कि उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप या मानहानिकारक कथन न हो, तो इसमें यह भी नहीं है। व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र का निर्देश न हो, तो इसमें ऐसा भी कोई प्रश्न नहीं है।

[श्री अध्यक्ष]

चौथे, विशेषाधिकार का प्रश्न न हो, यह ऐसा भी विषय नहीं है। यह ऐसा भी विषय नहीं है जो इस सदन में उठ चुका हो, न ऐसा विषय है, जिसको मैंने पहले से स्वीकार किया हो, और न ऐसा विषय है जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायनिर्णयन के अन्तर्गत हो। इसलिए यह मेरा अप्रिय कर्तव्य होता है कि मैं देखूं कि विषय ग्राह्यता की जो शर्तें हैं, उसमें आता है या नहीं। अब शतरुद्ध प्रकाश जी ने कहा कि सेंसर मोशन का कोई प्राविधान नहीं है और नियम ३०१ का उद्धरण दिया, किन्तु उससे तो इसका कोई सम्बन्ध कतई नहीं है। जहां विशेषाधिकार का प्रश्न हो, औचित्य का प्रश्न न हो, कोई मेरे संज्ञान में लाकर कारण सहित दे सकते हैं। लेकिन जिसे कहते हैं अनियत-तिथि प्रस्ताव नो-डे-पेट-नेम्ड प्रस्ताव, वह १०३ में आता है। वह निन्दा के प्रस्ताव में आता है।

कौल और शकधर की किताब में लिखा है—"निन्दा प्रस्ताव रखने के लिए सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है। यह सरकार के विवेकाधिकार पर निर्भर है कि वह उसके लिए समय निकाले और उस पर चर्चा के लिए दिन नियत करे। नियमों में स्पष्ट रूप से इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि निन्दा का प्रस्ताव रखा जायेगा। ऐसे प्रस्ताव पर वही नियम लागू होते हैं जो कि सामान्य प्रस्तावों पर होते हैं और उसे अनियत दिन वाले प्रस्तावों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।" इस सम्बन्ध में इंग्लैंड में इस तरह के निन्दा प्रस्ताव रखे जाने के अनेक उदाहरण हैं, जैसे वहां पर सन् १९२६ में हुआ और इसी प्रकार ५२ तथा ५३ में हुआ। मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर अनुमति सभा द्वारा दी जाती है। तो इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। (श्री शतरुद्ध प्रकाश के खड़े होने पर) आप बैठिए। इसलिए मैंने इसकी ग्राह्यता पर गौर किया। फिर जैसा कि इसमें लिखा है सरकार अपने विवेक से इस के लिए समय दे सकती है, निन्दा के प्रस्ताव पर, तो सरकार के प्रतिनिधि कार्य मंत्रणा समिति में हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री और अन्य सभी सदस्य मौजूद थे, इसके लिए कार्य मंत्रणा समिति ने समय निकाला और सदन में भी यह प्रस्ताव आया उस पर माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी बराबर सावधान रहते हैं उस वक्त भी उन्होंने आपत्ति नहीं की कि यह प्रस्ताव अनियमित है। जब सदन ने इसकी ग्राह्यता स्वीकार कर ली उसके लिए समय दे दिया इसलिए मैं इस आपत्ति को अवैध करार देता हूं। अब विवाद शुरू होगा।

राज्य मंत्री, श्री सत्यदेव त्रिपाठी द्वारा शिमला में धारा १४४ का उल्लंघन करके सार्वजनिक सभा करने तथा मुख्य मंत्री द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में खेद प्रकाशन का प्रस्ताव

*श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन को खेद है कि राज्य सरकार के राज्य मंत्री श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने २४ जून, १९७८ को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, श्री राजनारायण के साथ हिमांचल प्रदेश की राजधानी, शिमला में लगी धारा १४४ को तोड़ कर एक सार्वजनिक सभा में भाग लिया और तत्पश्चात् ऐसे वक्तव्य दिये जिससे हिमांचल प्रदेश की सरकार व जनता व उत्तर प्रदेश की सरकार व जनता के पारस्परिक सम्बन्ध बिगड़े और उत्तर प्रदेश शासन की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिष्ठा गिरी । इस सदन को खेद है कि मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में राज्य मंत्री, श्री सत्यदेव त्रिपाठी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सेहरा, इससे पहले कि आप बोलें नियम १०९ के अनुसार मैं समय निश्चित करता हूं । आप अपना भाषण दस मिनट में समाप्त करें । एक घंटे का समय है ।

श्री गुलाब सेहरा--

१५ मिनट दे दें ।

श्रम मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

शतरुद्ध प्रकाश जी ने २४-२५ तारीख की बात कही है । इसमें २४ तारीख है ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न वस्तुस्थिति का है। उसका खंडन कर सकते हैं । लेकिन प्रस्ताव की ग्राह्यता से सम्बन्ध नहीं है ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

१०३ में शुरू में देख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

अब यह विषय समाप्त हो गया ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

दो ही माननीय सदस्यों माननीय सेहरा और माननीय सत्यदेव त्रिपाठी को बोलना है । इन्हीं को पूरा समय दे दीजिए । हम लोग तो सुनने वाले हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा १५ मिनट बोल लें ।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, यह जो खेद का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है इसके बारे में मैं सबसे पहले एक बात विशेष रूप से रखना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव, जो निषेधाज्ञा शिमला में तोड़ी गयी, इस पर भारत के प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने जो पत्र स्वास्थ्य मंत्री को लिखा, उसमें जो स्वास्थ्य मंत्री का त्याग-पत्र मांगा था उसका केवल एक कारण था जो शिमला में प्रकरण हुआ । ३० जून को वह पत्र टाइम्स आफ इंडिया में भी, नवभारत टाइम्स में भी और अन्य पेपर्स में निकला । जो पत्र प्रधान मंत्री ने राजनारायण जी को लिखा उसमें क्या कहा, श्री राजनारायण जी को अपने पत्र में प्रधान मंत्री ने कहा, शिमला की निषेधाज्ञा को तोड़कर सभा

[श्री गुलाब सेहरा]

में भाषण देना तथा मुख्य मंत्री की आलोचना करना यह अत्यन्त गैर जिम्मेवाराना कार्य था। इस हालत में मैं आपको मंत्रिमन्डल से इस्तीफा देने के लिए कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन यह तो राजनारायण जी से सम्बन्धित है। त्रिपाठी जी का इसमें जिक्र नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा—

प्रधान मंत्री ने फिर ८-८-७८ को दुहराया। राजनारायण ने लोक सभा में अपनी बात कही तो भी यही बात दुहरायी। केन्द्रीय मंत्री के रूप में निषेधाज्ञा तोड़ना नहीं चाहिए। फिर २५-८-७८ को प्रधान मंत्री ने यही कहा कि जो इस्तीफा मांगा गया वह शिमला में १४४ को तोड़ने का कार्य किया। जिससे केन्द्रीय मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा गिरी।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में राज्य मंत्री के विषय में सवाल उठाया गया, लेकिन इन्होंने सारी चीजें केन्द्रीय मंत्रिमंडल के विषय में कहीं, तो यहां पर कोई उसका चार्ज नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

यह सन्दर्भ है।

श्री गुलाब सेहरा—

मेरा कहना है कि इसको भारत सरकार ने और प्रधान मंत्री ने इसको बड़ी गम्भीरता के साथ लिया और अपने आप को इस बात से सम्बद्ध किया।

श्री अध्यक्ष—

देखिए, यह जो आप उद्धरण दे रहे हैं, यह केवल माननीय राजनारायण से सम्बन्धित है। त्रिपाठी जी शिमला गये और उन्होंने १४४ धारा तोड़ी, उस सम्बन्ध में कहें।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं यही कह रहा हूं। राजनारायण के साथ प्रदेश के पर्वतीय विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री सत्यदेव त्रिपाठी भी मौजूद थे। और मुख्य बात तो यह है कि २८ जून को एक बयान हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने दिया, टाइम्स आफ इंडिया में निकला और नेशनल हेराल्ड में निकला। उसमें उन्होंने श्रीमन्, क्या कहा। उन्होंने सीधा आरोप हमारे यहां के प्रदेश के मंत्री पर लगाया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री शान्ता कुमार ने यह सूचित किया और यह कहा कि शनिवार की शाम को उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने शिमला के एस० पी० से फोन पर पूंछा कि क्या वे श्री राजनारायण के आगमन के बारे में जानते हैं और क्या उनके लिए जरूरी प्रबन्ध कर दिया गया है। एस० पी० ने बताया कि राजनैतिक सभाओं की अनुमति वहां के लिए नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि सभा का स्थान बदल कर जनाना

पार्क क्यों कर दिया गया है । उन्होंने कहा कि सभा की अनुमति नहीं दी गई तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे और वहां के मंत्रियों को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया जायेगा । यह मुख्य मंत्री श्री शान्ता कुमार का बयान है जो अखबारों में छपा है । वहां के मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि श्री त्रिपाठी ने श्री राजनारायण के सामने यह भी कहा कि यहां मौसम ठन्डा है और यहां की प्रशासन भी ठन्डा है । तो मेरा कहना है कि एक उत्तर प्रदेश के मंत्री ने धारा १४४ तोड़ने का प्रयास किया और वहां के मुख्य मंत्री पर सीधे-सीधे आरोप लगाया है । श्रीमन्, एक बात यह भी है कि इस विवाद में श्री सत्यदेव त्रिपाठी का कितना हाथ था । मान्यवर, २ जुलाई, १९७८ के अखबार में जो प्रधान मंत्री से श्री सत्य देव त्रिपाठी मिले वह बयान निकला कि यह मेरा कर्तव्य नहीं था कि निषेधाज्ञा के बारे में मैं राज नारायण जी को बताता । प्रश्न यह उठता है कि निषेधाज्ञा के बारे में श्री सत्यदेव त्रिपाठी पहले से जानते थे कि शिमला में रिज पर निषेधाज्ञा लागू है लेकिन इन्होंने कहा प्रधान मंत्री से कि यह मेरा कर्तव्य नहीं था, यह वहां के अधिकारी वर्ग का कर्तव्य था कि वे श्री राजनारायण जी को बताते । तो मैं तो यहां तक कहता हूं कि जनता पार्टी का जो विवाद है उसमें श्री सत्यदेव त्रिपाठी का प्रमुख हाथ है । यदि राजनारायण जी को वे रोक देते तो इतना बड़ा बवाल न होता । ये पहले से जानते थे । लोक सभा में यह प्रकरण लगभग १ १/२ माह से चल रहा है ।....

श्री अध्यक्ष--

यदि इन्होंने श्री राजनारायण जी को नहीं बताया तो इससे तो कर्तव्य-च्युति नहीं हुई ?

श्री गुलाब सेहरा--

मेरा कहना श्रीमन्, यह है कि इनको मालूम था और उस आम सभा में ये राजनारायण जी के साथ गये भी और सभा को सम्बोधित भी किया ।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह पूंछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने सभा को सम्बोधित किया था ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां । इन्होंने यह भी कहा कि अगर हमें मीटिंग की आज्ञा नहीं मिली तो हिमांचल में खून की नदियां बह जायेंगी । इस बारे में जो शांता कुमार का बयान निकला यह सब उसमें है । प्रदेश के जो पारस्परिक सम्बन्ध हैं ३ बातें उसमें इन्होंने उठाई । पहली बात यह कही कि खून की नदियां बह जायेंगी और दूसरी बात यह कही कि अगर सभा करने की अनुमति नहीं दी गई तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे और उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया जायगा । मेरा कहना यह है कि आपने यह बात दूसरे प्रदेश में कही । मंत्रिमंडल का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है । इस मंत्रि-परिषद् का कोई भी सदस्य अगर बाहर जाकर कोई बात कहता है तो क्या मुख्य मंत्री जी ने कहा था दफा १४४ तोड़ देना । वस्तुतः देर के बाद आज तक भी माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इसका खंडन नहीं किया गया कि हमारे

[श्री गुलाब सेहरा]

राज्य मंत्री ने अगर पारस्परिक सम्बन्धों में कुठाराघात करने के लिए कहा तो उचित नहीं है ।

श्रीमन्, आपके ही दल के १२ विधायकों ने यह मांग की, जैसा कि ३ जुलाई, १९७८ के दैनिक पत्र "आज" में छपा कि श्री सत्यदेव त्रिपाठी को सरकार और पार्टी से निकाला जाय । मान्यवर, इन सदस्यों के नाम हैं सर्वश्री राजनाथ सिंह, प्रताप सिंह पुष्पवान, बुद्धुराम, रामफेर कोरी, तेजभान सिंह, राम गोविन्द चौधरी, श्याम सुन्दर गुप्त, रामजी सिंह, ब्रह्म दत्त द्विवेदी, जो युवा जनता के प्रदेश के अध्यक्ष हैं । श्रीमन्, वह जनता मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं । उन्होंने यह मांग की मुख्य मंत्री से कि इनको मंत्रि मंडल से नहीं श्रीमन्, पार्टी से ही निकाल दिया जाय । इनके इस काम की वजह से तथा श्रीमन्, मेरा यह कहना है कि प्रधान मंत्री ने इस निषेधाज्ञा भंग करने पर एक विचार, एक निर्णय, एक ऐसी चीज पैदा की कि अगर उसकी अवहेलना मुख्य मंत्री जी करते हैं या उपेक्षा करते हैं, तो या तो उनका निर्णय सही है या आपका सही है । एक प्रदेश के नाते लगता है कि प्रधान मंत्री का निर्णय संयुक्त उत्तर प्रदेश को आया कि हमारा कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य अगर इस तरह की निषेधाज्ञा को भंग करता है, तो उससे इस्तीफा मांग सकते हैं । एक तो प्रधान मंत्री का निर्णय, एक मुख्य मंत्री का निर्णय । जो दूसरी बात है श्रीमन्, हिमांचल प्रदेश की जनता और शासन के बारे में जो सत्य देव त्रिपाठी जी ने वक्तव्य दिया है हिमांचल प्रदेश में उससे यहां की जनता और यहां के प्रशासन में संविधान के प्रदत्त अधिकारों के और उस सद्भाव का उन्होंने जिस तरह से खण्डन किया उसके बारे में भी आज तक मुख्य मंत्री जी ने खण्डन नहीं किया । श्रीमन्, तो प्रश्न दो खड़े होते हैं कि भारत के प्रधान मंत्री ने उस निषेधाज्ञा के तोड़ने के कारण से भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री राज नारायण जी का इस्तीफा मांगा ।

श्री अध्यक्ष--

देखिये आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

मैं केन्द्र से चलता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आप कह चुके हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

यह मुख्य मंत्री बतावें कि प्रधान मंत्री का निर्णय सही था या आपका निर्णय सही था । जो वक्तव्य सत्यदेव त्रिपाठी जी ने दिये हैं उसके सम्बन्ध में संयुक्त उत्तरदायित्व हो जाता है ।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, मान्यवर । इसमें लिखा है कि राज्य सरकार के राज्य मंत्री श्री सत्यदेव ने २४ जून, १९७८ को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री राज नारायण के साथ हिमांचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगी धारा १४४ को तोड़ कर एक सार्वजनिक सभा में भाग लिया और तत्पश्चात् माननीय श्री गुलाब सेहरा

ने श्री सत्यदेव त्रिपाठी की जो बातचीत हुई उसका हवाला दिया । मैं इसे जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक सभा का आयोजन कितने बजे हुआ और उस सभा में श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने कौन सा भाषण दिया और उन्होंने इस सम्बन्ध में कौन सार्वजनिक वक्तव्य दिया ?

श्री अध्यक्ष--

यह जब अन्त में अपना भाषण देंगे जवाब में, तब आपके प्रश्न का भी उत्तर देंगे । मैं चाहता हूं कि समय बच जाय ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा । आप बैठ जाइये । श्री आरिफ ने जो कुछ कहा है यह इससे सम्बन्धित नहीं है । यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, यह गुलाब सेहरा साहब ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में मैं दो बात कहना चाहूंगा । २५ जून, १९७८ को श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने शिमला के रिज पर जहां १४४ के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू थी, तोड़ा और तोड़ते हुए इन्होंने यह भी कहा कि सभा होगी, चाहे कितनी खून की नदियां बहानी पड़ेंगी और अगर यह सभा नहीं होने पायेगी, तो हिमांचल प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में और देश में विधि के राज्य में आस्था रखने की बात है । हमारे यहां की जो शासन पद्धति है वह लोकतांत्रिक है । लोकतांत्रिक शासन पद्धति के लिए आवश्यक है कि विधि के राज्य में आस्था रखी जाय । अगर कोई मंत्री विधि का उल्लंघन करता है तो जो हमारा बुनियादी उसूल है वह उसके विपरीत, आचरण करता है । मंत्री पद पर होने के नाते ये बच गए, अगर मंत्री न होते तो वे जेल में जाते । मंत्री पद का दुरुपयोग करके वह जेल में जाने से बचे हैं नहीं तो कोई उन्हें बचा नहीं सकता था ।

मान्यवर, इसका असर पूरे प्रदेश पर और सारे देश पर यह पड़ा कि हमारी प्रतिष्ठा नीचे गिरी और लोकतंत्र को चलाने का जो मापदंड है उस पर कुठाराघात हुआ । निषेधाज्ञा जब तोड़ी गई तो राजनारायण जी भी थे । उन्होंने भी इनके साथ निषेधाज्ञा तोड़ी । इस पर प्रधान मंत्री ने उनसे मंत्री पद से त्याग पत्र देने की मांग की । तो मुख्य मंत्री जी के मन में क्या है ? क्यों नहीं वह त्यागपत्र मांग रहे हैं ? यह क्यों हिचक दिखा रहे हैं ? इनकी आदत पड़ गई है मंत्रियों को बर्खास्त करने का तो इन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया ? आज कल मुख्य मंत्री जी को एक

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से काल दिया गया ।

[श्री देव बहादुर सिंह]

सूत्र मिल गया है मंत्रियों को बर्खास्त करने का, तो उस अधिकार का प्रयोग मुख्य मंत्री ने क्यों नहीं किया। क्या प्रधान मंत्री जी ने जो फैसला किया है उससे मुख्य मंत्री सहमत नहीं हैं। अगर सहमत हैं तो कार्यवाही क्यों नहीं की ? क्या सरकार की आस्था लोकतंत्रीय शासन पद्धति में नहीं है, क्या वह चाहते हैं कि कानून का शासन देश और प्रदेश में न रहे ? यह कुछ प्रश्न हैं जो सारे प्रदेश को हिला दिया है। जनता जानना चाहती है कि सरकार मंत्रिपरिषद् और सदन, माननीय सत्यदेव त्रिपाठी ने जो कानून का उल्लंघन किया है उस पर क्या निर्णय लेता है। यही नहीं माननीय, श्री सत्य देव त्रिपाठी ने कानून का उल्लंघन किया, उल्लंघन करने के बाद मुख्य मंत्री जी को कोई भी वक्तव्य इस सिलसिले में नहीं आया। उन्होंने निंदा भी नहीं की इसका भी पता नहीं कि सत्य देव त्रिपाठी जी से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है या नहीं। यह कुछ ऐसी बातें हैं जिसके लिए तमाम प्रदेश की जनता चिंतित है। मैं यह भी चाहता था कि माननीय सत्य देव त्रिपाठी ने प्रधान मंत्री के यहां जो भी सफाई की बात कही है या शांता कुमार जी ने जो पत्र लिखा, उसकी जानकारी सदन को हो। तमाम लोग चिंतित हैं कि मुख्य मंत्री जी की जानकारी इस विषय में कैसे नहीं हुई। एक बात उन्होंने यह कही कि यह मेरा कर्तव्य नहीं था कि निषेधाज्ञा की जानकारी मैं राज नारायण जी को दूं। मैं तो कहता हूं कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन दोनों ने साथ-साथ किया। सबसे ज्यादा उत्तेजित सत्यदेव त्रिपाठी जी थे और वह सिद्ध करना चाहते थे कि वह राजनारायण जी के सबसे अधिक स्वामिभक्त और लायल व्यक्ति हैं। यह आपस में पार्टी बाजी है। कारण यह था कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री इनके घटक के नहीं हैं। यह चाहते थे कि अटल बिहारी बाजपेयी जी की सभा हुई तो मेरी सभा क्यों न हो। इस उत्तेजना में आकर उन्होंने उल्लंघन किया और निषेधाज्ञा भंग की। इसलिए यह जो खेद का प्रस्ताव है मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह सर्व सम्मति से इसे पास करें।

*श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, अपने मंत्रि मंडल के सदस्य माननीय सत्य देव त्रिपाठी जी नौजवान हैं। स्वभावतः जो सहानुभूति उनके प्रति होनी चाहिये, नौजवान होने के नाते, उनके प्रति मेरे मन में है। लेकिन जो कुछ भी कार्य उन्होंने किया है शिमला के अन्दर धारा १४४ तोड़ने की बात वह मंत्रि परिषद् के सदस्य के लिए शोभा की बात नहीं है। जिनके हाथ में कानून और संविधान की रक्षा करने का भार है यदि वही लोग उसे तोड़ते हैं तो सामान्य नागरिक उसे अगर तोड़ता है तो दोषी क्यों ठहराया जाता है और उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही क्यों की जाती है ? जब स्वयं प्रधान मंत्री ने यह कहा कि यह उनका कर्तव्य नहीं था कि लोग राज नारायण को यह सूचित करें कि धारा १४४ लगी हुई है तो क्या यह सत्यदेव त्रिपाठी का कर्तव्य नहीं था कि धारा १४४ लगी हुई है तो उस सभा मंच पर वह जाते और भाषण देते ? उन्होंने कम से कम धारा १४४ को तोड़ने से अपने को रोका होता।

श्री अध्यक्ष—

थोड़ा आहिस्ता बोलिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामजी--

साथ ही उनका यह कर्तव्य था कि अपने नेता को इस बात की सूचना देते और जिस बात की उनको सूचना थी उसकी सूचना वह उनको देते लेकिन उस कर्तव्य का भी पालन उन्होंने नहीं किया, बल्कि कानून का स्वयं उल्लंघन किया अपने हाथ में उसे ले कर । जिनके हाथ में देश की जनता ने कानून और संविधान की रक्षा का भार दिया है अगर वही उसकी अवहेलना करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है । इस प्रकार का भाषण उन्होंने दिया जिससे प्रादेशिक वैमनस्यता का भाव उत्पन्न होता हो तो उत्तर प्रदेश की सरकार तथा जनता के बारे में वहां के लोगों के दिल में कौन से भाव उत्पन्न होंगे, किस प्रकार का व्यवहार वे हमारे साथ करने की सोचेंगे, यह एक विचारणीय प्रश्न है । ये सारी बातें यहीं तक सीमित नहीं हैं । श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने मंत्रि परिषद् का सदस्य होने के नाते इटावा जिले में जो कुछ किया उससे भी स्थिति बड़ी नाजुक हो गई थी । वहां २००, २५० नौजवान जेलों में बन्द किये गए वे बराबर इस बात की मांग करते रहे कानून तोड़ने वालों का साथ देते रहें ।

(व्यवधान)

वह पुलिस प्रशासन पर दबाव डालते हैं....

श्री अध्यक्ष--

आप रुकिये । आप अपने को केवल इसी प्रश्न तक सीमित रखें ।

(व्यवधान तथा शोरगुल)

श्री रामजी--

मान्यवर, जब मंत्रि परिषद् का कोई सदस्य इस तरह का व्यवहार करता है तो स्वाभावतः इस पार्टी का सदस्य तथा जन प्रतिनिधि होने के नाते इन सारी चीजों को मद्देनजर रख कर मेरा मस्तिष्क शर्म से झुक जाता है और अधिक न कह कर माननीय मुख्य मंत्री जी से इतना जरूर निवेदन करूंगा कि इन सारी चीजों पर वे स्वयं विचार करें । वे हमारे तथा सदन के नेता हैं, उन पर हमारा पूर्ण विश्वास तथा आस्था है और इस मंत्रि मंडल की छवि धूमिल न हो, उसकी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जो लोग कानून हाथ में लेते हों, प्रादेशिक वैमनस्यता उभाड़ते हों, जोश में होश खो देते हों उनके इस तरह के व्यवहार पर अंकुश लगाना चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और इस तरह के कार्य करने वाले लोगों की वृत्ति को रोकने का निर्देश देना चाहिये था ।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय गुलाब सेहरा ने जो निंदा का प्रस्ताव रखा है मैं उसे असामयिक, निरर्थक और तथ्यहीन मानता हूं । उन्होंने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे ऐसा लगे कि धारा १४४ तोड़ कर वहां जन सभा हुई और जिसमें उत्तर प्रदेश के मंत्रि परिषद् के एक सदस्य भी थे ।

[श्री मोहन सिंह---]

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारत गणराज्यों का समूह है। १९६७ के चुनावों के बाद इस देश की राजनीति में बदलाव आया है और उसमें राज्य के सम्बन्ध केन्द्र से क्या हो और राज्यों के सम्बन्ध दूसरे राज्यों से क्या हों उस पर चर्चा की आवश्यकता है। जाहिर है कि १९६७ में बहुत सारे राज्यों में केन्द्र विरोधी सरकार बनी और बहुत सारे राज्यों में ऐसी सरकार आई जो विभिन्न विचारधारायें रखती थी। जब विभिन्न विचारधाराओं की सरकारें राज्यों में बनेंगी अपने विचारों का प्रचार करने के लिए एक राज्य के पदाधिकारी तथा मंत्री आदि दूसरे के यहां जायेंगे और उनको कहने की छूट होगी। आपको मालूम है कि १९६७ में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के ही दो सदस्य केन्द्र में जाकर भाषा आंदोलन के दौरान धारा १४४ का अतिक्रमिण किये और उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार कराया। इस तरह अपनी भावना प्रकट की थी। मैं सेहरा साहब से जानना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में लोक सभा का चुनाव हुआ था और उनकी पार्टी के सदस्य और एक राज्य के मुख्य मंत्री भाषण देने के लिए आजमगढ़ आये और उन्होंने न केवल जनता सरकार की आलोचना की बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकलापों की भी निंदा की। मैं पूंछना चाहता हूं क्या श्री देवराज अर्स द्वारा निंदा करने से हमारे और कर्नाटक के सम्बन्धों में खराबी हुई है एक सैद्धांतिक बात है कि एक राज्य के मंत्री को दूसरे राज्य में जाकर अपने विचार प्रकट करने की छूट है। उससे सम्बन्धों में बदलाव नहीं आता है, यह बात सही है।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)---

व्यवस्था का प्रश्न है। क्या वहां पर जनता सरकार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया)---

मैं तो अध्यक्ष महोदय, सिद्धांत की बात कर रहा हूं। सरकारों के सम्बन्ध इससे निर्धारित नहीं होते हैं।

श्री राम जी---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि विगत चुनाव में जो मुख्य मन्त्री आए थे क्या उन्होंने धारा १४४ का उल्लंघन किया था ?

श्री अध्यक्ष---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया)---

मैं संवैधानिक बात कह रहा हूं। संविधान की किसी धारा में नहीं दिया गया है कि राज्य सरकारों के सम्बन्ध और केन्द्र के राज्यों के साथ सम्बन्ध इन आधारों पर निर्धारित होंगे। यह सत्य है कि श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने न कोई सभा की और न वहां की सरकार और मुख्य मन्त्री के खिलाफ कोई ऐसा वक्तव्य ही दिया। राज्यों के आपसी सम्बन्ध व्यक्तियों की निजी विचार धारा के आधार पर निर्धारित नहीं होते। इसलिए यह जो प्रस्ताव यहां पर लाया गया

है यह सारहीन है और यह अप्रासंगिक है, गलत है और इसको तत्काल समाप्त कर देना चाहिए ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, यह संकल्प जो माननीय श्री गुलाब सेहरा जी ने रक्खा है उसे मैं उपयुक्त एवं सामयिक नहीं समझता हूं । उसका कारण यह है कि दफा १४४ का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, मैं यह नहीं कह सकता । इतना जरूर कह सकता हूं कि एक विचार के लोगों द्वारा दूसरे विचार के लोगों के विचारों का उल्लंघन किया गया यह जरूर कह सकता हूं कि श्री सत्यदेव त्रिपाठी जो नाम के लिए तो समाजवादी है, यद्यपि आचरण से अब समाजवादी नहीं रहे, समाजवादी होने के नाते जहां जनसंघी चीफ मिनिस्टर हो वहां जाय तो वह जनसंघी मुख्य मन्त्री बरदास्त करने के लिए तैयार नहीं हो सकता । इसका अतिक्रमण हुआ है । इसके बाद मुख्य मन्त्री जी के पास अगर कोई सूचना आई हो तो कार्यवाही करनी चाहिए थी । जहां तक मेरी जानकारी है वहां पर जहां मीटिंग हुई थी धारा १४४ लगी ही नहीं थी । दूसरी बात यह जिसकी जानकारी मुझे मिली है प्रधान मन्त्री के नाम हिमांचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने जो पत्र लिखा था उसमें श्री त्रिपाठी के बारे में लिखा था कि श्री त्रिपाठी ने कमिश्नर से फोन पर बात की थी कि 'चाहे खून की नदियां बहें' मीटिंग होगी । यह बात उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कही । उन्होंने यह बात वहां के मुख्य मन्त्री से या वहां पर जनता के किसी आदमी से नहीं कही ।

मान्यवर, जिस समय यह चर्चा सारे देश में चल रही थी और खबरें भी आई थी, जो खबर मैंने पढ़ी माननीय त्रिपाठी जी प्रधान मन्त्री जी से मिले । प्रधान मन्त्री से मिलकर जो बयान दिया था जिसको मैंने जुलाई, १९७८ के स्टेट्समेन में पढ़ा था उसमें यह कहा गया था कि श्री त्रिपाठी पर जो आरोप लगाए गए थे और पत्र लिखा था वह अधिकारियों का षड़यंत्र था यह जो आरोप लगाये जा रहे हैं यह अधिकारियों ने जानबूझकर षड़यंत्र किया था । मैं यह कहना चाहता हूं कि हम एक सदन के सम्मानित सदस्य के रूप में श्री त्रिपाठी को समझें या मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में समझें, और जब उनकी ओर से अखबारों में निकल गया कि सभी आरोप असत्य है और झूठे हैं तो उसके बाद इस तरह के संकल्प लाना इसे मैं सामयिक नहीं समझता हूं । दूसरी बात अभी बहुत से लोग यहां पर कहेंगे और मुझे अफसोस इस बात का है कि आज माननीय गुलाब सेहरा जो जो बात कह रहे हैं उसे ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठे हुए लोग भी कह रहे हैं । यह उन विचारों से प्रेरित हैं जिन्हें हम साम्प्रदायिक विचारों का मानते हैं ।

(कई सदस्य खड़े हो गये और बहुत जोर-जोर से बोलने लगे जिसमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया ।)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठ जायं ।

(शोरगुल)

[श्री अध्यक्ष]

मैं कह रहा हूं कि आप कृपया रुकिये । आपने जो श्री राज सिंह गृह मन्त्री के खिलाफ साम्प्रदायिकता का आरोप लगाया है उसे मैं गलत समझता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मुझे शिकायत है अपने प्रदेश के माननीय मुख्य मन्त्री जी से । वह शिकायत यह है कि जिस समय माननीय त्रिपाठी का स्पष्टीकरण सामने आ गया उसके ऊपर लिखना चाहिए था हिमांचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री को कि हमारे मंत्रिमंडल के एक जिम्मेदार सदस्य के खिलाफ इस तरह के झूठे आरोप लगाये गये हैं । इसका स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था । ऐसा न कर मुख्य मन्त्री जी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभायी है ।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय डेढ़ घंटे के लिये बढ़ाया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी, सदन का समय श्री तिवारी जी डेढ़ घंटे बढ़ाने के लिये कह रहे हैं । क्या आप इससे सहमत हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)--

मैं चाहूंगा कि इस पर बहुत चर्चा न हो तो अच्छा है । इसलिये डेढ़ या एक घंटे का समय बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है । मैं चाहूंगा कि यह समाप्त किया जाय और समय न बढ़ाया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

१५ मिनट का समय बढ़ाया जाता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

नेता सदन से मैं कहना चाहता हूं कि जिस विषय की चर्चा देश में इतने समय से हो रही है उसके सम्बन्ध में दो शब्दों के स्पष्टीकरण से काम नहीं चलेगा कि हम सचेत हैं, जागरुक हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि कम से कम डेढ़ घंटा न सही तो एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

सवाल यह है कि मैं अपने अधिकारों से १५ मिनट का समय बढ़ा सकता हूं लेकिन नारायण दत्त तिवारी जी का जो सवाल है उससे मुख्य मन्त्री जी सहमत नहीं हैं । यदि वह सहमत हैं तो यह हो सकता है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि मुख्य मन्त्री जी ने अपनी केवल राय व्यक्त किया है और प्रस्ताव नहीं रखा है। श्री तिवारी जी ने प्रस्ताव रखा है और इधर के माननीय सदस्यों ने भी रखा है। इसलिये सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य मन्त्री, श्री सत्यदेव त्रिपाठी द्वारा शिमला में धारा १४४का उल्लंघन करके सार्वजनिक सभा करने तथा मुख्य मन्त्री द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में खेद प्रकाशन का प्रस्ताव (क्रमागत)

(श्री सत्यदेव त्रिपाठी का नाम पुकारें जाने तथा उनके खड़े न होने पर)

श्री अध्यक्ष--

श्री सत्यदेव त्रिपाठी आप बोलना चाहते हैं कि नहीं ?

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी(जिला फर्रुखाबाद)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

अब कोई प्रश्न नहीं है। मैंने श्री सत्यदेव त्रिपाठी को बुलाया है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

अध्यक्ष जी, आपने एक घंटे का समय चर्चा के लिए बढ़ाया और इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे माननीय सदस्य हैं जो इस विषय में बोलना चाहते हैं और मैं उनमें से स्वयं भी एक हूं। मैंने मन्त्री जी से पत्राचार भी किया है। माननीय त्रिपाठी जी के स्पष्टीकरण करने के पश्चात् क्या वह मेरी बातों का उत्तर देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप तो अनावश्यक समय नष्ट कर रहे हैं। प्रस्तावक श्री गुलाब सेहरा हैं। त्रिपाठी जी बीच में बोल सकते हैं। उसके बाद माननीय सदस्य खड़े होंगे और जिनको मैं पुकारूंगा, वह बोलेंगे।

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)--

अध्यक्ष जी, मैं श्री गुलाब सेहरा के प्रस्ताव के सम्बन्ध में चन्द तथ्यों को आपकी सेवा में निवेदित करना चाहता हूं। श्री गुलाब सेहरा ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और गलत ढंग से पेश करते हुए मुझ पर गलत इल्जाम लगाये हैं। डी० ओ० नं० सेक्रेट्री/सी-एम-७८, जून २६, १९७८ को चीफ मिनिस्टर गवर्नमेन्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्यदेव त्रिपाठी]

आफ हिमाचल प्रदेश की ओर से एक पत्र माननीय प्रधान मंत्री के नाम आया। उस पत्र में श्री शांता कुमार जी ने कुछ रेफरेन्स दिये हैं जिनको सदन में मेरे मित्र बंधु लोग तोड़ मरोड़ कर मेरा भाषण बना दे रहे हैं। मेरे भाषण के बारे में माननीय शांता कुमार जी ने एक भी शब्द अपने पत्र में नहीं लिखा। २ जुलाई को मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी से मिला था। आधे घंटे तक उनसे मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि आपका कोई भाषण नहीं है। आप गये थे और अधिकारियों से जो टेलीफोन पर बात की उस पर क्या कहना है। मैंने उनसे कहा था। मैंने वहां भी स्पष्ट किया और अखबारों में भी यह बात छपी। जो पंक्तियां हैं वह इस प्रकार हैं। अंग्रेजी में हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप अनुवाद कर दें।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मीटिंग के वेन्यु के सम्बन्ध में श्री त्रिपाठी ने डिप्टी कमिश्नर को टेलीफोन पर कहा कि रिज पर सभा की परमीशन हो या न हो सभा होगी चाहे खून की नदियां बह जायं। दूसरा रेफरेन्स यह है कि सेक्रेटरी से कहा कि श्री राज नारायण की सभा होनी चाहिए। यह अधिकारियों के रेफरेन्सेज थे। मैंने प्रधान मंत्री जी से कहा कि मेरी ऐसी कोई बात वहां के अधिकारी से नहीं हुई। इसके बाद उनको यह भी हवाला दिया कि पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस में यह निश्चित धाराएं रही हैं और आपको भी श्रीमन् तमाम इस सदन में रूलिंग्स हैं, व्यवस्थाएं हैं कि टेलीफोन पर अधिकारी और मन्त्री की बात पर मन्त्री का कंट्राडिक्शन हो जाने के बाद मन्त्री को प्रामाणिक माना जाता है।

श्रीमन्, इसी के साथ साथ में कुछ और तथ्य निवेदन करना चाहूंगा। यह कहा जा रहा है श्रीमन्, कि भारत के प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी, भाई ने स्वयं स्वीकार किया कि वहां दफा १४४ नहीं थी, वहां निषेधाज्ञा जब अंग्रेजों का राज्य था सन् २९ में अंग्रेज वायसराय लिलिथगो की लड़की का अपहरण हो जाने के कारण लगायी गयी और वह भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद १९४७ के बाद भी वहां चलती रही। सन् १९४७ के बाद तमाम सभाओं की रोक पर एक समझौता हुआ था जैसा कि एक पत्र श्री शान्ता कुमार जी ने बिहार के मुख्य मन्त्री को लिखा। उन्होंने कहा बिहार के मुख्य मंत्री से कि दफा १४४ नहीं थी बल्कि निषेधाज्ञा थी। वह आज्ञा इसलिए थी कि सन् ७१ में एक मुआहिदा हुआ था जिसके तहत यह तय किया गया था कि राजनैतिक सभाएं नहीं होंगी। इसके बावजूद मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता कि वहां पर गुरु गोलवरकर की सभा हुई, बाला साहब देवरस की सभी हुई, इन्डो-सोविएट कल्चरल सोसायटी की सभा हुई, मोरारजी भाई की सभा हुई जिसमें राजनारायण भी साथ थे, श्री अटल बिहारी बाजपेयी की सभा हुई। उसके बाद यह सभा हुई जिसमें राजनारायण जी थे। जिन बिन्दुओं पर यह संकल्प लाया गया है अगर आप उसकी भाषा पढ़ें सार्वजनिक सभा में भाग लिया तत्पश्चात् ऐसे वक्तव्य दिये, यह आरोप केवल मेरी चरित्र हत्या के लिए लगाये गये हैं। मेरा कोई

वक्तव्य नहीं हुआ। केवल टेलीफोन पर बात हुई थी जिसके लिए मैंने प्रधान मंत्री को अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। वहां भी मैंने अपनी बात में यह कहा था कि किसी भी स्थिति में अगर मेरा एक वाक्य भी हिमाचल प्रदेश की जनता या वहां के मुख्य मंत्री के विरुद्ध हो तो बतायें। लेकिन मैं नहीं जान पा रहा हूं कि श्री गुलाब सेहरा एक चीज को तोड़ मरोड़ कर क्यों इस सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं। संयुक्त जिम्मेदारी होने के नाते मैंने यह जानकारी अपने मुख्य मंत्री और टीम के कप्तान को दी। अगर आप आज्ञा दें तो मैं सारा पत्र पटल पर रखने को तैयार हूं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री, बिहार के मुख्य मंत्री, और प्रधान मंत्री से मेरी वार्ता के बावजूद भी जब कोई स्थिति नहीं बनी तो अखबारों की चीज को तोड़ मरोड़कर बदले की भावना से अगर कोई चीज इस सदन में कही जाती है तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, श्री सत्यदेव त्रिपाठी के ऊपर जो इल्जाम लगाया है श्री गुलाब सेहरा ने, उसके बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हमारे लोग जो उनकी राग में राग मिला रहे हैं वह भी अवसरवादी हैं, उनको भी नासमझी है। मैं इसलिए कह रहा हूं मान्यवर, मैं आपको बताऊं। आम तौर पर ऐसा होता है कि अगर मियां बीबी में झगड़ा हो जाय और बीबी ने कमरा बन्द कर लिया क्यों कि जब मियां आयेंगे तो सिकड़ी खटखटायेंगे। पड़ोसियों को यह क्यों बुरा लगता है? हमारे साथी जिनको यह नागवार गुजरा है उनको शायद गलतफहमी हो गयी है। लेकिन श्री गुलाब सेहरा का इस तरह का प्रस्ताव और उसे जैसा श्री नारायण दत्त तिवारी ने समझा बेहद बुरा लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम लोग सत्ता में नहीं आये थे कांग्रेसी कार्यकर्ता साम्प्रदायिकता उभारते थे और जिम्मेदारी [× ×] ठोक देते थे। अवसर का फायदा उठाते थे [× ×]

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर [× ×] शब्द बहुत गलत है। माननीय सदस्य इन्हें वापस लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसे देख लूंगा और कार्यवाही से निकाल लूंगा।

श्री राज नाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

श्री गुलाब सेहरा जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है, उस पर सदन के सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अभी-अभी जो माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे थे उसका कोई औचित्य नहीं है जो इस समय कहा जा रहा है, इस प्रकार के विचार पार्टी के बीच में व्यक्त किये जाने

नोट—[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री राजनाथ सिंह]

चाहिए थे, उनका यहां कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात यह कि माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं तो उनको अपने विचार प्रस्ताव तक ही सीमित रखने चाहिए और बातों को उनको आपकी ओर से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संगम लाल जी, कृपया आप अपने को इस प्रस्ताव तक ही सीमित रखिये और इस तरह के शब्दों का प्रयोग न कीजिये जो व्यंग्यात्मक हों या असंसदीय हों। इन शब्दों को [××] में देख लूंगा और निकाल दूंगा। (व्यवधान)।

पहले उनको समाप्त करने दीजिये। आप लोग इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं ?

श्री संगम लाल--

तो मैं कह रहा था कि अगर हम में कोई बात है तो उसका फायदा तो कांग्रेस वाले लेंगे ही, लेकिन जो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम सही बातों को भी यहां न कहें, विधायक दल की बैठक में कहें, आखिर उनको तो ज्यादा ख्याल होना चाहिए कि यहां विधायक दल तो नहीं है, मुझे अकल देते हैं कि मैं सारी बातों को जो सही हैं उनको विधायक दल में कहूं और वह स्वयं सारी खुराफात यहां करें। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान सकता हूं कि गुलाब सेहरा तो येन-केन-प्रकारेण चाहते ही हैं कि जनता पार्टी की छवि धूमिल हो, उनकी बात मैं समझ सकता हूं, लेकिन जैसा कि श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने बताया, उनके भाषण के बाद उनकी बात भी निरर्थक हो जाती है, लेकिन [× ×] की बात पर तो मुझे बेहद आश्चर्य लगा और मैं उसकी निन्दा करता हूं।

(श्री राज नाथ सिंह के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

आप स्थान ग्रहण करें।

श्री राजनाथ सिंह--

एक व्यवस्था का प्रश्न है....।

(श्री विक्रमा राय के खड़े होकर कुछ बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष--

श्री विक्रमा राय, आप बैठिये, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राजनाथ जी आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

नोट--[××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजनाथ सिंह--

मान्यवर, माननीय संगम लाल जी जो विचार व्यक्त कर रहे थे उसके पूर्व मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तो उस सम्बन्ध में आपने अपनी प्रतिक्रिया युक्त कर दी है, लेकिन हमारे लिए उन्होंने कहा कि उनके पास कोई अक्ल नहीं है और कोई सही विचार हम व्यक्त करते हैं तो सही विचार को माननीय सदस्य व्यक्त नहीं करने देना चाहते हैं। यह एक प्रकार का मेरे ऊपर आक्षेप है, मेरे विवेक और बुद्धि पर।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राजनाथ सिंह--

किसी भी सदस्य के विवेक के सम्बन्ध में उसको चुनौती देने का किसी को अधिकार नहीं है। वे विरोध कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

अध्यक्ष महोदय, हम लोग यहां पर माननीय त्रिपाठी जी द्वारा शिमला में जाकर जो कुछ कहा गया उसके सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस चर्चा में दो प्रकार के विचार आये। एक तरफ लोगों ने उद्धाहरण देकर और उद्धरण को काट करके कह दिया कि निश्चित रूप से कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही थीं जो आपत्तिजनक हैं और जिनके लिए मैं समझता हूं कि वे मंत्री है, वे मन्त्री की हैसियत से गये थे, राज्य मन्त्री की हैसियत से बातें कहीं और हम लोगों का सर शर्म से नीचे झुक जाता है और दूसरी ओर जो कहा गया उसको त्रिपाठी जी डिनाई करते हैं, उससे इनकार करते हैं।

मान्यवर, माननीय त्रिपाठी जी बहुत पहले से मेरे मित्र रहे हैं और मैं अच्छी तरह समझता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है, यह उनके स्वाभाव के विपरीत नहीं था। म उनके स्वाभाव से भलीभांति परिचित हूं। फिर उसके ऊपर जैसा तुलसीदास जी ने कहा है 'प्रभुता पाय काहि मद नाहीं' प्रभुता और शासन का नशा चढ़ते ही दिमाग कहां का कहां पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने वहां कहा कि खून की नदियां बह जायेंगी, तो कोई असाधारण बात नहीं है। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि यह डेढ़ जिले का मुख्य मंत्री और हम पर रुआब डालता है, जिसकी हैसियत (शम, शेम की आवाजें।) जुलाई में वहां मुझे खुद जाने का अवसर मिला। मुझे वहां युवा जनता मोर्चा के नेता ने सब स्थिति बताई, मैंने वहां मुख्य मंत्री को पत्र लिखा था ('व्यवधान') हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कोई वैसी बात नहीं कही है, जो शब्द मुख्य मंत्री माननीय शान्ताकुमार जी ने पेश किए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि इससे उनके हृदय को कितनी टीस और वेदना पहुंची है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ब्रह्म दत्त द्विवेदी]

उन्होंने अपने पत्र में जो कुछ कहा उससे त्रिपाठी जी की मनःस्थिति स्पष्ट हो जाती है। यह उस मुख्य मंत्री की गरिमा है जो त्रिपाठी जी द्वारा वेदनापूर्ण शब्द कहने के बाद, अपनी चोट और वेदना ही हृदय में दबाकर रह जाता है और अधिक कुछ नहीं कहता है। इतना करने पर भी त्रिपाठी जी साफ बचे रहते हैं और कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताऊं इनकी बात, यहां के भूतपूर्व उपाध्यक्ष के सम्मुख भी इन्होंने ऐसी बात कही, जिससे वह इंकार नहीं कर सकते हैं, त्रिपाठी जी ने कहा--"उत्तर प्रदेश की सरकार में चलाता हूं, राम नरेश यादव नहीं" ("शेम, शेम" की आवाजें)। इसके अलावा इन्होंने इटावा में न जाने कैसी-कैसी बातें कहीं, जिससे वहां पर आन्दोलन चला और जिसमें एडवोकेट और जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्त्ता सहित २३५ आदमी गिरफ्तार हुए। वहां पर एक साप्ताहिक पत्र निकलता है, अब (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

अब आप विषय के बाहर जा रहे हैं, इसकी अनुमति नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह उससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इसकी इजाजत नहीं है, मैं इसे कार्यवाही से निकलवा दूंगा।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, कोई भी मुलजिम अपने ऊपर लगाए गए अभियोगों से इंकार करता है, यही इन लोगों ने किया है। इस सम्बन्ध में श्री राजनारायण का भी नाम आया और उन्होंने पहले इससे इंकार कर दिया, लेकिन जब टेप-रिकार्डिंग ने साबित कर दिया कि ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहे, ऐसा भाषण दिया, तो वह भी फिर इंकार नहीं कर सके। मेरी स्वयं भी जब प्रदेश अध्यक्ष से जब बात हुई, उन्होंने बताया कि त्रिपाठी जी ने ऐसी आपत्तिजनक बात कही। आप जब न्याय की बात कहते हैं तो हमारे सबके लिए एक ही कसौटी होनी चाहिए। जब प्रधान मंत्री, एक केन्द्रीय मंत्री के विरुद्ध ऐसा ही आरोप होने पर उससे इस्तीफा ले सकते हैं, तो यहां के मुख्य मंत्री को तय करना चाहिए कि वह

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उनके खिलाफ क्या करें। मैंने स्वयं मांग की थी, उनकी बातें यदि आपत्तिजनक हैं, जिसको सभी लोग समझ चुके हैं, तो त्रिपाठी जी स्वयं खेद प्रकाश करें। इसमें उनकी बड़ाई होगी और उनकी गरिमा बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठिए।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

वह भूल मान लें तो बात समाप्त हो जाएगी। मैं अपील करता हूं कि ऐसा करके वह अपने बड़प्पन का प्रदर्शन करेंगे।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

सुन्दर लाल जी, यह आपत्तिजनक है। इन शब्दों को कार्यवाही का भाग नहीं माना जायगा, आप बैठ जाइए। आप अमर्यादित बात करते हैं। आप बैठिए।

(श्री मोती लाल देहलवी का नाम पुकारे जाने तथा श्री सुन्दर लाल दीक्षित के खड़े रहने पर) आप बैठ जाइए। अब आपको मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

दो मिनट कहने दीजिए।

श्री राम आसरे वर्मा--

आपने आज्ञा दी थी।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन सदन का समय इस तरह से नष्ट नहीं होना चाहिए। अनावश्यक आक्षेप करते हैं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मेरे साथ यह ज्यादती होगी।

श्री अध्यक्ष--

ज्यादती नहीं होगी। मैं आपसे कहता हूं। ऐसा लगता है कि फिर आप अपना संयम खोने लगे हैं। (श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर) आप बैठ जाइए आप परवाह न कीजिए वर्मा जी।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

माध्यवर, माननीय सेहरा जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसमें माननीय मोहन सिंह जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं उसमें एक लाइन और जोड़ देना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव केवल दूषित भावना के कारण रखा गया है। इसके सिवा कुछ नहीं है और वह सारा सदन देख रहा है कि सत्तारूढ़ दल के विधायक इस सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त कर रहे हैं उसमें वह दाद दे रहे हैं उनको बड़ी मौज आ रही है। सिर्फ इस भावना से कि जनता पार्टी के अन्दर एक दरार पैदा हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

श्री मोती लाल देहलवी जी, आप कहने को नहीं रोक सकते। आप अपनी बात कहिए।

श्री मोती लाल देहलवी---

मुझको निजी जानकारी है कि माननीय राजनारायण जी के पास जो भी हिमांचल प्रदेश के विधायकों के और हिमांचल प्रदेश के मंत्रियों के पत्र आए हैं वह पत्र यह प्रमाणित करते हैं कि माननीय राजनारायण जी ने और माननीय सत्यदेव त्रिपाठी ने किसी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जिससे उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा धूमिल हुई हो या उत्तर प्रदेश की जनता की प्रतिष्ठा में कोई आंच आयी हो। वहां पर न दफा १४४ थी और न निषेधाज्ञा की बात माननीय राजनारायण को मालूम थी, न माननीय सत्यदेव त्रिपाठी को मालूम थी। वहां मीटिंग का आयोजन था और आयोजन के ख्याल से माननीय राजनारायण जी भी गए, माननीय सत्यदेव त्रिपाठी भी गए थे। यह जो कहते हैं कि सत्यदेव जी त्रिपाठी ने कहा कि अगर सभा नहीं करने दी जायगी तो खून की नदियां बह जायंगी, यह बिलकुल निराधार है और बेबुनियाद है। सदन में इस तरह का संकल्प प्रस्तुत हो गया। इसको नहीं आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

आप इसकी ग्राह्यता पर आक्षेप कर रहे हैं। यह अनुचित है।

श्री मोती लाल देहलवी---

मैं आप पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। आप भ्रम में हैं। मैं इस पर अपनी राय दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---

ग्राह्यता पर राय देने का अधिकार नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी---

आप सुन तो लीजिए। राजनारायण और सत्य देव त्रिपाठी के जो बयान हुए हैं उससे इस तरह का संकल्प प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह जान बूझकर इस तरह का संकल्प प्रस्तुत किया गया है जिससे जनता पार्टी में दरार पैदा हो और उसमें टकराव हो और उनकी अभिलाषा पूरी हो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों को सबल विरोधी दल के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रूप मे आना चाहिए और ये धारा १४४ तोड़ना सीखें। अगर यह लोग धारा १४४ तोड़ना नही सीखेंगे तो मान्यवर, यह सही माने में विरोध करना नहीं जानेंगे कि विरोध पक्ष का क्या रोल होना चाहिए।

श्री राजनाथ सिंह--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सम्मानित सदस्य सदस्यों को यह सुझाव दे रहे हैं या प्रवोक कर रहे हैं, तो धारा १४४ तोड़ना अच्छी बात तो नहीं है। ये गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठिए।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं विरोध के लोगों से दो शब्द कहना चाहता हूं। हम लोग हमेशा विरोध में रहे है शासन में तो अब आए हैं लेकिन इस तरह का निचले स्तर का संकल्प कभी प्रस्तुत नहीं किया जिस तरह का यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है। मैंने माननीय तिवारी जी का भाषण सुना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विरोध में बैठने के बाद तिवारी जी इस तरह के छोटे स्तर की बात करने उतरेंगे। इस संकल्प का कोई महत्व नहीं है। सत्यदेव त्रिपाठी ने स्थिति को साफ कर दिया है और इसके पहले भी हो चुकी है और अखबारों में प्रकाशित हो चुकी है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, मैं माननीय गुलाब सेहरा, सदस्य आगरा के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने राज्य मंत्री का स्पष्टीकरण सुना लेकिन उनके स्पष्टीकरण से और भी बातें स्पष्ट हो रही हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया था कि वह शिमला में थे और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें सन् २९ से लागू आर्डर की जानकारी थी। रिज जो शिमला में है, उसमें जैसा कि श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने बताया, सन् १९२९ से एक आर्डर लागू हुआ था कि वहां पर कोई मीटिंग नहीं होगी। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में किसी धारा का जिक्र नहीं किया। अगर कोई आर्डर कहीं पर लागू होता है तो किसी धारा के ही अनुसार लागू होता है। माननीय राज्य मंत्री जी ने शासन के सदस्य होते हुए भी, वहां पर रिज में बैठक कर एक ऐसी मीटिंग में हिस्सा लिया जहां पर वर्तमान शासन ने भी उस आर्डर को जारी रखा था। यह उन्होंने सदन में स्वीकार किया है कि उस आदेश के उल्लंघन में वे शिमला में शामिल हुए। अब, श्रीमन्, जब उन्होंने यहां पर सदन में स्वीकार कर लिया है तो मुख्य मंत्री की या किसी दूसरे के साक्ष्य की क्या आवश्यकता है? उन्होंने स्वीकार किया है कि जहां पर ब्रीच आफ आर्डर हुआ, मैं उसमें शामिल था, बोला नहीं। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश इजाजत देने वाले हैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को कि वे कानून की अवहेलना मे जो मीटिंग हो रही हो, उसमें उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री भाग लें?

हमारे माननीय गुलाब सेहरा जी के प्रस्ताव में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वे हैं 'भाग लिया'।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री नारायण दत्त तिवारी)

उसमें यह नहीं है कि 'वे बोले' तो मान्यवर, मेरे विनम्र विचार से अगर उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के कोई माननीय सदस्य किसी दूसरे राज्य में जहां पर निषेधाज्ञा लागू हो वहां पर ऐसी मीटिंग में भाग लें, बैठे रहें तो जो मर्यादा मंत्रिमंडल की है उसका वह उल्लंघन करती है। माननीय सत्यदेव त्रिपाठी अगर मंत्रिमंडल में न होते और बीच आफ आर्डर करते तो हमें कोई शिकायत न होती। हमें इसमें भी शिकायत न होती अगर उन्होंने दफा १४४ तोड़ी होती। शिकायत केवल यह है कि राज्य मंत्रिमंडल का सदस्य होते हुए दूसरे राज्य के कानून के उल्लंघन में भागीदार हुए और इसके लिए मैं भी उनसे और माननीय मुख्य मंत्री से कहूंगा कि जब उन्होंने सदन में स्वीकार कर लिया है और किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है। श्री सत्यदेव त्रिपाठी को 'सत्य' का अनुपालन करना चाहिए था। सत्यमेव जयते। उन्हें त्याग-पत्र देना चाहिए।

मान्यवर, इसमें एक बात और है। माननीय राजनारायण जी ने लोक सभा में जो वक्तव्य दिया उसमें एक बात ऐसी दुहराई गयी कि जिससे सारी बात स्पष्ट हो जाती है। माननीय गुलाब सेहरा जी ने भी उस बात को अपने भाषण में दुहराया है। मैं माननीय राजनारायण जी के वक्तव्य को पढ़े देता हूं। श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने यह नहीं कहा कि लोक सभा में जो भाषण दिया गया, वह गलत था।

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में जो प्रस्ताव माननीय सेहरा जी ने पेश किया है उसके सम्बन्ध में यहां पर बहस नहीं होनी चाहिए। माननीय तिवारी जी ने जो भाषण श्री राजनारायण जी के बारे में दिया उसको यहां पर नहीं होना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो बयान छपा है उसमें माननीय सत्यदेव त्रिपाठी, माननीय राजनारायण जी के बधाई के पात्र बन रहे हैं। पद मुक्त हो जाना बुरी बात नहीं है। जो बयान है मैं उसको पढ़े देता हूं। इन्होंने यह कहा, पहले क्या कहा, चीफ मिनिस्टर, हिमांचल प्रदेश ने लिखा....

"However, the letter does state that Sri Satya Deo Tripathi, the U. P. Minister for Hill Development, had informed me of the ban on the meeting. But Sri Tripathi had himself met the Prime Minister and he strongly refuted this contention and later on at a press interview he gave further details which are as follows:

Mr. Satya Deo Tripathi, U. P's Minister of State for Hill Development, said here today that he had told the Prime Minister that he (Mr. Tripathi) had not informed Mr. Raj Narain that there was a ban on holding meeting in the Ridge area in Simla, as I did not think it my duty.

He also told Mr. Desai that it was the duty of the district authorities who accompanied Mr. Raj Narain from Chandigarh."

श्री अध्यक्ष—

तिवारी जी, इसमें समय अधिक लगेगा। सिर्फ संक्षेप में हिन्दी में कह दीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्याम शर्मा, राज्य मंत्री ने बताया कि हमारे मित्र त्रिपाठी जी जोर दे रहे थे कि रिज एरिया में मीटिंग होगी जब कि जनाना पार्क में मीटिंग की इजाजत थी। अब राजनारायण जी ने इस बात को कंट्राडिक्ट नहीं किया। इस बात को मना नहीं किया। राजनारायण जी ने क्या कहा कि सत्यदेव त्रिपाठी को अपनी रक्षा में पेश किया है। हिमांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने चिट्ठी में लिखा प्रधान मंत्री को कि सत्यदेव त्रिपाठी ने राजनारायण जी को सूचना दे दी थी। राज नारायण जी का कहना है कि सत्यदेव त्रिपाठी ने सूचना नहीं दी। उसके हवाले में दो जुलाई को कहा कि उनको मालूम था कि बैन का आर्डर लगा हुआ है, बैन का। इनको मालूम था राज नारायण जी को, कि राज नारायणजी को जाना मना है। राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सूचना नहीं दी कि हिमांचल प्रदेश की सरकार का यहां पर बैन आर्डर लगा हुआ है। यह ऐसा फैक्ट है जोकि अकाट्य है, न तो इसे पार्लियामेन्ट में छुपाया गया, लोक सभा में इसको राज नारायण जी ने कहा है कि इनको मालूम था और इन्होंने नहीं बताया। क्या यह उचित था। माननीय राज्य मंत्री इस बात को छुपाये रखते और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को न बताते कि जनाना पार्क में चली,? नहीं, इन्होंने नहीं बताया। मिनिस्टर का कोड आफ कंडक्ट होता है, चाहे वह केन्द्र का हो या राज्य का हो। अब उस कोड आफ कंडक्ट को तोड़ा माननीय राज्य मंत्री जी ने, कोड आफ कंडक्ट को तोड़ा। दूसरे राज्य में जाकर स्वयं भाग लिया, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को नहीं बताया, सेपरेशन आफ टूथ किया जानते हुए भी कि वहां पर मीटिंग का बैन का आडर लगा हुआ है, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को नहीं बताया। अब श्रीमन्, इतने मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हुए हैं दिल पर हाथ रख कर कहिए ..

श्री अध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी, २ मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

कोई मंत्रिमंडल हो, किसी भी पार्टी का हो, यह विचारधारा का प्रश्न नहीं है प्रश्न यह है कि अगर किसी भी शासन का मंत्रिमंडल होता है, क्या मंत्रिमंडल के सदस्य को कोड आफ कंडक्ट को मानना चाहिए ? श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी को बुलवाइए।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी अभी आ रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं यह कह रहा था श्रीमन्, कि हमारे मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य जैसा मैंने कहा कि मैं सत्यदेव त्रिपाठी जी का आदर करता हूं, व्यक्तिगत कोई बात नहीं है। क्या मंत्रिमंडल के सदस्यों को कोड आफ कंडक्ट मानना चाहिए? जो स्वयं कानून को लागू करते हैं अगर वह कानून की अवहेलना करें तो क्या यह शोभनीय है ? अगर उत्तर प्रदेश में शोभनीय नहीं है तो हिमांचल प्रदेश में कैसे शोभनीय होगा। दूसरे प्रदेश में तो और अधिक कोड आफ कांडक्ट मानना चाहिये।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि एक दूसरे प्रदेश में जाकर उन्होंने मिनिस्टीरियल कोड आफ कन्डक्ट की अवहेलना की

है । वहां सन् २९ से बैन लगी है और वर्तमान के शासन के द्वारा स्वीकृत एक बैन वाली मीटिंग में भाग लिया और उन्होंने सदन में स्वीकार किया, उनकी आवाज से लग रहा था कि उनका भाग लेना सही था । दूसरी बात यह है कि उन्होंने जानते हुये भी कि निषेधाज्ञा लगी है, उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सूचना नहीं दी ।

(श्री नारायण दत्त तिवारी)

उनका भी कोड आफ कांडक्ट ब्रेक करवाया । अगर राजनारायण जी को मालूम हो जाता कि बैन लगा हुआ है तो शायद उनके कहने के अनुसार, जो बयान उन्होंने दिया है, वह न जाते ।

श्री अध्यक्ष--

समाप्त कीजिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह भी अपना प्रकरण समाप्त करें, मैं समाप्त कर रहा हूं । अगर श्री राजनारायण को सत्य देव त्रिपाठी जी बता देते तो शायद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मिनिस्टीरियल कोड आफ कांडक्ट की अवहेलना न करते जैसा कि उन्होंने लोक सभा में वक्तव्य दिया । मुख्य मंत्री जी अब कोई चारा नहीं है सिवा इसके कि सदन के सामने राज्य मंत्री स्वयं त्याग-पत्र दें या मुख्य मंत्री जी सदन में घोषणा करें कि राज्य मंत्री का त्याग-पत्र मैं लूंगा या मांगूंगा

(मेजों की थपथपाहट)

(मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

अध्यक्ष महोदय, दो मिनट दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्री मान सिंह आजाद--

आपने २ मिनट नहीं दिये । अच्छा एक मिनट दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठिये ।

श्री मान सिंह आजाद--

यह अन्याय हो रहा है । एक मिनट दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा दो मिनट में बोलिये ।

श्री मान सिंह आजाद--

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में यह जो चर्चा हो रही है हिमांचल वाली उसमें मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश के हजारों लोग जिन्होंने देश की रक्षा के लिये अपना बलिदान किया है, अंग्रेजों को भगाया । मुख्य मंत्री और आपके मंत्रि परिषद् के होते हुये, हमारे साथी नेता राज नारायण जी ने जो हिन्दुस्तान के बड़े ही स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और हमारे साथ जेलों में रहे हैं, परन्तु लज्जा की बात है कि आज हिन्दुस्तान और प्रदेश में इसी कारण अशांति मची है । जब आपके मंत्रि परिषद् के लोग दफा १४४ तोड़क

अशांति फैलायेंगे तो मैं केवल इतना कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी आप या तो इस्तीफा दें या इनको हटाय ।

(मेजों की थपथपाहट ।)

श्री उचित नरायन (जिला हमीरपुर)

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ? मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि आपने मुख्य मंत्री को बुलाने के लिये कहा है तो क्या हम इसके आगे यह समझें कि इसके बाद आप इसे समाप्त करेंगे । हम लोग और तमाम लोग इस पर बोलना चाहेंगे । आप कृपा करके समाप्त न करें ।

श्री राजव्रज राज सिंह (जिला खीरी)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, अब समय नहीं है ।

श्री राजव्रज राज सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये ।

(*श्री राम नरेश यादव) मुख्य मंत्री—

मान्यवर, इस सदन में जो प्रस्ताव रखा गया है और प्रस्ताव पर जिस प्रकार से चर्चा हुई है और सदस्यों ने जिस प्रकार से अपने विचारों को रखा है उसको ध्यान में रखते हुए तथा विशेष कर विपक्ष के सदस्यों ने सदन में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखने का जो प्रयास किया वे अपनी जगह सही नहीं हैं और संयुक्त जिम्मेदारी का जो प्रश्न उठाया गया है वह अवश्य है । हर एक राज्य का दूसरे राज्य से क्या सम्बन्ध होता है इस बात को भी राज्य सरकार अच्छी तरह से जानती है । विपक्ष में बैठे हुए लोग भी जानते हैं जो सत्ता में रहे हैं और हम भी इस बात का अनुभव करते हैं कि दूसरे राज्य में जाने पर वहां के जो नियम और कानून हैं उनका पालन करना चाहिये और होता भी है और जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि कहीं भी नियम और कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिये तो उस संदर्भ में भी मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से समाचार पत्रों से यहां पर उद्धरण पढ़े गये तो समाचार भी तोड़-मरोड़ कर दिये जाते रहे हैं और दिये गये हैं । जहां तक राज्य मंत्री का सवाल है उन्होंने अपनी बात सदन के सामने रखी । जहां तक हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री का सवाल है हमारे प्रदेश के राज्य मंत्री किसी प्रदेश में जाते हैं और इस तरह का आचरण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम नरेश यादव]

होता है तो उनको भी हमें सूचित करना चाहिये था। उन्होंने जो प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है उसमें कहीं भी वक्तव्य देने की चर्चा नहीं है और इसलिये मुझे लगता है कि स्पष्टीकरण लेने के बाद स्वयं प्रधान मंत्री ने संतुष्ट होकर किसी भी कार्यवाही को न करने का निर्णय लिया और अगर कोई निर्णय होता तो इस दिशा में वह शासन के पास पत्र भेजते कि इस तरह की कार्यवाही की जाय। इस प्रकार न हिमांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने और न ही प्रधान मंत्री ने कोई पत्र भेजा कि इस तरह की कार्यवाही की जाय।

जहां तक धारा १४४ को तोड़ने का सवाल है वहां कोई ऐसी धारा नहीं लगी थी। टेलीफोन पर बात करने की जो बात कही जाती है उस सन्दर्भ में त्रिपाठी जी न स्पष्टीकरण दिया है प्रधान मंत्री के सामने और उन्होंने टेलीफोन पर कोई इस तरह की बात नहीं की थी लिहाजा किसी तरह की कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ। कोई भी जानकारी न प्रधान मंत्री को है और न वहां के मुख्य मंत्री को कि उन्होंने कोई कानून और नियम का उल्लंघन किया है। लिहाजा किसी तरह से कानून तोड़ने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, न वह तोड़ा गया। तोड़ा गया होता तो हिमांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री की जानकारी में लाना चाहिये था। जब इस तरह का प्रश्न नहीं आया तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं की जा सकती थी। जहां हिमांचल प्रदेश की जनता तथा हमारे सम्बन्धों का सवाल है कहीं कोई अन्तर नहीं पड़ा है, न कोई जन चर्चा है। आज भी दोनों जगह जनता पार्टी की सरकार है और इस नाते कोई आन्तरिक मतभेद हमारा उनका नहीं है और एक दूसरे के साथ जो सम्बन्ध होना चाहिये, वह है। इसलिये इन बातों को ध्यान में रखते हुए कहीं किसी तरह की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इन शब्दों के साथ में सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आया है इसका सबको विरोध करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

गुलाब सेहरा जी, आप ५ मिनट में समाप्त करिये क्योंकि मुझे मतदान भी लेना है।

*श्री गुलाब सेहरा—

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बातें कहीं उसमें उस बात का जिक्र नहीं है जिसे श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने स्वयं स्वीकार किया इस सदन के समक्ष कि १९२९ से वहां पर निषेधाज्ञा लगी हुई थी जिसको हिमांचल सरकार ने भी लगाया है और उसको उन्होंने तोड़ा। अब उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी कहें कि हिमांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हम को कोई पत्र नहीं लिखा। जिन पत्रों का हवाला दिया है उसमें हिमांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री का बयान निकला है। २८ तारीख का, टाइम्स आफ इंडिया, जो निकला अगर वह गलत होता तो उसका कंट्राडिक्शन हिमांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री को करना चाहिये था जिसको उन्होंने नहीं किया। आश्चर्य इस बात का है कि हमारे मुख्य मंत्री हिमांचल प्रदेश के मुख्य मंत्री के पत्र का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी सदन में श्री सत्यदेव त्रिपाठी न स्वीकार किया कि मैंने निषेधाज्ञा भंगकर आम सभा में भाग लिया। प्रधान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी ने भी यह बात कही थी कि मंत्रिमंडल का संयुक्त उत्तर दायित्व होता है । और अगर कोई निषेधाज्ञा को भंग करता है तो उसका इस्तीफा मैं लूंगा जिसे उन्होंने करके दिखा दिया । जो निर्देश प्रधान मंत्री के थे उसका सीधा-सीधा मतलब है कि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री उस बात की अवहेलना कर रहे हैं और उसकी उपेक्षा कर रहे हैं । जब कि श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने इसी सदन में स्वीकार किया है कि मैंने निषेधाज्ञा को भंग किया । इसलिए मैं अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि "इस सदन को खेद है कि राज्य सरकार के राज्य मंत्री, श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने २४ जून, १९७८ को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, श्री राजनारायण के साथ हिमांचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगी धारा १४४ को तोड़कर एक सार्वजनिक सभा में भाग लिया और तत्पश्चात् ऐसे वक्तव्य दिये जिससे हिमांचल प्रदेश की सरकार व जनता व उत्तर प्रदेश की सरकार व जनता के पारस्परिक सम्बन्ध बिगड़े और उत्तर प्रदेश शासन की प्रतिष्ठा गिरी । इस सदन को खेद है कि मुख्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में राज्य मंत्री, श्री सत्यदेव त्रिपाठी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है" को स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित करने और मौखिक मतदान के विनिश्चय की घोषणा करने पर ।)

श्री गुलाब सेहरा--

नहीं मान्यवर, हां की संख्या अधिक है । डिवीजन कराये ।

श्री अध्यक्ष--

यह अब अस्वीकार हो गया...

श्री गुलाब सेहरा--

नहीं मान्यवर, कराइये ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं । संकल्प पर चर्चा कर सकते हैं उसमें मत ले सकते हैं, लेकिन इस तरह डिवीजन का प्रोवीजन नहीं है । केवल राय जानने की बात है ।

श्री अध्यक्ष--

अगर किसी विषय पर प्रस्ताव सदन के समक्ष हो और उस पर विभाजन मांगे तो मानना ही पड़ेगा ।

(विभाजन के लिए घंटी बजाई गई ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब मत विभाजन के लिए घंटी बज रही होती है तो सदन की कार्यवाही नहीं होती ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं मत ले रहा हूं ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल ११ बजे पूर्वान्ह फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ५७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

३० अगस्त, १९७८

सत्य प्रिय सिंह

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ९३९पर)

ग्राम का नाम	किसानों का नाम	प्रतिकर की धनराशि	वितरण की तिथि	विवरण
१	२	३	४	५
		ह०		
मीरानपुर	१—बुद्धू पुत्र पतिराज	०.८७	२९-५-७३	
	२—मंजूर पुत्र सल्लर साह	१५.२८	तदैव	
	३—मकबूल	१५.२६	तदैव	
	४—जैनुलआबदीन पुत्र मो० नजीर	१.३२	१-६-७३	रेवेन्यू डिपाजिट
	५—मो० रफीक पुत्र वजीर	०.३०	१-६-७३	तदैव
	६—मो० रफीक पुत्र वजीर	०.३०	१-६-७३	तदैव
	७—मकबूल पुत्र सल्लर शाह	०.८१	२९-५-७३	
	८—मन्जूर पुत्र सल्लर शाह	०.८१	२९-५-७३	
	९—इब्राहीम पुत्र लाह मोहम्मद	०.४२	१-६-७३	रेवेन्यू डिपाजिट
	१०—नूरल्लाह पुत्र बख्शी हुसैन	१.११	तदैव	तदैव
	११—जलाल उद्दीन, पुत्र हुसैन अली, सा० शाहजादपुर	०.१२	तदैव	तदैव
	१२—मुकीम उद्दीन	०.१२	तदैव	तदैव
	१३—मोइनद्दीन	०.१२	तदैव	तदैव

१	२	३	४	५
		रु०		
मीरानपुर	१४--वीर मो० पुत्र शफीक	०.२४	१-६-७३	रेवेन्यू डिपाजिट
	१५--दया राम पुत्र राम लाल	०.२७	तदैव	तदैव
	१६--कासिम हुसैन पुत्र अली हुसैन	०.४८	तदैव	तदैव
	१७--अब्दुल लतीफ	०.०६	२९-५-७३	
	१८--अब्दुल रहमान } पुत्र शेख सफदर	०.०७	२९-५-७३	
	१९--जान मोहम्मद	०.०७	१-६-७३	तदैव
	२०--अब्दुल रहीम } पुत्र अब्दुल रहमान	०.०९	१-६-७३	तदैव
	२१--अब्दुल करीम	०.१०	१-६-७३	तदैव
	योग ..	३८.२५		
शाहजहांपुर	१--मु० अम्मूलनिशां जौने नूर मोहम्मद	८.७०	१-६-७३	रेवेन्यू डिपाजिट
	२--राम लखन पुत्र शिवबालक	२.७३	तदैव	तदैव
	३--जियावन पुत्र शिवनाथ	६.२१	तदैव	तदैव
	४--जकात } पुत्र सखावत खां	८.१८	तदैव	तदैव
	५--सफात	८.१८	तदैव	तदैव
	६--इनाम हुसैन	८.१८	तदैव	तदैव
	७--भागीरथी पुत्र बीपत	४.२१	तदैव	तदैव
	८--राम अचल पुत्र बरन ०	१.४०	तदैव	तदैव
	९--मुरली } सं०मु० सम्पती	१.४१	तदैव	तदैव
	१०--हनुमान } (माता खुद)	१.४१	तदैव	तदैव
	योग ..	५०.६१		

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ९४० पर)

(१) वर्षों से कार्यरत तदर्थ नियुक्त प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं को औपचारिक अनुमोदन प्रदान कर स्थायी किया जाय ।

(२) जनवरी, १९७८ में सेवा से पृथक सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं को पुनः पदस्थापित कराया जाय ।

(३) प्रोन्नति प्राप्त निरीक्षक एवं निरीक्षिकाओं का विभागीय चयन, जो वर्ष १९६४ से नहीं कराया गया है, तुरन्त कराया जाय ।

(४) निरीक्षकों के पदोन्नति के अवसरों की रक्षा की जाय ।

(५) उप विद्यालय निरीक्षकों के पदों पर सीधी भर्ती बन्द की जाय और प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के पदों की मूल भर्ती के बाद का पद पदोन्नति से भरा जाय ।

(६) प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के क्षेत्रीय मुख्यालय को प्रभावी एवं सक्रिय बनाने के लिये कम से कम द्वितीय श्रेणी के नगर शिक्षा अधीक्षक के समकक्ष सुविधायें उपलब्ध करायी जायें ।

(७) प्रौढ़ शिक्षा के हितों को देखते हुये विभिन्न संवर्गों से आये परियोजना अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाय तथा पदावनत निरीक्षक वर्ग को प्रोन्नति प्रदान की जाय ।

(८) वेतन वितरण अधिकारी के पद सृजित किये जायें और उन पदों पर शतप्रतिशत निरीक्षक वर्ग को नियुक्ति की जावे ।

(९) विद्यालय निरीक्षक वर्ग के यात्रा भत्ता का भुगतान प्रान्तीय हेड से किया जाय ।

(१०) निरीक्षक वर्ग के कर्तव्यों का निरूपण किया जाय । प्रत्येक क्षेत्र में दो प्रति उप विद्यालय निरीक्षक रखे जायें और उन्हें कुछ अधिकार अवश्य दिये जायें ।

(११) राजकीय दीक्षा विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के शतप्रतिशत पद विद्यालय प्रति उप निरीक्षकों को ही दिये जायें ।

(१२) निरीक्षकों पर गत कुछ वर्षों से गृह जनपद के लगाये गये बन्धन को समाप्त किया जाय ।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५७ पर)

प्रदेश में ऐसे कार्यरत नलकूपों की सूची जिनकी गहराई १,००० फीट से अधिक है :

क्रम-संख्या	जनपद का नाम	नलकूपों की संख्या
१	कानपुर	१
२	फतेहपुर	११
३	उन्नाव	१
४	रायबरेली	२
५	सुल्तानपुर	१
६	प्रतापगढ़	३
७	बस्ती	१
८	आजमगढ़	१८
९	गाजीपुर	१६
१०	जौनपुर	२
	योग ..	५६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नस्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६० पर)

सूची

३० निम्नलिखित भवन पूर्ण करके पशुपालन विभाग को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं :

(३० जून तक की स्थिति)

प्रशासनीय भवन	..	१
डिस्पेन्सरी	..	१
सीप पेन	..	५
टाइप ४ आवास	..	१
टाइप ३ आवास	..	२
टाइप २ आवास	..	३
पोस्टमार्टम रूम	..	१
टाइप १ क्वाटर	..	१६
योग	..	३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६४ पर)

वर्ष १९७६–७७ तथा १९७७–७८ में आवंटित/छिद्रित जनपदवार राजकीय नलकूप की सूची :

क्रम-संख्या	जनपद का नाम	वर्ष १९७६–७७	वर्ष १९७७–७८
१	२	३	४
	(अ) पहाड़ी क्षेत्र		
१	नैनीताल	१४	१७
२	देहरादून	२	१०
३	गढ़वाल	..	..
	(ब) पश्चिमी क्षेत्र		
४	मुजफ्फरनगर	१७	१७
५	मेरठ	१०	२२
६	बुलन्दशहर	२	८
७	सहारनपुर	४०	४२
८	अलीगढ़	१६	२५
९	मथुरा	..	५
१०	एटा	१९	४५
११	आगरा	४०	४२
१२	इटावा	१२ (१५)	४०
१३	फर्रुखाबाद	१५	१३
१४	मैनपुरी	३१	३१
१५	मुरादाबाद	४९	१६
१६	बदायूं	२०	२०+१५=३५
१७	रामपुर	१०	१०
१८	बिजनौर	२५	३१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४
१९	बरेली	९	१५
२०	शाहजहांपुर	३	२०
२१	पीलीभीत	..	५
२२	गाजियाबाद	..	२०
	(सी) मध्य क्षेत्र		
२३	उन्नाव	५	५
२४	कानपुर	१९	४०
२५	खीरी	३४	३४
२६	सीतापुर	३५	२५
२७	हरदोई	३१	४०
२८	लखनऊ	३५	३५
२९	बाराबंकी	८	१०
३०	रायबरेली	३५	३६
३१	फतेहपुर	१९	४१
	(डी) बुन्देलखंड		
३२	हमीरपुर	२५	५४
३३	जालौन	३८	४२
३४	बांदा	१७	२४
	(ई) पूर्वी क्षेत्र		
३५	वाराणसी	६७	७८
३६	मिर्जापुर	३३	२२
३७	जौनपुर	१५	१४
३८	गाजीपुर	२७	२९
३९	बलिया	४१	४१
४०	गोरखपुर	२९	५०
४१	देवरिया	२५	४३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४
४२	आजमगढ़	४९	३०
४३	बस्ती	४४	५२
४४	गोंडा	९	१७
४५	बहराइच	१५	१७
४६	फैजाबाद	३३	३३
४७	सुल्तानपुर	२४	३७
४८	इलाहाबाद	५६	५६
४९	प्रतापगढ़	२२	२१
	कुल योग ..	११२१	१४०५

पी० एस० यू० पी०—७४ वि० सभा—२३—१—७९—८३५ (पी० डी०)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा